Wednesday, 09 May, 1979

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(सातवां सत्र)

6th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 27 में अंक 51 से 59 तक हैं]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

विषय-सूची

अंक 53, बुधवार, 9 मई, 1979/19 वैशाख, 1901 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1052, 1061, 1064 से 1066, 1068 और 1069	1—22
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
तारांकित प्रश्न संख्या 1051, 1053 से 1060, 1062, 1067, 1070 और 1071	22—31
अतारांकित प्रश्न संख्या 10201 से 10256, 10258 से 10323, 10325 से 10336 और 10338 से 10364	31—150
सभा पटल पर रखे गये पत्र	150—151, 153—154
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	151—153
राज्य सभा से प्राप्त संदेश	154
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति 34वां प्रतिवेदन	155
सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति 18वां प्रतिवेदन	155
याचिकाओं सम्बन्धी समिति 10वां प्रतिवेदन	155
जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेंट उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयक, 1979—पुर:स्थापित	155—157
नियम 377 के अधीन मामले	157—161
(एक) तमिलनाडु में हस्त-निर्मित दियासलाई उद्योग में नियोजित बालकों के शोषण का समाचार	
श्री सुरेन्द्र विक्रम	157—158

*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(दो) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल	
श्री मनोहर लाल	158
(तीन) आन्ध्र प्रदेश में कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए विपणन एजेंसियों का अभाव	
श्री टी० बालकृष्णैया	159
(चार) 1 मई, 1979 को जनपथ, नई दिल्ली में हुई घटनायें	
श्री ए० कुदनतई रामलिंगम	159—160
(पांच) मेघालय के कुछ भागों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का अनियमित भुगतान	
श्री पी० ए० संगमा	160
अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन-विनियमन और सेवा शर्तें) विधेयक	162—178
खण्ड 8 से 36 तथा 1	
संशोधित रूप में पास किये जाने का प्रस्ताव	
श्री रवीन्द्र वर्मा	
संसद-सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक	179—189
विचार किये जाने का प्रस्ताव	179
श्री रवीन्द्र वर्मा	179, 185—186
प्रो० पी० जी० मावलंकर	180—183
श्री पूर्णनारायण सिन्हा	183—184
डा० रामजी सिंह	184—185
खण्ड 2 तथा 1	187—189
पास किये जाने का प्रस्ताव	189
संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	189—239

विषय	पृष्ठ
विचार किये जाने का प्रस्ताव	190
श्री सतीश अग्रवाल	190—193, 227—237
श्री सोमनाथ चटर्जी	193—197
डा० रामजी सिंह	197—201
श्री अण्णासाहिब गोटखिण्डे	201—202
श्री सी० एन० विश्वनाथन	203—204
श्री हुकम देव नारायण यादव	204—209
श्री श्रीकृष्ण सिंह	209—212
श्री के० टी० कोसलराम	212—213
श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा	213—217
श्री आर० एल० पी० वर्मा	217—220
श्री बी० रचैया	220—222
श्री के० एस० रामास्वामी	222—223
श्रीमती चन्द्रावती	223—227
संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक	
खण्ड 2 से 5 तथा 1	
पास किये जाने का प्रस्ताव	
श्री सतीश अग्रवाल	238
सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक	
खण्ड 2, 3 तथा 1	
पास किये जाने का प्रस्ताव	
श्री सतीश अग्रवाल	238—239
अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक	
खण्ड 2, 3 तथा 1	
पास किये जाने का प्रस्ताव	
श्री सतीश अग्रवाल	239

विषय	पृष्ठ
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव	240—260
श्री धनिक लाल मण्डल	240
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	240, 241—247
श्री हुकम देव नारायण यादव	247—250
श्री ए० सी० जार्ज	250—254
श्री जदुनाथ किस्कू	254—256
श्री ज्वाला प्रसाद कुरील	256—206
श्री पवित्र मोहन प्रधान	260

लोक सभा

बुधवार, 9 मई, 1979/19 वैशाख, 1901 (शक)

(लोक सभा ग्यारह बजकर 36 मिनट पर समवेत हुई।)

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आर्थिक अपराधों के लिए विशेष न्यायालय

*1052. **श्री के० एस० वीरभद्रप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आर्थिक अपराधों के मामलों पर शीघ्र निर्णय करने के लिए विशेष न्यायालय गठित करने के बारे में सरकार ने अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में विवरण क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) और (ख) सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

विधि आयोग ने सामाजिक और आर्थिक अपराधों के विचारण और सजा के ऊपर अपनी 47वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, आर्थिक अपराधों के प्रभावी और शीघ्र अभियोजन के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस बात पर विचार किया गया था कि क्या ऐसे न्यायालयों की स्थापना के लिए संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसरण में विधान बनाया जाये। सरकार ने जब यह निर्णय किया है कि इस प्रकार के विधायन के बजाय राज्य सरकारों से अधिक उपयुक्त रूप से यह अनुरोध किया जाय कि वे उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करके, कुछ वर्तमान न्यायालयों को नियत करें अथवा अतिरिक्त न्यायालय स्थापित करें, जो कुछ केन्द्रीय अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले आर्थिक अपराधों से पूर्ण रूप से निपट सकें।

2. निम्नलिखित राज्य सरकारों को नीचे दिये गये स्थानों पर ऐसे न्यायालयों को स्थापित करने के लिए हाल में लिखा गया है।

1. महाराष्ट्र	बम्बई	(3 न्यायालय)
2. पश्चिम बंगाल	कलकत्ता	(3 न्यायालय)

3. तमिल नाडु	मद्रास	(3 न्यायालय)
4. दिल्ली	दिल्ली	(2 न्यायालय)
5. बिहार	मुजफ्फरपुर	(1 न्यायालय)
6. राजस्थान	जयपुर	(1 न्यायालय)
7. गुजरात	अहमदाबाद	(1 न्यायालय)
8. केरल	एरनाकुलम	(1 न्यायालय)
9. कर्नाटक	बंगलौर	(1 न्यायालन)
10. आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	(1 न्यायालय)
11. मध्य प्रदेश	इंदौर	(1 न्यायालय)
12. उड़ीसा	कटक	(1 न्यायालय)
13. उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	(1 न्यायालय)

3. राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि इन न्यायालयों में, मैट्रोपोलेटिन क्षेत्रों में चीफ मैट्रोपोलेटिन मैजिस्ट्रेट और दूसरे क्षेत्रों में मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट के पद के अधिकारी को नियुक्त करें।

4. राज्य सरकार को यह भी सूचित किया गया है कि इन न्यायालयों पर होने वाले आवर्ती व्यय की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति कर दी जायेगी।

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : मेरा प्रश्न स्पष्ट था। क्या विशेष न्यायालय बनाना विचाराधीन है या नहीं। उसका उत्तर नहीं दिया गया है। वे केवल यही कहते हैं कि यह राज्यों का विषय है। मैं यह जानना चाहता था कि आर्थिक अपराधी इनके कार्यक्षेत्र में आएंगे या नहीं।

श्री एच० एम० पटेल : निस्सन्देह। आपने कहा है कि क्या यह सच है कि सरकार ने आर्थिक अपराधियों के मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का अन्तिम निर्णय लिया है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि प्रत्येक राज्य में कितने न्यायालय हैं एक न्यायालय कर्नाटक है।

श्री एच० एम० पटेल : हमने इसका उल्लेख कर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : राज्य सरकारों को इस उद्देश्य के लिए न्यायालय स्थापित करने के लिए कह दिया गया है।

श्री एच० एम० पटेल : मैंने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : पिछले दो वर्षों से न्यायालयों के पास कितने मामले विचाराधीन हैं। इन न्यायालयों में न्यायाधीश नियुक्त करने के मार्गदर्शी सिद्धान्त या आधार क्या हैं ?

अध्यक्ष महोदय : न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर रहे है। कुछ न्यायालयों को केवल इसी कार्य के लिए छोड़ दिया गया है।

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : वे कहते हैं कि यह राज्यों का विषय है। क्या उन्हें कोई मार्गनिर्देशी सिद्धान्त जारी किए गए हैं। कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : अपने उत्तर की ओर मैं आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूं जिसमें मैंने कहा था, कि सरकार ने निश्चय कर लिया है कि आर्थिक अपराधों को निपटाने के लिये ऐसा कानून बनाने की अपेक्षा राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों के साथ परामर्श करके कुछ वर्तमान न्यायालयों को विनिर्दिष्ट करने या अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कहा गया है। अतः यह निर्णय उच्च न्यायालयों को लेना है कि इस उद्देश्य के लिए किन न्यायालयों को नियत किया जाए और जो न्यायाधीश यहां हैं वही वहां न्यायाधीश का कार्य करेंगे।

श्री के० एस० वीरभद्रप्पा : मैंने यह भी पूछा है कि कितने मामले विचाराधीन हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे विचाराधीन मामलों की संख्या का पता नहीं है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि विधि आयोग ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में प्रभावी ढंग से और तेजी से मुकदमे चलाने के लिये विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए। मैं मंत्री महोदय से दो बातें जानना चाहता हूं। सर्वप्रथम, क्या आर्थिक अपराधियों पर मुकदमे चलाने के लिए केवल एक अदालत प्रभावी ढंग से कार्य कर सकेगी क्योंकि यह सर्वविदित तथ्य है कि आर्थिक अपराधी बहुत ही साधन सम्पन्न और धनाडय व्यक्ति हैं। वे अच्छे वकीलों को रखेंगे। यह हमारा अनुभव रहा है। वे स्वयं को बचाने के लिए ऐसा करेंगे। अतः क्या इस प्रकार की सिफारिश की गई थी कि विशेष अधिकार प्राप्त विशेष न्यायालय इन मामलों को शीघ्रता से निपटाएं और क्या इस स्थिति में सरकार द्वारा राज्य सरकारों को की गई इस सिफारिश से कि वे एक-एक और न्यायालय की स्थापना करें, स्थिति का सामना किया जा सकेगा ? दूसरा, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये न्यायालय अस्तित्व में कब आएंगे ? वक्तव्य से केवल यह पता चलता है कि राज्यों को कह दिया गया है और राज्यों तथा उच्च न्यायालयों ने सिफारिश की है कि ऐसे न्यायालय स्थापित किए जा सकते हैं। परन्तु ये अदालतें स्थापित कब की जाएंगी ?

श्री एच० एम० पटेल : उन्हें शीघ्र स्थापित करने की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। मुझे आगे यह भी कहना है कि मुझे खेद है कि मैंने यह कहा था कि विचाराधीन आर्थिक अपराधों की संख्या मुझे मालूम नहीं है, उनकी संख्या 36951 है। यदि हम इनमें से आवश्यक वस्तुओं सम्बन्धी अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले मामलों को निकाल दें तो उनकी कुल संख्या 12011 है। यह संख्या प्रत्येक राज्य में अलग-अलग है। कुछ राज्यों में इनकी संख्या अधिक है। कुछ में कम। महाराष्ट्र में तीन न्यायालयों का सुझाव दिया गया है। महाराष्ट्र में 1782 मामले विचाराधीन होंगे। यदि वे केवल इनसे ही सम्बन्धित् हैं तो प्रक्रिया अत्यन्त तीव्र होगी। पश्चिम बंगाल में 2147 मामले विचाराधीन हैं। पश्चिम बंगाल को भी तीन न्यायालयों की स्थापना के लिए कहा गया है। हमने राज्य सरकारों को जो कुछ करने के लिए कहा है उसे करने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी, क्योंकि इन अदालतों के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी। जब उन्हें पता चलेगा कि हम पैसा देंगे तो उन्हें ऐसा करने में कम हिचकिचाहट होगी। हमने न केवल उन्हें वर्तमान न्यायालयों से काम चलाने के लिए कहा है, बल्कि यह भी कहा है कि यदि वे अधिक न्यायालयों की स्थापना करना चाहें तो कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पूछा है कि क्या वे मुकदमों में देरी नहीं होने देंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : यह ऐसी बात है जिसका मैं उत्तर नहीं दे सकता। मेरा विचार है और मुझे आशा है कि न्यायाधीश आर्थिक अपराधियों से निपटने में कुशल हो जाएंगे जैसे कि वे स्वयं कुशल होते हैं।

श्री वेदव्रत बरुआ : मुझे खेद है कि सरकार ने यह कह कर कि उन्होंने आर्थिक अपराधियों के लिए न्यायालयों की स्थापना कर दी है, सदन को गुमराह किया है। विधि आयोग ने कानून बनाने की सिफारिश की थी। इस मामले में मुख्य बात यही है कि उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए। उन्हें दण्ड देने के लिए प्राधिकरण होना चाहिए और वाणिज्यिक तथा उद्योग सम्बन्धो आर्थिक-अपराध केन्द्र और राज्यों से सम्बन्धित होते हैं। इस समय तो केवल काम के पुनः वितरण का और कुछ ऐसे न्यायालयों की स्थापना करने का जिन्हें आर्थिक अपराधों में विशेषज्ञता प्राप्त है, प्रस्ताव किया गया है। क्या कानून बनाने का कोई प्रस्ताव रखा गया है? क्या इसकी अपेक्षा नहीं की गई है? क्या विधि आयोग की रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया है? क्या सरकार एक विशेष ढंग के विशेष न्यायालय बनाना चाहती है? विशेष न्यायालय विधेयक की तरह जिसे कल पास किया गया है? क्या सरकार दण्ड देने वाले प्राधिकरण का कार्य करेगी? यदि कोई निजी शिकायत की जाती है तो क्या सरकार उसकी छान-बीन करेगी, क्योंकि निजी शिकायत से सभी मामले बनने वाले नहीं हैं। वह केवल यही कह सकते हैं कि ऐसा कर दिया गया है। सरसों के तेल में मिलावट की गई है और करोड़ों रुपये लिए गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या दंड देने के लिए कोई विशेष प्राधिकरण होगा और क्या बिल्कुल विशिष्ट प्रक्रिया अपनाई जाएगी? क्या अन्ततः विशेष न्यायालय बनाये भी जाएंगे?

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने वक्तव्य नहीं पढ़ा है अन्यथा ....

श्री वेदव्रत बरुआ : मैंने पढ़ा है।

श्री एच० एम० पटेल : यदि आपने पढ़ा होता तो आपने यह नहीं कहा होता कि मैंने सदन को गुमराह किया है। मैंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि विधि आयोग ने सामाजिक और आर्थिक अपराधों पर मुकदमा चलाने और दण्ड देने के सम्बन्ध में अपनी 47वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश भी की है कि आर्थिक अपराधों पर प्रभावपूर्ण और तीव्र गति से मुकदमे चलाने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की जाए। संविधान के अनुच्छेद 247 के अनुसरण में विशेष न्यायालय की स्थापना के सम्बन्ध में कानून बनाने के प्रश्न की भी जांच की गई है। आपका एक निश्चित प्रक्रिया देने के लिए कानून बनाने का विचार था। हम यह कहते हैं कि इसकी बजाए राज्य सरकारों से अपने उच्च न्यायालयों के परामर्श से कुछ वर्तमान न्यायालयों को इस उद्देश्य के लिए कार्य करने को या आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने के लिए कहा जा सकता है।

श्री वेदव्रत बरूआ : मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री एच० एम० पटेल : आप सरकार के निश्चय से असहमत हो सकते हैं परन्तु आप यह नहीं कह सकते कि मैंने सदन को गुमराह किया है।

श्री वेदव्रत बरूआ : मेरा अब भी वही विचार है।

श्री एच० एम० पटेल : चलो ठीक है । यदि आप यह कहकर कि मैंने सदन को गुमराह किया है प्रसन्न होते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है । मैं तो केवल यही स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्या किया गया है और क्यों किया गया है ।

श्री वेदब्रत बरूआ : इन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया । क्या वे दण्ड देंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : हम अब कोई कानुन नहीं बना रहे हैं । अतः न्यायालय सामान्य रूप से कार्य करेंगे । कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : तब इनकी विशेषता क्या है ? आप कुछ और न्यायालयों की वृद्धि कर रहे हैं, बस । क्या आप तस्करों को भागने का मौका दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसे वाद-विवाद में मत बदलिए ।

श्री एच० एम० पटेल : जब हम यह विचार करते हैं कि बहुत से मामले बिना निपटाये पड़े हैं और सब यह कहते हैं कि अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए अब हम . . .

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : इसका अर्थ हुआ वे अतिरिक्त न्यायालय हैं ।

श्री एच० एम० पटेल : यदि आप अतिरिक्त न्यायालय कहना, चाहते हैं तो ठीक है । अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि विधि आयोग के विशिष्ट प्रक्रिया से संबंधित कुछ सुझाव स्वीकार्य नहीं हैं इसके पीछे कुछ कारण हैं परन्तु मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा ।

श्री पट्टाभि रामाराव : क्या तस्करों जैसे गम्भीर अपराधियों के अपराधों को इन विशेष न्यायालयों के पास भेजा जाएगा ?

श्री एच० एम० पटेल : हां इस न्यायालय को भेजे जा सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रश्न सं० 1057 और 1058 को गलत नम्बर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि माननीय सदस्य स्वयं उपस्थित नहीं हैं ।

लघु उद्योग क्षेत्र के प्लास्टिक उत्पादकों को कच्चे माल की कथित कमी

***1061. श्रीमती मृणाल गोरे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लघु उद्योग क्षेत्र के प्लास्टिक उत्पादकों को गत डेढ़ वर्ष से जी० पी० पोलिएस्ट्रीन नामक कच्चे माल की कमी के कारण कठिनाई हो रही है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने अपेक्षित कच्चा माल आयात करने का निर्णय किया है जिससे इस कठिनाई को दूर किया जा सके;

(ग) क्या यह सच है कि आयातित माल की सप्लाई को रिलीज करने में विलम्ब किया गया जिससे लघु उद्योग कारखानों को कठिनाई हुई; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण थे ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : (क) जी, हां। देश में पोलिएस्ट्रीन के अकेले उत्पादक मैसर्स पोलीकेमे लिमिटेड, बम्बई तथा मैसर्स हिन्दुस्तान पोलिमर्स, विशाखापटनम के बन्द हो जाने के कारण बाजार में 1978 के आरम्भ में पोलिएस्ट्रीन की कमी हुई थी तथा कुछ सीमा तक पोलिएस्ट्रीन की कमी अब भी है।

(ख) जी, हां। लघु उत्पादकों को पोलिएस्ट्रीन का संभरण बनाए रखने तथा देशी माल का मूल्य उचित स्तर तक बनाए रखने के लिए सरकार ने स्टेट केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) के माध्यम से 4000 मी० टन पोलिएस्ट्रीन का आयात करने का सुनिश्चय किया है।

(ग) जी, हां।

(घ) राज्य स्टेट केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (सी० पी० सी०) से 1000 मी० टन प्रति मास के हिसाब से अगस्त 1978 में जहाज में लदान शुरू करने के लिए जून, 1978 में 4,000 मी० टन पोलिएस्ट्रीन की संविदा की गई थी। अन्त-र्राष्ट्रीय स्थिति का सभी पैट्रो-रसायन वस्तुओं पर प्रभाव पड़ने के कारण, संभरणकर्ता 1000 मी० टन की जहाज से पहली किश्त भेजने के पश्चात अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से मुकर गए थे। काफी प्रयत्न करने के बाद सरकारी-राजनयिक माध्यमों (गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चेनल्स) से 1,000 मी० टन अतिरिक्त पोलिएस्ट्रीन मंगाने का एक अतिरिक्त अनुबंध किया गया था। 1,000 मी० टन पोलिएस्ट्रीन की पहली किश्त लाने वाले जहाज को हांगकांग में प्राधिकारियों ने रोक लिया उस माल को कोर्ट बोलिफ से छुड़ाने में काफी समय लगा तथा दूसरे जहाज में फिर से लादकर भारत लाने की व्यवस्था की गई। अतः इस कारण विलम्ब हुआ।

श्रीमती मृणाल गोरे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अधूरी बात कही है। उन्होंने कहा है कि हांगकांग में जहाज रोक लिये जाने से मैटीरियल आने में देरी हुई। लेकिन इसके बाद दूसरी जगह से मैटीरियल लाने के लिए कैनेलाइजिंग एजेन्सी ने कोशिश की। यह इम्पोंटेड मैटीरियल बम्बइ पोर्ट पर फरवरी के पहले हफ्ते में आया, फिर भी उसको मार्च के आखिर तक रिलीज नहीं किया गया। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि बम्बई पोर्ट में आने के बाद यह डेढ़ दो महीने तक रिलीज क्यों नहीं किया गया ? उसकी कीमत का कुछ झगड़ा बताकर इसे वहां रोक दिया गया और इसके बीच इंडीजिनस कंपनी, खासकर मैसर्स पोलीकेमे लि०, बम्बई ने बहुत बड़े पैमाने पर ब्लैक मार्केटिंग करके खूब पैसा कमाया, क्या मंत्री महोदय इसके बारे में जानते हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह सही है कि बम्बई में मैटीरियल आया था। 500 मीट्रिक टन मैटीरियल फरवरी महीने में बम्बई में जापान से आया था और कलकत्ता में 250 मीट्रिक टन साउथ कोरिया से फरवरी के अन्त में आया था। दोनों के रिलीज आर्डर को कैनेलाइजिंग कम्पनी ने यानी स्टेट केमिकल एंड फार्मास्युटिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी० पी० सी०) ने मार्च महीने की 15 तारीख तक देने का काम किया था। इसलिए इसमें कोई विशेष देर हो गई है आने के बाद ऐसी बात नहीं है।

श्रीमती मृणाल गोरे : अगर इसकी पूरी हिस्ट्री देखें तो यह कहेंगे कि अप्रैल 1977 में एकाएक आर्बिट्रेरिली इन दोनों कंपनियों मैसर्स पोलीकेमे लि० बम्बई और मैसर्स हिन्दुस्तान पोलीमर्स,

विशाखापटनम ने 1000 रुपये प्रति मीट्रिक टन के हिसाब से कीमत बढ़ा दी। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने कोशिश करके आखिर में 15 अगस्त को उनकी कीमत को कम कराने के लिये मजबूर किया, लेकिन उसके बाद लगातार मार्केट से माल गायब होता रहा, और उसके बाद 1978 के शुरू में मैसर्स पोलीकेमे ने इल-लीगल लाकआउट किया। इसका और कोई कारण नहीं केवल ब्लैक में माल बेच सके इसलिये कंपनी बन्द करवाई। इसके बारे में स्टेट गवर्नमेंट ने कोशिश करके आखिर में उसे ले लिया। इन दो इंडीजिनस कंपनियों की मोनोपली है और रा-मैटीरियल इनके यहां ही उत्पादित होता है इसलिये ब्लैक मार्केट में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाकर यह पैसा कमाने की कोशिश कर रही थीं। मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार ने पूरी कोशिश की है एक साल में, लेकिन मुझे खेद है कि वह कामयाब नहीं हुई। इसके बावजूद भी यह लोगों को लूटने की कोशिश कर रहे थे, इसको देखकर जो माल इम्पोर्ट किया और उसमें भी देर करके जो 2, 3 महीने आगे ढकेल दिया तो उससे इन्होंने 14 हजार रुपये मीट्रिक टन के बजाय 20 हजार रुपये मीट्रिक टन तक ओपन मार्केट में माल बेचा। इस प्रकार से प्राइवेट कम्पनी सरकार को बाजू पर रखकर पैसा कमाने का धंधा करती रही, क्या सरकार के पास उसका कोई इलाज नहीं है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : दामों के मामलों में ऐसा है कि जहां एक, दो कंपनीज के हाथ में इस प्रकार की मोनोपली की वस्तु होती है तो वह उसका गैर-इस्तेमाल करती भी हैं, यह अनुभव है। इस मामले में कुछ कदम उठाये जा रहे हैं और आज ही प्रधान मंत्री जी ने दाम के मसले पर एक मीटिंग बुलाई है और हम आशा करते हैं कि इस प्रकार का निजी लाभ उठाने का प्रयास जो कुछ कंपनियों द्वारा होता है, उस पर भी रोक लगाने में हम कुछ कदम उठाने में हम कामयाब हो जायेंगे।

जनसंख्या विषयक कार्यदल की सिफारिशें

***1064. श्री निहार लास्कर** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के जनसंख्या विषयक कार्यदल ने अपने अन्तरिम प्रतिवेदन में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल तथा प्रौढ़ साक्षरता को प्राथमिकता देने का अनुरोध किया है ?

(ख) यदि हां, तो अन्तरिम प्रतिवेदन में अन्य किन बातों का उल्लेख है ;

(ग) क्या सरकार ने उस पर विचार कर लिया है ; और

(घ) इसको कार्यान्वित करने के बारे में अंतिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर्रहमान) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) तक : जनसंख्या नीति से संबंधित कार्यकारी दल की अन्तरिम रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गयी हैं। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय इन सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

विवरण

जनसंख्या नीति से संबन्धित कार्यकारी दल की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई प्रमुख सिफारिशें

1. जनसंख्या नीति में व्यक्तियों के साथ-साथ समुदाय की प्रतिष्ठा, आवश्यकताओं, आशा-आकांक्षाओं, विकास और सम्पन्नता के प्रति चिन्ता प्रतिबिम्बित होनी चाहिए और इस

नीति में प्रजनन दरों, मृत्यु दरों और जनसंख्या वितरण के रूप में न केवल जनसांख्यिकीय लक्ष्यों पर बल दिया जाना चाहिए बल्कि रोजगार तथा जीवन के स्तर पर भी बल दिया जाना चाहिए।

2. जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम की सफलता इन बातों पर निर्भर होगी —

(क) विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर इस कार्यक्रम के आयोजन में लोगों तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक संस्थाओं को सम्बद्धता ; और

(ख) सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन विशेष रूप से ग्रामीण स्वास्थ्य, प्रौढ़ शिक्षा विशेष रूप से महिला शिक्षा, ग्रामीण जलपूर्ति, पोषाहार कार्यक्रम, ग्रामीण विकास कार्यक्रम आदि से सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमों का सफल कार्यान्वियन।

हम इन सुझावों और कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वियन के लिये आग्रह करते हैं जिनसे लोग विकास के फलों में सहयोगी और भागीदार बनते हैं।

3. विवाह की न्यूनतम आयु के बारे में हाल ही में अधिनियमित कानून लागू किया जाना चाहिए। व्यापक शिक्षण कार्यक्रम और बालिकाओं के लिए विशेष साक्षरता कार्यक्रम होने चाहिए।

4. शिशुओं की मृत्यु दर को इस शताब्दी के अन्त तक वर्तमान स्तर से 60 प्रति हजार से नीचे लाने के आवश्यक प्रयास किये जाने चाहिए।

5. हम जून, 1977 के इस नीति वक्तव्य का समर्थन करते हैं कि परिवार कल्याण कार्यक्रम बिल्कुल स्वेच्छिक होना चाहिए।

6. हम यह पुरजोर सिफारिश करते हैं कि राष्ट्र को सन् 1996 के अन्त तक औसतन एक व्यक्ति की निवल पुनरुत्पादन दर और वर्ष 2001 तक सभी राज्यों के लिये इस दर को प्राप्त करने के लिये दीर्घावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये वचनवद्ध होना चाहिए। इसका आशय यह है कि मृत्यु दर और प्रजनन संबन्धी स्थितियों के संबन्ध में, औसतन एक महिला का स्थान केवल एक लड़की लेगी और एक परिवार में दो बच्चों का मानक होना चाहिए। जन्म और मृत्यु दरों के रूप में इसका अर्थ होगा क्रमशः 21 और 9 प्रति हजार।

7. एक निर्वल प्रजनन दर को प्राप्त करने के लिए, परिवार नियोजन के आधुनिक उपायों द्वारा कारगर तरीके से संरक्षण प्रदान किए जाने वाले पात्र दम्पत्तियों का प्रतिशत लगभग 60 होना चाहिए। इसमें 1996 के अन्त तक 640 लाख पात्र दम्पत्तियों को संरक्षण प्रदान करने का कार्यक्रम शामिल होगा।

8. प्रभावी संरक्षण के विभिन्न स्तर प्राप्त करने पर, राज्यों को इन तीन श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए—समूह 'क' राज्य जिनमें पात्र दम्पत्तियों के लिये संरक्षण का स्तर 15 प्रतिशत से कम हैं ; समूह 'ख' राज्य जिनमें संरक्षण का स्तर 15–25 प्रतिशत के बीच है; और समूह 'ग' राज्य जिनमें संरक्षण का स्तर 25 प्रतिशत से अधिक है। हम यह सिफारिश करते हैं कि प्रत्येक राज्य से अगले दो दशकों अथवा इससे कम में प्रभावी संरक्षण के विद्यमान स्तर की गति तेज करने के लिये कहा जाये ताकि पात्र दम्पतियों के 60 प्रतिशत के प्रस्तावित स्तर को प्राप्त किया जा सके।

9. प्रत्येक राज्य को अपना ऐसा उपयुक्त मार्ग तय करने में भारत सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जानी चाहिये जो कि एक निवल प्रजनन दर प्राप्त करने के लिये राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक दृष्टि से उसके लिए अधिकतम उपयुक्त हो।

10. हमारा अनुमान है कि वर्ष 1996 तक पात्र दम्पत्तियों को प्रभावी संरक्षण प्रदान करने पर आने वाली लागत वर्ष 1978 की दरों पर लगभग 3000 करोड़ रु० होगी। पूंजीगत अतिरिक्त व्यय 3000 करोड़ रुपये होगा जिसमें से अधिकांश अगले दशक 1979-89 में व्यय किये जाने की आवश्यकता होगी।

11. पिछले दो वर्षों में परिवार नियोजन निष्पादन पर विचार करने पर, हम समग्र राष्ट्र के लिये वर्तमान योजना की अवधि अर्थात मार्च, 1983 तक पात्र दम्पत्तियों के 30 प्रतिशत के अधिक गास्तविक लक्ष्य का सुझाव देते हैं।

12. हम तीन प्रकार के समूह राज्यों के लिये विभेदीय कार्यक्रम की आवश्यकता और स्थायी तरीकों के मुकाबले जन्म में अन्तर प्रदान करने के तरीकों पर और अधिक बल देने पर बल देते है और इसमें विशेष रूप से उन नव विवाहित दम्पत्तियों के बारे में अधिक बल देते हैं जो प्रजनन आयु में प्रवेश कर रहे हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि अस्थाई तरीके सामान्यत: स्थायी तरीकों का पथप्रदर्शन करते हैं।

13. पंचायतों, स्वेच्छिक अभिकरणों और अन्य स्थानीय समूहों और संस्थाओं को प्रदर्शन कार्य-निष्पादन के जरिए कार्यक्रम के कार्यान्वियन से पूर्णत: सम्बद्ध किया जाना चाहिए।

14. इन लक्ष्यों के बारे में राजनीतिक दलों में सहमति जनसंख्या नियन्त्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देने में लाभदायक सिद्ध होगी।

15. स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सम्बन्धी सम्पूर्ण आधारभूत व्यवस्था वर्ष 1989 तक लागू हो जानी चाहिए और इस प्रयोजन के लिये तत्काल उपाय किए जाने चाहिए।

16. चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका से अलग हुए बिना, जहां तक संभव हो, सहायक चिकित्सकों के जरिए स्थानीय स्तर पर परिवार नियोजन सेवाओं की व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

17. परिवार नियोजन सेवाओं को मनुष्यों के आसपास केन्द्रित करने के दीर्घावधि कार्यक्रम का महत्व कम नहीं किया जाना चाहिए, परन्तु अल्पावधि में और तात्कालिक रूप में इसका बल महिलाओं को इससे संवद्ध करने और उनके द्वारा अपेक्षित सेवाओं पर होना चाहिए।

18. सेवाओं और पूर्ति की व्यवस्था करने लिए आवश्यक आधारभूत व्यवस्था के निर्माण की तत्काल आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, परिवार नियोजन कार्यक्रम को केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी रखा जाए।

19. परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य स्तर पर कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार स्थायी कर दिया जाना चाहिए, भारत सरकार को भी इस तरह के कर्मचारियों के उपदान, पेंशन आदि के संबन्ध में अंशदान देना चाहिए।

20. आवश्त्रक प्रेरणा स्तर प्राप्त करने के लिये ग्राम स्तर पर अन्तर्कार्मिक और समूह संचार को महत्व दिया जाना चाहिए।

21. केन्द्रीय स्वास्थ्य स्कीम में अत्यधिक क्षमता है क्योंकि यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण से संबंधित देखभाल के कार्य में समुदाय को सीधे सम्बद्ध करती है। जब तक यह स्कीम आरम्भिक अवस्था में रहे इसे पूर्ण रूप से केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

22. कम कार्य-निष्पादन वाले राज्यों के लिए हम तत्काल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की आधारभूत व्यवस्था उत्पन्न करने के लिए विशेष कार्यक्रम की सिफारिश करते हैं जो विशेष रूप से योजना आयोग द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए।

23. परिवार नियोजन के क्षेत्र में अगले पांच वर्षों में किसी नए शिल्पवैज्ञानिक परिवर्तन और सफलता की संकल्पना नहीं की गई है, इसलिए विद्यमान शिल्पविज्ञान में अधिक अनुसंधान प्रयास किये जाने चाहिए ताकि वे अधिक सुरक्षित और अधिक स्वीकार्य बनाये जा सकें।

24. नीति निर्माण की अनुसंधान और सांख्यिकी व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। पहले उपाय के रूप में एस आर एस के नमूने के आकार को बढ़ाया जाना चाहिए और सांख्यिकी की कोटि में सुधार किया जाना चाहिए।

श्री निहार लास्कर : महोदय, मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे कि पिछले दो वर्ष से अर्थात जनता पार्टी के सत्ता में आने के पहले दो वर्षों में परिवार नियोजन कार्यक्रम को बड़ा धक्का लगा है। इसे प्रमाणित करने के लिए किन्हीं आंकड़ों की जरूरत नहीं है। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने भी जिसने इस मामले का अध्ययन किया था, अपने प्रतिवेदन में इस तथ्य की पुष्टि की है। मंत्री महोदय ने अपने लम्बे वक्तव्य में इसका उल्लेख किया है। उन्होंने अपने प्रतिवेदन में कहा है "कि यदि परिवार नियोजन कार्यक्रम को शीघ्र परिणामोन्मुखी नहीं बनाया गया तो आगामी वर्षों में हमारे देश को जनसंख्या विस्फोट का सामना करना पड़ सकता है।" क्या वर्तमान सरकार राजनीतिक दृष्टि से इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या स्वीकार करती है। यदि हाँ, तो उनकी नीति क्या है तथा इस समस्या का वह किस प्रकार समाधान करना चाहते हैं ताकि उनकी नीति प्रभावी हो सके।

श्री फ़ज़लुर्रहमान : जनसंख्या पर नियंत्रण करने के साधन खोजने के लिए एक समिति गठित की गई थी। उन्होंने अपना आंतरिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है तथा सरकार अंतिम प्रतिवेदन प्राप्त करने के पश्चात् अंतिम निर्णय लेगी। परन्तु मैं एक बात बता सकता हुं कि यह सरकार बल पूर्वक परिवार नियोजन की नीति नहीं अपनायेगी। हमने इस कार्यक्रम का नाम बदल कर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया है। इसे अनुनय-विनय, शिक्षा आदि के द्वारा तथा गैर-सरकारी संस्थाओं के सहयोग से चलाया जायेगा और मैं विशेष रूप से माननीय सदस्यों का सहयोग लेना चाहूंगा। मुझे आशा है कि हम इस समस्या पर काबू पा सकेंगे।

श्री निहार लास्कर : मेरा प्रश्न यह नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न व्यापक है तथा उत्तर उससे भी व्यापक है।

श्री निहार लास्कर : आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। मेरा प्रश्न यह था कि क्या वे स्थिति की गम्भीरता को सतझते हैं। जिस ढंग से वे चल रहे हैं संकट बढ़ रहा है। उनकी नीति क्या है तथा उस समस्या पर कैसे काबू पाया जायेगा। मैं यही जानना चाहता हूं।

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : नीति बहुत ही स्पष्ट है। जनसंख्या नियंत्रण के उपायों में ढील बरतने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु माननीय सदस्य भूल जाते हैं कि उन्होंने इसे पीछे धकेला है। यदि उन्होंने आपातकाल के दौरान जबरदस्ती आपरेशन न किये होते तो इसे धक्का न लगता परन्तु अब लोग परिवार नियोजन कार्यक्रम अपना रहे हैं। हम हर परिवार के हर व्यक्ति से इस कार्यक्रम को अपनाने का आग्रह कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हमारे प्रयत्नों को तुरन्त सफलता मिलेगी। कुछ राज्यों में स्वैच्छा से परिवार नियोजन की सफलता देखने में आई है, जैसे कि गुजरात में।

श्री निहार लास्कर : इस प्रकार की नीति से परिवार नियोजन के उद्देश्य को क्षति पहुंच रही है।

अध्यक्ष महोदय : मत-विभिन्नता तो रहेगी ही।

श्री निहार लास्कर : सांख्यिककों ने सिद्ध कर दिया है कि हम अवगति कर रहे हैं। यह एक खतरनाक समस्या है।

अध्यक्ष महोदय : आपका तर्क यह है। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो मैं समझ सकता हूं।

श्री निहार लास्कर : दूसरी बात निश्य ही मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में सम्मिलित नहीं की है। मैंने प्रतिवेदन का अध्ययन किया है। उन्होंने बताया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार के लिए जो माध्यम अपनाया गया है वह सफल नहीं रहा। मैं नहीं समझता वे सब लोगों तक कैसे पहुंच सकते हैं जबकि 72% लोग अनपढ़ हैं। छपी हुई सामग्री तथा चलचित्र पर्याप्त नहीं हैं। उनका नया दृष्टिकोण क्या है? वे किस प्रकार अधिकतम लोगों तक पहुंचेंगे?

अध्यक्ष महोदय : यह नीति का व्यापक प्रश्न है।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है।

श्री ओ० वी० अलगेशन : तमिलनाडु जैसे उन राज्य में जहां यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है कई कदाचार तथा आवांछित व्यवहार जारी हैं। वृद्ध व्यक्तियों का तथा ऐसे व्यक्तियों का जिनका एक बार आपरेशन हो चुका है दुबारा आपरेशन किया जा रहा है तथा कुछ धन दिया जा रहा है जिसे डाक्टर तथा इन लोगों को प्रेरित करने वाले व्यक्ति आपस में बांट लेते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कई बार हम बातों को भूल नहीं पाते।

श्री ओ० वी० अलगेशन : क्या सरकार इस मामले पर ध्यान देगी अथवा क्या वह राज्य सरकारों से कहेगी कि वह ऐसे कदाचारों में न पड़े तथा इसे वास्तव में उचित ढंग से चलाया जाये।

श्री मोरारजी देसाई : कदाचारों को एकदम रोक दिया गया है तथा जहां तक इस सरकार का संबंध है भविष्य में ऐसे कदाचार नहीं होंगे। मैं इतना ही कह सकता हूं।

प्रो० समर गुह : जन संख्या नियन्त्रण की समस्या से नई समस्याएं पैदा हुई हैं, तथा समझदार लोग, शिक्षित लोग, धनी व्यक्ति, मध्यम वर्गीय लोग. उच्च वर्गीय लोग ये सभी किसी तरह के जन संख्या नियन्त्रण कार्यक्रम अपनाते हैं। परन्तु कुछ ग्रामीण बस्तियों में तथा पिछड़े व्यक्तियों में कुछ लोगों में बहु विवाह प्रथा विद्यमान है, यदि आंकड़े एकत्र किए जाएं

तो पता चलेगा कि इन क्षेत्रों में जन संख्या वृद्धि शहरी क्षेत्रों की जन संख्या वृद्धि दर से बहुत ऊंची है, यह मैं ऊपर बता चुका हूं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें जन संख्या वृद्धि की भिन्न-भिन्न दरें हैं और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि वृद्धि की इस विभेदक दर से हमारे लोगों के चरित्र में कोई असंतुलन पैदा न हो। उन भेदों के उन्मूलन के लिए सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है।

श्री मोरारजी देसाई : मामला अत्यन्त स्पष्ट है। केवल गरीब तथा पिछड़े लोगों की जन संख्या बढ़ती है। यह एक तथ्य है तथा एक शारीरिक मनोवैज्ञानिक मांग भी है। इसलिए हमने लोगों के हित में ही लोगों से बातचीत करनी है ताकि वे अपनी रुचि के अनुसार माध्यम अपनाएं और हम उन्हें वे माध्यम मुहैया करें। हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। और इस बारे में सभी सामाजिक संगठनों तथा उन सभी की जो सहयोग देना चाहते हैं, विशेषतः डाक्टरों की सहायता ले रहे हैं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मैं प्रधान मंत्री की इस बात से सहमत हूं कि भूतपूर्व सरकार जिसने विशेषत: आपातस्थिति के दौरान सभी प्रकार के अत्याचार किए इस कार्यक्रम को पथभ्रष्ट करने के लिए उत्तरदायी है। अब इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जनसंख्या अध्ययन दल के इस विशेष मामले पर प्रतिवेदन को छटी पंचवर्षीय योजना के अंतिम मसौदे में सम्मिलित किया जाएगा, इस बारे में मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि महिला शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को दो बातों में कैसे अग्रता दी जा रही है—प्रथम धन के आबंटन में और दूसरे आबंटित धन के और बुद्धिसंगत उपयोग के मामले में, ताकि यह कार्य उचित ढंग से क्रियान्वित किया जा सके और धन ऐसे व्यवसायी व्यक्तियों के हाथ न जा सके जिनकी रुचि सरकार से तथा गरीब लोगों से धन ऐंठने में है न कि गरीब लोगों में परिवार नियोजन कार्यक्रम क्रियान्वित करने में।

श्री मोरारजी देसाई : यह उन सभी ऐजेन्सियों पर निगरानी रखने की समस्या है और हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। हम प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की ओर भी अधिक ध्यान दे रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोगों को समझा सकते हैं। हम यही चेष्टा कर रहे हैं और यह कार्य हम गैर-सरकारी ऐजेंसियों के माध्यम से कर रहे हैं जो कि इस पर ध्यान दे रही हैं। इसलिए हम देखते हैं कि इस कार्य को गुजरात में दृढ़तापूर्वक अपनाया गया है जहां इसे अधिक सफलता मिली है। हमें आशा है कि इसे सभी राज्यों में इस प्रकार किया जाएगा।

इलैक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्यात के लिए प्रयास

*1065. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग निर्यात प्रयासों की समीक्षा कर रहा है और इलेक्ट्रॉनिकी की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए कदम उठा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) इलेक्ट्रॉनिकी वस्तुओं के निर्यात के सभी पक्षों की जांच करने और उस सम्बन्ध में सिफारिश प्रस्तुत करने के उद्देश्य

से भारत सरकार ने मई, 1978 में इलेक्ट्रॉनिकी आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष तथा इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के तत्कालीन सचिव प्रो० एम० जी० के० मेनन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति ने अक्तूबर, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, वाणिज्य मन्त्रालय तथा सरकार के अन्य सम्बद्ध अभिकरण द्वारा विचार किया जा रहा है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या मैं समिति की सिफारिशें जान सकता हूं ?

प्रो० शेर सिंह : बहुत सी सिफारिशें हैं। मैं उनमें से पांच अथवा छह का उल्लेख कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : हां, केवल कुछ महत्वपूर्ण ही।

प्रो० शेर सिंह : मैं संक्षेप में कहना चाहता हूं कि एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि लाइसेंस देने सम्बन्धी नियमों और प्रक्रियाओं तथा उनसे सम्बद्ध नियमों को और सरल और उदार बनाया जाना चाहिए ताकि निर्यात के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त किए जा सकें। उन्होंने भारी मात्रा में निर्यात किए जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक मदों का वर्गीकरण किया है। वास्तव में पांच अथवा छह अन्य मुख्य सिफारिशें हैं। उनमें से एक रेडियो उपकरण तथा टेलीफोन उपकरण हैं जोकि निर्यात के महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए। एक सिफारिश यह है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादन को इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जाए ताकि स्वदेश में उपयोग की वस्तुओं का निर्माण हो तथा इलेक्ट्रॉनिक निर्यात का आधार तैयार हो जाए। तीसरी बात यह है "समिति ने राय व्यक्त की कि सभी परियोजनाओं के सभी पहलुओं के लिए विशेषतः निर्यात से सम्बन्धित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सम्बन्धी परियोजनाओं के लिए अनुमति देने का एक ही माध्यम हो।" कई और बातें भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रतिवेदन को सभा-पटल पर रख सकते हैं।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : श्रीमान्, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का न केवल निर्यात के लिए अपितु देश में उपभोग के लिए भी बहुत महत्व है। अब इन सिफारिशों पर सरकार द्वारा कब निर्णय लिया जाएगा ?

प्रो० शेर सिंह : जैसा कि मैंने बताया इन बातों का विभिन्न मन्त्रालयों, इलेक्ट्रॉनिक विभाग, वाणिज्य मंत्रालय में अध्ययन किया जा रहा है और हमें आशा है कि इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए शक्तिप्राप्त समिति गठित की जाएगी।

आसाम और अरूणाचल प्रदेश के बीच सीमा विवादों को तय करने के लिये समिति का गठन

***1066. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अरूणाचल प्रदेश और आसाम के बीच सीमा विवादों को निपटाने के लिये केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधित्व सहित आसाम और अरूणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित करने के प्रस्ताव को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के प्रतिनिधियों के नाम हैं ; और

(ग) समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देगी ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (ग) गृह मंत्री की 12 अप्रैल, 1979 को असम के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में इस पर सहमति हुई थी कि एक उच्च अधिकार प्राप्त त्रिपक्षी समिति जिसमें केन्द्र, असम और अरूणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि हों, ऐसे समायोजन के साथ जिसके बारे में परस्पर सहमति हो, सीमा निर्धारण के लिये गठित की जायेगी। समिति के गठन के लिए कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है। कार्य की समाप्ति के समय के बारे में निर्णय समिति द्वारा मार्ग तथा जलवायु के तत्वों को ध्यान में रख कर किया जायेगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : महोदय, मेरे प्रश्न के भाग (ख) तथा (ग) के बारे में माननीय मंत्री ने बहुत ही संदिग्ध तथा टालने वाला उत्तर दिया है। मंत्री महोदय ने बताया है कि समिति का गठन करने के लिये कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। अरूणाचल प्रदेश तथा आसाम के बीच सीमा-विवादों को निपटाने के लिये बहुत पहले एक उच्च शक्ति प्राप्त त्रिपक्षीय समिति गठित करने के लिये निर्णय लिया जा चुका है। लेकिन इस समय क्या कार्यवाही की जा रही है ? क्या मंत्री महोदय इसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे ? उन्होंने बताया है कि एक उच्च अधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति जिनमें केन्द्र, असम और अरूणाचल प्रदेश के प्रतिनिधि होंगे, ऐसे समायोजन के साथ जिसके बारे में परस्पर सहमति हो, गठित की जायेगी। क्या वे विवाद को निपटाने के लिये परस्पर सहमत हो गये हैं ? यदि ऐसा है, तो उनको केन्द्र की मदद की क्या आवश्यकता है ? "दो राज्यों द्वारा परस्पर सहमति" कहने से उनका क्या अभिप्राय है ? यदि वे सहमत नहीं होते हैं तो समिति के गठन का क्या होगा ? इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि कार्य को पूरा करने के समय के बारे में निर्णय समिति द्वारा मार्ग तथा जलवायु के तत्वों को ध्यान में रखकर किया जायेगा। दो राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिये क्या जलवायु का भी ध्यान रखा जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : कार्य को पूरा करने के लिये मौसम सम्बन्धी परिस्थितियों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : मैं इस बात को नहीं समझ पाया हूँ। क्या मंत्री महोदय इस बात को विस्तार से बतायेंगे ?

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य मेरी बात का अनुसरण नहीं कर पाये हैं। मैंने कहा है कि 12 अप्रैल को एक बैठक बुलायी गई थी। उस बैठक में असम के राज्यपाल तथा असम और अरूणाचल के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया था। यह अभी हाल ही में की गई थी तथा कुछ बातों पर सहमति प्रकट की गई थी। इस समय जो वास्तव में विषय हैं वह सीमांकन करने का है। हमने महा-सर्वेक्षक को इस विषय की ओर तुरन्त ध्यान देने के लिये कहा है और इस सम्बन्ध में कार्य किया जा रहा है। असम और अरूणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने महा-निदेशक के दल के साथ मिलकर इस सीमा के सीमांकन का कार्य आरम्भ कर दिया है। काफी कार्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। मेरे विचार से कार्य संतोषजनक रूप से आगे बढ़ रहा है। मुझे आशा है कि विवाद के प्रत्येक मसले को शांतिपूर्ण ढंग से निपटा लिया जायेगा।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : कभी-कभी केन्द्रीय सरकार के आत्मसन्तुष्ट रवैये से बहुत सी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती हैं। आपको याद होगा कि 1970 में सरकार ने हरियाणा तथा

पंजाब राज्यों के सीमा-विवाद को निपटाने के लिये एक समिति अथवा आयोग के गठन करने के लिये घोषणा की थी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक दो राज्यों अथवा केन्द्र के बीच समिति अथवा आयोग के निदेश पद को निर्धारित नहीं किया जा सका है। समिति अथवा आयोग को गठित करने की तो बात ही अलग है। इसके फलस्वरूप राज्यों के सम्बन्धों में मनमुटाव उत्पन्न होता है तथा इसमें और लोग भी अन्तर्ग्रस्त होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बात को अरूणाचल प्रदेश तक ही सीमित रखिये।

श्री मुख्तियार सिंह मलिक : इस प्रकार की समिति गठित करने के लिये क्या परेशानी हो रही है ? क्या अभी तक केन्द्रीय सरकार ने कोई निदेश पद निर्धारित किये हैं ?

श्री एच० एम० पटेल : प्रत्येक कार्य कर लिया गया है। मैं उनको दोबारा विस्तार से बता सकता हूं। 12 अप्रैल को एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था। 20 मार्च, 1979 को गोहाटी में दोनों मुख्य मंत्रियों के बीच जो समझौता हुआ था उसको तेजी के साथ लागू किया जाना चाहिये। बैठक में पांच क्षेत्रों के भू-सर्वेक्षण करने के बारे में जो समझौता हुआ है उसको भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा 23 अप्रैल से प्रारम्भ करना चाहिये। इसको प्रारम्भ किया जा चुका है। यही मैंने पहले बताया है। कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और एक निश्चित भाग का कार्य पूरा भी हो चुका है। उसके बाद केन्द्र, अरूणाचल प्रदेश तथा असम के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक उच्च अधिकार प्राप्त त्रिपक्षीय समिति को गठित करने का प्रश्न है। इसको दो स्तरों पर किया जाना था। मानचित्र में विद्यमान अधिसूचना के अनुसार सीमांकन करना। इसके पश्चात् मानचित्र को राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार के पास यथावश्यक परस्पर समझौते के अनुसार स्वीकृति के लिये भेजा जायेगा। दूसरा भू-सर्वेक्षण तथा स्तम्भों द्वारा सीमांकन करना है। इस बात पर सहमति प्रकट की गई, कि उद्देश्य के लिये केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा सर्वेक्षण दल की सुरक्षा की व्यवस्था की जायेगी जो इस प्रयोजनार्थ सीधे केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महा-निरीक्षक के नियंत्राधीन रहेगी। हम इस कार्य से इतने आत्मसन्तुष्ट नहीं हैं जितनी कि माननीय सदस्य ने आशंका व्यक्त की है। दोनों पक्षों द्वारा बाकी सीमांकन के कार्य को पूरा करने के लिये इस वर्ष की घटनाओं से पूर्व की यथास्थिति को बनाये रखा जायेगा। इसके अलावा एक सुझाव दिया गया है कि केन्द्र के प्रतिनिधियों को भारतीय सर्वेक्षण की उत्तर-पूर्व क्षेत्र में स्थित स्थापना से लेने के बजाय भारतीय सर्वेक्षण कार्यालय, देहरादून से लिया जाय। कोई स्थानीय प्रभाव न पड़े, इसलिये इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है तथा सर्वेक्षण विभाग के महा-निदेशक ने एक उपयुक्त अधिकारी को नियुक्त करना स्वीकार कर लिया है। मेरा विचार है कि वहां पर प्रत्येक कार्य तफ़सील कर दिया एया है।

डा० विजय मंडल : मन्त्री महोदय के उत्तर से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि उच्च अधिकार प्राप्त एक त्रिपक्षीय समिति का गठन होने वाला है तथा इसके लिये कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। लेकिन यह क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है, और अक्सर यहां पर झगड़े-फिसाद होते रहते हैं। इसलिए क्या मन्त्री महोदय गठित की जाने वाली समिति के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में कुछ जानकारी देंगे ? दूसरे वहां की परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले को शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिये। इसलिए मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बिवाद को हल करने के लिए क्या वह अपने स्तर पर उचित कार्यवाही करेंगे, तीसरे · · · ·

श्री एच० एम० पटेल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि कार्य आरम्भ कर दिया गया है। त्रिपक्षीय समिति वास्तव में केन्द्र तथा दो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। दो राज्यों ने अपने अधिकारियों के नाम भेज दिये हैं और सीमांकन का कार्य जो कि विवाद का विषय है, आरम्भ कर दिया गया है और तेजी से चल रहा है।

श्री पी० ए० संगमा : उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सीमा-विवाद केवल असम और अरूणाचल प्रदेश राज्यों तक ही सीमित नहीं है। वास्तव में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सीमा-विवाद एक बहुत बड़ी समस्या है। यह विवाद असम और अरूणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, असम और नागालैंड तथा अन्य राज्यों के बीच है। हाल ही में हमको असम और नागालैंड तथा असम और मेघालय के बीच अप्रिय घटनाओं का सामना करना पड़ा है। असम सीमा-विवाद के कारण तथा इसी प्रकार की अन्य बातों के कारण मेघालय के लांगपिड क्षेत्र में कुछ शरणार्थी आ गए हैं। गृह मंत्री महोदय ने जिस बैठक का ज़िक्र किया है, मुझे विश्वास है कि नागालैंड के मुख्य मंत्री इस बैठक में उपस्थित थे, यद्यपि दुर्भाग्यवश मेघालय के मुख्य मंत्री उस दिन उपस्थित नहीं हो सके थे। मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह समिति असम तथा नागालैंड, असम तथा मेघालय तथा अन्य क्षेत्रों के सीमा-विवाद पर भी विचार करेगी ? वहां पर विद्यमान गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्री महोदय से मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं कि उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सभी राज्यों के सीमा-विवाद को हल करने में कितना समय लगेगा ?

श्री एच० एम० पटेल : सबसे पहली बात यह है कि यह प्रश्न असम तथा अरूणाचल प्रदेश राज्यों से ही सम्बन्धित है। मैंने उस बैठक का उल्लेख किया है जिसमें इन मामलों पर विचार किया गया था लेकिन इस मुद्दे को स्पष्ट करने में मुझे कोई संकोच नहीं है। अन्य राज्यों—जैसे नागालैंड आदि के मुख्य मंत्रियों के साथ भी एक बैठक बुलाई गई थी। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है कि मेघालय के मुख्य मंत्री बैठक में उपस्थित नहीं थे, यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन-सीमा विवाद को सुलझाने के कार्य को हाथ में ले लिया गया है तथा उनको भी इसी प्रकार से निपटाया जाएगा। सर्वेक्षण दल वहां पर जाएगा और सीमांकन कार्य करेगा। स्थल पर कठिनाइयों अथवा मतभेदों को दूर करने के लिए एक वरिष्ठ केन्द्रीय अधिकारी को स्थल पर उपस्थित रहने के लिए भेजा गया है।

श्री पूर्णनारायण सिंहा : मेरा निर्वाचन-क्षेत्र उस सीमा पर फैला हुआ है जहां पर झगड़े होते रहते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1971 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। कुछ सीमाओं को निश्चित किया गया था तथा अधिसूचित किया गया था। अब मंत्री महोदय के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि एक उच्च स्तरीय तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति मौजूद है जो सीमा सम्बन्धी अधिसूचना में ऐसे संशोधन करेगी जो सम्बन्धित राज्यों की समिति के सदस्यों को स्वीकार्य तथा मान्य होंगे। क्या हम इस आधार पर आगे कार्यवाही कर सकते हैं कि 1971 के अधिनियम में सीमा की जो परिभाषा दी गई है, उसको संशोधित किया जायेगा ? अरूणाचल प्रदेश के प्रशासन द्वारा असम के क्षेत्रों पर अपना अधिकार बताने के कारण ही यह सारी स्थिति उत्पन्न हुई है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह समिति एक आयोग के रूप में कार्य करेगी और दोनों पक्षों की बातों को सुनकर परस्पर समझौते के आधार पर सीमा का निर्धारण करेगी जिसके आधार पर भारत के सर्वेक्षण विभाग द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिसे इस समिति के सदस्यों को भी स्वीकार करना होगा ? इसलिये मेरा यह एक

विशिष्ट प्रश्न है और मैं एक विशिष्ट उत्तर की अपेक्षा करता हूँ। यदि इस बात पर समझौता हो जाता है तो वहां पर समस्या उत्पन्न होगी। यदि ऐसा होने जा रहा है तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता इसका विरोध करेगी।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय सदस्य ने स्थिति को कुछ गलत समझा है। राज्यों के गठन के समय जो सीमाएं अधिसूचित की गई थीं उनमें कोई परिवर्तन करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। स्वाभाविक है कि यह बात कागजातों तक ही सीमित थी कि कौन सी रेखा कहां पड़ेगी। अब हमने यह निश्चय किया है कि भूमि पर सीमांकन किया जायेगा और इस प्रक्रिया में यदि कुछ समायोजन आवश्यक हुआ तो दोनों मुख्य मंत्रियों की सहमति से इसको तय कर लिया जायेगा।

दिल्ली में पोस्टकार्ड गिरोह

***1068. श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में किसी पोस्टकार्ड गिरोह का पता चला है जैसा कि 11 अप्रैल, 1979 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारी की गई है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। 6-4-1979 को पोस्ट मास्टर जनरल, दिल्ली सर्किल की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने जाली पोस्टकार्ड की सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पता लगाया था। इस सम्बन्ध में आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। 8240 जाली पोस्टकार्ड, 1065 जवाबी कार्ड और पोस्टकार्डों के ब्लाक सहित छपाई के कागज भी पकड़े गये थे। एक मामला-प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 529-गांधीनगर थाने में दर्ज किया गया था और उसकी जांच की जा रही है।

श्री जी० एम० बनातवाला : 6 अप्रैल, 1979 को शिकायत की गई थी। उसके पश्चात जांच-पड़ताल की गई। मैं दो बातों के सम्बन्ध में स्पष्ट सूचना चाहता हूं। पोस्ट मास्टर द्वारा की गई शिकायत का स्वरूप क्या है ? शिकायत 6 अप्रैल, 1979 को की गई थी। इस सम्बन्ध में गिरफ्तारियां कब की गई ?

श्री एच० एम० पटेल : मुझे यह सूचना मिली है कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने एक गिरोह पकड़ा है जो बोगस पोस्टकार्ड सप्लाई कर रहा था। और 6 अप्रैल को आठ व्यक्ति गिरफ्तार किये गये और उनसे 8240 बोगस पोस्टकार्ड बरामद किये गये।

अध्यक्ष महोदय : किस प्रकार की शिकायत की गई थी और यह शिकायत कब की गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : शिकायत इस प्रकार है। एक बाबू लाल, जो इस गिरोह का मुखिया था, अनेक फर्मों को बोगस पोस्टकार्ड सप्लाई करता था, उन पर वह उन फर्मों के नाम छाप देता ताकि उसकी चोरी न पकड़ी जाये और इस प्रकार से 229 कार्ड विभिन्न फर्मों से बरामद हुये। इसके अतिरिक्त बाबू लाल ने बताया कि वह चांदनी

चौक डाकखाने से टिकट बेचने वाले को पोस्टकार्ड बेचने के लिये दिया करता था । 410 पोस्ट कार्ड उससे बरामद हुए, यह पोस्टकार्ड डाक घर में पड़े बक्से में रखे थे । मेरे पास यह सूचना है ।

अध्यक्ष महोदय : गिरफ्तारियां कब की गईं ? क्या आपके पास आंकड़े हैं ?

श्री एस० डी० पाटिल : वह मेरे पास नहीं हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : यही तो असली बात है क्योंकि शिकायत यह है कि जांच तन्त्र और पुलिस कार्य में सुस्ती दिखा रहे हैं । पोस्ट मास्टर नाम बताता है, खास आरोप लगाता है किन्तु जांच को लम्बा खींचा जा रहा है । अतः शिकायत इस बात की है कि इस सम्बन्ध में जांच में सुस्ती क्यों दिखाई गई ?

श्री एस० डी० पाटिल : जांच तन्त्र द्वारा कोई सुस्ती अथवा लापरवाही नहीं दिखाई गई है । सिक्योरिटी प्रैस, नासिक से विशेष राय मांगी गई थी । हम जानना चाहते थे कि क्या पोस्टकार्ड बोगस हैं । ब्लाक और अन्य सानग्री की जांच करेंगे और यदि यह सिद्ध हो जाता है कि यह बोगस पोस्टकार्ड थे तो कार्यवाही आरम्भ की जाएगी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अभी तक इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है और क्या सरकार को इस प्रकार की शिकायतें पहले भी मिली थीं । अगर मिली थीं, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा दिया जाये ।

श्री एस० डी० पाटिल : पहले वाली शिकायतों के बारे में मुझे कोई सूचना नहीं है । इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कह सकता हूं कि मामले पर जांच हो रही है । जांच किस स्तर पर चल रही है, इस समय यह बताना कठिन है ।

श्री अन्नासाहेब गोटखिंडे : राज्य मंत्री द्वारा दिए गए उत्तरों से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि राज्य मन्त्री के पास मन्त्री महोदय से अधिक सूचना है । क्या सरकार राज्य मन्त्रियों की बैठक में लगाए गए कथित आरोपों की जांच करेगी तथा क्या राज्य मन्त्रियों को अधिक अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकार देगी ?

अध्यक्ष महोदय : आप सत्य कह रहे हैं किन्तु वह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती ।

सीमेंट की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर

***1069. प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने और हाल के महीनों में उसकी मांग और पूर्ति के बीच अन्तर कम करने के कोई उल्लेखनीय परिणाम निकले हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने राज्यों को सीमेंट के अपर्याप्त कोटे के बारे में केन्द्रीय सरकार को बार-बार अभ्यावेदन दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विशेष अभ्यावेदन एवं शिकायत के बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) सीमेंट संयंत्रों द्वारा 1978-79 के दौरान सीमेंट का उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग करने में कीर्तिमान स्थापित किया गया है । इस वर्ष सीमेंट उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता 218.7 लाख मी० टन से 230.0 लाख मी० टन अर्थात 11.3 लाख मी० ट्रिक टन बढ़ गई । उत्पादन 1977-78 के 192.8 लाख मी० टन से बढ़ कर 1978-79 में 196.0 लाख मी० टन हो गया । 1978-79 के दौरान क्षमता का उपयोग लगभग 90 प्रतिशत रहा । पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मिलाकर 84.60 लाख मी० टन क्षमता के लिए 7 आशयपत्र तथा 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे जबकि 1977-79 के विगत 2 वर्षों में कुल मिलाकर 150.50 लाख मी० टन क्षमता के 35 आशयपत्र तथा 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं । अनुमान है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष (1979-80) के दौरान सीमेंट उद्योग में अधिष्ठापित क्षमता 46.5 लाख मी टन और भी बढ़ जाएगी । छठी योजनावधि के दौरान सीमेंट की क्षमता एवं उत्पादन के लगभग दुगना हो जाने की आशा है ।

(ग) और (घ) सीमेंट का अत्यधिक उत्पादन होने के बावजूद सिचाई, बिजली उद्योग तथा भवन निर्माण के क्षेत्र में निर्माण के अभूतपूर्व कार्यकलाप के कारण सप्लाई की अपेक्षा मांग बहुत अधिक बढ़ गई है । अतः राज्यों तथा केन्द्र सरकार के विभागों की मांग को पूरा करना संभव नहीं हो सका है । सरकार ने निर्यात (नेपाल को छोड़कर) पर प्रतिबन्ध लगा कर 1978-79 में 15 लाख मी० टन तथा 1979-80 में लगभग 20 लाख मी० टन सीमेंट का आयात करने की व्यवस्था कर सीमेंट की उपलब्धि बढ़ाने हेतु अभ्युपाय किये हैं । सरकार द्वारा सीमेंट के उत्पादन तथा उपलब्धि में सुधार करने हेतु किये गये अन्य लघु तथा दीर्घकालिक अभ्युपाय ये हैं :—

(i) राज्यों को जनता में सीमेंट का वितरण करना हाथ में लेने, कानूनी लाइसेंसिग की व्यवस्था करने, सीधे ही स्टाकिस्टों की नियुक्ति करने, उपभोक्ताओं को परमिट जारी करने तथा उचित वितरण करने के लिये प्रशासनिक तंत्र की स्थापना करने तथा स्वैच्छिक अभिकरणों का सहयोग प्राप्त करने हेतु परामर्श दिया गया है ।

(ii) सिंचाई तथा बिजली परियोजनाओं की पूरी-पूरी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु पहले से आरक्षण किया गया है ।

(iii) सड़क द्वारा सीमेंट परिवहन के भाड़ा प्रतिपूर्ति सम्बन्धी वर्तमान नियमों को और उदार बना दिया गया है ।

(iv) सरकार ने बिजली की कटौती के दौरान सीमेंट का उत्पादन करने हेतु केपटिव पावर का उपयोग करने के लिए सीमेंट उद्योग को सहायता प्रदान की है । (यह उन उद्योगों पर लागू होता है जिनके पास केपटिव पावर जेनरेट करने की सुविधा मौजूद है ।)

(v) सरकार ने सीमेंट का उत्पादन करने के लिए कोयले की पर्याप्त पूर्ति न होने के कारण ईंधन तेल का उपयोग करने में सीमेंट उद्योग की सहायता करने के प्रस्ताव पर भी अपनी स्वीकृति दी है ।

(vi) विद्यमान एककों के उत्पादन पर निगरानी रखी जा रही है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उद्योग 100 प्रतिशत की समग्र क्षमता की उपयोगिता को बनाये हुए हैं।

(vii) उत्पादन में वृद्धि करने के लिए प्री-केल्सिनेटेड प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

(viii) चल रही परियोजनाओं के निर्माण में शीघ्रता की जा रही है।

(ix) सरकार ने स्लैग का उपयोग करने के लिए इस्पात संयंत्रों पर अथवा उनके समीप सीमेंट संयंत्र स्थापित किये जाने को प्रत्साहन देने का निर्णय किया है।

(x) सरकार ने बड़ी संख्या में छोटे सीमेंट संयंत्र लगाने को प्रोत्साहन देने का निर्णय किया है।

(xi) एक उच्चस्तरीय समिति ने सीमेंट उद्योग का व्यापक अध्ययन किया है तथा अनेक सिफारिशें की हैं। मूल्यों तथा प्रोत्साहन विषयक सरकार के निर्णयों की घोषणा 3 मई, 1979 को कर दी गई है।

(xii) देश में सीमेंट के वितरण के संबंध में विद्यमान क्षेत्रीय असंतुलन सीमेंट संयंत्रों के चूना पत्थर निक्षेपों के समीप स्थित होने के कारण हैं। सीमेंट संयंत्रों के अलग-अलग स्थापित करने को प्रोत्साहित कर इस असंतुलन को न्यूनतम किया जाना है।

(xiii) इस समय मंत्रिमण्डल की एक उपसमिति संरक्षण के लिये अपनाए गए विभिन्न अभ्युपायों पर विचार कर रही है। सीमेंट संरक्षण प्रतिस्थापन सामग्री जैसे हाईड्रेटेड लाइम, धानभूसी सीमेंट, सौंगोव, चूना गारा आदि का उपयोग कर लिया जाता है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अध्यक्ष महोदय, विस्तृत विवरण को देख कर मैं अभिभूत हो गया हूँ। महोदय, वह आंकड़े और तथ्य देने में बड़े दक्ष हैं और जब उनकी बात कोई सुनता है तो वह उनसे प्रभावित हो जाता है और उन पर विश्वास प्राप्त कर लेता है। कुछ दिन पहले वह औधोगिक विकास की वात कर रहे थे और हमें यह अनुभव हुआ कि औद्योगिक उत्पादन के सम्बन्ध में देश में आज सब सही है। वह कहते हैं कि सीमेंट उत्पादन और उसकी खपत 1978-79 में रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है और वह आगे कहते हैं कि छठी पंचवर्षीय योजना में सीमेंट की क्षमता और उत्पादन दुगुना होने की सम्भावना है। यहां तक तो ठीक है और मैं उनको शुभ कामना देता हूं। किन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे प्रश्न के भाग (ग) और (घ) का उत्तर नहीं दिया है, मैंने उनसे पूछा है कि क्या कुछ सरकारें केन्द्र सरकार को बार-बार अभ्यावेदन दे रही हैं कि उन्हें दिया गया सीमेंट का कोटा अपर्याप्त है और अगर ऐसा है तो सरकार इस शिकायत विशेष पर क्या कार्यवाही कर रही है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन से राज्यों ने सीमेंट की अप्रर्याप्त सप्लाई के बारे में उन्हें अभ्यावेदन दिये हैं और उनकी प्रमुख मांगें क्या हैं और भारत सरकार उन पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मेरा विचार है कि तमिल नाडु और आंध्र प्रदेश को छोड़ कर सभी राज्य सीमेंट की सप्लाई के बारे में शिकायत कर रही है और इसलिये पिछले वर्ष हमने 15 लाख

टन सीमेंट आयात किया तथा चालू वर्ष में 20 लाख टन सीमेंट आयात कर रहे हैं और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि हमने स्थापित क्षमता की तुलना में 90 प्रतिशत सीमेंट का उत्पादन किया है और यह उत्पादन अपने में एक रिकार्ड है । 19 करोड़ 6 लाख टन सीमेंट का पिछले वर्ष उत्पादन किया गया। इस वर्ष मुझे आशा है कि अतिरिक्त आयात से और दूसरे, 4 करोड़ 6 लाख टन की स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता से हम यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि राज्यों की समस्यओं का समाधान किया जाये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ख) का संयुक्त उत्तर दिया है और मैं उसे पढ़ कर सुनाता हूं--

"पिछले 2 वर्ष, 1977-79 में 150.50 लाख टन की कुल क्षमता के लिये 35 आशय पत्र तथा सात औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये हैं ।"

अब इस सन्दर्भ में मैं उनसे दीर्घकालीन और अल्पकालीन किये गये उपायों की लम्बी सूची के बारे में पूछना चाहता हूं—उन्होंने कहा है कि 13 कदम अथवा उपाय किये गये हैं । मैं 10वें उपाय के बारे में पूछना चाहता हूं जो यह है कि सरकार अनेक छोटे सीमेंट संयन्त्र लगाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहती है । क्या यह सत्य है कि अनेक लघु सीमेंट संयन्त्रों का प्रस्ताव है किन्तु उनका मन्त्रालय इस परियोजनाओं को स्वीकृति देने में असाधारण विलम्ब कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप और उत्पादन की भी हानि हो रही है । मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उच्च-स्तरीय समिति तथा केबीनट उप-समिति इस पेचीदी समस्या के सम्बन्ध में क्या कर रही हैं ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : महोदय, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि छोटे सीमेंट संयन्त्रों के पंजीकरण में विलम्ब किया गया है । अब तक डी०जी०टी०डी० ने पंजीकरण किया है और छोटे सीमेंट क्षेत्र में 13 लाख 70 हजार टन सीमेंट की क्षमता के लिये औद्योगिक लाइसेंस जारी किये हैं । उच्च-स्तरीय समिति ने प्रतिवेदन दे दिया है और कुछ दिन पहले ही उच्च-स्तरीय समिति द्वारा अनुशंसति मूल्य इत्यादि के सम्बन्ध में किए गये निर्णय के बारे में मैं ने एक विवरण सदन में प्रस्तुत किया है । एक केबीनट उप-समिति है जिस का कार्य औद्योगिक उत्पादन पर निगरानी रखना है और एक अन्तर्मन्त्रालय समिति है जो सीमेंट संयन्त्रों की आवश्यकताओं पर जैसे ऊर्जा, कोयला और अन्य परिवहन समस्यओं पर लगभग दैनिक निगरानी रखती है ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, उन्होंने यह नहीं बताया कि छोटे सीमेंट संयन्त्रों की परियोजनाओं को स्वीकृति देने में कितनी देर लगती है ?

श्री जार्ज फर्नान्डीस : यह प्रत्येक एकक पर निर्भर करता है क्योंकि आवेदन ऐसे स्थानों से आते हैं जहां चूना पत्थर नहीं होते अतः यह बात प्रत्येक एकक पर निर्भर करती है ।

श्री एस० आर० दामाणी : अभी-अभी माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि वह 20 लाख टन सीमेंट आयात कर रहे हैं । क्या मैं उनसे जान सकता हूँ कि यह आयातित सीमेंट कब आना आरम्भ हो जायेगा और क्या यह देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा और अगर नहीं कर सकेगा तो क्या वह और सीमेंट आयात करेंगे ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि देश में कब तक इतना उत्पादन हो जायेगा कि वह सम्पूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकेगा ।

श्री जार्ज फर्नान्डिस : महोदय, वर्षा के महीनों के अतिरिक्त हम आशा करते हैं कि हर महीने 200,000 टन सीमेंट पत्तनों पर आयेगा। अब भी पत्तनों पर जहाजों से सीमेंट उतारा जा रहा है और चालू वित्तीय वर्ष में हमारे पास 20 लाख टन आयातित सीमेंट होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सरकारी कर्मचारियों के लिये कुछ संगठनों में शामिल होने पर प्रतिबन्ध

*1051. **श्री लखन लाल कपूर :**

डा० बापू कालदाते :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ ऐसे संगठनों को अधिसूचित किया है जिनके सदस्य बनने के लिये सरकारी कर्मचारियों पर रोक लगाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 5 के अधीन कोई सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक दल या राजनीति में भाग लेने वाले किसी संगठन का न तो सदस्य होगा और न उससे अन्यथा कोई सम्बन्ध ही रखेगा और न वह किसी राजनैतिक आन्दोलन या कार्य में भाग लेगा, न उसकी सहायता के लिए चन्दा देगा और न किसी दूसरे तरीके से उसे सहायता देगा।

सरकार ने 30 नवम्बर, 1966 को और आगे स्पष्ट किया था कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमात –ए– इस्लामी की गतिविधियां इस स्वरूप की हैं कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा इनमें भाग लेने पर उपर्युक्त नियमों के प्रावधान लागू होंगे और ऐसा कोई भी सरकारी कर्मचारी जो इन दो संगठनों का सदस्य है अथवा इनकी गतिविधियों से अन्यथा सम्बन्धित है, अनुशासनिक कार्रवाई का भागी होगा।

2. उपर्युक्त के अलावा, सरकारी कर्मचारियों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे भारत विदेशी सांस्कृतिक संगठनों में भाग लेने अथवा उनसे सम्बन्ध रखने से बचें। सरकारी कर्मचारियों को अपनी पदीय हैसियत से और यहां तक कि अपनी वैयक्तिक हैसियत से भी 'मोरल रीआर्मामेंट मूवमेंट' की गतिविधियों अथवा ऐसी गतिविधियों से अपने आपको सम्बद्ध नहीं करना चाहिए जो राजनीतिक हों अथवा जिनका राजनीतिक दृष्टिकोण हो।

नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के पीछे झुग्गियों में आग

*1053. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 अप्रैल, 1979 को नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास के पीछे 105 झुग्गियां जलकर राख हो गयी थीं और पुलिस तथा अग्निशामक दल स्थान पर उस समय पहुंचे जब कि प्रत्येक वस्तु जल चुकी थी ;

(ख) यदि हां, तो स्थान पर पुलिस और अग्निशामक दल के इतनी देरी से पहुंचने के क्या कारण हैं ; और

(ग) आग लगने के क्या कारण थे और क्या सरकार का विचार उन परिवारों के प्रति, जिनकी झुग्गियां जल कर नष्ट हो गयीं, सहानुभूतिपूर्ण और उदार दृष्टिकोण अपनाने का है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) दिल्ली में रूस के दूतावास के पीछे स्थित कुल 166 अस्थायी झुग्गियों में से 96 झुग्गियां 14-4-1979 को प्रातः 11-30 बजे आग लगने से नष्ट हो गई थीं। पुलिस द्वारा की गई जांच-पड़ताल से यह सिद्ध हुआ कि आग एक झुग्गी में चुल्हे की चिंगारी से लगी थी। आग लगने के बारे में संदेश अग्नि शमन सेवा नियंत्रण कक्ष में दोपहर 11-59 बजे प्राप्त हुआ। आग बुझाने वाला दस्ता दोपहर 12–04 बजे पहुंच गया और आग पर नियंत्रण कर सका। आग लगने के बारे पुलिस को 12-05 बजे सूचना मिली और वह तुरन्त अविलम्ब 12-10 बजे तक घटनास्थल पर पहुंच गई। आग बुझाने वाले दस्ते/पुलिस के पहुंचने में कोई देरी नहीं हुई।

2. बुल्गारिया दूतावास के निर्माण कार्य में लगे मजदूरों ने इन झुग्गियों को अस्थायी रूप से बना रखा था। निर्माण-ठेकेदार ने प्रभावित लोगों को तम्बू दिये और राहत के रूप में मजदूरों को 5000)–रुपये भी दिये। इसमें किसी की जान नहीं गई और न कोई जख्मी हुआ।

कर्मचारियों का पदोन्नति के लिए वर्गीकरण

***1054. श्री रामकृष्ण डान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे जाने वाले प्रवर अधिकारियों का अतिक्रमण करके विशिष्ट गुण जैसे गैर-वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर लोगों की बिना बारी पदोन्नति देने की वर्तमान प्रक्रिया से सन्तुष्ट है ;

(ख) क्या बहुत बड़ी संख्या में इन असन्तुष्ट अधिकारियों के कारण प्रशासकीय कठिनाइयां उत्पन्न नहीं होतीं ;

(ग) क्या सरकारी संगठनों में कर्मचारियों का विशिष्ट, बहुत अच्छा, अच्छा आदि वर्गीकरण किया जाना सरकार व्यावहारिक समझती है जबकि ऐसा वर्गीकरण करने वाले अधिकारी भिन्न-भिन्न हैं ;

(घ) क्या केवल दो वर्ग अर्थात् 'उपयुक्त' और 'अनुपयुक्त' रखना अधिक न्यायोचित तथा वैज्ञानिक नहीं होगा क्योंकि इस प्रकार का अन्तर बिना गलती के किया जा सकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो किस बात से बाध्य होकर दर्जा देने के वर्तमान गैर-व्यावहारिक तथा गैर-वैज्ञानिक तरीके को सरकार समाप्त नहीं कर रही जिससे अन्यथा कर्त्तव्य निष्ठ कर्मचारियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) चयन द्वारा पदोन्नति की वर्तमान पद्धति पिछले 22 वर्षों से चली आ रही है और इसे सामान्यतः संतोषजनक पाया गया है। सरकार पदोन्नतियों को नियमित करने की

प्रक्रिया सहित, विभिन्न प्रक्रियाओं की लगातार पुनरीक्षा करती रहती है तथा जहां कहीं आवश्यक पाया जाता है उनमें सुधार करने का प्रयत्न करती है।

(ख) नहीं, इससे कोई प्रशासनिक समस्या उत्पन्न नहीं हुई है। अतिक्रमण अपरिहार्य होने पर कम-से-कम ही किया जाता है।

(ग) वर्गीकरण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाता है। कोइ व्यावहारिक कठिनाई अनुभव नहीं की गई है।

(घ) सरकार यह नहीं समझती कि चयन पदों पर पदोन्नतियां करने की वर्तमान पद्धति की तुलना में 'उपयुक्त' और 'अनुपयुक्त' के रूप में दोहरे वर्गीकरण को अपनाना अधिक तर्कसंगत अथवा अधिक वैज्ञानिक होगा।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली के संकट के कारण पश्चिम बंगाल में पटसन मिलों को हुई हानि

*1055. **श्री सौगत राय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हाल ही में बिजली के संकट का पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष मार्च और अप्रैल, में कितना उत्पादन कम हुआ ;

(ग) क्या इनसे विदेशी मंडियों में भी हानि होगी ; और

(घ) पटसन की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल में हाल ही में बिजली के संकट के कारण जूट के माल में हुई उत्पादन हानि का मार्च में लगभग 15,000 मी० टन तथा अप्रैल 1979 में 18,000 मी० टन होने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल सरकार जूट के माल का उत्पादन बनाये रखने के लिये अन्य बातों के साथ-साथ बिजली सप्लाई करने की स्थिति में सुधार करने के अभ्युपाय कर रही है। उसने जेनरेटिंग सैटों की अधिष्ठापना करने के लिये औद्योगिक एककों को 15 प्रतिशत की सामान्य राजसहायता देने की घोषणा की है। आई० एफ० सी० आई० तथा आई० डी० बी० आई० की योजनाओं के अंतर्गत जूट उद्योग को जेनरेटिंग सैटों की अधिष्ठापना करने के लिये वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

फैराइट मैमरी कोर मेट्रिसिज के निर्माण के लिए आदेश

*1056. **श्री धर्मवीर वशिष्ठ** : क्या इलेक्ट्रॉनिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलेक्ट्रॉनिकी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को, जो एक सार्वजनिक उपक्रम है, रूस के संगणकों और संचार प्रणालियों के प्रयोगार्थ फैराइट मैमरी कोर मेट्रिसिज बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए के मूल्य का क्रयादेश प्राप्त हुआ था ; और

(ख) ऐसे प्रस्ताव को तथा तकनीकी जानकारी को एक गैर-सरकारी फार्म को अन्तरित कर दिए जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं। किन्तु इलेक्ट्रॉनिकी कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड को सार्वजनिक क्षेत्र के एक अन्य उपक्रम, इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम से सोवियत संघ को निर्यात के लिए लगभग 50 लाख रुपये के मूल्य का प्रारम्भिक आर्डर प्राप्त हुआ है।

(ख) इस आर्डर को तथा इससे सम्बन्धित अन्य तकनीकी जानकारी को किसी अन्य निजी फर्म को नहीं सौंपा गया है।

पिछली सरकार का बीस-सूत्री कार्यक्रम

***1057. श्री छीतू भाई गामित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने भूतपूर्व प्रधान मन्त्री द्वारा प्रारम्भ किए गए बीस-सूत्री कार्यक्रम को छोड़ दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उन राज्यों के नाम क्या हैं ; और

(ए) क्या केन्द्र सरकार उक्त कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाले राज्यों को कुछ सहायता देगी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) से (ग) पिछली सरकार का 20-सूत्री कार्यक्रम तदर्थ प्रकार का था। उसके संघटक तत्वों या उसमें निहित विषयों के बीच या उसके कार्यक्रमों और आर्थिक विकास की अनुमोदित योजना के बीच कोई स्पष्ट सम्बन्ध नहीं था। सरकार ने एक व्यापक मध्यावधि योजना तैयार की है, जिसमें उद्देश्य, कार्य-नीतियां और प्राथमिकताएं स्पष्ट की गई हैं। पूर्ण रोजगार की व्यवस्था, गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि करना, आय में असमानताओं में कमी करना, और व्यापक परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के जरिये मूल न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना—ये इस योजना के प्रधान संघटक हैं, जिनके लिए एक निश्चित समयावधि में वास्तविक लक्ष्य और वित्तीय परिव्यय निर्धारित किए गए हैं।

राज्यों की योजनाओं में विशेष रूप से 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए कोई विशिष्ट परिव्ययों की व्यवस्था नहीं की गई थी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के लिए अलग से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई थी। जहां बंधवा मजदूरों को राहत आदि जैसी उपयोगी नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें शुरू की गई थीं, उन्हें जारी रखा गया है और उनका विस्तार किया गया है।

"जावा साइट्रोनेला" घास की खेती सम्बन्धी प्रयोग

***1058. श्री दुर्गा चन्द** : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 मार्च, 1979 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर गया है जिसमें बताया गया है कि भेषज उद्योग में उपयोग हेतु तेल का उत्पादन करने के लिए सुगन्धित मूल की "जावा साइट्रोनेला" घास की खेती के लिए हिमाचल प्रदेश में काफी गुंजाइश है ;

(ख) क्या पालमपुर स्थित वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् विस्तारण केन्द्र की क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला में काम कर रहे वैज्ञानिकों ने हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में इस प्रकार की घास की खेती की प्रक्रियाओं के प्रयोग किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(घ) क्या कर्नाटक, गुजरात, आसाम और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में जावा साइट्रोनेला घास की खेती की गई है ; यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ; और

(ङ) क्या सरकार हिमाचल प्रदेश में इस घास की बड़े पैमाने पर खेती करने के लिए कोई योजना बना रही है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (जम्मू) का पालमपुर स्थित विस्तार केन्द्र, कांगड़ा घाटी में पालमपुर और उसके आसपास जावा साइट्रोनेला की खेती के लिए परिक्षण करता रहा है।

(ग) पालमपुर के समीप के एक चाय बागान ने प्रयोगशाला से रोपण सामग्री प्राप्त की और इसकी खेती की पालमपुर स्थित प्रयोगशाला का विस्तार केन्द्र इस फसल की खेती और आसव के लिए परामर्श देता रहा है। इससे प्रति एकड़ लगभग साठ से अस्सी कि० ग्रा० सिट्रोनेला तेल प्राप्त होता है।

(घ) जी, हां। वार्षिक उत्पादन लगभग तीन सौ टन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ङ) सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सिट्रोनेला घास के वृहद स्तर पर खेती करने की कोई योजना नहीं बनाई है। तथापि, स्थानीय कृषक यदि वृहद स्तर पर इसकी खेती करना चाहेंगे तो पालमपुर स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला (जम्मू) का केन्द्र तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

खादी ग्रामोद्योग भवन के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

***1059. श्री गंगा भक्त सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारियों ने इसी हाल में अपनी मांग के समर्थन में हड़ताल की थी और यदि हां, तो क्या अन्य खादी ग्रामोद्योग एककों ने भी उनके साथ हड़ताल की थी ;

(ख) कर्मचारियों की मांगें क्या हैं और उनकी मांगों पर विचार करने के लिये सरकार का विचार कोई समिति गठित करने का है ; और

(ग) कर्मचारियों की मांगों के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ;

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिज) (क) खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली के कर्मचारी 2 अप्रैल 1979 से 13 अप्रैल 1979 तक कलम-बंद हड़ताल पर रहे। उनके साथ किसी अन्य एकक में हड़ताल नहीं हुई।

(ख) कर्मचारियों की मांगें (1) बिक्री प्रोत्साहन की विधि में संशोधन करने; (2) चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन का पुनर्निर्धारण व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन करने; (3) वर्ष 1963 से द्वितीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने; (4) लिपिकीय कर्मचारियों की तुलना में बिक्री कर्मचारियों द्वारा एक घंटा अधिक कार्य करने के लिए उनको अतिरिक्त मजदूरी का भुगतान करने; और (5) खादी ग्रामोद्योग भवन में व्ययगत पदों का पुनः सृजन करने के बारे में थी। खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, जोकि एक वैधानिक निकाय है, के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। चूंकि आयोग का कर्मचारियों के साथ एक समझौता हो गया है अतः सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना जरूरी नहीं समझती है।

(ग) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग कर्मचारियों से हुए समझौते के आधार पर कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई कर रहा है लेकिन किस तिथि तक उनकी मांगों पर अन्तिम निर्णय ले लिया जाएगा वह निश्चित तिथि बता पाना संभव नहीं है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग

***1060. श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अक्तूबर, 1974 में मंत्रालय द्वारा आरम्भ की गई योजना में वर्ष 1974 से 1978 तक की अवधि में कितने सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया था;

(ख) कितने कर्मचारियों को कितने अवसरों पर नकद पुरस्कार दिए गए और इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में इससे क्या प्रगति हुई है?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) से (ग) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

वर्ष 1981 की जनगणना के लिए प्रश्नावली तैयार करना

***1062. श्री कुमरी अनन्तन** : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष 1981 की जनगणना के लिए प्रश्नावली तैयार करने के बारे में नई दिल्ली में हुये 'डेटा यूजर्स' सम्मेलन में क्या सुझाव दिए गए; और

(ख) वर्ष 1981 में जनगणना को ग्रामोन्मुख बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) (क) फरवरी, 1978 और दिसम्बर, 1978 में नई दिल्ली में हुए 'डेटा यूजर्स' सम्मेलन में निम्नलिखित सुझाव दिए गए :—

1. जनगणना भवन की अवधि।
2. भवन के मरम्मत की स्थिति।

3. रहने के भवनों का टाइप।

4. फर्श की सामग्री।

5. शौचालयों की सुविधाओं का स्वरूप।

6. जल आपूर्ति और पीने के पानी के स्रोत।

7. स्वामित्व का स्वरूप।

8. बिजली की उपलब्धता।

9. परिवार के रूप में रह रहे दम्पत्तियों की संख्या।

10. क्या परिवार भूमि जोतते हैं।

11. परिवारों में रह रहे शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों के प्रकार और संख्या।

12. विक्लांग व्यक्तियों की आयु और लिंग।

13. परिबार के मुखिया का विवरण अर्थात् उम्र, लिंग, व्यवसाय, गतिविधियों के स्वरूप, क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं और धर्म।

14. परिवार द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन।

15. किस प्रकार का परिवहन प्रयोग में लाया जाता है।

16. किस प्रकार का परिवहन रखा जाता है।

17. क्या घर में नालियां हैं।

18. क्या परिवार के पास रेडियो और ट्रांजिस्टर है।

19. क्या परिवार के पास ट्रैक्टर है।

20. क्या परिवार खाद का प्रयोग करता है।

21. रोग की व्यापकता।

22. अन्य सुविधाएं जैसे बस स्टॉप, चिकित्सालय सुविधा, स्कूल, बाजार, गोदाम, डाकघर और दूरी।

23. बंधक मजदूरों की संख्या।

24. क्या संस्थापना में मुखिया और कार्यकर्त्ता अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के हैं।

25. क्या स्कूल/कालेज जाते हैं।

26. क्या सीमांत कार्य में लगा है या वर्ष के अधिकांश भाग में, कार्य करता है।

27. क्या काम की तलाश कर रहा है या काम के लिए उपलब्ध है।

28. वैवाहिक स्त्रियों की कुल प्रजननता।

29. प्रवजन के कारण।

30. जातिवार गणना विशेष रूप से पिछड़ी जातियों, गैर-अधिसूचित जन जातियों और खानावदोश जनजातियों की।

31. कारीगरों और शिल्प की सूचना ।

32. व्यक्तिगत स्लिप के बजाय पारिवारिक स्वरूप को अपनाना ।

33. जनगणना गणकों का बढ़ा हुआ पारिश्रमिक का भुगतान ।

34. मकानों को सूचीबद्ध करते समय आर्थिक जनगणना को संस्थापना जनगणना के साथ मिलाना ।

35. सभी अभिलक्षकों के लिए सारे देश में एकीकृत सारणी के स्थान पर समान प्रश्नावली और प्रश्नों के नमूनों को अपनाना ।

36. गणना में क्षेत्रीय नमूनों के बजाय पारिवारिक नमूनों को अपनाना ।

37. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए जातीय और पर्याय नामों को अपनाना ।

38. सम्मेलन में राष्ट्रीयता के प्रश्न को हटाने की भी सिफारिश की ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से लगभग सभी सारणीयों को लगा दिया जाएगा । जनगणना आयोग ने घर के स्वामित्व के प्रश्न गणकों के स्थान पर गृह स्थल के प्रश्न को लागू करके वर्ष 1981 में जनगणना को ग्रामोन्मुख बनाने का प्रयास किया है । आयोग ने ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम के प्रभाव का पता लगाने के लिए विद्यालय उपस्थिति का प्रश्न भी सम्मिलित किया है । खेती का प्रश्न जोड़ लेने से ग्रामीण क्षेत्रों में पारिवारिक और व्यक्तिगत आधारों पर आर्थिक गतिविधियां पूर्णतः दिखाई पड़ेंगी । कार्य की तलाश की जा रही है या कार्य के लिए उपलब्ध है इस प्रश्न के द्वारा ग्रामीण बेरोजगारी भी दिखाई पड़ेगी । कृषि मजदूरों के बारे में भी अलग से सूचना एकत्रित की जाएगी ।

बाम्बरी बंजर, माण्डला में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

***1067. श्री श्यामलाल धुर्वे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले माण्डला में जहां अधिकांशतः आदिवासी रहते हैं, बाम्बरी बंजर के आस-पास सफेद चूनापत्थर के भंडार उपलब्ध हैं तथा इस पत्थर को आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा है जब कि यह निर्णय किया जा चुका है कि माण्डला जिले में ही सीमेंट संयंत्र की स्थापना की जाये;

(ख) यदि हां, तो माण्डला जिले में सफेद सीमेंट संयंत्र की स्थापना कब की जाएगी; और

(ग) क्या उद्योग की स्थापना करने के मामले में आदिवासी जिलों को प्राथमिकता देने की सरकारी नीति को ध्यान में रखते हुये इस आदिवासी जिले में जिसमें कोई उद्योग नहीं है, सरकारी क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) सफेद सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए बामबरी बंजर में चूने के पत्थर के उपयुक्य भण्डार उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्कूटर्स इण्डिया में घाटा

*1070. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि स्कूटर्स इण्डिया गत तीन वर्षों से लगातार घाटा दिखा रही है और यदि हां, उसके तथ्य और कारण क्या हैं;

(ख) क्या इसकी इक्विटी शेयरों के मूल्य में काफी ह्रास हुआ है और पूंजी निवेश करने वाले लोग इस परियोजना में किये गये अपने पूंजी निवेश के बारे में आशंकित हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके पूरे तथ्य क्या हैं और इस परियोजना को प्रगतिशील मार्ग पर लाने तथा इसके शेयरधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार ने किन प्रभावी उपायों पर विचार किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डिस) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों में हानियां हुई थीं । हानियों के आंकड़े निम्न प्रकार हैं :—

	(रुपये लाख में)
1975-76	327.63
1976-77	266.05
1977-78	357.18

हानियां मुख्यतः उत्पादन कम होने के कारण हुई थीं ।

(ख) तथा (ग) कम्पनी के 10 रुपये के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर को 1978 में सामान्यतः 4.25 रुपये के मूल्य का बताया गया था । उत्पादन की मात्रा में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं और जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही में कम्पनी ने सबसे अधिक उत्पादन किया है । उपभोक्ता इसके उत्पाद की अधिक मांग कर रहे हैं और प्रतीक्षा सूची भी बड़ी है । विभिन्न उपायों के परिणामस्वरूप कम्पनी के कार्य में जो वृद्धि हुई है उससे यह आशा है कि 1979-80 में काम में और वृद्धि होगी जिससे कम्पनी के कार्य संचालन में जीव्यता आयेगी । निवेशकर्ताओं के विश्वास में भी सुधार हुआ है, जैसा 7.50 रुपये के मूल्य पर कम्पनी के शेयरों के चालू दरों से प्रकट होता है ।

वाणिज्यिक वाहनों का आबंटन

*1071. **श्री सरत कार** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर वाणिज्यिक वाहन आवंटित करने के लिये निर्माताओं को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की नीति का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जार्जफर्नान्डिस) : (क) तथा (ख) वाणिज्यिक गाड़ियों के वितरण पर कोई नियंत्रण नहीं है । सार्वजनिक परिवहन और अत्यावश्यक वस्तुओं के लाने-ले जाने की आवश्यकताओं को निर्माताओं द्वारा उचित प्राथमिकता दी जा रही है । निर्माताओं को सलाह दी गई है कि राज्य परिवहन उपक्रमों, सार्वजनिक परिवहन, आदि को पहले से दी जा रही प्राथमिकताओं के अतिरिक्त प्राथमिकता के आधार पर आवंटन के मापदण्ड स्थानीय रोजगार कार्यालयों

में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आवेदकों, परिवहन आपरेटरों की सहकारी समितियों और विपणन और बिक्री की सहकारी समितियों, राष्ट्रीय/कम्पोजिट परमिट धारकों, उन आवेदकों जिन्हें राज्य परिवहन प्राधिकरण ने निदेश दिया है कि वे अपनी गाड़ियों को निर्धारित अवधि के अन्दर बदल दें और स्व-नियोजित भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में लागू हों।

हिन्दी प्रशिक्षण योजना, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई के छात्रों से अभ्यावेदन

10201. श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को हिन्दी प्रशिक्षण योजना, बेलार्ड एस्टेट, बम्बई के छात्रों से उनकी शिकायतों के बारे में 12 मई, 1978 तथा 22 जून, 1978 को कोई अभ्यावेदन मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो उनकी शिकायतें एवं मांगें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) उक्त अभ्यावेदनों में उल्लिखित मांगों के संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, हिन्दी शिक्षण योजना के बेलार्ड एस्टेट, बम्बई स्थित हिन्दी टाइपिंग और हिन्दी आशुलिपि केन्द्र के प्रशिक्षार्थियों से एक प्रतिवेदन दिनांक 12-5-1978 को प्राप्त हुआ था। प्रशिक्षार्थियों ने अपने दूसरे पत्र दिनांक 22-6-78 में इस विभाग द्वारा उनकी शिकायत दूर करने के लिये आभार प्रकट किया था।

(ख) दिनांक 12-5-78 के प्रतिवेदन में प्रशिक्षार्थियों ने मुख्य रूप से यह शिकायत की थी कि सहायक निदेशक, (हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि) द्वारा प्रशिक्षण ठीक नहीं चल रहा था और न ही सहायक निदेशक का उनके प्रति संतोषजनक व्यवहार था।

(ग) प्रतिवेदन प्राप्त होने पर (हिन्दी टाइपिंग एवं आशुलिपि) का प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध करके प्रशिक्षार्थियों की शिकायत दूर कर दी गई थी।

सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेन्टस आर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही :

10202 : श्री ए० के० साहा : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल साइंटिफिक इन्स्ट्रूमेन्टस आर्गेनाइजेशन, चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के विरुद्ध कितनी विभागीय कार्यवाहियां विचाराधीन हैं और कब से ;

(ख) प्रत्येक मामले की अद्यतन स्थिति क्या है और प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध क्या-क्या आरोप लगाये गये हैं ?

(ग) क्या आर्गेनाइजेशन की कमियां, चोरियों, लापरवाही और धोखाधड़ी आदि के माध्यम से हुई हानियों के लिये किसी कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गई है ; और

(घ) वास्तविक सत्यापन के संदर्भ में गत तीन वर्षों में आग लगने, चोरी या धोखाधड़ी के माध्यम से आर्गेनाइजेशन को कितनी हानियां हुई, हानियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों के विरुद्ध कितने मामलों में विभागीय कार्यवाही की गई है और अन्य मामलों में कोई कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रोद्योगिकी अन्तरिक्ष, ऊर्जा, परमाणु तथा इलैक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री (प्रोफेसर शेर सिंह) : (क) केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन (सी०एस०आई०ओ०), चन्डीगढ़ में कर्मचारियों के विरुद्ध चार विभागीय कार्यवाहियां विचाराधीन हैं, एक मामेला मई 1977 से, दो मामले जून 1978 से और चौथा मामला सितम्बर 1978 से ।

(ख) दो मामलों में जांच-पड़ताल प्रगति पर है । दो अन्य मामलों में कार्यवाहियां अंतिम दौर पर चल रही हैं ।

प्रत्येक कर्मचारी के खिलाफ लगाये गये आरोपों का सारांश इस प्रकार है :—

(I) एक मामले में 'पैट्रियट' के दिनांक 3-4-1977 के अंक में सी०एस०आई०ओ०, चण्डीगढ़ में तानाशाही और निरंकुश शासन संबंधी आरोप वाली प्रेस-प्रकाशनी छपवाने के कदाचार के लिये ।

(II) दूसरे मामले में औजारों के एक परेषित माल, जिसमें औजारों के बदले पत्थर । ईंटें भरे हुए थे, के संबंध में रेलवे प्राधिकारी से समय पर शिकायत दर्ज नहीं कराने के लिए और माल की हानि की लिखित सूचना न देने के लिये ।

(III) तीसरे मामले में रेलवे से पार्सल छुड़ाने में पूर्ण सावधानी न बरतने के लिये, इसमें उन्होंने प्राधिकारियों को माल की पूरी रसीद दे दी जबकि पार्सल का वजन कम पाया गया था और इस कारण संगठन को नुकसान उठाना पड़ा था ।

(IV) चौथे मामले में सी०एस०आई०ओ० के सेवाई और रख-रखरखाव केन्द्र, कलकत्ता, में उनका स्थानान्तरण के आदेशों का पालन न करने के लिये और निश्चित तिथि पर उपस्थित न होकर दिनांक 12-7-77 से कार्य से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के लिये ।

(ग) लापरवाही के कारण हानि उठाने के लिये दो कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है ।

(घ) वर्ष 1976, 1977 और 1978 के दौरान ऐसी हानियों के सात मामले हुए थे :—

(I) दो मामलों की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी गई है ।

(II) तीन मामलों में, उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया जा सका ।

(III) बाकी दो मामलों के लिये विभागीय जांच समिति गठित की गई थी, जिसकी रिर्पाट विचाराधीन है ।

तिहाड़ जेल, दिल्ली में बंदियों के साथ व्यवहार

10203. श्री दयाराम शाक्य : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंदी को ग्रीष्म और शरद-ऋतु में दिये जाने वाले बिस्तरों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या जेल में सफाई का काम स्वयं बंदियों द्वारा किया जाता है ता सफाई कार्य के लिये लगे कर्मचारियों द्वारा किया जाता है ?

(ग) यदि कोई बंदी जेल के कर्मचारियों को घूंस न दे, तो क्या उसे "40 चक्की" में रखा जाता है और उसके बेड़ियां डाल दी जाती हैं और क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार जेल में अधिकारियों की अनुपस्थिति में बंदियों से जांच करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री एस०डी० पाटिल) : (क) केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में कैदियों को बिस्तर के लिये निम्नलिखित वस्तुएं उपलब्ध करायी जाती हैं ;

(1) साधारण कैदी

दरी	—1	सभी ऋतुओं के लिए ।
मूंज की चटाई	—1	
कम्बल	—1	

यदि दरी और चटाई उपलब्ध न हो तो प्रत्येक कैदी को दरी और चटाई के बदले में एक कम्बल दिया जाता है ।

जाड़े के मौसम में उपर्युक्त के अतिरिक्त उन्हें एक रजाई । अथवा 3 कम्बल दिए जाते है ।

(2) बेहतर श्रेणी के कैदी

चादर	—	2	सभी ऋतुओं के लिए
दरी	—	1	
चटाई	—	1	
तकिया	—	1	
कम्बल	—	1	

चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश पर मच्छरदानी दी जाती है ।

जाड़ों में उपर्युक्त के अतिरिक्त एक रजाई अथवा 3 कम्बल दिए जाते हैं ।

(ख) कैदियों द्वारा कोई सफाई का कार्य नहीं किया जाता है । जेल में फ्लश प्रणाली होने के कारण शोचालय और नालियों की सफाई सरकारी सफाई कर्मचारियों द्वारा की जाती है, जिन्हें सजायाफ्ता सफाई कर्मचारियों द्वारा मदद दी जाती है । तथापि कैदियों को अपने रहने के स्थान को साफ रखना होता है ।

(ग) और (घ) जेल अपराध करने वालों और जिन्हें दूसरे वार्डों में अपनी सुरक्षा का खतरा है और जो 40 चक्की वार्ड में रहने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, उनके लिए यह बार्ड बनाया गया है। जेल अधीक्षक के लिखित आदेश के बिना किसी भी कैदी को इस बार्ड में बंद नहीं किया जा सकता। जेल के कर्मचारियों को रिश्वत न देने के कारण किसी कैदी को "40 चक्की" वार्ड में नहीं भेजा जाता है और बेड़ियां नहीं पहनायी जाती हैं। अतः वहां इस बारे में कैदियों से कोई पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है।

आदिवासी उपयोजना के लिए निधि

10204. श्री गिरिधर गोमांगों : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों के लिए आवंटित निधियों के अपव्यय को रोकने, समय पर उनका उपयोग करने, अन्य मोर्चों पर लगाने से रोकने के लिए आगे मंत्रालय ने क्या उपाय किये हैं और राज्यों को क्या सलाह दी है ;

(ख) इस बारे में राज्यों ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) आदिवासी विकास सम्बन्धी नये वित्तीय प्रशासनिक तंत्रों ने किस हद तक उद्देश्यों को पूरा किया है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) धन के अपव्यय को रोकने के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य में मापदण्ड निर्धारित किए गए हैं। धन का समय पर उपयोग अग्रिम नियोजन, स्वीकृतियों को समय पर जारी करके और क्षेत्र में कार्यान्वयन द्वारा किया जाता है। आदिवासी विकास से सम्बद्ध अधिकांश राज्यों ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए निर्धारित धन को अन्य स्थान पर न लगाने के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया है और इस सम्बन्ध में केन्द्रीय मंत्रालयों से आग्रह किया जा रहा है।

(ख) सभी सम्बद्ध राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उप-योजनायें तैयार की गई हैं और उप-योजना क्षेत्रों को कार्य संचालन प्रयोजन के लिए 180 संघटित आदिवासी विकास परियोजनाओं में विभाजित किया गया है। परियोजना क्षेत्रों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। राज्यों ने निधियों के अपव्यय को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों के लिए बजट में अलग से राशियों की व्यवस्था की है। वरिष्ठ अधिकारियों को आदिवासी उप-योजना कार्यक्रमों का प्रभारी नियुक्त किया गया है और परियोजना अधिकारियों को वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां दी गई हैं।

(ग) आदिवासी उप-योजनाओं के अधीन कार्यक्रमों का आवेग बढ़ रहा है।

अस्पृश्यता के मामले

10205. श्री एस० एस० लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978-79 के दौरान प्रत्येक राज्य में अस्पृश्यता के कुल कितने मामले दायर किये गये ; और

(ख) इस अवधि में इन मामलों पर, राज्यवार, क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) अस्पृश्यता के मामलों के बारे में आंकड़े कलैंडर वर्ष के आधार पर राज्यों से प्राप्त किये जाते हैं। ये आंकड़े नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 की धारा 15क(4) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाने वाली रिपोर्ट में समाविष्ट किये जाते हैं।

कलैण्डर वर्ष 1978 के बारे में राज्य सरकारों से अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और इस सम्बन्ध में उक्त धारा के अधीन रिपोर्ट जैसे ही प्राप्त होगी दोनों सदनों के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली के न्यायालयों में सशस्त्र डकैती के मामले

10206. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) गत दो वर्षों में दिल्ली में डकैती के कितने मामलों पर न्यायालयों द्वारा निर्णय दिया गया तथा कितने मामलों में दण्ड दिया गया; और

(ख) कितने मामले अभी अनिर्णीत पड़े हैं तथा वे किन वर्षों के हैं तथा विलम्ब के क्या कारण है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

न्यायालय में डकैती से संबंधित मामले

डकैती से संबंधित मामलों की संख्या	वर्ष		निर्णीत किए गए मामले	दण्डित किए गए व्यक्ति	अनिर्णीत पड़े मामले
	1977	1978			
72	72	—	64	27	8
117	---	117	75	58	42

अनिर्णीत पड़े मामलों में से कुछ आदेशों के अन्तिम चरण में हैं। कुछ मामलों में सम्मनों के तामील न होने के कारण और अन्य कुछ मामलों में अभियुक्त के फरार हो जाने के कारण मुकदमों में विलम्ब हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों का बन्द होना

10207. **श्रीमती मोहसिना किदवई** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी के कारण कई सीमेंट तथा अन्य लघु उद्योग एकक बन्द कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों का कार्यकरण सुनिश्चित करने हेतु और इन एककों को उचित तथा पर्याप्त कोयले की सप्लाई करने के लिए क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के दो सीमेंट कारखानों ने कोयले की कमी के कारण पूर्णतः/आंशिक रूप से कारखाना बंद होने की जानकारी दी है। इस प्रकार की जानकारी मिलने पर प्रभावित सीमेंट कारखानों के भट्टों को पुनः खुलवाने हेतु कोयले का शीघ्र संभरण करने तथा अन्य संयंत्रों को बंद होने से बचाने के लिए कोयले का नियमित और शीघ्र संभरण करने के लिए रेल मंत्रालय व कोयला विभाग से बातचीत की गई थी। जहां तक लघु क्षेत्र का सम्बन्ध है यह क्षेत्र एक स्वतन्त्र क्षेत्र है तथा एकक स्वेच्छा से अपना पंजीकरण कराते हैं। ऐसी कोई औपचारिक प्रणाली नहीं है जिसके अधीन लघु क्षेत्र के एकक अपने उत्पादन संबंधी जानकारी दें। उत्पादन अनुमान अत्यधिक अल्प नमूने के आधार पर लगाए जाते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यह बता पाना संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी की वजह से कितने लघु एकक बंद हो गए हैं।

गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के लिए महिला सरकारी कर्मचारियों को विशेष छुट्टी मंजूर करना

10208. श्रीमती पार्वती देवी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से एक महिला कर्मचारी गर्भपात के मामले में छः सप्ताह की वेतन सहित छुट्टी पाने की हकदार है लेकिन यदि वह गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति करवाती हैं तो उसके लिए विशेष छुट्टी की कोई व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या सरकार का विचार गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामलों में नियमों का पुनरीक्षण करने का है क्योंकि प्रेरित गर्भपात के लिए बिस्तर पर आराम अपेक्षित है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान। गर्भपात सहित गर्भस्राव के मामलों में, जिनमें गर्भ की चिकित्सीय समाप्ति के मामले भी शामिल हैं, अधिक से अधिक 6 सप्ताह की प्रसूति छुट्टी प्रदान की जाती है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार्य योजना को क्रियान्वित करना

10209. चौधरी हरी राम मक्कासर गोदारा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जिला उद्योग केन्द्रों के महा प्रबन्धकों को लिखा है कि वे केन्द्र की कार्य योजना को "युद्ध स्तर" पर क्रियान्वित करें;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) ऐसे केन्द्रों के नाम तथा उनकी संख्या कितनी है जिन्होंने इस संबंध में कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) उनकी क्या कठिनाइयां हैं जिनके कारण वे आवश्यक कार्यवाही करने की स्थिति में नहीं है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी हां, जिला उद्योग केन्द्रों के समाचार-पत्रक के मार्च अंक में प्रकाशित अपने पत्र दिनांक 28-2-1978 में केन्द्रीय उद्योग मंत्री ने जिला उद्योग केन्द्रों के महाप्रबन्धकों से अनुरोध किया है कि वे पूरे जोश के साथ कार्य करें तथा कार्य योजनाओं को युद्ध स्तर पर क्रियान्वित करना शुरू कर दें।

(ख) जी नहीं ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास के लिये प्रतिनिधि बोर्ड

10210. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **इलेक्ट्रॉनिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के विकास पर ध्यान देने के लिये विशेष कर विभिन्न क्षेत्रों में बनायी जाने वाली वस्तुओं के बारे में निर्णय करके लाइसेंस ऋण सुविधाएं देने तथा तालमेल रखने के लिये प्रतिनिधि बोर्ड स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) क्या लघु क्षेत्र के उद्योगों की इलेक्ट्रॉनिकी की वस्तुओं को राज्य विकास निगम तथा बड़े उद्योगों के माध्यम से बेचे जाने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रक्षा मंत्रालय में तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष, विज्ञान इलेक्ट्रॉनिकी राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) केरल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्य स्तरीय इलेक्ट्रॉनिकी विकास निगम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं।

कागज की मिलें तथा उनकी क्षमता

10211. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितनी कागज मिलें उत्पादन कर रही हैं और प्रत्येक की अलग-अलग क्षमता क्या है;

(ख) देश में कौनसी नई कागज मिलें लगाई जा रही हैं और उन पर मिल-वार कितना परिव्यय हुआ है और कितनी उत्पादन क्षमता है;

(ग) क्या सरकार कागज की कमी को पूरा करने के लिए नई मिलों की स्थापना के लिये प्रयास कर रही है; यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाई की जा रही है; और

(घ) क्या सभी नई मिलों को अपेक्षित पूरा कच्चा माल मिल सकेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) देश में इस समय उत्पादन कर रही कागज मिलों की संख्या तथा उनकी अलग-अलग क्षमता को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4501/79]

(ख) कार्यान्वित किये जाने वाली (लगाये जाने) कागज मिलों तथा उनकी स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता को दर्शाने वाला एक विवरण भी संलग्न है (अनुबन्ध–II)

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4501/79]

प्रत्येक गैर-सरकारी एकक, जिसकी स्थापना की जा रही है, में कितना परिव्यय किया जायेगा उसके बारे में अधिप्रमाणित जानकारी सरकार के पास उपलब्ध नहीं है। पुराने संयंत्र तथा उपकरणों वाली छोटी कागज मिलों के वार्षिक प्रति मी० टन पर लगभग 4000 रु० से 5000 रु० निवेश होगा तथा आयातित अथवा स्वदेशी नयी मशीन वाले मिलों में वार्षिक प्रति मी० टन पर लगभग 12,000 रु० से 13,000 रु० निवेश होगा।

(ग) सरकारी क्षेत्र में कागज बनाने के लिए परियोजनाएं स्थापित करने के अलावा सरकार ने कागज उद्योग में क्षमता की वृद्धि का संवर्द्धन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) द्वितीय कोटि के कच्चे माल जिसमें आयात निहित नहीं होता है, पर आधारित कागज मिलों की स्थापना को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(2) 30 मी० टन प्रतिदिन तक की क्षमता वाले पुराने कागज संयंत्रों को आयात सुविधा अनुमत कर दी गई है।

(3) लुगदी तथा वुडचिप्स के आयात को उदार बना दिया गया है।

(4) गैर- परम्परागत कच्चे माल का उपयोग करने के लिए लघु कागज मिलों को उत्पादन शुल्क में छूट की अनुमति दे दी गई है।

(5) कागज बनाने के लिए खोई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पैकेज नीति अभ्यु-पायों को हाल ही में सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है जिसमें तीन वर्ष की अवधि के लिए कम-से-कम 75 प्रतिशत खोई से बनने वाले लिखाई तथा छपाई के कागज के लिए उत्पादन शुल्क से छूट देने, का सहयोग देने के लिए ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता देना भी शामिल है।

(घ) यदि योजनाएं वन की कच्ची सामग्री पर आधारित हैं तो उनको पार्टियों द्वारा राज्य सरकार से लगातार कच्ची सामग्री मिलते रहने का आश्वासन प्राप्त हो जाने के बाद ही कार्यान्वित किया जाता है तथा यदि योजनायें कृषि अवशेषों जैसी द्वितीय कोटि की कच्ची सामग्री पर आधरित हैं तो उसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो जाने के बाद ही पार्टियों द्वारा उनको कार्यान्वित किया जाता है।

सरकारी कर्मचारियों के पत्रों का उत्तर देने के लिए समय-सीमा

10212. श्री राजे विश्वेश्वर राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों से उनके सेवा संबंधी मामलों के बारे में सरकारी कार्यालयों में प्राप्त पत्रों का उत्तर देने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो पीड़ित पार्टी के लिए क्या उपाय उपलब्ध हैं और सरकार का विचार विलम्ब को किस प्रकार दूर करने का है ;

(ग) 1977 के दौरान श्रेणी एक के राजपत्रित अधिकारियों से कार्मिक विभाग में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन अधिकारियों के नाम क्या हैं और यदि उनको कोई उत्तर दिए गए हैं तो वे किन तिथियों को दिए गए हैं ; और

(घ) उनमें से प्रत्येक पर यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) दिसम्बर 1978 में जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सेवा संबंधी मामलों में कर्मचारियों से प्राप्त अभ्यावेदनों पर शीघ्रतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए और यदि किसी सरकारी कर्मचारी को अपना अभ्यावेदन देने के एक महीने के भीतर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो वह अपनी शिकायतों के निवारण के लिये अगले उच्चतर अधिकारी को लिख सकता है अथवा साक्षात्कार के लिए निवेदन कर सकता है । ऐसे वरिष्ठ अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह तत्काल कागजों को मंगाए और बिना किसी विलम्ब के उपयुक्त कार्रवाई करे ।

(ग) और (घ) चूंकि कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग सेवा-मामलों में मुख्यतः नियमन तथा सलाह संबंधी कार्यों को ही करता है, अतः व्यक्तिगत सरकारी कर्मचारियों से सीधे प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्रवाही नहीं की जाती है । इसके अलावा व्यक्तिगत अभ्यावेदनों का, जो कि सेवा संबंधी मामलों में सलाह मांगने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से आये संदर्भों से भिन्न होते हैं, पृथक रिकार्ड नहीं रखे जाते ।

गुजरात में सीमेंट के कारखाने के लिये आवेदन-पत्र

10213. श्री धर्मसिंह भाई पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में नये सीमेंट संयंत्र लगाने और विद्यमान सन्यंत्रों का विस्तार करने के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं तथा आवेदकों के नाम और पते क्या हैं और ये आवेदन-पत्र किन-किन तारीखों को मिले हैं ;

(ख) उनमें से कितने आवेदन-पत्र आवेदन-वार पृथक-पृथक रूप से स्वीकृत हो गये, कितने अस्वीकृत हो गये तथा कितने अभी विचाराधीन हैं ;

(ग) उन आवेदन-पत्रों को अस्वीकार करने के क्या कारण हैं ; और

(घ) विचाराधीन आवेदन-पत्रों को कैसे और कब तक निपटाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) गुजरात राज्य में नए सीमेंट संयंत्रों/अतिरिक्त सीमेंट क्षमता की स्थापना करने के लिए 1 अप्रैल, 1977 से प्राप्त आवेदन-पत्र, पार्टी का नाम, क्षमता आदि नीचे दिए जाते हैं :—

बड़े संयंत्र

क्रम सं०	पार्टी का नाम	स्थान	क्षमता (मी० टन लाखों में)	आवेदन पत्र के प्राप्ति की तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	नर्मदा सीमेंट क० लि०, बम्बई	काफराबाद मागदल्ला	10.00	3-12-77	26-9-78 को लाइसेंस जारी किया गया
2.	श्रीमती शान्ताबेन डी० पटेल, अहमदाबाद	दाताद, साबरकान्था	0.45 (सफेद)	5-12-77	6-4-78 को लाइसेंस जारी किया गया
3.	श्री भगवानदास एच० महता, अहमदाबाद	पोशीना, साबरकंथा	5.00	22-1-79	प्रक्रिया के अधीन
4.	जयन्त रघुनाथजी देसाई, बड़ौदा	भड़ौच, जि० बड़ौदा	3.00	27-4-78	रद्द किया गया क्योंकि पार्टी ने पूरा ब्यौरा नहीं दिया
5.	श्री गोविन्द भाई सी० पटेल, अहमदाबाद	महुआ, जि० भावनगर	4.00	9-3-79	प्रक्रिया के अधीन
	मिनि सीमेंट संयंत्र				
1.	अमीरगढ़ सीमेंट लि०, बम्बई	जि० बानसकंथा	0.33	24-1-78	18-3-78 को डी०जी०टी०डी० में दर्ज
2.	आर०बी० शर्राफ (बैटकों सीमेंट) बम्बई	तलाजा जि० भावनगर	0.10	22-7-78	26-8-78 को डी०जी०टी०डी० में दर्ज

3.	सन्दीप मिनेरल्स क०, महुवा	महुवा जि० भावनगर	0.30	24-7-78	3-3-79 को डी०जी०टी०डी० में दर्ज
4.	विनोदभाई एम० बुच्च, राजकोट	बामनबोर, जि० सुरेन्द्र नगर	0.30	16-10-78	22-11-78 की डी०जी०टी० डी० में दर्ज
5.	पी०एच०पी० सीमेंट इण्डस्ट्रीज, महुवा	नेसवाद जि० भावनगर	0.27	3-10-78	28-11-78 को डी०जी०टी०डी० में दर्ज
6.	हिमालय सीमेंट लि०, पोरबन्दर	धरमपुर	0.49	3-4-78	
7.	श्री अम्बीक सीमेंट प्रा० लि०	छोडवाद जि० जूनागढ़	0.09	1-2-78	21-2-79 को दर्ज
8.	नायाक सीमेंट्स लि०, बम्बई	डाथा जि० भावनगर	0.33	23-1-79	21-3-79 को दर्ज
9.	जयन्त कुमार बी० व्यास	रानावाव	0.30	27-6-78	रद्द कर दिया गया। उससे सीमेंट ग्रेड चूने के पत्थर की उपलब्धि के बारे में पता लगा लेने अथवा आयात के लिए सी० जी० क्लियरेन्स प्राप्त करने अथवा विदेशी सहयोग प्राप्त करने के उपरान्त पुन: आवेदन करने को कहा गया है।
10.	श्री पंकज डी० वारीया	भाटिया, जि० जामनगर	0.10	31-8-78	–वही–
11.	मै० वारिया सीमेंट	हापा जि० जामनगर	0.09	2-9-78	–वही–
12.	मै० सन्दीप कैमिकल्स	–वही–	0.09	7-9-78	–वही–

1	2	3	4	5	6
13.	श्री बी० वी० पटेल	जूनागढ़ या वेरावाल	0.60	7-9-78	रद्द कर दिया गया । उससे सीमेंट ग्रेड चूने के पत्थर की उपलब्धि के बारे में पता लगा लेने अथवा आयात के लिए सी० जी० क्लियरेन्स प्राप्त करने अथवा विदेशी सहयोग प्राप्त करने के उपरान्त पुन: आवेदन करने को कहा गया है ।
14.	मै० ऐकमे एन्टरप्राईज	अंबाजी बानसकान्था	0.30	26-9-78	–वही–
15.	श्री कनक वी० पारिख, राजकोट	वाकनेर जि० राजकोट	0.30	10-11-78	–वही–
16.	श्री क्रीरत कुमार आर० पटेल, बम्बई	गुजरात राज्य	0.60	16-12-78	–वही–
17.	श्री अरविन्द मणिशंकर त्रिवेदी, राजकोट	छोटीला जि० सुरेन्द्र नगर	0.30	5-1-79	–वही–
18.	ऐमी सीमेंट प्रा० लि०, अहमदाबाद	दोहाद जि० पंच महल	0.15	8-3-79	–वही–
19.	पारस सीमेंट एण्ड मि० इंड० जूनागढ़	पडारिया, जि० जूनागढ़	0.09	8-3-79	–वही–

20.	श्री विजय कुमार नायक जेडा भाई	भावनगर	0.33	13-3-79	–वही–
21.	समता सीमेंट इण्डस्ट्रीज	भावनगर (महुवा)	0.33	11-4-79	निर्णय की प्रक्रिया में
22.	सूर्यकान्त नन्नालाल गांधी, बम्बई	जि० भावनगर	0.33	17-4-79	–वही–
23.	श्री अमीन मयूर मनुभाई	दोहाद जि० पंच महल	0.60	20-4-79	–वही–

मद्रास में परमाणु ऊर्जा विभाग के कलपक्कम एकक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए आरक्षण

10214. श्री ए० मुरुगेसन : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के लिये भर्ती, पदोन्नति और कर्मचारियों को स्थायी करने के समय आरक्षण की व्यवस्था करने वाले भारत सरकार के आदेश कलपक्कम मद्रास के परमाणु ऊर्जा विभाग के एककों में आदेशों को जारी करने की तारीख से ही क्रियान्वित नहीं किये जा रहे हैं और यदि हां, तो क्यों और यदि क्रियान्वित किये गये हैं तो आदेश जारी किये जाने की तारीख से उनका संवर्ग-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारी एसोसियेशन ने लम्बे समय से चली आ रही अपनी शिकायतों का समाधान करने के लिए मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, मद्रास परमाणु ऊर्जा परियोजना और रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र, कलपक्कम मद्रास को 10 अक्तूबर, 1978 को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था और यदि हां, तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों की क्या शिकायतें हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

(ख) जी हां।

ज्यादातर शिकायतें नियुक्तियों, पदोन्नति तथा स्थायीकरण जैसे सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में हैं। उन पर गौर किया गया है और लगभग सभी मामलों में शिकायतों को नियमों के अनुसार जितना भी दूर किया जा सकता है उतना दूर करने की कार्रवाई की गई है।

आनन्द पर्वत पुलिस चौकी, दिल्ली के विरुद्ध शिकायतें

10215. श्री पीयूष तिरकी : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आनन्द पर्वत पुलिस चौकी, दिल्ली के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जनवरी, 1977 से अब तक गृह मंत्रालय को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या सभी शिकायतों की जांच-पड़ताल की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला और कितनी शिकायतों की जांच-पड़ताल की जा रही है ; और

(ग) इन सभी शिकायतों के बारे में किसने जांच-पड़ताल की ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डो० पाटिल) : (क) से (ग) आनन्द पर्वत पुलिस चौकी के पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध जनवरी, 1977 से अब तक 5 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों की जांच थानाध्यक्ष, पटेलनगर द्वारा की गई थी और पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध आरोप स्थापित नहीं किये जा सके। फिर भी दिल्ली पुलिस के सतर्कता विभाग से इन शिकायतों में आगे जांच करने के लिए कहा गया है।

मीरनपुर का कम्बल उद्योग ठप्प पड़ जाना

10216. श्री भगत राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि उद्योग मंत्रालय को बार-बार यह अनुरोध करने के बावजूद कि मीरनपुर (उत्तर प्रदेश) में 300 वर्ष पुराना कम्बल उद्योग ठप्प हो गया है और 1500/– रुपये तक का ऋण वसूल करने के लिये अधिकारियों का दबाव बढ़ने, ऊन के मूल्य में वृद्धि होने और तीन या चार मुजफ्फरनगर के व्यापारियों के एकाधिकार ने इस ऐतिहासिक दस्तकारी को समाप्त कर दिया है और लगभग दो सौ परिवार अब बेरोजगार हो गये है; और

(ख) इस लघु उद्योग को बचाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

राजभाषा क्रियान्विति समिति की सिफारिश

10217. श्री बालक राम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजभाषा क्रियन्विति समिति की सिफारिशें सीमेंट नियन्त्रक तथा क्षेत्रीय सीमेंट नियन्त्रक (उत्तरी क्षेत्र) दिल्ली के जन सम्पर्क कार्यालय में लागू नहीं की गई हैं ;

(ख) क्या हिन्दी में अर्हता प्राप्त और हिन्दी टाइपराइटिंग शार्टहैण्ड और अनुवाद सीखने के लिये उत्सुक कर्मचारियों को उसके लिये सुविधाएं दी गई हैं ;

(ग) क्या गत दो वर्षों से हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में भेजे गये थे ; यदि हां, तो हिन्दी में कितने उत्तर भेजे गये और हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या कितनी थी ;

(घ) हिन्दी अनुभाग के लिए कितने कर्मचारी भर्ती किये गये ; और

(ङ) गत दो वर्षों में हिन्दी अनुभाग की लेखन सामग्री पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सीमेंट नियंत्रक के अधीन कोई जन सम्पर्क कार्यालय नहीं है। सीमेंट नियन्त्रक के कार्यालयों तथा क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक (उत्तरी क्षेत्र), दिल्ली में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की सिफारिशें जहां तक सम्भव होता है वहां तक लागू की गई हैं।

(ख) ये सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर हिन्दी में देना सम्भव नहीं हो पाया है। हिन्दी में प्राप्त पत्रों की संख्या तथा हिन्दी में उत्तर दिए गए पत्रों की संख्या के बारे में सीमेंट नियंत्रक तथा क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक (दिल्ली) के कार्यालयों में अलग-अलग कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(घ) सीमेंट नियंत्रक तथा क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक (उत्तरी क्षेत्र), दिल्ली के कार्यालयों में अलग से कोई हिन्दी अनुभाग नहीं है ; सीमेंट नियंत्रक के कार्यालय में एक सहायक केवल हिन्दी का कार्य कर रहा है।

(ङ) हिन्दी के कार्य के लिये प्रयोग की गई लेखन सामग्री का अलग से कोई हिसाब नहीं रखा गया है ।

दिल्ली पुलिस में निरीक्षकों की रैंक में पदोन्नति के लिये पैनल का गठन

10218. **श्री मही लाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस में निरीक्षक (प्रथम सूची) अनसचिवीय संवर्ग की रैंक में पदोन्नति के लिये वर्ष 1974 में कोई पैनल गठित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस सूची में कुल कितने व्यक्तियों को रखा गया है और उनमें से अनु० जा०/अनु० जन०जा० के कितने व्यक्ति है ;

(ग) क्या उक्त पैनल अभी विद्यमान है ; और

(घ) यदि हां, तो लगभग पांच वर्ष बाद इस पैनल को बनाये रखने के क्या कारण हैं जबकि इसे इसके गठन की तारिख के एक वर्ष बाद निरस्त कर दिया जाना चाहिये था ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) सूची में रखे गये व्यक्तियों की कुल संख्या केवल 30 थी । अनु० जातियों/जनजातियों का कोई उम्मीदवार विचार के क्षेत्र में नहीं था ।

(ग) जी हां, श्रीमान ।

(घ) पंजाब पुलिस नियम पी०पी०आर० सं० 12.3 (डी) के अधीन कानूनी रूप से गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा तैयार किया गया पैनल समाप्त नहीं होता है ।

गुजरात में मोहेसाना और बनासकांठा में उद्योगों की स्थापना

10219. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोहेसाना और बनासकांठा जिलों में कच्चे माल, जनशक्ति आदि की उपलब्धता को देखते हुए वहां पर कौन-कौन से उद्योग स्थापित किये जा सकते हैं ;

(ख) वर्ष 1979-80 में इन दो जिलों को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है और उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके लिये प्रावधान किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गुजरात सरकार के अनुसार मोहेसाना और बांसकंठा में स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल तथा जनशक्ति के आधार पर निम्नलिखित उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं :—

मोहेसाना :— तम्बाकू उत्पाद, ईसबगोल, ग्वार-गम, स्टील का फर्नीचर, कृषि उपकरण बनाना, पशुओं का चारा, इमारती ईटें, लकड़ी का फर्नीचर, आरा मिलें ।

बांसकंठा :— ईसबगोल परिष्करण, ग्वार-गम, रूई से बिनौला निकालना व परिष्करण, चमड़ा कमाना, हड्डियों का चूर्ण बनाने वाली मिलें, मारबल पर पालिश करना तथा मारबल की कटाई, सीमेंट परिष्करण, लकड़ी उद्योग, तेल निकालना व खनन कार्य ।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वह ऐसे कार्यों के लिए किसी भी जिले के लिए अलग से बजट में कोई निश्चित राशि का प्रावधान नहीं करती ।

भारतीय अर्थ सेवा में सुपरटाइम/सेलेक्शन ग्रेड के पद

10220. श्री दिलीप चक्रवर्ती : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय सुपरटाइम और सिलेक्शन ग्रेड के कितने पद जिनके कृत्य आर्थिक हैं, भारतीय अर्थ सेवा में हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और योजना आयोग में आर्थिक कृत्यों वाले सुपरटाइम/सिलेक्शन ग्रेड के पदों पर इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी काम करते हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) भारतीय आर्थिक सेवा के संवर्ग पद, ग्रेड-1 (वेतनमान रु० 1800—2000) तक हैं । इस ग्रेड के ऊपर इसके कोई संवर्ग वद्ध पद नहीं हैं । फिर भी, उक्त सेवा के सदस्यों के लिए एक गैर-फ्क्शनल चयन ग्रेड (वेतनमान रु० 2000—2250) उपलब्ध है । भारतीय आर्थिक सेवा के बहुत से अधिकारी पहले से ही चयन गेड/वरिष्ठ वेतनमान के स्तर के संवर्ग-वाह्य पदों पर कार्य कर रहे हैं ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय पटसन निगम की स्थापना और उसके उद्देश्य

10221. श्री विनायक प्रसाद यादव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय पटसन निगम कब और किन उद्देश्यों के साथ स्थापित किया गया था ;

(ख) पटसन की खरीद के लिये भारतीय पटसन निगम ने कितने पटसन क्रय केन्द्र खोले और इन केन्द्रों के माध्यम से कितनी गांठे खरीदी गई ;

(ग) बाजार से प्रतिवर्ष कुल कितनी मात्रा में पटसन खरीदा जाता है ; और

(घ) 1977 तक पटसन मिलों की और भारतीय पटसन निगम की कितनी राशि बकाया थी और जनवरी तथा फरवरी 1979 में की गई खरीद के कारण मिलों की और कितनी राशि बकाया थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारतीय पटसन निगम की स्थापना मुख्यतः पटसन उत्पादकों को पर्याप्त लाभ सुनिश्चित करने तथा कच्चे पटसन के व्यापार में न्यूनतम सट्टेबाजी के उद्देश्य से अप्रैल, 1971 में की गई थी ।

(ख) चालू मौसम (1978-79) के दौरान भारतीय पटसन निगम ने 91 विभागीय खरीद केन्द्र तथा 42 उप-केन्द्र चलाये हैं जिससे 3 मई, 1979 तक कुल 625 लाख गांठों की खरीद की गई है।

(ग) भारतीय पटसन निगम द्वारा बाजार से की गई पटसन की वार्षिक खरीद की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

पटसन वर्ष	भारतीय पटसन निगम द्वारा खरीदी गई मात्रा (लाख गांठे)
1971-72	0.04
1972-73	0.89
1973-74	7.25
1974-75	5.61
1975-76	5.81
1976-77	8.13
1977-78	0.68
1978-79 (3-5-79 तक)	8.31

(घ) 31 दिसम्बर, 1977 तक जूट मिलों पर भारतीय पटसन निगम की कुल बकाया राशि लगभग 12.51 करोड़ रु० थी। जनवरी, फरवरी, 1979 में जूट मिलों को भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की कोई बिक्री नहीं की गई।

त्रिपुरा और आसाम में हाथियों की कथित बिक्री

10222. श्री अहमद हुसैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ राष्ट्र-विरोधी व्यक्ति त्रिपुरा के वनों और आसाम के सीमावर्ती क्षेत्रों के भारतीय हाथियों को स्थानीय एजेंटों के साथ सहयोग करके अन्य देशों के बदमाश लोगों को बेचने में लगे हुए हैं और बेच रहे हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो अब तक बताये गये, जांच किये गये और जांचाधीन मामलों का ब्यौरा क्या है तथा अन्य देशों को हाथियों की गैर-कानूनी बिक्री को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) त्रिपुरा और असम राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि उनके ध्यान में इस प्रकार की कोइ बिक्रियां नहीं आई हैं।

उप महापौर और दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगरपालिका की समितियों के सभापतियों द्वारा कारों का प्रयोग

10223. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपमहापौर और दिल्ली नगर निगम की विभिन्न समितियों के सभापतियों तथा नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्यों द्वारा कारों के प्रयोग के बारे में विवाद चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले को कानूनी राय जानने के लिये भेजा है ;

(घ) यदि हां, तो विभिन्न निकायों के विभिन्न सभापतियों और सदस्यों द्वारा कारों के प्रयोग के बारे में कानूनी राय क्या है ;

(ङ) दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान तथा जल संस्थानों ने गत एक वर्ष में उपरोक्त सदस्यों द्वारा कारों के प्रयोग पर कितनी राशि व्यय की है ; और

(च) कारों के उपयोग के बारे में सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) **नई दिल्ली नगरपालिका :** न० दि० न० पा० के अनुसार ऐसा कोई विवाद नहीं है। न० दि० न० पा० ने नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्यों तथा अधिकारियों द्वारा स्टाफ कार प्रयोग करने के लिये उचित स्टाफ कार नियम बना रखे हैं। जहां तक समिति के सदस्यों का सम्बन्ध है नियमों में इस प्रकार व्यवस्था की गई है :—

(1) सदस्यों द्वारा समिति के कार्यों के सम्बन्ध में सरकारी प्रयोजनों के लिए स्टाफ कार/जीप का प्रयोग किया जा सकता है।

(2) न० दि० न० पा० के कार्यों तथा समिति, उपसमिति तथा तदर्थ समिति के सदस्यों के रूप में बैठक, सम्मेलन में भाग लेने तथा निरीक्षण के सम्बन्ध में यात्राएं।

(3) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, की हैसियत से सम्मेलनों, निरीक्षणों आदि में भाग लेने के सम्बन्ध में यात्राएं।

(4) उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में सरकारी तथा सामाजिक समारोहों में भाग लेने के लिए यात्राएं।

चूंकि सरकारी कर्त्तव्यों के लिए समिति के सदस्यों तथा अधिकारियों दोनों स्टाफ कार का प्रयोग करते हैं अतः सदस्यों द्वारा स्टाफ कार के प्रयोग पर खर्चे का अलग से कोई लेखा उपलब्ध नहीं है।

2. **दिल्ली नगर निगम :** जहां तक दिल्ली जलपूर्ति तथा मल निकास उपक्रम तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम समेत दि० न० नि० का सम्बन्ध है, नगर निगम के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि उप महापौर और दि० न० नि० के विभिन्न समितियों के अध्यक्ष द्वारा कारों के प्रयोग के बारे में एक विवाद चल रहा है। चूंकि विवाद में कानून सम्बन्धी मुद्दे उठ

खड़े हुए थे अतः मामले की जांच निगम के विधि विभाग द्वारा कराई गई थी। दि० न० नि० के कानूनी सलाहकार की राय थी कि बजट में उपयुक्त व्यवस्था करके निगम उप महापौर तथा अध्यक्ष, स्थायी समिति और गाड़ी की सुख सुविधा दे सकता है। क्योंकि यह मत दि०न०नि० अधिनियम के उपबन्ध के स्पष्टतः प्रतिवादी प्रतीत होते थे अतः निगम ने कानूनी मामलों के एक प्राधिकारी की राय मांगी। तदनुसार भारत के महा सालिसीटर से इस प्रश्न पर अपनी सलाह निगम को देने का अनुरोध किया गया। भारत के महा सालिसीटर को सलाह के लिये निम्नलिखित मुद्दे विभिन्न विभाग द्वारा भेजे गए।

1. क्या उप महापौर निशुल्क यातायात की सुविधा का अथवा धारा 26(2) के अधीन बनाए गए नियमों के अभाव में किसी अन्य सुविधा का अधिकारी है ;
2. क्या अध्यक्ष, स्थाई समिति तथा अन्य सांविधिक समितियों के अध्यक्ष यातायात या किसी अन्य सुविधा के अधिकारी हैं ;
3. वैकल्पिक स्थिति में क्या अध्यक्ष को स्टाफ कार दी जा सकती है ;
4. क्या स्थाई समिति, दि० विद्युत प्रदाय समिति और दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निकास समिति, जिन्हें अधिनियम की धारा 44 के अधीन नगरपालिका प्राधिकरणों के रूप में गठित किया जाता है और जिन्हें अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के अधीन यथा विनिर्दिष्ट कार्य करने पड़ते हैं, प्रत्येक सुविधा का हकदार है ;
5. क्या पार्षद और एल्डरमैन अपने घर पर टेलीफोन जैसी किसी सुविधा के हकदार हैं ; और
6. क्या किसी पार्षद एल्डरमैन, समिति के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को, बजट में उपयुक्त प्रावधान करके कोई सुविधा अथवा विशेषाधिकार दिया जा सकता है, जबकि अधिनियम में उनकी व्यवस्था नहीं की गई हो।

महा सालिसीटर ने निम्नलिखित राय दी है :–

प्रश्न 1 : जी नहीं।

प्रश्न 2 : जी नहीं।

प्रश्न 3 : जी नहीं।

प्रश्न 4 : इस प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं परन्तु समितियों के लिए अपने कार्य निष्पादन के लिए जो कुछ बिल्कुल आवश्यक होगा उसकी व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी। बैठक के लिए स्थान, उसकी सफाई तथा प्रकाश, कार्रवाईयां, इत्यादि रिकार्ड करने के लिए आवश्यक कर्मचारीगण ऐसी सुविधाएं हैं, जिन्हें समिति प्राप्त कर सकती है, परन्तु जहां तक अध्यक्ष समेत उन पार्षदों तथा एल्डरमैनों का सम्बन्ध है, जो इन समितियों के सदस्य हैं, वे धारा 34 के सन्दर्भ में बनाये गये नियमों के अधीन निर्धारित दैनिक भत्ते के हकदार हैं।

प्रश्न 5 : जी नहीं।

प्रश्न 6 : जी नहीं।

(ङ) स्थिति इस प्रकार है :–

(1) कार नं० डी०एल०जे० 37, 21-2-1978 से 31-12-1978 तक की अवधि के दौरान उप मेयर को दी गई थी। इस अवधि में पैट्रोल पर कुल 3,084.56 रुपए व्यय हुए।

(2) कार नं० डी०एच०ए० 5167, 2-2-1978 से 31-12-1978 तक की अवधि के दौरान स्थाई समिति के अध्यक्ष को दी गई थी। इस अवधि में पैट्रोल पर कुल 3,343.20 रुपए व्यय हुए।

(3) 1-1-1978 से 31-12-1978 तक की अवधि के दौरान अध्यक्ष, दिल्ली जल प्रदाय तथा मल निकास समिति द्वारा प्रयोग की गई स्टाफ कार के रख-रखाव पर 13,433.76 रुपए खर्च हुए, इसमें ड्राईवर का वेतन शामिल नहीं है।

(4) दिल्ली विद्युत प्रदाय समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने डेसू की स्टाफकारों का उपयोग किया था। पिछले एक वर्ष के दौरान इन स्टाफ कारों में उपयोग किये गये पैट्रोल की लागत 11,557 रुपए थी।

(च) दिल्ली प्रशासन ने निगम को निर्देश दिया है कि विभिन्न समितियों और उनके अध्यक्षों को कानून के अन्तर्गत चूंकि अलग-अलग स्टाफ कार नहीं दी जा सकती, इसलिए दिल्ली नगर निगम द्वारा स्टाफकारों के लिए एक सामान्य पूल बनाया जाए और कार्य की आवश्यकता तथा अनिवार्यता के अनुसार वाहन दिए जाएं।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का लेखा एक उच्च श्रेणी लिपिक द्वारा रखा जाना

10224. श्री के० ए० राजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 तथा 1978 के दौरान 'ग्रामशिल्प' खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, नई दिल्ली के लेखे के पूरे कार्य की देखभाल करने के लिए एक उच्च श्रेणी लिपिक को कहा गया था ;

(ख) क्या आन्तरिक लेखा परीक्षकों ने लेखे के रख-रखाव के सम्बन्ध में प्रतिकूल टिप्पणी की है ;

(ग) क्या 1977-78 के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति प्रस्तुत की जायेगी ; और

(घ) कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) ग्रामशिल्प के खजांची जो अवर श्रेणी लिपिक के वेतनमान में थे उन्हें उच्च श्रेणी लिपिक के वेतनमान में पदोन्नति कर दिया गया और ग्रामशिल्प के प्रबन्धक के मार्ग निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में लेखापाल का पूरा काम देखने के लिए इस शर्त के अधीन कहा गया था कि यदि उनका काम संतोषजनक पाया गया तो उन्हें लेखापाल–II के पद पर नियुक्त कर दिया जायेगा।

(ख) और (ग) आन्तरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 1977-78 की एक प्रति उपलब्ध करा दी जायेगी। आन्तरिक लेखा परीक्षा दल ने लेखा रखने सम्बन्धी कुछ सामान्य प्रकार की टिपणियां की हैं और बताया है कि इसमें सुधार किया जा सकता है।

(घ) ग्रामशिल्प के प्रबन्धक और खादी ग्रामोद्योग आयोग के दिल्ली स्थित आवासी प्रतिनिधि को खादी ग्रामोद्योग आयोग ने आन्तरिक लेखा परीक्षकों द्वारा, प्रस्तावित कमियों को दूर करने तथा भविष्य में ऐसी कमियां न हों यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए गये हैं।

दिल्ली संवर्ग में काम करने वाले आदिवासी अधिकारियों को परेशान करना

10225. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि सामान्य रूप से दिल्ली संवर्ग में तथा विशेष रूप से खाद्य तथा पूर्ति विभाग में काम करने वाले कुछ आदिवासी अधिकारियों को उनके विभागाध्यक्षों द्वारा परेशान किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो आदिवासी अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा पूर्ति विभाग में नियुक्त एक अनुसूचित जनजाति अधिकारी श्री एस० एन० ओराउन को कथित परेशान किये जाने के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत का इन बातों से सम्बन्ध था कि :—

(1) 1975 में राष्ट्रीय रक्षा कालेज में विभागीय प्रशिक्षण से लौटने पर श्री ओराउन की एक जूनियर पद पर उप-क्षेत्रीय नियोजक अधिकारी के रूप में नियुक्ति और उनके प्रतिवेदन पर उन्हें 100 रु० प्रति माह का विशेष वेतन स्वीकृत किया गया।

(2) एक पुलिस अधिकारी के कहने पर अप्रैल, 1977 में एक झूठे और गढ़े हुए मामले में फंसाना।

शिकायत की जांच की गई। जहां तक (1) का सम्बन्ध है यह कहा जाता है कि उप-क्षेत्रीय नियोजक अधिकारी, बिक्रीकर अधिकारी, उप-मण्डलीय मजिस्ट्रेट आदि के पद दानी सिविल सेवा के संवर्ग पद हैं। दानी सिविल सेवा के अधिकारियों के तबादले तथा ऐसे पदों पर नियुक्ति प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुसार की जाती है। श्री ओराउन की सहायक निदेशक (रोजगार दफ्तरों) के रूप में नियुक्ति 26-8-1975 को की गई थी। चूंकि विशेष वेतन की स्वीकृति 13-11-1975 को सूचित की गई थी, अतः ओराउन को विशेष वेतन उसी तारीख से दिया गया था। इसके पश्चात उनकी सहायक आयुक्त, खाद्य व पूर्ति के रूप में नियुक्ति की गई जिस पर भी 100 रु० का विशेष वेतन दिया जाता है। इस पद का भी उच्च स्तर तथा उत्तरदायित्व है। अतः नियुक्ति के मामलों में उनके प्रति कोई भेदभाव नहीं बरता गया है।

जहां तक (2) का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि 10/11-4-1977 को पुलिस द्वारा श्री ओराउन के बिरुद्ध किराये के भुगतान के बारे में एक स्कूटर ड्राइवर से झगड़ा करने के आरोप पर बम्बई पुलिस अधिनियम की धारा 110/112/117 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया था। उन्हें 9-4-1978 को न्यायालय द्वारा मुक्त कर दिया गया। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार डाक्टरी राय यह थी कि ओराउन ने शराब पी रखी थी और नशे में थे। मामले की और अधिक जांच-पड़ताल की गई और यह पाया गया कि डाक्टरी रिपोर्ट यह थी कि यद्यपि उनकी सांस में शराब की बू थी और उन्होंने शराब पी रखी थी परन्तु वे नशे में नहीं थे।

पुलिस अधिकारी का स्पष्टीकरण दिल्ली प्रशासन द्वारा जिसने ऐसी भ्रामक रिपोर्ट दी थी मांगा गया है और उनके विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी। श्री ओराउन ने दिल्ली प्रशासन से उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध मानहानी का मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी है जिन्होंने उनके विरुद्ध एक अपराधिक मुकदमा आरम्भ किया था और उनको कहा गय है कि यदि वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं ।

अनवरत शिक्षा के लिए सरकारी उपक्रम केन्द्र

10226. श्री भानुकुमार शास्त्री : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम संस्था होने के बावजूद अनवरत शिक्षा के लिए सरकारी उपक्रम केन्द्र स्थापित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दोनों संस्थाओं को दिए गए कृत्यों में कोई अन्तर है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) से (ग) शिक्षा चालू रखने के लिए सरकारी उद्यम केन्द्र की स्थापना मुख्य रूप से सरकारी क्षेत्र के आचार का विकास करने, ट्रेड यूनियनों तथा अन्य सहभागियों के साथ मिल करके इन उद्देश्यों को प्राप्त करने में सरकारी उद्यमों की सहायता करने तथा ग्रामीण विकास में सरकारी उद्यमों की भूमिका का विस्तार करने के उद्देश्य से की गई है। राष्ट्रीय श्रमिक संस्थान का मुख्य उद्देश्य केन्द्र तथा राज्य स्तरों पर श्रमिक संबंधों के निपटान के लिए आवश्यक तकनीक तथा कुशलता के लिए आवश्यक ज्ञान का प्रसार करना है। चूंकि श्रमिक संस्थान शिक्षा तथा प्रशिक्षण, अनुसंधान संबंधी परामर्श तथा प्रकाशन अन्तर संबधित तथा परस्पर संबद्ध कार्यकलापों से भी संबंधित है। अतः दोनों संस्थानों के कार्य भिन्न-भिन्न हैं ।

औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में वृद्धि होने के बारे में जांच

10227. श्री पी० पी० वेरियासामी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो को कहा गया था कि वह केवल कच्चे रबड़ के मूल्यों के आधार पर ही टायरों और ट्यूबों के मूल्यों में 400 प्रतिशत वृद्धि की जांच करे जिसके परिणामस्वरूप ब्यूरो कोई सिफारिश नहीं कर सका;

(ख) उक्त ब्यूरो के कार्य में नायलोन कोर्ड, कार्बन ब्लैक, सिंथेटिक रबड़ आदि जैसे आदानों के मूल्यों की जांच करने का कार्य भी शामिल न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उपरोक्त मामले में उक्त ब्यूरो द्वारा कोई सम्पूर्ण अध्ययन किया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) विभिन्न आटोमोबाइल टायरों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों द्वारा लिये जा रहे टायरों और ट्यूबों के मूल्यों पर कच्चे माल और अन्य निवेशों की लागतों और मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट देने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से 1 मइ, 1978 को कहा गया था। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार 1977 और मार्च,

1978 में टायर उत्पादक कंपनियों द्वारा प्राकृतिक रबड़, सिन्थेटिक रबड़, कार्बन ब्लैक, काटन फैब्रिक्स, रेयन फैब्रिक्स, नाइलोन फेब्रिक्स तथा बीडवायर जैसी प्रमुख सात प्रकार की कच्ची सामग्री के लिए आंके गए 1977 के औसत मूल्य के भुगतान पर मार्च 1978 में विचार कर लिया गया था। औद्योगिक लागत तया मूल्य ब्यूरो के निष्कर्षों के अनुसार कंपनियों द्वारा मार्च, 1978 के बाद शुद्ध डीलर मूल्यों में की गई वृद्धि रेयन ट्रक टायरों, नायलोन ट्रकटायरों, और ट्रक ट्यूबों के प्रमुख कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि से पर्याप्त रूप से अधिक हैं किन्तु पेसेन्जर टायरों व जीप टायरों के मूल्य में की गई वृद्धि प्रमुख कच्चे माल के मूल्यों में हुई वृद्धि के लगभग समान ही है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि टायर तथा ट्यूब उत्पादकों ने यह स्वीकार किया हैं कि मार्च, 1978 के अन्तिम सप्ताह के आसपास टायरों के मूल्यों में हुई वृद्धि केवल कच्चे माल की कीमतों में हुई वृद्धि के कारण ही नहीं हुई है बल्कि ईंधन, कोयला, बिजली जैसी रूपायित करने वाली वस्तुओं, वेतन तथा मजदूरी की बढ़ी हुई लागतों तथा निर्यात में हुई हानियों पर भी आधारित है। इन कंपनियों ने यह भी बताया है कि कुछ समय से टायरों और ट्यूबों की लाभ-देयता में गिरावट आई है और 1977 में उन्हें हानि उठानी पड़ी है। औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्ययन से यह पता चलता है कि अधिकतर कंपनियों की लाभदेयता में 1977 में पिछले वर्षों की अपेक्षा गिरावट आई है तथा कुछ कंपनियों में 1977 में हानि भी हुई है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजभाषा विभाग में सरकारी निधि का कथित दुरुपयोग

10228. श्री मदन तिवारी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 15 मई, 1978 को कुछ संसद् सदस्यों की ओर से प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें राजभाषा विभाग में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, जातिवाद, चरित्रहीनता तथा सरकारी निधि के दुरुपयोग के बारे में शिकायतें की गयीं थीं;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में उल्लिखित बातें क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री एस० डी० पाटिल**) : (क) व (ख) जी हां, श्रीमान्। 15 मई, 1978 को कुछ संसद सदस्यों की ओर से प्रधान मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया गया था, जिसमें राजभाषा विभाग के कुछ तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पक्षपात आदि के आरोप लगाए गए थे।

(ग) ज्ञापन में लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में तथ्य ज्ञात किए जा रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के बड़े और छोटे एककों कि विकास दर का अनुपाद

10229. श्री राम विलास पासवान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके द्वारा संसद् में पेश किये गये औद्योगिक विकास दर के आंकड़े बड़े उद्योगों पर आधारित हैं ;

(ख) विभिन्न प्रकार के बड़े, छोटे और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के उत्पादन का कुल औद्योगिक उत्पादन के प्रति क्या अनुपात है ;

(ग) उनमें बड़े उद्योग गृहों की कम्पनियों की संख्या कितनी है और कम्पनियों की कुल संख्या के प्रति उनका क्या अनुपात है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) उद्योग मंत्री द्वारा संसद में प्रस्तुत किये गये औद्योगिक विकास दर के आंकड़े औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सचकांक पर आधारित हैं जो सांख्यिकीय विभाग में केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किये जाते हैं। औद्योगिक उत्पादन में प्रति मास होने वाले परिवर्तन का पता लगाने के लिए उपलब्ध यही एक मात्र सरकारी सूचकांक है। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किये गये औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक में 352 उद्योगों के बारे में औद्योगिक आंकड़े शामिल होते हैं। जिनमें से अधिकांश ने निर्मित माल में कम-से-कम 25 लाख रु० के मूल्य का योगदान किया है या 1 करोड़ रु० का उत्पादन किया है इन सूचकांक में कोयला, इस्पात, बिजली, अन्य खनन, खाद्य परिष्करण, धात्विक तथा गैर-धात्विक मशीनरी, परिवहन उपस्कर आदि जैसे क्षेत्रों का उत्पादन शामिल है। सूचकांक में लगभग 60 प्रतिशत भाग उन क्षेत्रों से सम्बन्धित है (जिनमें इस्पात, खनन, बिजली, बस्त्र आदि शामिल हैं) उत्पादन आंकड़ों में और इन वस्तुओं को बनाने में लगे हुए अधिकांश एकक शामिल हैं। सूचकांक के अंतर्गत आने वाले शेष क्षेत्रों के बारे में केवल तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकृत एककों के उत्पादन आंकड़े शामिल हैं और इसमें लघु उद्योग एकक शामिल नहीं हैं क्योंकि लघु एककों के बारे में उत्पादन आंकड़े प्रतिमास के आधार उपलब्ध नहीं हैं। चूंकि सूचकांक में मध्यवर्ती पदार्थों का उत्पादन शामिल है जो बड़े उद्योगों तथा लघु उद्योगों में माल बनाने में इस्तेमाल होता है और सांख्यिकीय विशेषज्ञों के अनुसार विकास दर औद्योगिक क्षेत्र में समग्र रूप से उत्पादन के रुखें बताती है। किन्तु बस्तुओं को छोड़कर जिनमें लघु क्षेत्रीय उत्पादन कुल उत्पादन का प्रमुख अंश होता है (अर्थात क्रोम चमड़ा तथा खालें, जूते आदि कपड़े धोने का साबुन, जिप फासनर्स वैट रजक पदार्थ, रेडियो रिसीवर, साइकिलें, पेंसिल, रंग रोगन तथा वार्निश, बिजली के पंखे आदि)।

(ख) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण 1976-77 के अनन्तिम संक्षिप्त परिणामों के अनुसार वर्ष 1976-77 में पंजीकृत कारखाना क्षेत्र में बड़े, लघु तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सकल उत्पादन का भाग निम्नलिखित है (इन आंकड़ों में गैर-पंजीकृत कारखाने अथवा घरेलू उद्योग शामिल नहीं हैं। यदि इनकों शामिल कर लिया जाये तब कुल उत्पादन में लघु तथा ग्रामीण उद्योगों का भाग लगभग 42 प्रतिशत हो जाएगा। इस संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 9231 दिनांक 2-5-79 का उत्तर देखें।)

		1976-77 में प्रतिशतता का भाग सकल उत्पादन
1.	लघु क्षेत्र (जिनकी पूंजी 10 लाख से कम है)	24.3
2.	बड़े तथा मझौले क्षेत्र (जिनकी पूंजी 10 लाख अथवा उससे अधिक हैं)	75.7
3.	(क) सरकारी क्षेत्र का भाग	22.0
	(ख) संयुक्त क्षेत्र	7.6
	(ग) निजी क्षेत्र	46.6

1976-77 में सकल उत्पादन का योग 34,090 करोड़ रु० है।

*अनन्तिम

(ग) 31 दिसम्बर, 1978 को संयुक्त स्टाक कम्पनियों की कुल संख्या 51477 थी इसमें से बड़े औद्योगिक घरानों की 1034 कम्पनियां एकाधिकार प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम की धारा 26 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं ।

चम्बल नदी जल में रेडियो सक्रियता

10230. श्री लालजी भाई : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटा (राजस्थान) में परमाणु बिजली घर की स्थापना और कार्यकरण के परिणामस्वरूप चम्बल नदी के जल में रेडियो सक्रियता का पता लगा है ;

(ख) यदि हां, तो चम्बल नदी के जल का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को परेशानियों से बचाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (प्रा० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं ।

अच्छी किस्म के बिजली उत्पादक उपकरणों का निर्माण

10231. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :

श्री छवि राम अर्गल :

श्री सुभाष आहूजा :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं कि देश में सरकारी एवं गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा अच्छी किस्म के बिजली उत्पादक उपकरणों का निर्माण किया जाय ;

(ख) क्या यह सच है कि किस्म नियंत्रण न होने के कारण नये बिजली घर अथवा परियोजनाएं अपनी साख खो रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार की उक्त उपकरणों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के बारे में कोई योजना अथवा नीति है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों के निर्माता ग्राहकों के साथ निरन्तर परस्पर सम्पर्क बनाये रखते हैं और किस्म नियंत्रण और सुधार का सुनिश्चय करने के लिये जहां आवश्यक हो, अपने दायित्वों के प्रति जागरुक हैं। बायलरों के सबसे बड़े उत्पादक और बड़ी टर्बाइनों और जनरेटरों के एकमात्र उत्पादक के रूप में बी०एच०ई०एल० ने एक अति प्रसिद्ध विदेशी निर्माता के सहयोग से बायलरों की नई और सुधरी हुई किस्म पहले ही प्रारम्भ कर दी है । इसने 200 से 1000 मे० वाट तक के तापीय टर्बो सेटों के लिये एक दूसरी प्रसिद्ध कम्पनी के साथ सहयोग किया है और इन सेटों में

उन्नत कार्य और गुणवत्ता पैरामीटर होंगे। विक्रेता वस्तुओं, पैंकिंग, संस्थापन और चालू करने के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण के लिए कार्याशाला स्तर पर अपेक्षित अन्य आवश्यक अभ्युपाय भी प्रारम्भ किये जा रहे हैं। गैर-सरकारी क्षेत्र के एकक भी जहां अपेक्षित हो विदेशी तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन सभी अभ्युपायों से विद्युत जनित्रण उपकरणों के निर्माण के संबंध में गुणवत्ता नियंत्रण का सुनिश्चिय हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विद्युत जनित्रण के लिए सभी योजनाओं की योजना आयोग और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा आवश्यकताओं के अनुसार जांच की जाती है। विद्युत जनित्रण उपकरणों की समय पर सप्लाई के लिए निर्माण कार्यक्रम को अंतिम रूप इस प्रकार अंतिमरूप दी गई प्रत्येक योजना के सम्भरण की समयसूची के अनुसार दिया जाता है। विद्युत जनित्रण परियोजनाओं को अपेक्षित गुणवत्ता के उपकरणों की समय पर सप्लाई करने का सुनिश्चय करने के लिए विद्युत जनित्रण उपकरणों के निर्माताओं द्वारा सभी आवश्यक प्रयास किए जाते हैं।

राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिये आरक्षित पदों का भरा जाना

10232. डा० विजय मण्डल : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग) में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित कौटा नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हाल में सुपरिटेंडेंट, एसिस्टेंट और यू०डी०सी० के कुछ पदों को विभागीय उम्मीदवारों से भरा गया है, और यदि हां, तो क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति देने के बारे में ध्यान रखा गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) यह सही नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जनवरी, 1979 से, कार्पोरेशन में अधीक्षक (सुपरिटेंडेन्ट)/सहायक/अवर श्रेणी लिपिक का कोई भी पद नियमित आधार पर नहीं भरा गया है।

(घ) कार्पोरेशन को एक वरिष्ठ सहायक से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अधीक्षक के पद पर अपनी पदोन्नति किए जाने के लिये अनुरोध किया गया है। इस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

विचाराधीन कैदियों के बारे में न्यायालय की कार्यवाही तेज करने के लिए कार्यवाही

10233. प्रो० पी० जी० मावलंकर :

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार समूचे देश में विचाराधीन हजारों कैदियों के बारे में न्यायालय की कार्यवाही तेज करने हेतु कोई कार्यवाही कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) जो विभिन्न कदम उठाए गए हैं उनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं :—

(1) न्यायिक विभाग द्वारा की गई पहल के परिणामस्वरूप और राज्यों में न्यायिक प्रशासन में सुधार लाने के लिए सातवें वित्त आयोग ने 402 अपराध न्यायालय (299 निम्न अपराध न्यायालय और 103 उच्च अपराध न्यायालय) और 136 सिविल न्यायालय (111 निम्न सिविल न्यायालय और 25 उच्च सिविल न्यायालय) और अतिरिक्त पीठासीन अधिकारियों के लिए रिहायशी आवास और भवन निर्माण के लिए लगभग 24 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने के लिए सहमत हुआ है।

(2) विधि आयोग ने, जिससे मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए सुझाव देने का अनुरोध किया गया था विचारण न्यायालयों में विलम्ब और शेष कार्यों के संबंध में अपनी 77वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। क्योंकि आयोग द्वारा की गई अधिकतम सिफारिशों को राज्य सरकार/उच्च न्यायालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है, अतः रिपोर्ट की प्रतिलिपियां उचित कार्रवाई के लिए उन्हें भेज दी गई हैं।

(3) विधि आयोग ने, जिसे जेलों में विचारणाधीन कैदियों का अनावश्यक लम्बी अवधि के लिए नजरबंद रखने का प्रश्न भेजा गया था, जेलों में विचारणाधीन कैदियों की भीड़ के बारे में अपनी 78वीं रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में की गई कुछ सिफारिशें राज्य सरकार/उच्च न्यायालयों के कार्यान्वयन के लिए हैं। भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन से संबंधित अन्य सिफारिशों पर राज्य सरकार के साथ परामर्श से विचार किया जा रहा है।

(4) विचारणाधीन कैदियों और जमानत मंजूर करने संबंधी उपबंधों में संशोधन करने संबंधी कुछ अन्य प्रस्तावों पर भी राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना

10234. श्री गंगा भक्त सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1979 तक एक वर्ष की अवधि में सरकार के ध्यान में ऐसे कितने मामले आये हैं जिनमें दिल्ली/नई दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के बारे में शिकायतें की गई हैं; और

(ख) क्या ऐसे मामलों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) 1-5-1978 से 30-4-1979 के बीच की अवधि में दिल्ली पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के 61 मामले दर्ज किये गये।

(ख) उक्त अवधि में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने के लिए गिरफ्तार किये गये 143 व्यक्तियों में से 67 के चालान (14 को सजा हुई और 53 न्यायालय में अनिर्णीत हैं) किये गये, 76 व्यक्तियों के मामले जांच-पड़ताल के लिए लम्बित हैं।

दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम में अधिकारियों को प्रत्यावर्तित किया जाना

10235. श्री पीयूष तिरकी :
श्री श्याम लाल धुर्वे :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1976-77 में पदोन्नत किए गए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के कुछ कर्मचारियों को ई०पी०आई० पद्धति अपनाते हुए नियमित वेतनमान देने के स्थान पर निर्धारित मूल वेतन दिया गया था;

(ख) क्या दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के निदेशक मंडल ने जून 1978 को हुई अपनी बैठक में यह निर्णय किया था कि ई०पी०आई० पद्धति समाप्त की जानी चाहिए और अधिकारियों को अनवरत वेतनमान दिया जाना चाहिए जो उसी श्रेणी के पदों को दिया जाता है;

(ग) क्या यह निर्णय दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्धकों पर बाध्य था;

(घ) यदि हां, तो कुछ अधिकारियों को प्रत्यावर्तित करके बहुत कम वेतनमान देने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इस प्रकार प्रत्यावर्तित कुछ अधिकारियों को उनके कनिष्ठों से नीचे रखा गया;

(च) यदि हां, तो इस विसंगति को अब तक दुर न करने के क्या कारण हैं ; और

(छ) दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबंधकों द्वारा बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल वे ही वेतनमान निश्चित किये गये थे जिनके ई०पी०आई० पद्धति के अन्तर्गत उन्हें पदोन्नत किया गया था ।

(ङ) जी, हां । ऐसा केवल दो कर्मचारियों के मामले में हुआ जहां उनके कनिष्टों की, उसी बीच उच्च पदों पर पदोन्नति कर दी गई थी ।

(च) तथा (छ) डी०सी०आई०डो०सी० के प्रबंधक वर्ग द्वारा सुधार के उपाय आरम्भ कर दिये गये हैं । स्वीकृत पदों पर कर्मचारियों के समायोजन की प्रक्रिया अभी विचाराधीन है ।

साम्प्रदायिक दंगे

10236. श्री सी० के० जाफर शरीफ :

श्री जी० वाई० कृष्णन् :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छह महीनों में किन नगरों में साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) इन साम्प्रदायिक दंगों के कारण जान तथा माल को हुई हानि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि ये व्यक्ति किन्हीं राजनैतिक दलों अथवा संगठनों से संबद्ध पाये गए हैं, तो उनके नाम क्या हैं तथा यदि इन पार्टियों अथवा संगठनों में ये व्यक्ति किन्हीं पदों पर थे, तो उनके नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

(क) एक लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची जहां 1-10-1978 से 31-3-1979 तक की अवधि में साम्प्रदायिक घटनायें हुईं ।

आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद, निजामाबाद
बिहार	भागलपुर
गुजरात	बड़ौदा
जम्मू व कश्मीर	श्रीनगर
कर्नाटक	मैसूर
मध्य प्रदेश	भोपाल, जबलपुर और रतलाम
महाराष्ट्र	अहमदनगर, नान्देड़
राजस्थान	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़, कानपुर और वारानसी
दिल्ली	दिल्ली

(ख) इन साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप जान-माल की क्षति के संबंध में ब्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	मरने वालों की संख्या	नष्ट/क्षतिग्रस्त सम्पत्ति का मूल्य
अक्तूबर, 1978	17	9,14,950.00
नवम्बर, 1978	25	2,72,434.00
दिसम्बर, 1978	6	1,29,472.00
जनवरी, 1979	4	3,84,610.00
फरबरी, 1979	2	5,430.00
मार्च, 1979	2	6,72,970.00
कुय	56	23,79,866.00

राष्ट्रगीत

10237. श्री के० प्रधानी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रगीत की ओर दिलाया गया है जिससे 'पंजाब सिंघु' शब्दों का भाव स्पष्ट नहीं होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के स्पष्टीकरण का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) "जनगण, मन" के रूप में ज्ञात शब्दों और संगीत से युक्त रचना को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी, 1950 को अपनाया गया था। सरकार का विचार है कि स्वर्गीय डा० रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा रचित गीत के मूल पाठ में परिवर्तन करने के पर्याप्त कारण नहीं हैं।

विकास-दर

10238. श्री धर्मवीर वशिष्ठ : क्या योजना मंत्री निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पहली पांच पंचवर्षीय योजनाओं में वास्तविक विकास दर क्रमश: 3.8, 3.7, 3.2, 3.5 और 3.2 प्रतिशत रही ;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान विकास दर का क्या औसत रहा ; और

(ग) छठी योजना की शेष अवधि के दौरान संभावित विकास-दर कितनी होगी और इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) माननीय सदस्य द्वारा जो योजनावार वृद्धि दरें उद्धृत की गई हैं उनका अनुमान 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को तैयार करते समय 1977 के अंत में लगाया गया था। उसके बाद केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन

द्वारा राष्ट्रीय आय के अनुमानों को परिशोधित और अद्यतन किया गया है। हाल ही में (जनवरी, 1979 में) जारी किए गए उनके श्वेत पत्र के अनुसार, 1970-71 की कीमतों पर उपादान लागत पर सकल आंतरिक उत्पादन में वार्षिक मिश्र वृद्धि दरें विभिन्न योजनाओं की अवधियों में निम्नलिखित हैं। (पांचवीं पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था और इसलिए वृद्धि दर उक्त योजना के केवल चार वर्ष से सम्बन्धित है। यह अनुमान अनंतिम हैं)।

	वार्षिक मिश्र वृद्धि दर (प्रतिशत)
पहली योजना (1951-52 से 1955-56 तक)	3·5
दूसरी योजना (1956-57 से 1960-61 तक)	4·1
तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66 तक)	2·6
वार्षिक योजनाएं (पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि)	
1966-67	1·0
1967-68	8·7
1968-69	2·7
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74 तक)	3·5
पांचवीं योजना (1974-75 से 1977-78 तक)	4·5

(ख) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के त्वरित अनुमानों के अनुसार, सकल आंतरिक उत्पादन में 1977-78 में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। योजना आयोग ने 1978-79 में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।

(ग) छठी योजना में सकल आंतरिक उत्पादन में 4.7 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर का उद्देश्य रखा गया है। 1978-79 की तुलना में 1979-80 में वृद्धि दर के अधिक होने की आशा है। योजना के प्रारूप में छठी योजना (1978-83) के पांच वर्ष में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर के लक्ष्य के आधार पर और वर्तमान प्रवृत्तियों के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर इन वृद्धि दरों का अनुमान लगाया गया है। स्वयं उक्त योजना के प्रारूप में योजना की अवधि के पहले आधे भाग में औसत दर से कम की परिकल्पना की गई थी और बाद के आधे भाग में अधिक दर, संभवतः 5 से 5.5 प्रतिशत के लगभग की परिकल्पना की गई थी।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में जाली पासपोर्ट बनाने वाला गिरोह

10239. श्री पी० ए० संगमा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, विशेषकर आसाम तथा मेघालय में गत कई वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी तथा जाली पासपोर्ट बनाने वाला एक गिरोह कार्य कर रहा है जिसके फलस्वरूप इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बंगलादेश निवासी घुसते चले आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे रोकने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षाएं

10240. श्री राम चरण : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी०एस०एस० ग्रेड-एक के पदों को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों द्वारा श्रेणी I के आरक्षित पदों को भरने के लिये विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षाएं लेने पर विचार कर रहा है;

(ख) तदि नहीं, तो सहायकों, अनुभाग अधिकारियों आदि के ग्रेडों में, जिनमें आरक्षित कोटा अभी तक पूरी तरह नहीं भरा गया है, पदों को भरने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या विभागीय उम्मीदवारों के लिए प्रतियोगात्मक परीक्षाओं को लेने पर विचार किया जा रहा है ; यदि हां, तो प्रश्नाधीन परीक्षाएं लगभग कितने समय के भीतर ली जायेंगी ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) यह निर्णय किया गया है कि 1977 तथा 1978 की ग्रड I की प्रवर सूचियों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियां केवय इन जातियों से सम्बन्धित अनुभाग अधिकारियों/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' अधिकारियों के लिए ही सीमित विभागीय परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरे जाएंगी, क्योंकि निर्धारित पात्रता की शर्तों को पूरा करने वाला अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजतियों का कोई अनुभाग अधिकारी/केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' का अधिकारी पदोन्नति के लिए विचार के सामान्य क्षेत्र में उपलब्ध नहीं है । सहायकों/अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार आरक्षित रिक्तियों पर पदोन्नति के लिए विचारार्थ उपलब्ध हैं और यह आवश्यक नहीं समझा गया है कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड I में आरक्षित रिक्तयों को भरे जाने के लिए ली जा रही परीक्षा की भांति ही विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा ली जाए ।

चार भारी जल-संयंत्रों की लागत में वृद्धि

10241. श्री जनार्दन पुजारी : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार भारी जल विद्युत संयंत्रों की लागत में बहुत अधिक वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) चार भारी पानी संयंत्रों के निर्माण पर आने वाली लागत में वृद्धि होने के मुख्य कारण हैं : मुद्रा-विनिमय की दर में परिवर्तन होना, सीमा-शुल्क की दरों का बढ़ जाना, तेल के मूल्य में वृद्धि होने के फलस्वरूप समुद्री जहाजों के भाड़े का बढ़ा दिया जाना, और संयंत्रों में निरीक्षण-कार्य हेतु आऐ हुए विदेशियों पर संयंत्रों को लगाने तथा चालू करने के लिए निर्धारित

अवधि के बढ़ जाने के फलस्वरूप अधिक व्यय होना, मजदूरी तथा स्वदेशी और आयात की जाने वाली दोनों ही प्रकार की सामग्री के मूल्यों में वृद्धि होना। इसके अलावा, तलचर में निर्माणाधीन भारी पानी संयंत्र के जो दो टावर समुद्र में गिर गए थे उनकी जगह नए टावर प्राप्त करने पर आया अतिरिक्त खर्च, भारी पानी संयंत्र बड़ौदा में दुर्घटना के फलस्वरूप हुई क्षति को दूर करने/मरम्मत करने पर आया खर्च, कनाडा की सरकार द्वारा सामग्री देने पर लगाई गई पाबन्दी के कारण कोटा के भारी पानी संयंत्र के कुछ महत्वपूर्ण सामान के बड़े आर्डरों का रद्द हो जाना तथा बाद में ऐसे सामान के लिए अन्य सप्लायरों को ज्यादा मूल्यों पर नए आर्डर देना भी ऐसे कारण हैं जिनसे इन संयंत्रों पर आने वाली लागत में वृद्धि हो गई है।

सीमा सुरक्षा बल अधिकारियों की पदोन्नतियां

10242. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल में अधिकारियों का एक वर्ग संगठन पर भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के बढ़ते प्रभाव के कारण चिन्तित है;

(ख) क्या ये अधिकारी, जिनमें से अधिकतर बल में सीधी भर्ती द्वारा आए हैं, अथवा सेना में एमरजेंसी कमीशन से निवृत्त होने के पश्चात् लिये गये हैं पदोन्नति के उचित अवसरों से वंचित रखे जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों के बारे में ब्यौरा क्या है और सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों का एक बड़ा वर्ग सेना से मुक्त किये गये एमरजेंसी कमीशन अधिकारियों के पद से लिया गया है। अधिकारियों को पदोन्नति के उचित अवसरों से वंचित नहीं किया गया है। इसके विपरीत सीमा सुरक्षा बल में, मुक्त एमरजेंसी कमीशन अधिकारी उन एमरजेंसी कमीशन अधिकारियों से अधिक शीघ्र पदोन्नति प्राप्त करते हैं जिन्हें स्थल सेना में नियमित कमीशन मिले हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मिलों को दिये जाने वाले ऋणों को इक्विटी में बदलना

10243. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन मिलों को दिये जाने वाले ऋणों को इक्विटी में बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्तमान में राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों को दिये गये ऋणों को इक्विटी में बदलने का सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा अध्यापक स्टाफ की भर्ती

10244. **श्री ब्रजराज सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार ने अध्यापक स्टाफ की भर्ती के लिए जून, 1977 और जून, 1978 में विज्ञापन दिया था ;

(ख) क्या अध्यापक स्टाफ को वे यथोचित सुविधाएं दी जा रही हैं जिनका विज्ञापन में उल्लेख किया गया था ; और

(ग) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मिलिटेड में काम कर रहे सभी अध्यापकों को सभी अनुषंगी लाभ दिये गये है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) हरिद्वार स्थित बी०एच०ई०एल० बस्ती में शिक्षा संस्थाओं का प्रबंध स्वायत्तशासी निकायों द्वारा किया जाता है तथा सीधे बी०एच०ई०एल० द्वारा नहीं । अतः इन संस्थानों में अध्यापन स्टाफ को बी०एच०ई० एल० द्वारा सुविधा तथा अनुषंगी लाभ प्रदान करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

कपड़े के मूल्यों में कमी

10245. **श्री चित्त बसु** : क्या **उद्योग** मंत्री अनियमित कपड़े के मूल्यों में वृद्धि के बारे में 11 अप्रैल, 1979 के तारांकित प्रश्न संख्या 685 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन काटन मिल्स फेडरेशन इस बीच सरकार द्वारा दिए गए परामर्श के अनुसार कपड़े और धागे के मूल्य कम करने पर सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी कटौती की जायेगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो कपड़े के मूल्य में कमी लाने के लिए सरकार का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) यह विषय अभी विचाराधीन है । अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है ।

स्टाफ कैंटीन के लिये राज सहायता

10246. **श्री ईश्वर चौधरी** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में चल रही स्टाफ कैन्टीनों को कोई राज सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो उनको राज सहायता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाया जा रहा है ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार के उन कार्यालयों के नाम क्या हैं जिन्हें कोई राज सहायता नहीं दीं जा रही है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान। विभागीय स्तर पर अथवा सहकारिता के आधार पर चल रही कैंन्टीनों को सरकारी सहायता देने का प्रावधान है।

(ख) विभागीय/सहकारी कैंन्टीनों को सरकारी सहायता उस मंत्रालय/विभाग/कार्यालय, जिसके लिए कैंन्टीन स्थापित की गई है, में कार्यरत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की संख्या के आधार पर दी जाती है।

ऐसे टिफिन रूम/कैन्टीनों को, जो 25 से 99 व्यक्तियों वाले कार्यालयों के लिये होती हैं, उनके कर्मचारियों को मजदूरी के आधार पर 100% सरकारी सहायता दी जाती है और जो 100 अथवा उससे अधिक व्यक्तियों वाले कार्यालयों के लिए होती हैं उन्हें उनके कर्मचारियों को मजदूरी के आधार पर 70% सरकारी सहायता दी जाती है।

(ग) सरकारी सहायता गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सामान्य अनुदेशों के आधार पर संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा दी जाती है। किसी विभागीय/सहकारी कैन्टीन को किसी प्रकार की सहायता न मिलने का कोई मामला गृह मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है।

सरकारी क्षेत्र के एककों में बजाज और प्रिया स्कूटरों का उत्पादन

10247. डा० मुरली मनोहर जोशी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बजाज और प्रिया स्कूटरों के लिये कितने समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के एककों में इन ब्रान्डों के स्कूटर बनाये जाने की अनुमति देने का है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमति आभा माईति) : (क) इन स्कूटरों के लिए प्रतीक्षा की अवधि अपेक्षाकृत लम्बी है। इस प्रकार प्रतीक्षा अवधि को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह बुक किए गए क्रयादेशों के तैथिक क्रम और उत्पादन पर निर्भर करता है जिसमें विस्तार योजना का कार्यान्वियन भी शामिल है जिसे सरकार ने मंजूर कर दिया है।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का संगठन—स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड—और कुछ राज्यों में इसके उप-लाइसेंसधारी तथा अन्य एकक स्कूटरों का निर्माण कर रहे हैं। स्कूटर्स इण्डिया द्वारा निर्मित स्कूटर अनेक बातों में तुलनीय हैं और एक बढ़ते हुए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में इनके निर्यात कीसम्भावनाएं भी हैं। सरकारी क्षेत्र के इस उपक्रम ने निरन्तर और प्रगामी सुधारों की एक प्रक्रिया भी स्थापित की है।

आसूचना व्यवस्था का कार्यकरण

10248. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में सरकार की आसूचना व्यवस्था विभिन्न गलतियों के लिये जिम्मेदार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भविष्य में ऐसी गलतियां न हों, इसके लिये, विशेषकर भर्ती संबंधी प्रक्रिया और उसके कार्यकरण तथा आंतरिक संगठन में उपयुक्त रूप से संशोधन करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) हाल ही में आसूचना ब्यूरो की ओर से केवल एक भूल हुई है और वह श्री जय प्रकाश नारायण की मृत्यु के संबंध में गलत समाचार के प्रसार से संबंधित है ।

(ग) सभी संबंधिय अधिकारियों से ऐसे मामलों में अति सावधानी बरतने की आवश्यकता पर बल देने के लिये पुनः कहा गया है।

राजस्थान के चुरू और नागौर जिलों का औद्योगिक विकास

10249. **श्री दौलत राम सारण :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चुरू और नागौर जिलों के औद्योगिक विकास के लिये सरकार द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन जिलों में नमक, जिपसम, ऊन, चमड़ा, आस्थियां आदि जैसा कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और वहां के अधिकांश लोग बेरोजगार और आंशिक रोजगार प्राप्त हैं; और

(ग) क्या इस क्षेत्र में बिजली का प्रयोग करके रेत, मिट्टी और चूने को मिलाकर तथा उसको दबाकर ईंट बनाने की बहुत अधिक गुंजाइश है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) इन दोनों जिलों में जुलाई 1978 से ही जिला उद्योग केन्द्रों ने काम करना प्रारम्भ कर दिया है । दोनों जिलों में उनकी औद्योगिक संभाव्यता का पता लगाने की दृष्टि से एक सर्वेक्षण किया गया है तथा संबंधित रिपोर्टों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है । इसके अतिरिक्त राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम नागौर जिले में मकराना और मेड़ता में तथा चुरु जिले में सादुलपुर, बिंदासर तथा श्री डूंगरगढ़ में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कर रहा है । राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा चुरु तथा सुजानगढ़ के अन्य क्षेत्रों में भी विकास कार्य हाथ में लिया जा रहा है ।

(ख) ये कच्चे माल दोनों ही जिलों में मिलते हैं किन्तु जिप्सम केवल नागौर में ही मिलता है । जहां तक इन जिलों में बेरोजगारी तथा अर्ध-रोजगार का संबंध है, यह कथनीय है कि यह समस्या खास इन दोनों जिलों में ही हो मात्र यह तो नहीं है ।

(ग) राजस्थान राज्य औद्योगिक तथा खनिज विकास निगम द्वारा श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में रेत चूने (सेन्ड लाइम) की ईंट बनाने की एक परियोजना संर्वधित करने की संभावनाओं की खोज की जा रही है ।

सीमेंट के मूल्यों के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद का सुझाव

10250. **श्री अनन्त दवे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय व्यावहारिक अनुसंधान परिषद ने सीमेंट के मूल्यों का अध्ययन किया

है और देश के सीमेंट कारखानों के लिए समायोजित औसत मूल्यों अथवा विभेदकारी मूल्यों को लागू करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में मूल्य तत्व और सीमेंट के उत्पादन के बारे में राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद की अन्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार का इन सुझावों को किस सीमा तक स्वीकार करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क), (ख) तथा (ग) राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान परिषद ने सीमेंट निर्माता संघ, जो सीमेंट उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक उपयुक्त निकाय है, के कहने पर सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया नामक एक प्रकाशन निकाला था। परिषद का यह एक समूल्य प्रकाशन है तथा इस प्रकार यह आसानी से प्राप्त होने वाला एक दस्तावेज है।

सीमेंट उद्योग की व्यापकी समीक्षा करने के लिए औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सरकार ने अप्रैल, 1978 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की थी। सीमेंट की लागत तथा मूल्यों से संबंधित समिति की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय 3-5-1979 को संसद में घोषित कर दिए गए थे।

वर्ष 1978-79 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उत्पादन का लक्ष्य

10251. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से कम था;

(ख) यदि हां, तो जो उत्पादन हुआ उसकी तुलना में 1978-79 के लिए कितने करोड़ रुपये के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था;

(ग) उत्पादन में कमी होने के क्या कारण हैं तथा क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने अपने संयंत्रों के निर्यात के लिए अन्य देशों से कोई समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके अन्तर्गत कितने मूल्य के संयंत्रों का निर्यात किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1978-79 के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। किन्तु, ऐसा अनुमान है कि 1978-79 में 628 करोड़ रुपये मूल्य का उत्पादन होने की संभावना है, जबकि लक्ष्य 650 करोड़ रुपये का है।

(ग) लक्ष्य की तुलना में उत्पादन में मामूली सी गिरावट मुख्य रूप से आयात तथा देशी दोनों ही स्रोतों से समय पर महत्वपूर्ण कच्चे माल और हिस्से पुर्जों को प्राप्त करने में कठिनाइयों और पत्तनों पर भीड़भाड़ होने के कारण आई थी।

उपकरणों के निर्यात के लिए बी०एच०ई०एल० ने विदेशी पार्टियों के साथ करार भी किए हैं।

(घ) वर्ष 1978-79 की समाप्ति पर निर्यात क्रयादेशों का कुल मूल्य लगभग 83.00 करोड़ रुपये था।

आदिवासी विकास परियोजना कार्यक्रम

10252. श्री बागुन सुम्बरूई : क्या गृह मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखेंगे कि :

(क) उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं जिन्होंने आदिवासी विकास परियोजना कार्यक्रम तैयार किये हैं;

(ख) इनमें से कितने कार्यक्रम राज्य सरकारों के मंत्रालय की स्वीकृति देने वाली समिति को भेजे हैं; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कंपनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंदमान और निकोबार द्वीप समूह और गोवा, दमन और द्वीप राज्यों ने आदिवासी विकास परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली हैं ।

(ख) और (ग) पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि के संबंध में ऐसी 129 रिपोर्टें भारत सरकार को भेज दी गई हैं और इन रिपोर्टों का सामान्यतः अनुमोदन कर दिया गया है ।

चोपड़ा बच्चों के अपहरण और हत्या की जाँच में दिल्ली पुलिस की भूमिका

10253. श्री ओ० वी अलगेशन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान अतिरिक्त जिला तथा सत्र न्यायाधीश, दिल्ली द्वारा दो चौपड़ा बच्चों के अपहरण और हत्या से सम्बन्धित सनसनीखेज मामले की जांच में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा निभाई गई भूमिका के बारे में की गई टिप्पणियों की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान । सरकार को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दिखाई गई कार्यकुशलता की न्यायालय द्वारा की गई सराहना के बारे में जानकारी है। तदनुसार जांच करने वाले कर्मचारियों को प्रसंस्ति पत्र, नकद पुरस्कार दिल्ली प्रशासन द्वारा दिये गये हैं ।

गुजरात में लघु उद्योगों का बन्द होना

10254. श्री अमर सिंह वी राठवा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्न में लघु उद्योग जोकि कोयला तथा इस्पात उद्योगों के सहायक उद्योग हैं ; कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण बन्द हो जाने की स्थिति में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का लघु उद्योगों की इस सम्बन्ध में सहायता करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) कच्चे माल के उपलब्ध न होने के कारण गुजरात सरकार ने कोयला तथा इस्पात उद्योगों के किसी भी सहायक उद्योग के बन्द हो जाने की सूचना नहीं दी है । किन्तु ऐसी सूचना मिली है कि कोयला तथा इस्पात इस्तेमाल करने वाले एकक अपनी आवश्यकता के पूरे कच्चे माल को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं ।

(ख) लघु उद्योगों को आवंटन तथा प्रेषण बढ़ाने के लिए इस्पात तथा खान मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय से इस सम्बन्ध में सम्पर्क किया जा रहा है । लघु उद्योग निगमों को भी मूलभूत कच्चे माल के वितरण में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है ।

नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े का उत्पादन

10255. श्री एम० कल्याण सुन्दरम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी कपड़ा मिलों के लिये नियंत्रित मूल्य वाले कपड़े के उत्पादन की अनिवार्यता को फिर से लागू करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और उसके कारण क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संसद् सदस्यों द्वारा भेजे गये बिहार में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचार के मामले

10256. श्री ए० के० राय : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और पश्चिम बंगाल में हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों के कितने मामले संसद् सदस्यों ने वर्ष 1978-79 के दौरान मंत्रियों को भेजे ;

(ख) कितने मामलों से अन्तिम उत्तर दे दिया गया है और इसके विस्तार से तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश मामलों में मामला राज्य सरकार को भेज दिया जाता है और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार कोई अपना ही जांच तंत्र बनायेगी जिसके लिये ऐसे मामलों की जांच उसका संवैधानिक दायित्व होगा ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में 2 मई, 1979 को अतारांकित प्रश्न संख्या 9309 के उत्तर में सदन के पटल पर विवरण रख दिया गया था ।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि अधिकांश मामलों में भारत सरकार बिना परिणाम जाने राज्य सरकार को लिखती रही है । संविधान की सातवीं अनुसूची के अधीन कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण हरिजनों और आदिवासियों पर अत्याचारों से सम्बन्धित शिकायतों पर कार्यवाही सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । इसलिये अत्याचारों के

विषय में संसद् सदस्यों से प्राप्त पत्र भारत सरकार द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने और सीधे सम्बन्धित संसद् सदस्य को परिणाम की सूचना देने के लिये संबंधित राज्य सरकार को भेज दिये जाते हैं। किन्तु अधिक गम्भीर मामलों में भारत सरकार राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगती है और इसकी जांच करने के पश्चात् संसद् सदस्यों को उत्तर भेजा जाता है।

(घ) भारत सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। जैसा कि ऊपर (ग) के उत्तर में पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है, संविधान की सातवीं सूची के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

उद्योगों का समाप्त होना

10258. श्री बलदेव सिंह जसरोटिया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सहकारी आधार पर उद्योगों की वर्तमान समाप्ति दर कितनी है और बी० एस० आई० क्षेत्र में वर्ष 1977 अथवा 1978 के लिए उद्योग क्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) इस समाप्ति दर को रोकने अथवा कम करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपायों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) ऐसे उद्योगों के बारे में पता लगाने के लिए सर्वेक्षण करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को कुछ निर्देश जारी किए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने पूरा होने के बारे में जानकारी दी है और सर्वेक्षण के निष्कर्षों के परिणामस्वरूप उन्होंने क्या विशिष्ट उपाय किए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) 30 जून, 1976 को समाप्त हुए सहकारी वर्ष के लिए सहकारी समितियों के आंकड़ें उपलब्ध हैं। सहकारी समितियों के कार्य की शिथिलता का क्षेत्रवार प्रतिशत नीचे दिया गया है :—

(1)	हथकरघा	44.5
(2)	खादी तथा ग्रामोद्योग	52.6
(3)	लघु उद्योग	44.7
(4)	हस्तशिल्प	50.3
(5)	कयर	35.5
(6)	रेशम	46.8

(ख) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे केन्द्र द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों के आधार पर सहकारिता आंदोलन को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्काल तथा पर्याप्त कदम उठाएं। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों का आवश्यक मार्गदर्शन एवं नेतृत्व करने तथा ग्रामीण और लघु उद्योगों में औद्योगिक सहकारी समितियों का तेजी से विकास करने के लिए अभ्युपाय सुझाने हेतु उद्योग राज्य मन्त्री की अध्यक्षता में औद्योगिक सहकारी समितियों की एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति का गठन किया गया है। औद्योगिक सहकारी

समितियों को उनके उत्पादों का विपणन करने तथा अन्य कार्यकलापों के लिए सहायता करने हेतु औद्योगिक सहकारी समितियों के एक राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई है।

(ग) जी, हां।

(घ) मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर एवं नागालैंड की राज्य सरकारों ने ऐसे उद्योगों का पता लगाने सम्बन्धी सर्वेक्षणों का कार्य पूरा कर लिया है। राज्य सरकारें निम्नलिखित पद्धतियों पर सुधारात्तक अभ्युपाय कर रही हैं :—

(1) राज्य सरकारों द्वारा शेयर पूंजी में अंशदान।

(2) कार्यशील पूंजी के लिए ऋण तथा शेयरों की खरीद।

(3) ब्याज में राज सहायता।

(4) प्रबन्धकीय सहायता।

अवर श्रेणी लिपिकों (एल०डी०सी०) की पदोन्नतियां

10259. श्री शिवनारायण सरसूनिया : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम कर रहे अवर श्रेणी लिपिकों को 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर भी अगले ग्रेड में पदोन्नत नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो विभाग वार ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऐसे लिपिकों में असंतोष है ; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या नीति है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा एक विकेन्द्रीकृत सेवा है। कुछ संवर्ग ऐसे हैं जिनमें ऐसे अवर श्रेणी लिपिक हैं जिन्हें अपने ग्रेड में 20 वर्ष की सेवा पूरी कर लेने पर भी अभी तक उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नत नहीं किया गया है। ऐसे लिपिकों की संख्या के बारे में सूचना मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह प्राप्त हो जाएगी इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

(ग) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग को विभागीय परिषद का कर्मचारी पक्ष यह अभ्यावेदन कर रहा है कि ऐसे लिपिकों में निराशा व्याप्त है।

(घ) गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से भारत सरकार ने प्रत्येक मंत्रालय के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड की स्वीकृत पद-संख्या के 10% का एक सेलेक्शन ग्रेड 14 मार्च, 1977 से स्वीकृत कर दिया है और इससे बड़ी संख्या में ऐसे अवर श्रेणी लिपिकों को लाभ हुआ है, जिनकी उक्त ग्रेड में 20 वर्ष से अधिक की सेवा हो गई है।

माचिस की लकड़ी का संकट

10260. श्री मुकुन्द मंडल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के माचिस उद्योग में माचिस की लकड़ी का कोई संकट चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ,

(ग) गत वर्ष माचिस की लकड़ी की कितनी आवश्यकता थी और इसकी उपलब्धता कितनी थी ;

(घ) क्या सरकार इसके बारे में किन्हीं विकल्पों पर विचार कर रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो पूरे तथ्य क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) देश में माचिस की डिब्बियों तथा तीलियां बनाने के लिए उपयुक्त लकड़ी की कमी है ।

(ग) मोटे तौर पर लगाए गए अनुमान के अनुसार 1978 में उद्योग की नरम लकड़ी की आवश्यकता 5,12,000 सेन्टीमीटर थी जबकि इसकी उपलब्धता 5,00,000 सेन्टीमीटर थी ।

(घ) और (ङ) दियासलाई उद्योग को कच्चे माल के संभरण से सम्बन्धित कठिनाइयों की जांच करने तथा स्थिति में सुधार लाने के लिए उपायों की सिफारिश करने हेतु दियासलाई उद्योग के लिए कृषि विभाग के अधीन एक विकास समिति गठित की गई है । दियासलाई उद्योग के लिए अपेक्षित लकड़ी की कमी को कम करने हेतु सुझाये गए कुछ अभ्युपाय दियासलाई की लकड़ी तत्काल उत्पन्न करने के लिए चिनार के पेड़ लगाने, लकड़ी के डिब्बियों के स्थान पर गत्ते की डिबियां बनाने व लकड़ी की तीलियों के स्थान पर मोम से सलाई बनाने के बारे में है ।

दिल्ली में जाली पासपोर्ट का गिरोह

10261. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अलूरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जाली पासपोर्ट के गिरोह का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) (क) और (ख) जी हां, श्रीमान् । दिल्ली पुलिस ने जुलाई, 1978 में तीन इतालवी राष्ट्रिकों द्वारा किए गए एक जाली विदेशी पासपोर्ट घोटाले का पता लगाया था । इनका प्रयोग पुलिस में यह रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद कि मूल गुम हो गया है, बैंकों से दोहरे ट्रैवलर चैक प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था। तीन विदेशी राष्ट्रिक 26-7-1978 को गिरफ्तार किए गए थे और उनके विरुद्ध मामले दर्ज कराए गए थे ।

सीमेंट कारखानों का बन्द होना

10262. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अभी हाल ही में उन्होंने लखनऊ में बताया था कि कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के दो सीमेंट कारखानों सहित ग्यारह कारखाने बन्द रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो जो सीमेंट कारखाने बन्द रहे हैं अनके नाम तथा अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) ये कारखाने कितने समय से बन्द पड़े हैं ;

(घ) उत्पादन में अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ङ) उनको पुनः खुलवाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जी, हां। यह सच है कि अनेक सीमेंट संयन्त्रों ने कोयले के कम संभरण के कारण भट्टे बन्द हो जाने की जानकारी दी है।

विभिन्न सीमेंट संयन्त्रों ने अप्रैल, 1979 माह की जिन तिथियों को भट्टे बन्द होने की सूचना दी है वे निम्न प्रकार है :—

कारखाना का नाम	अप्रैल, 1979 में जिस तिथि को भट्टा बन्द होने की जानकारी दी गई।
1	2
उत्तर	
भूपेन्द्र	5, 10
चित्तौरगढ़	7
चुर्क	*4, 3 से 13**
डाल्ला	9 से 12
डालमिया दादरी	7, 9
लाखेरी	3, 28
निमबाहेरा	30
स्वाई माधोपुर	6
पूर्व	
बानजारी	12
चायबासा	7
जापला	4, 5
राजनंगपुर	24, 26
रोहतास	6
पश्चिम	
बानमोर	9
दावरका	6
जामूल	25
पोरबन्दर	17

*4 में से तीन भट्टे बन्द हो गए थे।

**4 में से 2 भट्टे बन्द हो गए थे।

1	2
सेवालय	9
सिक्का	25, 26, 27, 28
दक्षिण	
अमसन्दरा	3, 6, 10, 24, 26, 27, 28
डालमयपुरम	7
किस्तना	9
विजयवाड़ा	5

इस समय उन तिथियों की जानकारी उपलब्ध नहीं है जिन तिथियों को ये भट्टे चेताए गए थे।

(घ) किसी एक वजह से उत्पादन में हुई हानि का निश्चित अनुमान लगा पाना काफी कठिन है। वस्तुतः कोयले, बिजली तथा रेलवे वैग्नों की कमी, तकनीकी खराबी व श्रमिक अशांति आदि जैसे अनेक कारणों से उत्पादन में कमी आती है। उपर्युक्त कारणों में से प्रत्येक कारण की वजह से उत्पादन में हुई हानि की अलग-अलग जानकारी देना संभव नहीं है। फिर भी यह सच है कि इस समय कोयले के कम संभरण के फलस्वरूप सीमेंट के उत्पादन में काफी मात्रा में कमी हुई है।

(ङ) मामले की निरन्तर संवीक्षा की जा रही है तथा विभिन्न सीमेंट संयंत्रों को किए जाने वाले कोयले के संभरण में सुधार लाने हेतु तकरीबन प्रतिदिन रेलवे के साथ बैठकें की जा रही हैं। रेलवे से अनुरोध किया गया है कि वह गम्भीर संभरण स्थिति का सामना कर रहे संयंत्रों को वरीयता के आधार पर कोयले का संभरण करें। कुल संभरण स्थिति में सुधार लाने हेतु उच्च स्तर पर भी बातचीत की जा रही है।

आसाम और नागालैंड के बीच सीमा विवाद

10263. श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में गृह मंत्री और आसाम तथा नागालैंड के मुख्य मन्त्रियों के बीच केन्द्रीय गृह मन्त्री के कहने पर और उनकी मध्यस्था में राज्य की सीमा के बारे में विवादों को दूर करने के लिए अनेक सम्मेलन हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार किए गए समझौते के निर्देश पदों सहित समूचे विषय का एक विस्तृत विवरण लोक सभा के पटल पर रखेगी और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) गृह मन्त्री ने अन्तर राज्य सीमा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार-विमर्श करने के लिए असम और नागालैंड के राज्यपाल और असम व नागालैंड के मुख्य मन्त्रियों के साथ 10 और 11 अप्रैल, 1979 को नई दिल्ली में एक बैठक की थी।

मुख्य मन्त्री 28-1-79 को शिलांग में हुए अपने विचार-विमर्श के दौरान निर्धारित किए गए प्रबन्धों को सही अर्थों में कार्य रूप देने के लिए सहमत थे। सहमति प्राप्त निष्कर्षों में महत्वपूर्ण निष्कर्ष इस प्रकार थे :—

(1) कर्फ्यू, तलाशियों, गिरफ्तारियों इत्यादि के रूप में सामान्य स्थिति कायम करने के रास्ते में जो रुकावटें हैं उन्हें शीघ्र दूर किया जाए।

(2) पुलिस आयुक्त/उप महानिरीक्षक के स्तर से नीचे के स्तर तक दोनों राज्यों के सम्बन्धित अधिकारी एक दूसरे से प्रायः मिलते रहे।

(3) इन क्षेत्रों में न तो नए लोगों को बसाने की अनुमति दी जाए और न नए अतिक्रमण होने दिए जाएं।

(4) इन क्षेत्रों में रहने वाले तथा भूमि जोतने वाले सभी व्यक्तियों की गणना की जाए।

(5) वन काटने के नए कार्यों को रोकने के लिए वनों के नक्शे भी तैयार किए जाएं।

(6) इस क्षेत्र में सड़कों के सुधार और मरम्मत पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

(7) दोनों राज्यों के स्थानीय अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाए रखने और समस्याओं का पता लगाने में उनकी सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार का एक वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

(8) मुख्य मन्त्री इस बात पर भी सहमत थे कि भूतपूर्व सलाहकार श्री के० वी० के० सुन्द्रम द्वारा किए गए समस्या के अध्ययन के संदर्भ में सीमा विवाद पर अपने-अपने मतभेदों का पता लगाया जाए और जहां तक संभव हो परस्पर स्वीकार हल निकाला जाए।

तनजानिया से रूई का आयात

10264. श्री डी० डी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम ने तनजानिया से वर्ष 1977-78 में रूई आयात करने के लिये वर्ष 1976-77 में अनुबन्ध किया था यद्यपि उस समय वर्ष 1977-78 की फसल की स्थिति ज्ञात नहीं थी;

(ख) क्या ये खरीद उस समय चल रहे अधिकतम मूल्यों पर की गयी;

(ग) क्या भारतीय रूई निगम ने इस रूई को फिर तनजानिया में ही बेचा और भारी घाटा हुआ; और

(घ) क्या इस प्रकार के संदिग्ध सौदे के लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (घ) तंजानियन कपास के आयात के लिए मई, 1977 में (1977-78 की फसल की मात्रा पता लगने से काफी पूर्व) संविदा कपास की भारी कमी होने की विद्यमान स्थिति तथा मूल्य अधिक बढ़ने की स्थिति से निपटने के लिए कपास की 14 लाख गांठो का आयात करने हेतु कपास निगम को दी गई

समग्र अनुमति के एक अंग के रूप में संविदा की गई थी। निविदाओं के प्रत्युत्तर में तंजानियन कपास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत किए गए निरखनामों के आधार पर आयात के लिए अनुबंध किया गया था तथा इसकी दर तंजानियन आरक्षित मूल्य से 0.5 अमरीकी सेन्ट प्रति पौण्ड अधिक तथा लीवरपूल के उस अवधि के सूचकांक मूल्य से बहुत कम थी। जहाज से अनुबन्धित कपास के भारत में आने के समय तक, देशी कपास की स्थिति ने मोड़ लिया जिससे देश के बाजार में कपास के मूल्य घटने शुरू हो गये थे। देश के बाजार में कपास प्राप्त करने व बेचने पर होने वाली हानि के मुकाबले फिर से बेचने की इस प्रकार की निरन्तर होने वाली तुलनात्मक हानि को ध्यान में रखने के पश्चात भारतीय कपास निगम (सी०सी०आई०) बोर्ड द्वारा विचार किये जाने के बाद लिये गये निर्णय के परिणामस्वरूप तंजानियन कपास को फिर से बेचना पड़ा। वास्तव में यह निर्णय लेने के परिणामस्वरूप भारतीय कपास निगम भारी हानि उठाने से बच गया था। अतः सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

हथकरघा क्षेत्र के लिये कपड़ों का आरक्षण

10265. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ कपड़ों के उत्पादन को केवल हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित करने की व्यवस्था पर ध्यान दिया है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी रिपोर्ट मिली है कि शक्तिचालित क्षेत्र द्वारा आरक्षण आदेशों का बड़े पैमाने पर उल्लधंन किया जा रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार के वस्त्र आयुक्त द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और इन आदेशों को लागू करने के लिए राज्य सरकार को भेजे गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां। केवल हथकरघा क्षेत्र में उत्पादन किये जाने के लिए सूती वस्त्रों की कुछ वस्तुओं को उपयुक्त रूप से आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

(ख) समय-समय पर आरक्षण आदेशों का उल्लंघन होने के समाचार मिले हैं।

(ग) प्रत्येक राज्य सरकार को आरक्षण आदेशों के प्रवर्त्तन के लिए शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जिनका प्रयोग राज्य सरकार के उन उपयुक्त अधिकारियों द्वारा किया जाता है, जो हथकरघा आरक्षण आदेशों का उल्लघंन करने वाले विद्युत चालित करघों के विरुद्ध समय-समय पर कार्रवाई करते हैं। जिन विद्युत चालित करघों के खिलाफ हथकरघा आरक्षण आदेशों का उल्लंघन करने के बारे में अपराध सिद्ध हो जाता है उन पर जुर्माने किये जाते हैं। किन्तु, व्यवहारयतः, अधिकांश राज्यों में विद्युतचालित करघा एककों ने इन आदेशों का कार्यान्वियन स्थगित करने के लिए उपयुक्त न्यायालयों से व्यादेश प्राप्त कर लिये है तथा मामला उपयुक्त न्यायालयों में निर्णयाधीन है। हाल ही में, आरक्षण आदेशों की वैधता को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दाखिल होने की अवस्था में ही निरस्त कर दी गई थी तथा अग्रेतर कार्रवाई के लिए उस निर्णय की एक प्रति प्रतीक्षित है।

मध्य प्रदेश को सीमेंट का कोटा

10266. श्री कचरूलाल हेमराज जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने 1978-79 में मध्य प्रदेश को सीमेंट का कितने मीट्रिक टन कोटा दिया ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश को सीमेंट का निर्धारित कोटा इस बीच सप्लाई किया गया है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और इसकी सप्लाई कब तक की जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 1978-79 में मध्य प्रदेश को नियत किए गए व भेजे गये सीमेंट की स्थिति निम्न प्रकार है

नियतन : 7.95 लाख मी० टन

भेजा गया : 8.35 लाख मी० टन (अनन्तिम)

केरल को सीमेंट का आवंटन

10267. श्री एम० एन० गोविन्दन नायर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल को आवंटित किया गया सीमेंट का कोटा उस राज्य में मांग की पूर्ति के लिये अपर्याप्त है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय आवंटन के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल राज्य सरकार ने कोटा बढ़ाने के लिये मांग की है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां ?

(ख) 1978-79 के दौरान केरल राज्य को तिमाही-वार किया गया सीमेंट का नियतन और प्रेषण निम्नानुसार है :—

(लाख मी० टन में)

तिमाही	मूल आवंटन	तदर्थ आवंटन	कुल	प्रेषण
अप्रैल-जून, 1978	1.62	0.20	1.82	2.03
जुलाई-सितम्बर, 1978	1.83	—	1.83	1.72
अक्तूबर-दिसम्बर, 1978	1.65	0.10*	1.75	1.97
जनवरी-मार्च, 1979	1.83	0.05	1.88	**0.59

* बाढ़ राहत कार्यों के लिए

** केवल जनवरी, 1979 के लिये ।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने जनवरी-मार्च, 1979 की तिमाही में 1 लाख मी० टन के अतिरिक्त आवंटन हेतु अनुरोध किया था । इस तिमाही में, केरल राज्य को 50,000 मी०

टन का अतिरिक्त आवंटन किया गया था। सीमेंट की उपलब्धता में कुछ वृद्धि जो अप्रैल-जून, 1979 की तिमाही में प्रत्याशित है, को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों को 10 प्रतिशत तक आवंटन बढ़ा देने का अनुमान है। तदनुसार केरल राज्य को अप्रैल-जून, 1979 की द्वितीय तिमाही में विद्यमान में किए गए 1,83,000 मी० टन के मुकाबले 2,01,300 मी० टन सीमेंट आबंटित किया जाएगा।

बड़े शहरों के लिए औद्योगिक लाइसेंस न देने के लिये सुझाव

10268. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पांच लाख की आबादी वाले शहरों के लिए औद्योगिक लाइसेंस न देने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) 23 दिसम्बर, 1977 को संसद के समक्ष रखे गये औद्योगिक नीति विवरण के पैराग्राफ 31 में देश में उद्योगों की स्थापना से संबंधित नीति का स्पष्टीकरण किया गया है। यह पैराग्राफ नीचे उद्धृत है :

31. "सरकार देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बहुत अधिक महत्व देती है ताकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तर की असमानताओं को प्रभावी रूप से कम किया जा सके। सरकार ने इस तथ्य को काफी चिन्तापूर्वक देखा है कि हमारे देश में स्वाधीनता प्राप्ति के बाद हुआ अधिकतर औद्योगिक विकास महानगरीय क्षेत्रों और बड़े शहरों के आसपास ही सीमित रहा है। इसके फलस्वरूप लोगों की विशेष करके बड़े शहरों में काम करने वाले वर्ग की रहन-सहन की स्थिति में गिरावट आई है। तथा स्तनों और वातावरण प्रदूषेण आदि की समस्या उग्र हुई है। सरकार ने निश्चय किया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक की आबादी वाले बड़े महानगरों को और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में कुछ निश्चित सीमाओं तक नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये और अधिक लाइसेंस जारी नहीं किए जाने चाहिए। राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों से भी इन क्षेत्रों में उन नये उद्योगों को जिन्हें लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती स्थापित करने में समर्थन न देने का अनुरोध किया जाएगा। भारत सरकार घनी आबादी वाले महानगरों से अनुमोदित पिछड़े क्षेत्रों में अपना उद्योग स्थानान्तरित करने के इच्छुक विद्यमान बड़े उद्योगों को सहायता देने पर भी विचार करेगी।"

भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के सेनानियों को पेंशन

10369. प्रो० समर गुह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों की ओर से स्वाधीनता सेनानी पेंशन के लिए प्राप्त आवेदन-पत्र अभी तक विचाराधीन पड़े हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों पर निर्णय कर लिया गया और शेष विचाराधीन मामलों पर निर्णय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कर्मचारियों से अप्रैल, 1979 तक प्राप्त 29,449 आवेदन-पत्रों में से 14,968 मामलों में पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है और 11,307 आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत कर दिया गया है। 3,174 आवेदन-पत्रों को आवेदकों द्वारा यातनाओं के बारे में किए गये दावों के लिखित सबूत प्राप्त होने पर अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ग) 1977 और 1978 के गत दो वर्षों में 699 मामले स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिन मामलों को समर्थित दस्तावेजी सबूतों के अभाव में अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया हैं उनका स्वीकार्य दस्तावेजी सबूत प्राप्त होने पर पुनरीक्षण किया जाएगा और पात्र मामलों में पेंशन स्वीकृत की जाएगी।

आचार्य रजनीश फाउंडेशन की गतिविधियां

10270. श्री केशवराव धोंडगे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आचार्य रजनीश फाउंडेशन भारत-विरोधी गतिविधियों में संलग्न है;

(ख) क्या फाउंडेशन ने गुजरात में कुछ जमीन खरीदने का निर्णय किया है और किसी व्यक्ति ने आश्रम को एक बंगला दान में दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस बारे में क्या नीति है?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) सरकार के पास कोई सूचना नहीं है कि आचार्य रजनीश फाउंडेशन भारत-विरोधी गतिविधियों में संलग्न है।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार भूमि दान करने का प्रस्ताव बाद में दानदाता द्वारा वापिस ले लिया गया था और गुजरात सरकार रजनीश आश्रम के लिए जिला कूच में कोई भूमि देने की इच्छुक नहीं थी।

(ग) भारत-विरोधी गतिविधियों अथवा अन्य के लिए किसी कानूनी उपबंधों के उल्लंघन की दशा में कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी?

बिहार के पालामऊ जिले में चैनपुर-भंडारिया क्षेत्रों में पाए गए यूरेनियय के निक्षेप

10271. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री शंकर सिंह जी वाघेला :

क्या **परमाणु ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में की गई खोज से बिहार के पालामऊ जिले के चैनपुर-भंडारिया क्षेत्रों में यूरेनियम के भारी निक्षेप पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन निक्षेपों से इसकी कितनी मात्रा उपलब्ध होगी; और

(ग) इससे देश की आवश्यकताओं की कहां तक पूर्ति होगी?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, नहीं।

हाल ही में बिहार राज्य के पालामऊ जिले में किए गए सर्वेक्षण के फलस्वरूप चैनपुर-भंडारिया क्षेत्र में निम्न स्तर की रेडियोसक्रियता पाई गई थी, जो बायोटाइट ग्रेनाइट

की विद्यमानता के कारण थी। नमूनों का विश्लेषण करने से यह पता चला है कि उनमें यूरेनियम की मात्रा बहुत कम है।

(ख) तथा (ग) ये प्रश्न उठते ही नहीं।

पुरकाटिंग और मेरापानी से होकर आसाम में गोलाघाट से नागालैंड में उखा तक सड़क का निर्माण

10272. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर परिषद ने पुरकाटिंग और मेरापानी होकर आसाम में गोलाघाट से नागालैंड में उखा तक सड़क के निर्माण का कार्य आरम्भ करने तथा उसे पूरा करने का निर्णय किया है ;

(ख) परियोजना पर कितनी लागत आने का अनुमान है और कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1978-79 के अन्त तक खर्च की जानी है ; और

(ग) सड़क के कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) पुरकाटिंग और मेरापानी से होकर गोलाघाट उखा सड़क का सुधार कार्य पूर्वोत्तर परिषद की अनुमोदित परियोजना के रूप में किया जा रहा है।

(ख) परियोजना की अनुमानित लागत 367.62 लाख रु० अनुमोदित की गई थी। मार्च, 1979 के अन्त तक, पुलों सहित इस सड़क पर रु० 258.25 लाख का व्यय हुआ है।

(ग) पुरकाटिंग बाई-पास और कुछ उपस्थाई लकड़ी के पुलों के अतिरिक्त रोड का असम का भाग पूरा हो गया है। इनके 1979–80 में पूर्ण होने की सम्भावना है। नागालैंड में पड़ने वाली सड़क का भाग 1981–82 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता दिया जाना

10273. **श्री लालजी भाई** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 मार्च, 1979 की 'राजस्थान पत्रिका' में प्रकाशित समाचार के अनुसार भारत सरकार ने राजस्थान सरकार से कहा है कि वह अनुसूचित जाति के बेरोजगार स्नातकों को 150 रु० और स्नातकोत्तरों को 250 रु० मासिक भत्ता देने की अपनी योजना को संशोधित करे ;

(ख) क्या उन्हें सरकारी विभागों में लाभप्रद काम देने के लिए 5 लाख 26 हजार रुपयों की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फ़जलुर्रहमान) (क) जी, नहीं। योजना आयोग के एक कार्यकारी दल ने राज्य की 1979–80 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श करते समय यह सुझाव दिया था कि राजस्थान सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के बेरोजगार ग्रेजुएटों और पोस्ट-ग्रेजुएटों को वृतिकाएं देने की स्कीम की इस दृष्टि

से समीक्षा करनी चाहिए कि वृत्तिकाओं तथा सरकारी और गैर-सरकारी उद्यमों में प्रशिक्षुता के बीच संबद्धता हो। इस दल ने यह भी सुझाव दिया था कि वृत्तिकाओं की तुलना में उचित दर की दुकानों, वितरण आदि के जरिए स्व-रोजगार सहित रोजगार उत्पन्न करने की स्कीमों को तरजीह दी जाए।

(ख) और (ग) 'अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार ग्रेजुएटों और पोस्ट-ग्रेजुएटों को वृतिकाएं, नामक स्कीम के लिए 1979-80 में 3 लाख रु० की व्यवस्था है जिसमें से 2 लाख रु० अनुसूचित जातियों के लिए और 1 लाख रु० अनुसूचित जनजातियों के लिए है।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कमजोर वर्गों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण

10274. श्री मनोरंजन भक्त : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में जनता के गरीब और कमजोर वर्गों द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण किये जाने की जानकारी है, यदि हां, तो इस प्रकार अतिक्रमण करके बनी कालोनियों की तहसील वार, कुल संख्या कितनी है और वे कब से बनी हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अनेक परिवारों को निकाल दिया गया था ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ;

(ग) क्या इन मामलों को नियमित करने के सम्बन्ध में सरकार विचार करेगी, जैसाकि दिल्ली के मामले में किया गया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ङ) अन्दमान और निकोबार प्रशासन ने सूचित किया है कि अन्दमान द्वीप में 5 तहसीलों अर्थात् पोर्ट ब्लेयर, फरारगंज, रानघाट, मायाबन्दर और दिगलीपुर तहसीलों में लगभग 3325 एकड़ राजस्व भूमि अनधिकृत अतिक्रमण के अधीन है। लगभग 735 एकड़ भूमि पर 1961 से पहले अतिक्रमण किया गया और लगभग 2590 एकड़ भूमि पर उसके बाद के समय अतिक्रमण किया गया। इसके अतिरिक्त दिगलीपुर, मायाबन्दर, रानघाट, फरारगंज और तुशानाबाद तहसीलों में लगभग 2850 एकड़ वन भूमि भी अनधिकृत अतिक्रमण के अधीन है।

2. अन्दमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अन्दमान निकोबार द्वीपसमूह राजस्व भूमि और भूमि सुधार विनिमय 1966 यदि राजस्व भूमि सम्बन्धित हो तो और यदि वन भूमि अन्तर्ग्रस्त हो तो, भारतीय वन अधिनियम 1927 के उपबन्धों के अधीन अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है। इन उपबन्धों के अनुसार प्रशासन ने काफी संख्या में स्थान खाली करा दिए हैं।

3. यह निर्णय लिया गया कि 1961 से पहले अतिक्रमण की गई भूमि को पुनः आबंटित कर के नियमित किया जाए और अन्दमान और निकोबार प्रशासन इस सम्बन्ध में

आवश्यक कार्रवाई कर रहा है । अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह में अतिक्रमण की गई भूमि को दिल्ली की तरह नियमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दोनों संघ शासित क्षेत्र तुलनात्मक दृष्टि से समान नहीं हैं ।

वर्ष 1977 और 1978 के दौरान प्राप्त और अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्ताव

10275. श्री एस० आर० रेड्डी :

श्री गणनाथ प्रधान :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977 और 1978 के दौरान सरकार को विदेशी सहयोग के कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए तथा मंजूर किए गए ;

(ख) कितने मामलों में विदेशी ईक्विटी पूंजी को अनुमति दी गई है और धनराशि लगाई गई है ; और

(ग) कितने अनुमोदित मामलों में निर्यात दायित्व लगाए गए हैं और कितने तथा कौन-कौन से प्रस्ताव 60 प्रतिशत से अधिक तथा निर्यात प्रधान हैं ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) 1977 तथा 1978 में प्राप्त विदेशी सहयोग सम्बन्धी आवेदनों तथा जारी की गई स्वीकृतियों आदि की संख्या निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जारी की गई स्वीकृतियों की संख्या	वित्तीय भागीदारी निहित होने वाले प्रकरणों की संख्या	निवेश की राशि	उन प्रकरणों की संख्या जिनमें निर्यात दायित्व निहित हैं
1977	427	267	27	400	60
1978	429	307	44	940	43

60 प्रतिशत से अधिक की निर्यात वाली विदेशी सहयोग स्वीकृतियों की संख्या व नामों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्रम सं०	भारतीय पार्टी का नाम	उत्पादन की वस्तु
1	2	3
1.	श्री वी० सी० बर्मन, नई दिल्ली	एसोसिएटेड हेयर कास्मेटिक्स
2.	श्री अमीत भटनागर/श्री एच० पी० भटनागर नई दिल्ली	प्री–कास्ट इलेमेंट यूनी ब्लाक किचन एण्ड प्री–फब्रीकेटेड बाथ-रूम

1	2	3
3.	मैं० श्री एन० के० झुनझुनेवाला, बम्बई	डिजीटल घड़ियां
4.	श्रीमती शान्त नाथ, बम्बई	टेनिस स्कवेस तथा बैडमिटन रैकेट्स व अन्य खेलों के लिए स्पोर्ट्स केट गठस
5.	श्री पी० जे० वेरेंकर, पंजी गोवा	इलेक्ट्रानिक कलाई घड़ियां व केल्कुलेटर्स
6.	मैं० प्रीमियर मिल्स (सी० बी० ई०) लि०, बम्बई	शान्ताक्रुज निर्यात परिष्करण क्षेत्र में डी० बी० (वी–4) मीटर
7.	मैं० लिवट्री इन्ट० करनाल	चमड़े जूते के ऊपरी हिस्सें
8.	श्री विजयम वार्धन, बम्बई	ऐरोमेटिक रसायन तथा औद्योगिक सुगन्धित सामग्री तथा उससे बने उत्पाद
9.	श्री मैं० स्वयल ढसपन्नरस (आई०) एण्ड टूल्स लि०, बम्बई	प्लाइर्स, निप्पर तथा अन्य हाथ के औजार
10.	मैं० विमको लि०, बम्बई	परिशोधित मॉस व मॉस से बने उत्पाद
11.	मैं० दी ब्रिहन महाराष्ट्रा सुगर सेंडीकेट लि०, पूना	ब्रांडी
12.	मैं० पंजाब स्टेट इन्ड० डेवलपमेंट कारपोरेशन लि०, चंडीगढ़	500 हॉर्स पावर से 3550 हार्स पावर के एस० ई० एम० टी० पिलस्टिक इंजिन
13.	मैं० किरलौसकर आयल इन्जीनियर लि०, पूना	सेफ्टी जूते मोकीसिन जूते/सिविलियनों के जूते तथा चमड़े के जूतों की अन्य वस्तुएं
14.	मैं० रामनाथ एक्सपोर्ट प्रा० लि०, नई दिल्ली	चमड़े के जूते के ऊपरी हिस्से
15.	मैं० इन्टरनेशनल इन्स्ट्रमेंट प्रा० लि०, बंगलौर	टिकट जारी करने वाले उपकरण
16.	मैं० बी० वी० रायनम (मैं० आन्ध्र इलैक्० (प्रा०) लि०, हैदराबाद	क्वार्टज क्रस्टाइल तथा अन्य एसेम्बलिज
17.	मैं० इन्जे० इन्ट्र०, कलकत्ता	एक्ट्रडेट सेन्डूयूट लॉकनट
18.	कुमारी कमलभवाननी, 111 एवरेस्ट अप्रटमेंट्स मौन्ट प्लवेंट रोड, बम्बई-400006	गहरे समुन्द्र में मछली पकड़ने वाले, समुन्द्री उत्पादों व मेढक की टांग का परिशोध
19.	मैं० हनुमान काटानसेड प्रडो० प्रा० लि०, 86-ए, श्री केंटान मारीन ड्राइव, बम्बई–400002	कोकोबंटर इकवलेंट
20.	मैं० अरुन फुटवेयर इन्ट० प्रा० लि० द्वारा एस० सी० सेठ एण्ड कम्पनी प्रा० लि० बम्बई	चमड़े के जूते

1	2	3
21.	को० एस० डी० कोस्य, इन्डियन हैवी (रेट०) सी-24, सफदरजंग डवल० एरिया, नई दिल्ली	प्रिटेन्ड सर्किट बोर्ड तथा इलेक्ट्रानिक ऐसेम्बलिज
22.	मै० बालमय मरीना एक्सपोर्ट प्रा० लि०, रिवेरी-विवाकोट्टूरपुरम, मद्रास	परिशोधित समुद्री उत्पाद
23.	श्री के० अमीनूर रहमान, 19-वेपेरीय हाईरोड, प्रीमिट, मद्रास-600003	चमड़े के जूते
24.	श्री ए० वी० पालनिश्वामी, 216-मैरीयन रोड नं० 1 बक्स नं० 92-सी, कलाक्स समिति पा० 18411, यूनाइटेड स्टेट आफ अमरीका	ग्रूवड पाईप कपलिंग, ग्रूवड पाईप
25.	श्री सी० वी० आर० एम० अलम्पा चेटियाल, 91-स्टेट हाउसिंग बोर्ड स्कीम काट्टूरपुरम, मद्रास-600085	टी० वी० रिसीवर्स
26.	श्री दामोदर राठा 3-ए बेलएयर, 9–पाली हिल्स, बम्बई-400050	पोलिएस्टर केपिसेटर्स, पोलिएस्ट्रीन के केपिसेटर्स तथा मेटलाइजड केपिसेटर्स
27.	मै० ए० एन० सी० ए० लेदर प्रा० लि०, 204-इम्बेसी सेंटर कोरमिनील बौलेवार्ड, निर्माण पोवाइंट, बम्बई	चमड़े की वस्तुएं
28.	श्री के० नारायाण भाट, 2/2, क्विट्टल नगर चमरी जी पत, बंगलौर	चमड़े के जाकेट
29.	मै० लुमनौस लेदर एण्ड फैब्रिक प्रा० लि०, 49/1 ब्लाक ई-इन्ड० एरिया, फास-II, ओखला नई दिल्ली	चमड़े तथा कपड़े से बनी फैशन की वस्तुएं जिनमें हाथ के बैग, बेलेट्स जूते, जूतों के ऊपरी हिस्से आदि शामिल हैं।
30.	मै० टान्ट काप इलैक्० , नव भारत हाऊस 6-3-654 सामजीगुडा, हैदराबाद-500004	टेन्टेलग डिप्पड केपीस्टिर्स
31.	मैसर्स ब्रिटानिया बिस्कुट कं० लि० बाम्बे	चमड़े के जूते
32.	मैसर्स शेनबागम फारमर्स प्रा० लि० मदुराई	जेसमिन कैंकीट
33.	मैसर्स आनन्द कैनिंग इन्डस्ट्रीज प्रा० लि०, बाम्बे	समुद्री उत्पादों का परिशोधन
34.	श्री एस० पी० सूरी, नई दिल्ली	पुरुषों के सूट तथा खेलने के कोट

एक्सरे एककों के लिए ट्यूबों की कमी

10276. श्री विजय कुमार एन० पाटिल :
चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 10 अप्रैल, 1979 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "पासिटि आफ ट्यूब्स फार एक्स रे यूनिट्स" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई गम्भीर टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) मामले के तथ्य क्या हैं, इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) समाचार-पत्र में दिया गया विवरण मध्य प्रदेश के कुछ हस्पतालों में अधिस्थापित एक्स-रे मशीनों के रख-रखाव से सम्बन्धित मालूम होता है। विभिन्न प्रकार की एक्स-रे ट्यूबें एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा बनाई जा रही हैं। यदि मात्रा और विशिष्टता की दृष्टि से देशी उपलब्धता पर्याप्त नहीं होती है तो एक्स-रे ट्यूबों के आयात के लिए उपभोक्ताओं पर कोई रोक नहीं है। सामान्य आयात नीति के अन्तर्गत अस्पतालों के लिए एक्स-रे ट्यूबों के आयात के लिए पर्याप्त सुविधाएं/प्रावधान उपलब्ध हैं।

न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना के बारे में प्रतिवेदन

10277. श्री के० राममूर्ति : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए नियुक्त किए गए कार्यकारी दल द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में असाधारण विलम्ब करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बम्बई पत्तन पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए इस पत्तन का निर्माण करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र सलाहकारों ने 1961 में प्रस्ताव किया था ;

(ग) क्या इस पत्तन की स्थापना के लिए 1975 में विस्तृत परियोजना अनुमान तैयार किए गए थे; और

(घ) यदि हां, तो अन्य व्यवहार्यता अध्ययन करने की क्या आवश्यकता है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) से (घ) योजना आयोग द्वारा न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना से संबंधित कार्यकारी दल 8 जून, 1978 को स्थापित किया गया था। इस दल के विचारार्थ विषय विवरण में दिए गए हैं। कार्यकारी दल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं बताई गई थी। ऐसी आशा थी कि विचारार्थ विषयों में से एक विषय से संबंधित कार्य अर्थात् इस परियोजना का सामाजिक लागत-लाभ अध्ययन बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा 4 महीने में पूरा कर दिया जायेगा। तथापि इस अध्ययन को शुरू

करने के पहले विशेष रूप से वस्तुओं के अनुसार यातायात के अनुमान तैयार करने के लिए पर्याप्त आंकड़े एकत्र किये जाने हैं। अब यह आशा है कि यह कार्यकारी दल इस अध्ययन और अन्य अध्ययनों को लगभग दो महीने के सयय में पूरा कर लेगा।

2. वर्तमान बम्बई पत्तन के अनुषंगिक के रूप में न्हावा-शेवा पत्तन के निर्माण का सुझाव पहले संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेषज्ञ श्री एफ० पोस्थूमा ने 1961 में दिया था। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि इस नए पत्तन के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया जाना चाहिए। बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा इस मास्टर प्लान को तैयार करने का काम उनके परामर्शदाता इंजीनियर अर्थात् मैसर्स बर्टलिन पार्टनर्स (इंडिया) को सौंपा गया था जिन्होंने अपनी रिपोर्ट 1970 में प्रस्तुत कर दी थी।

3. सितम्बर, 1973 में योजना आयोग ने इस परियोजना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए तीन कार्यकारी दल स्थापित किए थे। इन कार्यकारी दलों ने, कोयला, उर्वरक, कच्चा माल, खली, चीनी, कंटेनर यातायात सहित विभिन्न वस्तुओं में अधिक यातायात के कुछ अनुमानों के आधार पर अगस्त, 1975 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। सितम्बर, 1976 में हुई एक अन्तर-मंत्रालययीन बैठक में यह निर्णय किया कि यातायात के ये अनुमान स्वीकार नहीं किए जा सकते तथा और अधिक अध्ययन आवश्यक हैं। निम्नलिखित सारणी में न्हावा-शेवा के लिए कार्यकारी दल की रिपोर्ट (1975) में विभिन्न वस्तुओं के संबंध में किए गए यातायात के अनुमान और बम्बई पत्तन में 1977-78 में इन वस्तुओं के वास्तविक यातायात बताए गए हैं जिसे न्हावा-शेवा को अंतरणीय माना जा सकता है।

(10 लाख टन)

		कार्यकारी दल की रिपोर्ट में न्हावा-शेवा (1980 या उसके आसपास पूरा होने पर) के लिए किया गया यातायात का अनुमान	बम्बई पत्तन में 1977-78 में हुआ वास्तविक यातायात
1.	कोयला	2.60	—
2.	उर्वरक और कच्चा माल	1.20	0.66
3.	खली	0.50	0.35
4.	चीनी	0.20	0.06
5.	कंटेनर और यातायात	0.70	0.10
		5.20	1.17

इसये यह दिखाई देगा कि 1975 की रिपोर्ट में किए गए यातायात के अनुमान बहुत अधिक बढ़े-चढ़े थे तथा उनकी और अधिक संवीक्षा की आवश्यकता थी।

4. न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना से संबंधित नया कार्यकारी दल, जो जून, 1978 में स्थापित किया गया था, संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से यातायात के परिशोधित अनुमान तैयार कर रहा है। इस बीच पोर्ट ट्रस्ट से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने का काम शुरू कर देने के लिए कहा गया है, जिसमें निर्माण और प्रचालन लागत के निश्चित अनुमान दिए जाएंगे ।

विवरण

न्हावा-शेवा पत्तन परियोजना से संबंधित कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय

1. बम्बई पत्तन की वर्तमान क्षमता को ध्यान में रखते हुए, तथा बम्बई पत्तन की वर्तमान क्षमता के समग्र संदर्भ में सामान्य रूप से पत्तन के कार्य-कलापों के पुनः अवस्थितिकरण की आवश्यकता और बम्बई क्षेत्र में भूमि का उपयोग इष्टतम करने के समग्र संदर्भ में सामान्य रूप से पत्तन के कार्य-कलापों के पुनः अवस्थितिकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित पत्तन पर अगले 10-15 वर्ष में संभावित लादी और उतारी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं के लिए यातायात के अनुमान तैयार करना ।

2. ऊपर (1) में उल्लिखित अगले 10-15 वर्ष के लिए अनुमानित यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपस्कर का आधुनिकीकरण करके या वर्तमान संस्थापनाओं की क्षमता में वृद्धि करके बम्बई पत्तन में वर्तमान सुविधाओं के विस्तार के विकल्प की साध्यता और अर्थतंत्र की जांच करना।

3. बम्बई पत्तन में भीड़-भाड़ को कम करने के उद्देश्य से बम्बई के यातायात को अन्य वर्तमान पत्तनों को ले जाने की साध्यता और अर्थतंत्र की जांच करना।

4. इस परियोजना के सामाजिक लागत-लाभ अध्ययन करने के लिए बम्बई पोर्ट ट्रस्ट से अनुरोध करना और इसमें उसकी सहायता करना। इस अध्ययन के लिए विचारार्थ विषय इस कार्यकारी दल द्वारा तैयार किए जाएं और बम्बई पोर्ट ट्रस्ट को सूचित किए जाए।

5. बम्बई पोर्ट ट्रस्ट द्वारा किए गए अध्ययन के परिणामों की जांच करना और उपयुक्त सिफारिशें करना।

कोका कोला की सबसे अधिक बोतलें भरने वाले को लाभ

10277. श्री दलपत सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में कोका कोला की सबसे अधिक बोतलें भरने वाला कौन था; और

(ख) गत तीन वर्षों में जबकि कोका कोला की बोतलें भरी जाती थीं उन्हें कितना लाभ हुआ ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) प्योर ड्रिंक्स उद्योग समूह भारत में कोका कोला की सबसे अधिक बोतलें भरने वाला था।

(ख) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है ?

विवरण

(लाख रु० में)

	एकक का नाम	1975-76	1976-77 में कराधान से पूर्व लाभ	1977-78
1.	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (कलकत्ता) लिमिटेड	4.36	25.99	37.07
2.	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड	20.29	15.65	(—)13.66
3.	मैसर्स प्योर ड्रिंक्स (नई दिल्ली) लिमिटेड	26.05	17.32	(—)15.20
4.	मैसर्स पंजाब ब्रेव्रीजेस लिमिटेड	उपलब्ध नहीं	23.58	11.54
5.	मैसर्स साऊदर्न बाटलर्स प्राइवेट लिमिटेड	" "	3.16	(—)0,66

हरिजनों पर अत्याचार रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिए गए सुझाव

10279. श्री श्याम सुन्दर लाल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में उपाय किये जाने के बावजूद गत छः महीनों में हरिजनों पर अत्याचार के मामलों में कई गुणी वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या इस बुराई को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने कुछ कठोर कार्यवाही का सुझाव दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसकी क्रियान्विति के रूप में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) यह सच नहीं है कि पिछले 6 महीनों में हरिजनों पर अत्याचार के मामलों में कई गुणा वृद्धि हुई है। गैर अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों पर सितम्बर 1978 के महीने से फरवरी 1979 के महीने तक राज्य सरकार द्वारा सूचित किये गये महीनेवार- अपराध आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

सितम्बर, 1978	1371
अक्तूबर, 1978	1418
नवम्बर, 1978	932 (बिहार और असम से आंकड़ें अभी आने हैं)

दिसम्बर, 1978	918	(बिहार, असम और तमिलनाडु से आंकड़े अभी आने वाले हैं)
जनवरी, 1979	866	(असम, मध्य प्रदेश और जम्मू और काश्मीर से आंकड़े अभी आने हैं)
फरवरी, 1979	618	(आंध्र प्रदेश, असम, जम्मू और काश्मीर, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से आंकड़े अभी आने हैं)

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग ने अनुसूचित जाति के सदस्यों पर अत्याचार को रोकने के लिए कुछ उपाय सुझाए हैं। इन सुझावों पर विचार किया जा रहा है।

श्रम-प्रधान उत्पादन पद्धति को प्रोत्साहन देने की नीति

10280. श्रीमती मोहसिना किदवई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की श्रम-प्रधान उत्पादन पद्धति को प्रोत्साहन देने की घोषित नीति के अनुसार इस बीच कुछ ठोस एवं निश्चित कदम उठाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त कदमों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) कराधान कानूनों में विशेष रूप से निगमित करों एवं उत्पादन शुल्क में उक्त रियायतों से सम्बन्धित किस प्रकार के उपबन्ध किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) और (ख) योजना के प्रारूप (1978-83) में अपनाई गई रोजगार सम्बन्धी नीति के अनुसरण में, जिसमें उत्पादन के स्वरूप को अधिक श्रम-प्रधान बनाने और शिल्प-वैज्ञानिक परिवर्तन को विनियमित करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है, ग्राम और लघु उद्योगों के लिए परिव्यय में पर्याप्त वृद्धि की गई है। कुटीर, घरेलू और लघु उद्योगों के विकास के लिए सहायता और सुविधाएं दी जा रही हैं जिनमें वित्तीय सहायता, सामान्य सेवा सुविधाएं, कच्चे माल की पूर्ति, कारखाने के लिए जगह की व्यवस्था, किराया-खरीद पर मशीनों की पूर्ति, विपणन सहायता, अनुसंधान और विकास, तकनीकी सलाह, प्रशिक्षण, आदि शामिल हैं। हथकरघा और लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण के लिए विशेष आरक्षण नीतियां अपनाई गई हैं। लघु उद्योगों में स्व-रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए एक उपांत/बीज धन सहायता स्कीम शुरू की गई है और वाणिज्यिक बैंकों को स्व-रोजगार के लिए ऋण की सुविधाएं देने की सलाह दी गई है। विज्ञान और शिल्पविज्ञान की अनुसंधान प्रणाली को इस दृष्टि से उत्प्रेरित किया जा रहा है कि लघु आर्थिक कार्यकलापों में श्रम की उत्पादकता में सुधार करने के हेतु उपयुक्त तकनीकों के निर्धारण और विकास के लिए उसकी क्षमता में वृद्धि हो।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) सरकार ने श्रम-प्रधान लघु उद्योगों के उत्पादन पर, निकासी के मूल्य, विद्युत के उपयोग और/या कार्यरत कामगारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर उत्पादन शुल्क में कई छूट या रियायतें प्रदान की हैं।

कच्चे माल पर शुल्क के भार को कम करने के लिए, श्रम-प्रधान हथकरघा क्षेत्रक द्वारा काम में लाए जाने वाले सूती/सेल्यूलोज कते तंतुओं के लिए भी उत्पादन शुल्क में रियायत दी गई है। कुछ मामलों में, जैसा कि अधिकांश प्लास्टिक की वस्तुओं के मामले में है, यदि और अधिक प्रकमण मुख्य रूप से विकेन्द्रित क्षेत्रक में किया जाता है तो उत्पादन शुल्क कच्चे माल के चरण तक सीमित कर दिया गया है। लघु औद्योगिक उद्यमों या प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों में रियायतें दी गई है, जैसे :—

(1) आयकर अधिनियम की धारा 32क(2) (ख)(2) के अन्तर्गत जो करदाता किसी लघु औद्योगिक उद्यम या प्रतिष्ठान में नई मशीन या संयंत्र स्थापित करता है वह ऐसी मशीन या संयंत्र की वास्तविक लागत के 25 प्रतिशत पर निवेश छूट पाने का हकदार होता है।

(2) धारा 80 एच० एच० ए० के अन्तर्गत जो करदाता ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए गए लघु औद्योगिक उद्यम या प्रतिष्ठान से कोइ लाभ प्राप्त करता है उसे 10 वर्ष की अवधि के लिए अपनी कर योग्य आय में से ऐसे उद्यम से प्राप्त होने वाले लाभों के 20 प्रतिशत की कटौती का हक होता है।

इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विकास

10281. श्री एस० आर० दामाणी : क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड का विकास सरकार द्वारा आयातों को उदार बना दिये जाने और मूल्य/खरीद प्राथमिकताओं को वापस ले लिये जाने से प्रभावित होगा ;

(ख) यदि हां, तो इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के विकास को सुरक्षित रखने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर सकता है और वर्ष 1978-79 के दौरान कुल उत्पादन में वृद्धि कर सकता है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। जैसाकि तथापि, इलैक्ट्रॉनिक सामग्री के अन्य सभी भारतीय निर्माताओं के मामले में किया जाता है, सरकार द्वारा आयात के लिए इजाज़त देते समय इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड के हितों को ध्यान में रखा जायेगा। कम्प्यूटरों के क्षेत्र में, जिसमें इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड हमारे देश की प्रमुख कम्पनी है, ऐसा विशेष रूप से किया जायेगा।

(ग) वर्ष 1978-79 में इलैक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा किये जाने वाले उत्पादन और बिक्री की अन्तरिम राशियां करों और शुल्कों को छोड़कर क्रमशः 30.50 करोड़ रुपये और 31.50 करोड़ रुपये रही हैं, जोकि गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 2.5% और 19.2% ज्यादा है।

सेवा मामलों में अभ्यावेदन

10282. श्री राजे विश्वेश्वर राव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिकायत करने वाले सरकारी कर्मचारियों से सेवा मामलों के बारे में प्राप्त अभ्यावेदन की पूरी जांच, कोई भी संगत मुद्दा छोड़े बिना करने के लिए अनुदेश दिये गये हैं ;

(ख) पूरी जांच सुनिश्चित कराने के लिये कोई प्रणाली निर्धारित की गई है ; और

(ग) क्या शिकायत करने वाले सरकारी कर्मचारियों की सुनवाई व्यक्तिगत रूप में की जाती है और क्या सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों पर उनसे बातचीत की जाती है ताकि संदेहास्पद मुद्दों पर वे आगे जानकारी दे सकें ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क), (ख) तथा (ग) दिसम्बर, 1968 में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं कि वेतन/भत्ते अथवा अन्य बकाया राशि का भुगतान न किए जाने तथा सेवा सम्बन्धी अन्य मामलों के सम्बन्ध में अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से शीघ्रता से कार्रवाई की जाए। अभ्यावेदन पर विचार करने वाला प्राधिकारी, यदि आवश्यक समझे तो वह अनुरोध किए जाने पर व्यैक्तिक सुनवाई की इजाजत दे सकता है और अभ्यावेदन में उठाए गए मुद्दों पर सम्बन्धित कर्मचारी के साथ विचार-विमर्श कर सकता है।

जूनागढ़, राजकोट (गुजरात) में जिला औद्योगिक केन्द्रों की स्थापना

10283. श्री धर्म सिंह भाई पटेल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जूनागढ़, राजकोट और जामनगर जिले में जिला औद्योगिक केन्द्र कब खोले गये थे ;

(ख) इन जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा जिलावार किस प्रकार का कार्य किया गया ; और

(ग) इन औद्योगिक केन्द्रों द्वारा 1979-80 के लिये बनाये जा रहे जिलावार कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जिला उद्योग केन्द्र, जूनागढ़, भारत सरकार द्वारा अप्रैल, 1978 से स्वीकृत किया गया था ; जबकि राजकोट तथा जामनगर के जिला उद्योग केन्द्र 2 अक्तूबर, 1978 से मंजूर किये गये थे।

(ख) तथा (ग) वर्ग 1978-79 में इन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा किया गया कार्य तथा वर्ष 1979-80 के लिए तैयार किये गये कार्यक्रम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

जूनागढ़ : इस जिला उद्योग केन्द्र में वर्ष 1978-79 में 178 नये उद्यमियों का पता लगाया गया और इसमें 151 एकक स्थापित किये गये थे जिसमें 68 कारीगरों के लिए थे। इन एककों को वित्तीय संस्थानों से 21.23 लाख रु० की वित्तीय सहायता दिलाने के लिए सहायता की गई और 9 एककों को 3 लाख रु० की नकद सहायता दिलाई गई। 69 एककों को तकनीकी प्रबन्धकीय आदि अन्य प्रकार की सहायता दिलाई गई। 1003 व्यक्तियों को अतिरिक्त

रोजगार दिलाया गया। वर्ष 1979-80 में 48 लाख रु० के निवेश से 1150 नये एकक स्थापित करने और 2400 रोजगार के नये अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव है।

जामनगर: इस जिला उद्योग केन्द्र में 768 एककों का अस्थायी/स्थायी रूप से पंजीकरण किया गया है। 81 एककों को बिजली राजसहायता पंजीकरण जारी किया है। आयात लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 661 आवेदन पत्रों को निपटाया गया है। कुटीर उद्योगों के लिये बैंक योजना के अन्तर्गत 253 आवेदन पत्रों के लिये बैंकों को 9,17,798 रु० के ऋण के लिए सिफारिश की गई है। इसमें से 60 प्रतिशत से अधिक मामले ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। 395 हथकरघों को पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी किये गये हैं। 1137 इच्छुक उद्यमियों ने विभिन्न प्रकार की सहायता तथा जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र का दौरा किया। जिला उद्योग केन्द्र जामनगर के लिए अक्तूबर, 78 से मार्च, 1980 तक के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है।

राजकोट: इस जिला उद्योग केन्द्र में 878 एकक हैं जिसमें 632 कारीगरों को अस्थायी/स्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया हैं। नकद तथा बिजली राजसहायता पंजीकरण क्रमशः 130 तथा 3 एककों को प्रदान किया गया है। नये कारखाने स्थापित करने के लिए 78 एककों के लिए भूमि की सिफारिश की गई है। वित्तीय संस्थानों को 15.31 लाख रु० के ऋण के लिए लघु एककों के 273 आवेदन पत्रों की सिफारिश की गई है। 71 एककों को 44.29 लाख रु० की नकद राजसहायता तथा 82 एककों को परीक्षण उपकरणों के लिए 2.16 लाख रु० की राजसहायता मंजूर की गई है। इसके अलावा जिला उद्योग केन्द्र द्वारा 838 एककों को विभिन्न प्रकार की सहायता जैसे कच्चे माल का आयात, मशीनरी, लोहा तथा इस्पात, कच्चा लोहा, कोयला आदि के लिए अपेक्षित आवश्यक प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं। वर्ष 1979-80 में 168.70 लाख रु० के निवेश से 320 कारीगर एकक तथा 303 लघु उद्योग एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे 1840 अतिरिक्त व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

धनबाद कोयला क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भय तथा असुरक्षा

10284. श्री एस० आर० दामाणी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद कोयला क्षेत्र में सभी सैक्शनों में सरकारी क्षेत्र की कोयला खानों के प्रबंधक तथा पर्यवेक्षकों सहित, क्षेत्र में व्याप्त अराजकता; पुलिस की उदासीनता और मजदूर संघ गुंडागर्दी के कारण भय और असुरक्षा की स्थिति का अनुभव किया जा रहा है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिये बिहार सरकार को कोई परामर्श दिया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों में विश्वास पैदा करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल): (क) धनबाद कोलफील्ड क्षेत्रों में लोगों के कुछ वर्गों में असुरक्षा और भय का भाव व्याप्त है।

(ख) और (ग) इस विषय पर सरकार राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है। स्थानीय प्राधिकारियों ने बिहार के अपराध नियंत्रण अध्यादेश के अधीन क्षेत्र के कई मसलमैन और बदमाशों के विरुद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है। राज्य सरकार ने गुंडों तथा अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही जारी रखने के लिये स्थानीय प्राधिकारियों को भी अनुदेश दिये हैं। अधिक थाने और वाह्य चौकियां खोलने, अधिक वाहनों और वायरलैस सैटों की व्यवस्था करके इस क्षेत्र में पुलिस का आधुनिकीकरण करने और लम्बी अवधि से लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान के लिये और अधिक न्यायालयों की स्थापना करने के लिये राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाल ही में कुछ बैठकें की हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ धनबाद क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने हेतु आवश्यक उपायों का निर्णय करने के लिये बिहार के मुख्य मंत्री, केन्द्रीय ऊर्जा, श्रम तथा इस्पात मंत्री और संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था।

पिछड़ी जातियों के कल्याण के लिये राज्य मंत्रियों का सम्मेलन

10285. श्री गिरिधर गोमांगो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 और 20 अप्रैल, 1975 को नई दिल्ली में हुए पिछड़ी जातियों के कल्याण से संबंधित राज्य मंत्रियों के सम्मेलन में कौन-से संकल्प पास किये गये थे ;

(ख) उनके मंत्रालय ने की गई सिफारिशों के आधार पर कार्यवाही के समयबद्ध कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) संकल्प की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये किन राज्यों ने अब तक क्या आवश्यक उपाय किये हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) संकल्प की एक प्रति विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सिफारिशों पर राज्य सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर कार्रवाई की जा रही है। वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के दौरान एवं जनजातीय उपयोजना तथा एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं पर विचार करते समय भी इस संबंध में की गई प्रगति की समीक्षा की गयी है। प्रशासनिक ढांचे, एवं जनजातीय क्षेत्रों में एकीकृत ऋण तथा विपणन ढांचे, शराब बेचने पर रोक तथा जनजातीय भूमि के हस्तान्तरण पर रोक आदि जैसे अनेक पहलु पर राज्य सरकारों से आग्रह किया गया है। इस प्रकार सिफारिशों के कार्यान्वयन की गति की लगातार समीक्षा की जा रही है। उपयोजना वाले सभी राज्यों ने इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई की है। जहां तक अनुसूचित जातियों का संबंध है निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :—

(1) राज्यों को सलाह दी गई है कि अनुसूचित जातियों के लिए विशिष्ट संघटक योजनायें बनायें जिनमें विकास के सामान्य क्षेत्र के अन्तर्गत योजनाओं का पता लगाया जायेगा, प्रत्येक क्षेत्र के अधीन सभी विभाज्य कार्यक्रमों से धन राशि निर्धारित की जाएगी और अनुसूचित जातियों को होने वाले लाभ की मात्रा का पता लगाया जाएगा। अनुसूचित जातियों की पर्याप्त संख्या वाले लगभग सभी

राज्यों ने इसे स्वीकार किया है और उनमें से अधिकांश ने विशिष्ट संघटक योजनायें तैयार करना प्रारम्भ कर दिया है। राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट संघटक योजनाओं पर उनमें सुधार करने के लिए विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(2) राज्यों पर दबाव डाला गया है और इसे सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है कि हरिजन कल्याण के प्रभारी विभाग अनुसूचित जातियों से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे।

(3) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे व्यावसायिक ग्रुपों को ध्यान. में रखते हुए अनुसूचित जातियों के लिए योजनागत कार्यक्रमों को हाथ में लें; अनुसूचित जातियों की पर्याप्त जनसंख्या वाले अधिकांश राज्यों में अनुसूचित जाति विकास निगम बनाए गए हैं और इन निगमों को केन्द्रीय सहायता देने की योजना भी हाल ही में प्रारम्भ की गई है।

(4) मध्याविधि योजना 1978-83 के दौरान अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए गृह राज्य मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया गया था, और उसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(5) कार्यकारी दल ने सूखे शौचालयों के परिवर्तन के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाने की सिफारिश की है और राज्य सरकारों से इसकी सिफारिश की गई है।

(6) अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अतिरिक्त पुस्तक बैंक तथा मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(7) प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति आरक्षण की स्थिति की समय-समय पर समीक्षा करती है।

विवरण

पिछड़े वर्ग कल्याण के प्रभावी राज्यमंत्रियों के 19-20 अप्रैल, 1979 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में पारित किये गए संकल्प

(क) अनुसूचित जनजातियां

1. (क) भूमि हस्तान्तरण को रोकने के लिये शीघ्रता से कानुन बनाया जाना चाहिए यदि ऐसा कोई कानून राज्यों में पहले से विद्यमान न हो। जहां ऐसे कानून पहले ही हों वहां त्रुटियों का पता लगाने के लिये संशोधन हेतु एक समीक्षा की जानी चाहिए। यह कार्य अत्यन्त शीघ्र और प्रत्येक दशा में छः महीने के भीतर किया जाना चाहिए। भूमि हस्तान्तरण को रोकने के लिये और हस्तान्तरित भूमि को वापस दिलाने के लिये कानूनी उपायों को कार्यान्वित करना अधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्येक राज्य, इन कानूनों के प्रभावशाली रूप से दो वर्षों में, प्रत्येक वर्ष के लिये स्पष्ट रूप से लक्ष्य निर्धारित करके, कार्यान्वयन के लिये एक तीव्र कार्यक्रम तैयार किया जाए जिसकी नियतकालिक समीक्षा की जानी चाहिए।

(ख) सार्वजनिक उद्देश्य के लिये भूमि अधिग्रहण की अवस्था में योजना के एक भाग के रूप में व्यापक पुनर्वास के लिये उसके साथ ही एक कार्यक्रम होना चाहिए।

2. जनजातीय क्षेत्रों में शराब की बिक्री समाप्त होनी चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयोजन के लिये शराब निकालने की अनुमति मिलनी चाहिए किन्तु वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस नीति के अनुसरण में, कानूनों का शीघ्रता से उपयुक्त रूप से संशोधन किया जाना चाहिए और चालू वर्ष में ठेकेदारों द्वारा बिक्री समाप्त कर दी जानी चाहिए। सरकारी दुकानों द्वारा बिक्री भी चरणबद्ध की जानी चाहिए। उन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या काफी मिश्रित है और जनजातियों का बहुमत नहीं है, वहां पर बिक्री केवल सरकारी दुकानों के माध्यम से की जानी चाहिए।

3. एक जनजातीय व्यक्ति को लघु वन उत्पादन एकत्र करने के मुक्त तथा असीमित अधिकार होने चाहियें। यदि कोई प्रक्रिया संबंधी अथवा कानूनी कठिनाइयां हों तो उनको शीघ्रता से निपटाया जाना चाहिये। लघु वन उत्पादन की प्रत्येक मद के लिये एक लाभकारी न्यूनतम मूल्य होना चाहिए और इसके विपणन का प्रबन्ध विभाग अथवा किसी सहकारी समिति अथवा निगम के माध्यम से किया जाना चाहिए।

4. वन श्रमिक सहकारी समितियों का गठन किया जाए और जहां तक संभव हो मुख्य वानिकी कार्य भी उनके माध्यम से किए जाएं।

5. वनों के पास के गांवों में रह रही जनजातियों को भूमि के अधिकार दिये जाएं जो अहस्तांतरणीय हों। फलों के वृक्षारोपण समेत वन के पास के गांवों को कृषि विकास कार्यक्रमों से लाभान्वित करने के लिये भी व्यवस्था की जानी चाहिए।

6. भूमि की पुनः प्राप्ति और ऋण से छुटकारा दिलवाने के कार्यक्रम के सहायक के रूप में जनजातीय क्षेत्रों में विशेषज्ञ दल (बावा समिति) द्वारा दी गई सलाह के अनुसार एक एकीकृत ऋण व विपणन ढांचा शीघ्रता से तैयार किया जाना चाहिए। इस संगठन में क्षेत्र के सभी जनजातीय व्यक्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। विशेष रूप से इस पद्धति से निम्नलिखित आवश्यकताओं की पूर्ति की जानी चाहिए :—

(क) जनजातियों के लघु वानिकी उत्पादन सहित जो वह एकत्र करता है सभी उत्पादन को, जिसे वे सामान्यतः बाजार में वेचते हैं को खरीदने का बन्दोबस्त ;

(ख) जीवन की आधारभूत आवश्यक वस्तुओं को उचित दर की दुकानों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिये बन्दोबस्त ;

(ग) उसे अपने खेत में परिनिरीक्षण उत्पाद कार्यक्रम के लिए पर्याप्त उत्पाद ऋण की अनुमति ;

(घ) खेती की अवधि के दौरान उचित स्तर पर उपभोक्ता ऋण का बन्दोबस्त जिसे फसल के काटने के बाद उत्पादन से ले लिया जाय ;

(ङ) उपयुक्त कार्यक्रम जैसा भी बनाया जाय, के आधार पर "ऋणविमोचन कार्यक्रम" के अधीन जनजातियों के ऋण को हाथ में लेने का बन्दोबस्त।

ऋण विमोचन और ऋण कम करने के कार्यक्रम को तत्काल हाथ में लिया जाय। संबंधित कानूनों का अगले तीन महीनों में पुनरीक्षण किया जाय। ऋण कम करने और ऋण विमोचन का कार्यक्रम और ऋण तथा विपणन ढांचा स्थापित करने के कार्यक्रम को इस प्रकार से बनाया जाय

ताकि दो वर्षों में पूरा जनजाति क्षेत्र इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाय। प्रत्येक वर्ष के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये जायें, जिसका समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाय।

7. नई नीति के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों को बिना विलम्ब के हल करने और परिवर्तन का मार्गदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक संचालन समिति का गठन किया जाय जिसमें सहकारिता विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह मंत्रालय, बैंकिंग विभाग और भारतीय रिर्जव बैंक के प्रतिनिधि हों।

8. उप आयोजना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, पिछड़ापन और जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए, राज्य योजना से जनजाति क्षेत्रों के लिए परिव्यय का परिमाणन किया जाय और जहां पहले ही परिमाणन कर दिया गया है उसका पुनरीक्षण किया जाय। न्यूनतम परिव्यय उप-आयोजना क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। काफी समय से लम्बित पुनरीक्षण को एक महीने के अन्दर किया जाना चाहिए।

9. यह सुनिश्चित करने के लिये कि उपआयोजना राशि जिस उद्देश्य पूर्ति के लिए दी गई है उसके अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये उसका प्रयोग न हो, एक उपयुक्त लेखाविधि और प्रणाली को यथाशीघ्र अपनाया जाय। पूरे उप-योजना परिव्यय के लिए अलग बजट शीर्ष बनाना और प्रत्येक क्षेत्रीय शीर्ष के अधीन उप शीर्ष बनाना, इस दिशा में एक सम्भावित तरीका हो सकता है। नई प्रणाली को सितम्बर 1975 तक अंतिम रूप दे दिया जाय ताकि पूरक-बजट में व्यय को दिखाया जा सके।

10. उप-आयोजना को कार्यान्वियित करने के लिए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचे को तत्काल अंतिम रूप दिया जाय। राज्य स्तर पर एक उच्च अधिकार प्राप्त संगठन अधिमानतः मंत्रि-मण्डल उप समिति, होनी चाहिए, जिसे योजना की रूपरेखा बनाने, इसके कार्यान्वियन के दौरान सामान्य नीति निर्देश देने और साथ-साथ उन पर पुनर्विचार करने और संशोधन की जिम्मेदारी हो। यदि आवश्यक हो तो अन्तं-क्षेत्रीय पुर्नविनियोग के अधिकार भी इस समिति के पास होने चाहिएं। क्षेत्रीय स्तर से राज्य स्तर तक कार्यान्वियन के लिए अधिमानतः एक ही प्राधिकारी होना चाहिए जिसे स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी दीं जाय और विभिन्न स्तरों पर शक्तियों का पर्याप्त प्रत्यायोजन किया जाय। आदेश की यह कड़ी, बिकास के समस्त पहलुओं और नियामक कार्यों के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। फिर भी प्रशासनिक ढांचे में शासन की कड़ी के उत्तरदायित्व को कम किये बिना योजना के बारे में निर्णय करने और कार्यान्वियन में सर्वप्रिय सहयोग को विभिन्न स्तरों पर उपयुक्त बनाया जाए। इस प्रकार का पुनरीक्षण शीघ्र किया जाना चाहिए तथा आगामी दो माह की अवधि में एक निर्णय किया जा सकता है ताकि आई०टी०डी०पी० के प्रथम चरण अनुमोदित होने से पहले प्रभावी प्रशासनिक ढांचा तैयार हो जाए।

11. एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए ताकि चुने हुए अधिकारियों को जनजातीय क्षेत्रों में भेजा जाए। यदि आवश्यक हो तो, जनजातीय क्षेत्रों में काम करने की अभिरूचि वाले व्यक्तियों का एक संघ बनाने पर विचार किया जाना चाहिए।

12. टी०डी० ब्लाक पद्धति से नई आई०टी०डी०पी० पद्धति में परिवर्तन, मध्य प्रदेश, के अतिरिक्त, जहां 1976-77 तक परिवर्तन पूरा हो सकता है 1975-76 में पूरा हो जाना चाहिए।

13. कार्यक्रम के प्रबोधन और मूल्यांकन की एक उपयुक्त प्रणाली तुरंत बनाई जानी चाहिए तथा जनजातीय अनुसंधान संस्थानों का पुनर्गठन, जहां आवश्यक हो आगामी तीन महीने अथवा उसके लगभग की अवधि में पूरा किया जाए।

14. जनजातीय क्षेत्रों में संयुक्त दौरों के द्वारा केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के बीच नियमित बातचीत होती रहनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जातियां

15. पांचवी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए स्वीकृत नीति के अनुसार, विकास का मुख्य कार्य सामान्य क्षेत्रों द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा। उस समुदाय के विकास के लिए प्रत्येक सामान्य क्षेत्र के प्रयास निर्धारित होने चाहिए। प्रत्येक विभाग को सामान्य क्षेत्रों में इन योजनाओं पर विचार करना चाहिए तथा अनु० जातियों को उपलब्ध हो सकने वाले लाभ को निश्चित करना चाहिए। गैर-अधिसूचित, खानाबदोश, अर्ध-खानाबदोश जन-जातियों के विकास की मात्रा को निश्चित करने के लिए समान प्रक्रिया या रीति अपनाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का परिमाणन करते समय इन समुदायों के पक्ष में जहां भी आवश्यक हो पात्रता की शर्तों में ढील दी जानी चाहिए। ऐसे प्रकार का परिमाणन योजना और बजट बनाते समय किया जाना चाहिए।

16. केन्द्र और राज्य दोनों में प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यक्रम को जहां भी आवश्यक हो अनुसूचित जातियों के पक्ष में अपनाई जाने वाली पात्रता की शर्तों का पुनरीक्षण किया जाए।

17. मंत्रिमण्डल की उपसमिति और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति द्वारा इन समुदायों के लिए क्षेत्रीय आवंटन किए जाने चाहिए। यह भी आवश्यक है कि योजना और वित्त विभागों में इन संसाधनों के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए एकक होने चाहिएं। वित्त विभाग संबंधित विभाग के वार्षिक बजट प्रस्ताव को तभी पारित करें जब परिमाणन कर दिया गया हो और पिछले साल के कार्य का पुनरीक्षण कर दिया गया हो।

18. हरिजन कल्याण के कार्यभारी विभाग को विभिन्न विभागों द्वारा किये गए परिमाणन की प्रगति को देखना चाहिए। उनको जिला स्तर पर भी यह मूल्यांकन करना चाहिएं कि क्या यथा निर्धारित लाभ लाभभोगियों को हुए हैं।

19. अनुसूचित जातियों की अधिकांश बड़ी संख्या जोकि भूमिहीन मजदूर या उपजीविका किसान हैं, के आर्थिक विकास का एक विशाल कार्यक्रम होना चाहिए, जिसमें सम्बन्धित राज्यों के नियमित विकास विभागों के कार्यक्रमों के रूप में कृषि, निवेश, छोटी सिंचाई, पशु पालन, कुटीर उद्योगों के लिये प्रावधान किए जाने चाहिएं।

20. ऐसी अनुसूचित जातियों के लिए जिनको भूमि स्वामित्व के अधिकार दिए गए हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए वैधानिक और प्रशासनिक दोनों अनुवर्ती कार्रवाइयां की जानी चाहिए जिससे भूमि पर उनके अधिकारों में बाधा न पड़े।

21. शुष्क शौचालयों को जलयुक्त शौचालयों में परिवर्तित करने के लिए छोटे शहरों में सभी नगरपालिकाओं को सम्मिलित करते हुए एक समयबद्ध कार्यक्रम के द्वारा एक बृहत कार्य किया जाना चाहिए। मल को हाथ से उठाने को समाप्त करने और मल व्ययनन के लिए सस्ते तरीकों का प्रदर्शन करने का एक चरणबद्ध कार्यक्रम आरम्भ किया जाना चाहिए।

22. यद्यपि छात्रवृत्ति या वजीफे का कोई एक जैसे प्रतिरूप की सिफारिश करना संभव नहीं होगा, अतः मैट्रिकपूर्व स्तर पर पर्याप्त प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। राज्य शिक्षा विभाग को सम्पूर्ण अनुसूचित जाति जनसंख्या को मैट्रिकपूर्व शिक्षा देने के लिए उत्तरदायित्व वहन करना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए उनको शिक्षा बजट में से अनुसूचित जातियों को विशेषतः बहुत अधिक पिछड़े वर्गों के लिए छात्रवृतियां, वजीफे, पुस्तकें, दोपहर का भोजन, वर्दियां आवासीय स्कूल उपलब्ध कराए जाने चाहिए। यदि शिक्षा विभाग द्वारा ये कदम उठाए जाते हैं तो बहुत सीमा तक पिछड़ापन जो इन समुदायों में बहुत अधिक है कम हो जाएगा।

रोजगार

23. तकनीकी पदों के सम्बन्ध में, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं रखता है, उसको आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

24. सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और अन्य अर्ध सरकारी स्वायत्त संगठनों, अनुदान प्राप्त संस्थाओं और राज्य का समान और अधिक भाग रखने वाले निजी उद्योगों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की रोजगार स्थिति का अर्धवार्षिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए।

गया काटन एण्ड जूट मिल को हानि

10286. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने गया काटन एण्ड जूट मिल दिसम्बर, 1973 से चलाई थी और उसको अब तक 1,75,000 रुपये की हानि हो चुकी है;

(ख) क्या बिहार काटन एण्ड टक्सटाइल एसोसिएशन ने केन्द्रीय सरकार को अनेक शिकायतें भेजी हैं और क्या कुछ संसद-सदस्यों ने भी इस मामले की जांच करने के लिये सरकार से अनुरोध किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की कोइ जांच की है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार ने 31-10-1972 को रुग्ण वस्त्र उपक्रम (प्रबन्ध अधिग्रहण करना) अध्यादेश, 1972 के अन्तर्गत गया काटन एण्ड जूट मिल्स का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया था। इस मिल का 1 अप्रैल, 1974 को राष्ट्रीयकरण किया गया था। 1-4-1974 से जनवरी, 1979 तक मिल को करीब 153.01 लाख रु० की कुल हानि हुई।

(ख) तथा (ग) मिल के कार्यों में अनियमितताओं के बारे में लगाये गये आरोपों संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिसमें संसद् सदस्यों से प्राप्त शिकायतें भी शामिल हैं। इन शिकायतों की जांच राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा की जा रही है। निष्कर्षों की जांच की जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के पुत्र द्वारा भूमि के प्लाट के लिए बोली लगाया जाना

10287. श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री पी० एम० सईद :

श्री ए० आर० बद्रीनारायण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने उनके पुत्र द्वारा दिल्ली में भूमि के प्लाट के लिए लगाई गई बोली के बारे में भारत के प्रधान मंत्री द्वारा मामले की जांच कराये जाने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने कागज मंगाये हैं और वह समूचे प्रश्न की जांच करने पर सहमत हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो इस पर प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने इस सौदे की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रधान मंत्री इस मामले की जांच करके अपने अन्तिम निष्कर्ष कब देंगे ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इस आशय का कोई पत्र प्रधान मंत्री जी को नहीं मिला है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा स्थापित किए गए कार्यकारी दल का प्रतिवेदन

10288. श्री निहार लास्कर :

श्री पी० एम० सईद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा स्थापित किये गये कार्यकारी दल ने 26 मार्च, 1979 को सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्यकारी दल का एक सुझाव यह है कि बड़े एकक अनेक प्रकार से छोटे एककों की सहायता कर सकते हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसके कितने सुझावों को स्वीकार किया गया है और क्रियान्वित किया गया है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल द्वारा गठित कार्यकारी दल ने ग्रामीण, लघु मझोले व बड़े उद्योगों के बीच पारस्परिक सहायता के माध्यम से निकट सहयोग स्थापित करने पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट की प्रतियां संसद पुस्तकालय में प्राप्त हैं अन्तिम रूप से सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर कार्रवाई की जायेगी।

विभिन्न आय वर्ग के लोगों के बारे में आधार सामग्री तथा उनकी प्रतिशतता

10289. श्री राम विलास पासवान : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1976-77 में विभिन्न आय तथा व्यय समूहों में विभिन्न वर्गों के लोगों के बारे में आधार सामग्री तथा उनकी प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में 1977-78 में कोई परिवर्तन हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ने इस बारे में कोई सुधार किया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में प्रति वर्ष इस आधार सामग्री को एकत्र करने के लिए सरकार के ठोस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) और (ख) आय समूहों के अनुसार जनसंख्या के वितरण का पूर्ण विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के विभिन्न दौर से व्यय-वर्गों के अनुसार उपभोक्ता व्यय वितरण से संबंधित सूचना उपलब्ध है। तथापि, 1976-77 में ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया। उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण 1977-78 में किया गया था परन्तु एकत्र किए गए आंकड़ों को अभी प्रक्रमित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण हर वर्ष उपभोक्ता व्यय के सर्वेक्षण करने के एक प्रस्ताव पर इस समय विचार कर रहा है।

कश्मीर की सीमा और शरणार्थी

10290. चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर के साथ पाकिस्तानी सीमा पर श्री भुट्टो को फांसी दिये जाने का विरोध करने के लिए इस ओर से उस ओर जाने वाले व्यक्तियों को रोकने में हमारी सीमा सुरक्षा फोर्स को बहुत कठिनाई हुई;

(ख) क्या यह सच है कि उस विशेष दिन से सीमा की दूसरी ओर से बहुत से परिवार भारत में शरण लेने के लिये लगातार घाटी विशेषकर मन्थर क्षेत्र में घुस रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इस मामले पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) इन शरणार्थियों की समस्याओं को सुलझाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठता।

बेरोजगारी के आंकड़ों का प्रकाशन बन्द किया जाना

10291. श्री हरीराम गोदारा : क्या **योजना** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुल बेरोजगारी के आंकड़ों का प्रकाशन तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त से बन्द कर दिया गया था और अब भी बन्द है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के बाद में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है और परिणामतः अधिक से अधिक संख्या में लोग निर्धनता रेखा से नीचे चले गए ; और

(घ) यदि हां, तो पिछले बेरोजगारों को रोजगार दिलाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने के उपरोक्त संदर्भ में क्या सुधार किए गए हैं क्योंकि सत्तारूढ़ सरकार ने इस सम्बन्ध में लोगों से बड़े-बड़े वायदे किए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) और (ख) चौथी और पांचवी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेजों में बेरोजगारी या रोजगार सृजन के कोई अनुमान नहीं दिए गए थे। पिछली योजनाओं के लिए तैयार किए गए बेरोजगारी के अनुमानों की जांच करने के लिए, अगस्त, 1968 में योजना आयोग द्वारा स्थापित की गई विशेषज्ञों की समिति की सिफारिश पर ऐसा किया गया था। इस समिति ने पहले के अनुमान लगाने में प्रयुक्त की गई कार्यप्रणाली पर विचार किया था और उसे अपर्याप्त पाया था तथा अनेक नए अध्ययन करने का प्रस्ताव किया था। नई संकल्पनाओं पर आधारित तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त हुए हाल के आंकड़ों और जनगणना के आंकड़ों को प्रयुक्त करते हुए पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1978-83) में अनुमान दिए गए हैं।

(ग) तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि दूसरी योजना के अन्त में लगभग 90 लाख बेरोजगारी थी, जबकि दूसरी योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि पहली योजना के अन्त में 53 लाख बेरोजगारी थी। तीसरी योजना में यह अनुमान लगाया गया था कि इसके अलावा 150 लाख से 180 लाख व्यक्ति अल्प रोजगार प्राप्त थे और अतिरिक्त काम के लिए उपलब्ध थे। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में यह अनुमान लगाया था कि 1978 में दीर्घकालिक बेरोजगारी 44 लाख श्रम-वर्ष, साप्ताहिक बेरोजगारी 112 लाख श्रम-वर्ष और दैनिक बेरोजगारी की मात्रा 206 लाख श्रम-वर्ष थी। ये आंकड़े पिछली योजना के दस्तावेजों में दिए गए आंकड़ों से तुलनीय नहीं हैं। योजना आयोग द्वारा 1962 में स्थापित किए गए कार्यकारी दल की सिफारिश के आधार पर केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा तैयार किए गए गरीबी के अनुमानों के अनुसार 1960-61 में गरीबी के स्तर से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 55.4 प्रतिशत था। 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में वर्ष 1977-78 के लिए 46.3 प्रतिशत का अनुमान दिया गया है।

(घ) बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को दूर करने के प्रधान उद्देश्यों में से एक उद्देश्य रखते हुए 1978-83 की पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। यदि निवेश और उत्पादन का योजना-बद्ध स्वरूप कार्यरूप में परिणत हो जाता है तो उससे 493 लाख मानक श्रम-वर्ष के अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होने की सम्भावना है।

कपड़ा मिलों द्वारा मानव निर्मित रेशे का प्रयोग

10292. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

डा० विजय मंडल :

श्री शंकर सिंह जी बाघेला :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रुई के गिरते हुए मूल्यों को देखते हुए भारत सरकार का विचार कपड़ा मिलों पर लगे न्यूनतम 10% मानव निर्मित रेशे की प्रयोग के दायित्व को वापस लेने का है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : प्रश्न में निर्दिष्ट सूती वस्त्र मिलों पर लगाए गये कुल रेशा उपभोग में कम-से-कम 10 प्रतिशत गैर सूती रेशे के उपयोग के कानूनी बन्धन को भारत सरकार ने 20 फरवरी, 1979 से वापस ले लिया है ।

जहरीली शराब के कारण हुई मौतें

10293. **श्री शंकर सिंह जी बाघेला :**

डा० विजय मंडल :

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहरीली शराब पीने के कारण देश में अनेक व्यक्तियों की मृत्यु हुई है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान मरने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या का वर्ष-वार और राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या देश में मिलावटी शराब की बिक्री रोकने के लिए सरकार ने कोई उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

कैदियों पर मुकद्दमा चलाये जाने के बारे में विधि आयोग की सिफारिशें

10294. **श्री एस० एस० सोमानी :** क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विधि आयोग ने सरकार से सिफारिश की है कि जो व्यक्ति कानून का उल्लघंन करते हैं और आंदोलन के दौरान स्वेच्छा से अपने आपको गिरफ्तार करवाते हैं, उन पर गिरफ्तारी के तुरन्त बाद मुकद्दमा चलाया जाना चाहिए ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि उनमें से अधिकांश जमानत नहीं करवाते हैं और केवल जेलों में भीड़-भाड़ में वृद्धि करते हैं ;

(ग) क्या सरकार को यह भी पता है कि शान्ति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार हेतु सुरक्षा संबंधी अभियोगों में जिन अनेक व्यत्तियों पर मुकदमे चलाये जा रहे हैं उन्हें विचाराधीन

कदियों के रूप में जेलों में रखा जा रहा है क्योंकि वे अपेक्षित बांड प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त परिस्थितियों को देखते हुए सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इस संबंध में विधि आयोग द्वारा हाल में की गई मुख्य सिफारिशें सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान् । विधि आयोग ने अपनी 78वीं रिपोर्ट में जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ के बारे में पैरा 3.10 में यह सिफारिश की है ।

(ख) विधि आयोग ने इस रिपोर्ट में कहा है कि उनमें से अधिकांशतः जमानत नहीं देंगे ।

(ग) इस मामले में सरकार के पास कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि दंड प्रक्रिया संहिता 116(6) की धारा में निहित शक्तियों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध अध्याय VIII के अन्तर्गत जांच की जा रही है, उसे 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नजरबन्द नहीं रखा जा सकता ।

(घ) विधि आयोग द्वारा अपनी 78वीं रिपोर्ट से दी गई सिफारिशों और परिणामों का सारांश रिपोर्ट के 9वें अध्याय में निहित है, जिसकी प्रतिलिपियां सभा के पटल पर तारीख 27-2-79 को रखी गई थीं । तथापि विधि आयोग द्वारा दी गई मुख्य सिफारिशों का एक विवरण संलग्न है ।

की गई सिफारिशों में से कुछ राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा प्रशासनिक निर्देशों को जारी करने के कार्यान्वयन के लिए हैं। दण्ड प्रक्रिया संहिता और भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों में संशोधन करने के सम्बन्ध में सिफारिशों पर राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है ।

विवरण

विधि आयोग द्वारा अपनी 78वीं रिपोर्ट में, जेलों में विचाराधीन कैदियों की भीड़ के बारे में की गई मुख्य सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :—

1. उन मामलों को, जिनमें दोषी व्यक्ति जेलों में हैं, वरीयता दी जाय और ऐसे मामलों के निपटान का लक्ष्य 77वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार निर्धारित 6 महीने के बजाय 4 महीने रखा जाय ।

2. जांच मैजिस्ट्रेटों को ऐसे मामलों की जिनमें दोषी व्यक्ति हिरासत में हैं और जिन पर निर्धारित समय पर निर्णय नहीं लिया जा सका, ऐसे मामलों की सामयिक विवरणिका प्रस्तुत करनी चाहिए ।

3. कुछ आंदोलनों के समय, बहुत से व्यक्ति कानून का उल्लंघन करते हैं और अपने आपको गिरफ्तार करवाते हैं. इससे विचाराधीन कैदियों की संख्या में तेजी से अचानक वृद्धि हो जाती है । उनमें से अधिकांश जमानत नहीं देते हैं । जेलों में भीड़-भाड़ से बचने के लिए ऐसे व्यक्तियों को उनकी गिरफ्तारी के तुरन्त बाद विचारण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

4. काफी संख्या में ऐसे व्यक्ति जिन पर शांति बनाये रखने के लिये मुकदमा चल रहा है क्योंकि अपेक्षित बोंड देने में असमर्थ होने के कारण और जिन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए जेलों में विचारणाधीन कैदियों के रूप में नजरबन्द रखा गया है, ऐसे व्यक्तियों के मुकदमों की तत्परता से सुनवाई की जाय और इन मुकदमों पर 3 महीने के भीतर निर्णय लेने के भरसक प्रयत्न किये जाएं।

5. मामलों की जांच जितनी जल्दी संभव हो, की जाय। कानून में यह व्यवस्था है कि यदि जांच निर्धारित अवधि के भीतर पूरी नहीं होती है तो अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ दिया जाय, इस प्रकार तत्काल जांच-पड़ताल की आवश्यकता को अधिक महत्व मिलता है।

6. जहां अभियुक्त जेल में हों, मामलों में स्थगन की अनुमति न दी जाय, जब तक कि ऐसा करना नितान्त आवश्यक न हो।

7. (क) **जमानत योग्य अपराधों की सूची का संवर्धन :** जमानत न होने योग्य कुछ अपराधों को जमानत योग्य अपराधों में बदलकर, जमानत योग्य अपराधों को बढ़ाया जाय (दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची का भाग–I)

(ख) भारतीय दण्ड संहिता के अतिरिक्त कानून के अंतर्गत आफिसियल सिक्रेट अधिनियम 1963 (दंड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची का भाग–II) के अंतर्गत अपराधों को छोड़कर, उन अपराधों का जिनमें 3 साल तक की कैद हो सकती है, जमानत योग्य बनाया जाय।

8. **जब जमानत योग्य मामले में अभियुक्त जमानत देने में असमर्थ हों :** ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि जमानत योग्य अपराधों में यदि गिरफ्तारी के बाद एक महीना गुजर जाने पर अभियुक्त द्वारा जमानत नहीं दी जाती है तो उसे बांड पर बिना स्योरिटी के छोड़े जाने के लिए (दर्ज किए गए कारणों के विपरीत कारणों की अनुपस्थिति में) उचित आधार होगा।

9. **गैर-जमानती अपराधों के लिए नजरबन्द किया गया अभियुक्त :** गैर-जमानती अपराधों के मामले में, किसी व्यक्ति को बांड पर बिना जमानती के रिहा करने को अधिकारी और न्यायालय के विवेकाधीन किया जाय [दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 437 (I)]।

10. "जमानत" की परिभाषा इस बात को स्पष्ट करने के लिए जोड़ी जाय कि जमानत के संदर्भ में बिना स्योरिटी के बांड पर रिहा किया गया व्यक्ति भी शामिल है, जहां कभी संहिता द्वारा ऐसी रिहाई की अनुमति दी जाती है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की नई धारा 2(क)।

11. इसके अतिरिक्त, बिना जमानती के बांड पर रिहा करने की शक्ति की स्पष्ट व्यवस्था दण्ड प्रक्रिया संहिना की धारा 395(3) और 439(1) में दी जाय।

12. **जमानत पर रिहा किए गए व्यक्तियों पर पाबंदियां :** इस आशय का एक नया उपबन्ध जोड़ा जाय कि जमानत पर रिहा किया गया व्यक्ति उपस्थित होने के लिए, और हिरासत के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य होगा।

13. **जमानत का उल्लंघन करने का नया अपराध :** उपस्थित होने और हिरासत के सामने स्वयं की प्रस्तुत होने के दायित्व का उल्लंघन करने वालों को दण्ड देने के लिए एक नया उपबन्ध बनाया जाय, जिसमें 2 साल की सजा और जुर्माना और दोनों सजाओं की व्यवस्था की जाय। अपराध को सजेय, गैर-जमानतीय और किसी भी मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारण योग्य बनाया जाए। (भारतीय दन्ड संहिता की नई धारा 229 क और दण्ड प्रक्रिया संहिता की प्रथम सूची का भाग–I)

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय के कर्मचारियों के पदोन्नति के अवसर

10295. श्री राज कृष्ण डान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय में ऐसे बहुत से तकनीकी कर्मचारी हैं जिन्हें, 20 वर्ष से अधिक की सेवावधि हो गई है और वे अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर हैं और वे 3 से 4 वर्षों से अधिक समय से पूरी तरह से अवरुद्ध हैं;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इन प्रभावित कर्मचारियों के लिये कोई सैलेक्शन ग्रेड नहीं है और पदोन्नति के अवसर नहीं हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार निदेशालय के इन प्रभावित कर्मचारियों में व्याप्त रोष को कम करने के लिये ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलैस) में ऐसे चार तकनीकी कर्मचारी हैं जिन्होंने अपने वर्तमान वेतनमान में 20 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और पिछले 3 से 5 सालों से अपने वेतनमान की अधिकतम सीमा पर हैं। इनमें से एक व्यक्ति को उसकी बारी आने पर पदोन्नत नहीं किया जा सका क्योंकि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उन्हें पदोन्नति के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। अन्य 3 कर्मचारी अगली पदोन्नति के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि उन्होंने अभी तक अपने व्यवसाय में ग्रेड-1 प्राप्त नहीं किया था जैसा कि नियमों में अपेक्षित है।

(ख) और (ग) समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलैस) में तकनीकी कर्मचारियों के लिए विशिष्ट रूप से कोई चयन ग्रेड नहीं है। तथापि कुछ ग्रेडों में केन्द्र सरकार की अनुमति से तकनीकी कर्मचारियों के लिए क्रमशः अपने व्यवसायों में ग्रेड I और II प्राप्त करने पर चयन ग्रेड के बदले में प्रवीणता वेतन देने की व्यवस्था है। इन वर्गों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति के मार्ग, अपने व्यवसाय में ग्रेड-1 प्राप्त करने के बाद उपलब्ध हैं। कुछ पदों, जैसे कारपेन्टर, को तृतीय वेतन आयोग की सिफारिश पर उन्हें रनिंग वेतनमान का फायदा देने के लिए पदोन्नति ग्रेड को एक ही वेतनमान में मिला दिया गया था।

लघु उद्योगों और सेवा संस्थानों का सुदृढ़ बनाया जाना

10296. श्री निहार लास्कर :

श्री पी० एम० सईद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार लघु उद्योग के विस्तार पक्ष और सेवा संस्थान को सुदृढ़ बनाने के

नश्नपर भी विचार कर रही है, जिससे वे जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना करने और इसके लिए आदर्श कार्यवाही योजनाओं को तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता कर सकें;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार प्रत्येक और संघ राज्य क्षेत्रों में लघु उद्योगों और सेवा संस्थानों की कम से कम एक शाखा की स्थापना करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है;

(ग) क्या यह भी सच है कि ओखला (नई निल्ली) में लघु उद्योग और सेवा संस्थान के प्रत्येक विस्तार अधिकारी को पड़ोसी राज्यों और संघ क्षेत्रों का एक जिला आवंटित किया गया है जिससे लघु और लघुतर क्षेत्र के एककों को विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सहायता की जा सके; और

(घ) यदि हां, तो उनके द्वारा अब तक कितने राज्यों और संघ क्षेत्रों की सहायता की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) सरकार ने लघु उद्योग सेवा संस्थान की विस्तार गतिविधियों को पहले ही सुदृढ़ बना दिया है। लघु उद्योग सेवा संस्थानों ने 13 राज्यों में जिला उद्योग केन्द्रों के लिए 14 कार्य योजनाएं पहले ही तैयार कर ली हैं। इसके अलावा, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सभी 39 जिलों की कार्य योजनाएं तथा देश के बचे हुस्से में 23 कार्य योजनाएं लघु उद्योग सेवा संस्थानों तथा शाखा संस्थानों द्वारा तैयार की जायेंगी।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) ओखला, नई दिल्ली स्थित लघु उद्योग सेवा संस्थान के कार्यक्षेत्र में केन्द्रशासित प्रदेश दिल्ली, हरियाणा राज्य तथा उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद का विस्तार करना आता है। हरियाणा के सभी 11 जिलों तथा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के संबंध में लघु उद्योग सेवा संस्थान ओखला के एक अधिकारी को प्रत्येक जिले में विकास संबंधी गतिविधियों का समन्वय करने तथा विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के लघु तथा छोटे (टाइनी) एककों का विकास करने के लिए प्रभारी वनाया गया है।

कैदियों की रिहाई के बारे में राज्यों को अनुदेश

10297. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने ऐसे कैदियों को रिहा करने का निर्णय किया है जिन पर अपराधों के लिये उन पर मुकदमा चलाया गया था और इसके लिये जितनी अवधि क सजा उन्हें दी जा सकती थी, उससे आधी से अधिक की अवधि वे जेल में काट चुके हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे अनुदेश दिये हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल : (क) सूचना विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऐसे कोई अनुदेश जारी नहीं किए गए हैं। किन्तु राज्य सरकारों को जोर देकर कहा गया है कि उन्हें जेलों में अधिक भीड़ विशेष रूप से विचारणाधीन कैदियों के संदर्भ में, कम करने के प्रयत्न करने चाहिएं।

भारी जल का उत्पादन

10298. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **परमाणु ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी जल का देश में निर्माण हो रहा है ; यदि हां, तो कहां पर ; और

(ख) 1978-79 में कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां। नया नंगल स्थित नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में उपोत्पाद के रूप में और भारी पानी संयंत्र (तूतीकोरिन) में।

(ख) 12.4 मीटरिक टन।

चमड़ा निगम

10299. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने चमड़ा निगम विद्यमान हैं ;

(ख) क्या भारत में चमड़ा रंगने तथा जूतों सम्बन्धी कोई निगम है ;

(ग) यदि हां, तो क्या हम उस निगम के माध्यम से जूतों का निर्यात कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1977-78 के दौरान कितनी कीमत के जूते निर्यात किये गये ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) भारत में इस समय 9 चमड़ा विकास निगम हैं जिनमें से आठ राज्य सरकारों द्वारा व एक केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है।

(ख) टैनरी एंड फुटवियर कारपोरेशन आफ इंडिया नामक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम कानपुर में कार्य कर रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) उक्त निगम द्वारा वर्ष 1977-78 में 63.84 लाख रुपए के जहाज पर्यन्त भाड़ा-मुक्त मूल्य के जूतों व जूतों के हिस्सों का निर्यात किया गया था।

सैन्ट्रल फोरैन्सिक साइन्स लैबोरेट्रीज के लिये भवन का निर्माण

10300. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सैन्ट्रल फोरैन्सिक साइन्स लैबोरेट्रीज के लिए दिल्ली, कलकत्ता और चण्डीगढ़ में आवश्यक भवन हैं ; और

(ख) यदि नहीं, तो भवनों का निर्माण कब किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : (क) और (ख) कलकत्ता, दिल्ली और चंडीगढ़ में सैन्ट्रल फोरेंन्सिक साइन्स लैबोरेट्रीज पहले से ही सरकारी भवनों में हैं। परन्तु सरकार दिल्ली और चंडीगढ़ में सैन्ट्रल फोरेन्सिक साइन्स लैबोरेट्रीज को नए भवनों समूहों में जब वे बन कर तैयार हो जाते हैं, स्थान देने के लिये विचार कर रही है। अभी यह कहना कठिन है कि ये समूह कब बन कर तैयार हो जायेंगे।

लघु उद्योग निगमों को दी गई धनराशियां

10301. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विस्तार के लिये लघु उद्योग निगमों को धनराशियां दे रही है ; और

(ख) यदि हां, तो 1978-79 के दौरान कितनी धनराशि दी गई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) केन्द्रीय विनियोग राजसहायता योजना के अधीन चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एकक कुल अचल पूंजीगत विनियोग की 15 प्रतिशत राजसहायता बशर्ते कि वह 15 लाख रुपए से अधिक न हो प्राप्त कर सकते हैं। वस्तुतः यह राजसहायता राज्य स्तर की समितियों की सिफारिश पर राज्य सरकारों/संघशासित प्रदेशों के प्रशासनों या राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा प्राधिकृत अभिकरणों द्वारा दी जाती हैं और तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दावों की जांच कर लिये जाने के उपरांत यह राशि केन्द्रीय सरकार (औद्योगिक विकास विभाग) से प्राप्त कर ली जाती है।

इस तरह से औद्योगिक एककों को दी गई केन्द्रीय विनियोग राजसहायता के लिये राज्य सरकारों को वर्ष 1978-79 में 15.41 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया गया था।

जिन राज्य सरकारों के प्रशासनिक नियंत्रण में लघु उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं वही राज्य सरकारें इन निगमों के लिए राशि की व्यवस्था या बजट उपलब्ध कराती हैं। चूंकि केन्द्रीय सरकार इन निगमों को कोई राशि नहीं देती अतः मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

'जमादार' पदनाम को 'सीनियर अटेनडैन्ट' का पदनाम देना

10302. श्री दलपत सिंह परस्ते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय में मंत्रियों तथा सचिवों के साथ सम्बद्ध 'जमादार' पद के लिए "सीनियर अटेनडैन्ट" शब्दों का प्रयोग करने के लिए प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है क्योंकि कई बार यह शब्द भ्रम पैदा करता है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) यह पदनाम काफी समय से चल रहा है और भलीभांति समझा जाता है।

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि द्वारा व्यक्तियों और निगमित सार्वजनिक संस्थान से दान की राशि की प्राप्ति

10303. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की राष्ट्रीय राहत निधि में 24 मार्च, 1977 से 24 मार्च, 1979 तक दो वर्षों में किसी व्यक्ति और निगमित सार्वजनिक संस्थान से दान की कोई राशि प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने उपरोक्त दो वर्षों की अवधि में विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य एजेंसियों को उपरोक्त निधि में से अनुदान की मंजूरी दी थी ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है ; और

(ङ) क्या धनराशि के वितरण की वर्तमान प्रणाली में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जा रहा है ; और यदि हां, तो वे क्या है और इसके कारण क्या हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष में 24 मार्च, 1977 और 24 मार्च, 1979 के बीच व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और विदेशी तथा राज्य सरकारों से दान के रूप में कुल मिलाकर 14,39,60,333.02 रु० प्राप्त हुए थे। इन दानों की अलग से श्रेणीवार सूचियां तैयार नहीं की जाती हैं।

(ग) और (घ) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों आदि को स्वीकृत अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दे दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

प्रधान मंत्री राष्ट्रीय सहायता कोष से 24-3-1977 से 24-3-1979 तक दिये गये अनुदान।

1. आन्ध्र प्रदेश	चक्रवात और आग पीड़ितों के लिए	4,52,14,400.00
2. असम	बाढ़ पीड़ितों के लिए	3,00,000.00
3. बिहार	बाढ़ तथा आग पीड़ितों के लिए	20,86,200.00
4. दिल्ली	बाड़ और बवन्डर पीड़ितों के लिए	8,14,700.00
5. गुजरात	बाढ़ पीड़ितों के लिए	2,00,000.00
6. हिमाचल प्रदेश	बाढ, हिम स्खलन और आग पीड़ितों के लिए	5,66,000.00
7. हरियाणा	बाढ़ पीड़ितों के लिए	3,00,000.00

8.	जम्मू और काश्मीर	बाढ़ पीड़ितों के लिए	1,00,000.00
9.	केरल	बाढ़ तथा चक्रवात पीड़ितों के लिए	2,50,000.00
10.	कर्नाटक	बाढ़ पीड़ितों के लिए	50,000.00
11.	लक्ष द्वीप	चक्रवात पीड़ितों के लिए	50,000.00
12.	मध्य प्रदेश	बाढ़, ओला वृष्टि और आग पीड़ितों के लिए	2,23,200.00
13.	मणिपुर	आग पीड़ितों के लिए	40,000.00
14.	उड़ीसा	बाढ़ तथा चक्रवात पीड़ितों के लिए	9,50,000.00
15.	पंजाब	बाढ़ पीड़ितों के लिए	1,50,000.00
16.	पांडिचेरी	बाढ़ पीड़ितों के लिए	1,00,000.00
17.	राजस्थान	बाढ़ पीड़ितों के लिए	7,50,000.00
18.	तमिलनाडू	बाढ़, चक्रवात तथा दंगा पीड़ितों के लिए	1,53,83,200.00
19.	त्रिपुरा	बाढ़ पीड़ितों के लिए	1,50,000.00
20.	उत्तर प्रदेश	बाढ़, आग तथा दंगा पीड़ितों के लिए	45,99,000.00
21.	पश्चिम बंगाल	बाढ़ रीड़ितों के लिए	1,07,03,416.00
22.	मिजोरम	अकाल पीड़ितों के लिए	1,00,000.00
23.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्माच्युटिकल्स	बाढ़ से प्रभावित इलाकों को दवाओं की सप्लाई के लिए	16,98,000.00
24.	नैशनल चिल्ड्रन फण्ड		6,88,710.34
25.	इंडियन रेडक्रास सोसाइटी	असम-नागालैंड सीमा पर शरणार्थियों को राहत सामग्री की सप्लाई के लिए	2,00,000.00
26.	नैशनल पीपल्स कमेटी, वाराणसी	बाढ़ राहत कार्य के लिए	2,00,000.00
27.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	चक्रवात राहत कार्य के लिए	21,000.00
28.	व्यक्तियों को	विकट मानवीय संकट के समय राहत पहुंचाने के लिए	64,300.00
		योग	8,59,52,126.34

नये सीमेंट उद्योगों की स्थापना के लिये बड़ी फर्मों को लाइसेंस

10304. श्री राम विलास पासवान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी रबड़, लार्सन ट्यूबरो, सेंचुरी स्पिनिंग, केशोराम सीमेंट, कोरोमंडल फर्टिलाइजर्स **और जे एण्ड के** कंपनियों/ग्रुपों को नये सीमेंट उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन उद्योग-गृहों के तथा उनकी कंपनियों को ऐसे लाइसेंस देना सरकार की औद्योगिक नीति के अनुरूप है; और

(ग) इन लाइसेंसों को किस-किस आधार पर दिया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूबरो, मैसर्स सेंचुरी स्पिनिंग, मैसर्स केशोराम सीमेंट, मैसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स तथा जे एण्ड के कम्पनी/समूह की निम्नलिखित कम्पनियों को नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने/पर्याप्त विस्तार के लिए आशय-पत्र मंजूर किए गए हैं :—

1 मैसर्स मे० के० सिंथैटिक्स ।

2. मैसर्स रेमण्ड वूलेन वर्क्स, पथारिया ।

3. मैसर्स स्ट्रॉ प्रोडक्ट्स लि०, बनास ।

4. मैसर्स जे० के० सिंथैटिक्स लि०, नीमबहड़े (सफेद सीमेंट संयंत्र)

सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए मैसर्स मोदी रबड़ को अभी तक कोई आशय-पत्र मंजूर नहीं किया गया है ।

(ख) तथा (ग) वर्तमान औद्योगिक नीति के अनुसार सीमेंट उद्योग बड़े गृहों तथा विदेशी बहुलांश पूंजी वाली कम्पनियों के लिए भी उन्मुक्त है ।

नारियल जटा उद्योग का रक्षण

10305. श्री सरत कार : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नारियल जटा उद्योग की सहायता करने, उसका संवर्धन करने, तथा उसे रक्षण प्रदान करने के लिये सरकार ने राज्यवार क्या उपाय किये हैं; और

(ख) इस उद्योग में कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं और गत दो वर्षों के दौरान, वर्ष-वार तथा राज्य-वार उन्हें उद्योग द्वारा क्या मंजूरी दी गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

कयर उद्योग से संबंधित विकासपरक कार्यक्रमों का वस्तुतः कार्यान्वयन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की अपनी प्लान योजनाओं के अन्तर्गत है । केन्द्र सरकार ने सही दिशाओं में कयर उद्योग का विकास करना सुनिश्चित करने हेतु कयर बोर्ड जो कयर उद्योग अधिनियम 1953 के अधीन एक सांविधिक संगठन है, की स्थापना की है । कयर बोर्ड के मुख्य-मुख्य कार्य कयर तथा कयर के माल के निर्यात का संवर्धन करना, तथा इस उद्देश्य के लिये प्रभावी प्रचार कार्य करना,

कयर तथा कयर से बनी वस्तुओं के उत्पादन को विनियमित करना, वैज्ञानिक, तकनीकी संबंधी तथा अनुसंधान हाथ में लेना, उसमें सहायत पहुंचाना तथा उसे प्रोत्साहित करना, आंकड़े एकत्रित करना, उन्हें व्यापार में वितरित करना, मानकों के ग्रेड नियत करना, कयर की वस्तुओं के निरीक्षण की व्यवस्था करना, कयर तथा कयर के सामान के विपणन में सुधार करना, सहकारी संगठनों का संवर्धन करना तथा उद्योग में लगे हुए लोगों को उचित पारिश्रमिक दिलाना आदि है। इसकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने हेतु बोर्ड के अन्तर्गत निम्नलिखित एकक कार्य करते हैं।

(1) सेंट्रल कयर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलावूर, एलेप्पी।

(2) नेशनल कयर ट्रेनिंग एण्ड डिजाइन सेंटर, एलेप्पी।

(3) हिन्दुस्तान कयर, कलावूर

(4) ब्रांच रिसर्च स्टेशन, बंगलौर।

(5) नई दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर, एरणाकुलम, मदुरै, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, पटना, जम्मू, हैदराबाद तथा अहमदाबाद में प्रदर्शन कक्ष तथा बिक्री डिपों।

2. सरकार ने उद्योग के द्रुत तथा स्वस्थ विकास व उसकी समस्याओं को निपटाने हेतु अभ्युपायों संबंधी सुझाव देने, राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्यक्रम, कयर बोर्ड, वित्तीय संस्थानों द्वारा अदा की जाने वाली भूमिका सहित हस्क, यार्न का पूर्ण उपयोग तथा देश में बिक्री का बढ़ाया जाना सुनिश्चित करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करने हेतु श्री बी० शिवरामन, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अध्ययन दल का गठन किया था। अध्ययन दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इन सिफारिशों को ध्यान में रखकर तथा कयर उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्यों के परामर्श से कार्यान्वियन के समुचित कार्यक्रम हाथ में लिये जायेंगे।

3. चूंकि कयर उद्योग मुख्यतः एक कुटीर उद्योग है, रोजगार, मजदूरी आदि से संबंधित आंकड़ें तत्तकाल ही उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, अनुमान है कि उद्योग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करता है।

परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

10306. श्री आर० के० महालगी :

डा० बापू कालदाते :

क्या परमाणु ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो त्यागपत्र देने वाले सदस्यों के नाम क्या हैं;

(ग) त्यागपत्रों में उन्होंने क्या कारण दिये हैं; और

(घ) त्यागपत्रों में इन सदस्यों द्वारा की गयी शिकायतों पर ध्यान देने के लिए कदम उठाये गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति के अध्यक्ष डा० आत्माराम ने हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है।

(ग) डा० आत्माराम ने अपने त्यागपत्र में कोई विशेष कारण नहीं लिखा है।

(घ) यह प्रश्न उठता ही नहीं।

लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र का आर्थिक विकास

10307. **श्रीमती पार्वती देवी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विख्यात बौद्ध भिक्षु तथा भूतपूर्व संसद् सदस्य, श्री कुशक बाकुला द्वारा उनको एक ज्ञापन दिये जाने पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि केन्द्र सरकार लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र के आर्थिक विकास को गति देने की ओर समुचित ध्यान देगी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और लद्दाख के अधिक एवं तेज विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) ऐसा कोई ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) जम्मू और कश्मीर की राज्य योजना में लद्दाख के लोगों के आर्थिक विकास के लिए एक उप-योजना शामिल है। राज्य की योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए राज्य को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद् विधेयक

10308. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा विधान सभा द्वारा हाल में पारित त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद् विधेयक के उपबन्धों की इस बीच जांच कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) राज्य विधान सभा द्वारा यथा पारित त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद् विधेयक अभी तक भारत सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे पटसन की एकाधिकार वसूली

10309. **श्री चित्त बसु** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे पटसन, जो भारतीय पटसन निगम द्वारा कच्चे पटसन की एकाधिकार वसूली की कार्यवाही भी शामिल है, के लिये एकमुशत प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो जिन उपायों पर विचार किया जा रहा है उनका ब्यौरा क्या है और उस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) कच्ची पटसन के व्यवसाय में भारतीय पटसन निगम की भूमिका प्रभावी हो पटसन उत्पादकों के लिए पर्याप्त माल का सुनिश्चय हो सके इस हेतु अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया गया है कि कच्ची पटसन की वसूली में निगम का एकाधिकार होना चाहिए। प्रमुख पटसन उत्पादक राज्यों से इस विषय में विचार-विमर्श शुरू कर दिया गया है और निगम को इस प्रकार की भूमिका देने की संभाव्यता पर विचार हो रहा है।

बांकुरा और पुरुलिया में बुनकर और करघा वाले (लूमर्स)

10310. डा० विजय मण्डल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा और पुरुलिया जिलों में बुनकरों और पंजीकृत करघा वालों (लूमर्स) की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल में केन्द्रीय सरकार से पश्चिम बंगाल राज्य में बुनकरों और पंजीकृत करघा वालों को, विशेषकर उन लोगों को जो गत वर्ष भयानक भाड़ से ग्रस्त हुये थे, सहायता दिये जाने का अनुरोध किया है, और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने कितनी सहायता दी है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पश्चिम बंगाल के बांकुरा तथा पुरुलिया जिलों में क्रमश: 17,143 तथा 10,051 हथकरघे हैं। चूंकि उद्योग अत्यधिक विकेन्द्रीकृत है तथा राज्य के अर्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में हर दिशा में फैला हुआ है इन जिलों में बुनकरों की संख्या विषेयक जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी, हां। उच्च स्तरीय सहायता (रिलीफ) समिति जिसने पश्चिम बंगाल में बाढ़ की समस्या तथा हथकरघे पर उससे पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने वाले अध्ययन दल द्वारा दी गई सिफारिशों की जाँच की थी उसके द्वारा दी गई सिफरिशों के आधार पर भारत सरकार ने हथकरघों को बदलने/मरम्मत करने के लिये 1.50 करोड़ रुपये की तथा सूत खरीदने के लिये कार्यकारी पूंजी हेतु 1 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी थी। अग्रिम योजना सहायता में से राज्य सरकार को उपर्युक्त 2.50 करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध कर दी गई है। इसके अलावा, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में शीर्ष हथकरघा संस्थानों के लिये अंशपूंजी सहायता हेतु ऋण के रूप में 1 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा इस सहायता की व्यवस्था विद्यमान योजनाओं के अंतर्गत सामान्य ब्याज दर पर एक केन्द्रीय ऋण के रूप में इस शर्त के अधीन की गई है कि भविष्य में राज्य सरकार भी इतनी ही रकम का उपयुक्त अंशदान करेगी।

पूर्वता अधिपत्र में दर्जे के विरुद्ध न्यायाधीशों एवं सेना अधिकारियों की शिकायतें

10311. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीशों तथा सेना अधिकारियों ने पूर्वता अधिपत्र में उनके दर्जे के विरुद्ध शिकायतें व्यक्त की हैं ;

(ख) क्या मुख्य न्यायाधीश ने सरकार को पत्र लिखा है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का दर्जा मंत्री मंडल स्तर के मंत्रियों के बराबर किया जाये और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों का राज्य मंत्रियों के बराबर किया जाय;

(ग) क्या सेना अधिकारियों का दर्जा प्रतिवर्ष नीचा हो रहा है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह प्रस्ताव करते हुए सरकार को लिखा है कि पूर्वता अधिपत्र में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को संघ के कबिनेट मंत्रियों के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को राज्य सरकारों के केबिनेट मंत्रियों के बराबर का दर्जा दिया जाय। इस मामले पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

जहां तक पूर्वता अधिपत्र में सेना के अधिकारियों के दर्जे का संबंध है, 19-7-1978 को तारांकित प्रश्न संख्या 55 के उत्तर में सभा पटल पर रखे गए विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। सरकार पूर्वता अधिपत्र में सेना कमांडरों/वाइस चीफ आफ आर्मी स्टाफ अथवा अन्य सेवाओं के समकक्ष अधिकारियों की स्थिति के पुनरीक्षण के प्रश्न पर भी विचार कर रही है।

उद्योग में गैर-सरकारी पूंजी निवेश

10312. चौधरी हरीराम मक्कासर गोदारा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग में गैर-सरकारी पूंजी निवेश के स्तर में पिछले दो वर्षों में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिये क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) पिछले 2 वर्षों में उद्योग में कुल गैर-सरकारी पूंजी निवेश के वास्तविक स्तर के बारे में प्रत्यक्ष जानकरी उपलब्ध नहीं है। किन्तु निवेश संबंधी क्रियाकलाप के कुछ अप्रत्यक्ष सूचक जैसे अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा दिये जाने वाला वित्तीय विबरण, स्टील तथा सीमेंट जैसी कुछ महत्वपूर्ण निविष्टियों की घरेलू खपत एवं पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को देखकर ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि गत दो वर्षों में गैर-सरकारी निवेश में किसी भी प्रकार की कमी आयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बगासे पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन

10313. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रमुख कच्चे माल के रूप में बगासे का प्रयोग करके देश में नयी काग़ज़ परियोजनाएं स्थापित करने के लिये सरकार ने किस प्रकार के प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) बगासे पर आधारित नई काग़ज़ परियोजनाओं के लिये लाइसेंसों के लिये अब तक कितने उद्योगों ने आवेदन-पत्र भेजे हैं और ये परियोजनाएं किन-किन राज्यों में स्थापित किये जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का यह सुनिश्चित करने का विचार है कि यदि चीनी मिलें बगासे को न बेचें और बायलर में ईंधन के रूप में प्रयोग करें तथा उसको बगासे पर आधारित नई काग़ज़ परियोजनाओं को सप्लाई करें ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) काग़ज़ बनाने में गन्ने की खोई (बगासे) का अधिकाधिक प्रयोग किये जाने के लिए सरकार ने निम्नलिखित प्रोत्साहनों की सिफारिश की है :—

(1) चीनी मिलों के आसपास स्थित काग़ज़ और/अथवा अखबारी काग़ज़ की मिलों की स्थापना करने के लिए चीनी कारखानों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।

(2) विद्यमान निम्नलिखित बायलरों से बगासे प्राप्त कराई जा सकेगी :

1. विद्यमान बायलर में स्टीम एकोनोमी प्रणाली लगाकर
2. विद्यमान बायलरों को कोयले से जलने वाले बायलरों में बदल कर
3. पूर्णतः कोयले से जलने वाले नये बायलरों का प्रावधान करके। इस प्रकार के सुधार/परिवर्तन/परिवर्धन या बायलरों का बदलना काग़ज़ मिल को पूंजीगत लागत का भाग होगा ।

(3) वित्तीय संस्थान इस प्रकार के नियोजनों के लिए प्राप्त हो सकने वाली उपयुक्त ऋण इक्विटी के अनुपात के अनुसार सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता देंगे ।

(4) चूंकि चीनी मिलों को गन्ना पेरने के मौसम में अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिये कोयले का भंडार रखना पड़ेगा अतएव चीनी मिलों द्वारा कोयले को लाने ले जाने, निधीयन तथा भंडारण में आने वाली लागत कागज मिलों को भेजी जाने वाली खोई से प्राप्त कीमत में से पूरी की जाएगी ।

(5) बायलर के बदले में तथा चीनी मिलों के बायलरों के लिए खोई की जगह कोयले के प्रतिस्थापन से आने वाली अधिक लागत को पूरा करने के लिए कम-से-कम 75 प्रतिशत खोई से तैयार किए जाने वाले लिखाई तथा छपाई कागज पर उत्पादन शुल्क में छूट दी जानी चाहिये ।

(6) रेलवे द्वारा चीनी मिलों के लिए कोयला लाने ले जाने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ।

एक आवेदन प्रतिवर्ष 83000 मी० टन अखबारी कागज और 17000 मी० टन छपाई और लिखाई का कागज मुख्यत: बगासे से बनाने के लिए संक्षेप में एक नया एकक स्थापित करने हेतु तमिलनाडु सरकार से प्राप्त हुआ है ।

पश्चिम बंगाल में रक्षित जनरेटर सैटों की स्थापना

10314. श्री अनन्त राम जायसवाल : क्या उद्योग मंत्री यह निम्नलिखित की जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभापटल पर रखेंगे :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों में स्थित जनरेटर सैटों की स्थापना करने के बारे में आदेश जारी किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन कारखानों के नाम क्या हैं और इनमें से प्रत्येक कारखाने को ऐसा करने की अनुमति कब दी गयी थी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) ऐसे कोई सामान्य आदेश जारी नहीं किये गये हैं। किन्तु इस संबंध में विद्यमान नीति निम्नलिखित है :—

(1) किसी भी उद्योग में सामान्य रूप से केप्टिव पावर एकक स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) जिन उद्योगों में प्रोसेस स्टीम की आवश्यकता है अथवा जहां "वेस्ट हीट" उपलब्ध है, उन मामलों में "कुल ऊर्जा संकल्पना" से अनुसार केप्टिव जनित्रण क्षमता को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

(3) उद्योगों को बिना किसी अड़चन के स्वदेशी डीजल जनित्रण सेट अधिष्ठापित करने की अनुमति दी जा सकती है। किन्तु डीजल जनित्रण सेटों को आयात करने के बारे में सामान्य पद्धतियों के अनुसार अपेक्षित कार्यवाई की जाएगी।

भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा आपातकाल के दौरान की गयी ज्यादतियां

10315. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के नाम, पदनाम तथा पते क्या हैं जिनके विरुद्ध आपातकाल के दौरान उनके द्वारा की गई ज्यादतियों के कारण सरकार द्वारा कार्यवाही की गई है ;

(ख) उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गयी थी लेकिन उन्हें बहाल कर दिया गया था ;

(ग) उनकी बहाली के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि कुछ ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं जिनका आपातकाल के दौरान की गयी ज्यादतियों में प्रत्यक्ष रूप से हाथ था ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) शाह जांच आयोग के निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अभी तक निम्नलिखित आई०ए०एस० अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं :—

1. श्री नवीन चावला, वित्त सचिव, पांडीचेरी।
2. श्री बी० आर० टमटा, विकास आयुक्त एवं विकास सचिव, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह।
3. श्री वी० एस० एलावादी, निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, नई दिल्ली।

इनमें से किसी भी अधिकारी को शाह जांच आयोग के अभ्भारोपण के आधार पर निलम्बित नहीं किया गया।

(घ) जी नहीं, श्रीमान्। यह कहना सही नहीं होगा कि आपातकालीन स्थिति के दौरान प्रत्यक्ष रूप से ज्यादतियां करने में शामिल अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। शाह जांच आयोग के निष्कर्षों/टिप्पणियों को, बड़ी संख्या में विभिन्न आपातकालीन ज्यादतियां जांच प्राधिकरण/राज्यों सरकारों द्वारा जांच किए गए चतुर्य श्रेणी के मामलों को शाह आयोग की टिप्पणियों सहित और आयोग की जांच एजेंसियों द्वारा जांच किए गए पंचम श्रेणी मामलों को, जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध निर्धारित नियमों के अंतर्गत उचित कार्रवाई के लिए संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्र प्रशासन को भेज दिया गया है।

"पश्चिम बंगाल के छोटे एककों द्वारा सहायता हेतु बचाओं पुकार (एस०ओ०एस०)" शीर्षक का समाचार

10316. श्री बाला साहेब विखे पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1979 के "इकानामिक टाइम्स" (नई दिल्ली संस्करण) में "पश्चिम बंगाल के छोटे एककों द्वारा सहायता हेतु बचाओं प्रकार" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या उन्हें पश्चिम बंगाल के छोटे तथा मध्यम उद्योगों के संघ की ओर से इस आशय का अभ्यावेदन मिला है कि उन्हें दुगुनी सजा मिल गई है और वे पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, रेलवे तथा रक्षा विभाग के साथ किये गये अपने ठेकों के सम्बन्ध में सुपुर्दगी समय-सारणी का पालन करने में असमर्थ है ;

(ग) क्या सरकार इस नाजुक स्थिति पर काबू पाने के लिये छोटे तथा मध्यम उद्योगों को सहायता देने के बारे में विचार कर रही है ताकि वे पूर्णतः समाप्त होने से बच सकें ; और

(घ) यदि हां, तो लघु क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता की मोटी रूपरेखा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) इस संबंध में पश्चिम बंगाल के लघु तथा मझोले उद्योग संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) तथा (घ) जहां तक ऋण सुविधाओं का सम्बन्ध है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जुलाई, 1978 में सभो वाणिज्यिक बैंकों को हिदायतें जारी कर दी थीं कि ऋण भुगतान सूची में संशोधन किया जाना चाहिए और जब भी कभी औद्योगिक एकक बिजली की कटौती, मन्दी अथवा अन्य वास्तविक कारण से भुगतान करने में असमर्थ हों तब आवश्यक सीमा तक भूगतान सूची को पुनः तैयार किया जाये।

लघु एककों की लोहा तथा इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वितरण प्रणाली की सरकार द्वार समीक्षा की जा रही है और यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक राज्य का लघु उद्योग निगम इस्पात के वितरण के कार्य को अपने हाथ में ले ले ताकि राज्य के प्रत्येक लघु एकक को इस्पात का समान वितरण किया जा सके। उपर्युक्त नीति के अनुसरण में राज्य के लघु उद्योग निगमों के माध्यम से अधिक से अधिक कच्चे माल को प्रणालीबद्ध किया जा रहा है। वर्ष 1978-79 में लघु एककों को वितरण के लिए 3,30,000 मी० टन इस्पात इन

निगमों को दिया गया था। जबकि वर्ष 1977-78 में 1,76,000 मी० टन इस्पात उपलब्ध कराया गया था। यह आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों से काफी अधिक हैं। वर्ष 1979-80 में निगमों को 5,00,000 मी० टन इस्पात उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है और पश्चिम बंगाल लघु उद्योग निगम को आवंटन में समानुपातिक वृद्धि की जाएगी। उपर्युक्त के अलावा प्रति छः महीने की 200 मी० टन से अधिक की खपत वाले लघु एककों को अपनी पूर्ति सीधे उत्पादकों से प्राप्त करने हेतु अपने आर्डर उनको सीधे भेजने की पात्र घोषित कर दिया है।

भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सीमेन्स के बीच करार

10317. श्री ए० के० राय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के इस आशय के समाचार के बारे में उन्हें जानकारी है कि भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड और सीमेन्स के बीच हुए करार के बारे में सरकार पुनर्विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) हाल में जिस विशेष समाचार का हवाला दिया गया है उसके बारे में जानकारी नहीं है किन्तु चूंकि प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है इसलिए इस अवस्था में बी०एच०ई०एल० सीमेंस के प्रस्तावित सहयोग करार पर सरकार द्वारा फिर से विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा कपड़ा मशीनरी प्राप्त किया जाना

10318. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़ा मिलों तथा विशेषकर राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन कपड़ा मिलों को कपड़ा मशीनरी प्राप्त करने में कठिनाइयां हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला कपड़ा मशीनरी निर्माताओं के साथ उठाया है और मिलों की मशीनरी की तत्काल सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ;

(ग) क्या कपड़ा मशीनरी निर्माताओं को मशीनरी सप्लाई करने की क्षमता की तुलना में कपड़ा मशीनरी की मांग का अनुमान लगाने हेतु कोई अध्ययन किया गया है ;

(घ) क्या कपड़ा मशीनरी निर्माता मशीनरी एक उचित अवधि तक सप्लाई करने में असमर्थ है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इसकी सप्लाई की तिथि में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) (क) से (ङ) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में विद्युत संकट के कारण हानि उठाने वाले उद्योग

10319. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में विद्युत संकट के कारण हानि उठाने वाले उद्योगों के नाम क्या हैं;

(ख) इन उद्योगों को धन के रूप में तथा जनघंटों के रूप में कितनी हानि उठानी पड़ी है ; और

(ग) देश में ऐसे विद्युत संकट को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अन्य राज्यों की भांति जहां कहीं बिजली में कटोतियां होती हैं, पश्चिम बंगाल में विशेषकर रसायन, इंजीनियरी तथा अन्य क्षेत्रों में जो अधिकतर बिजली से चलते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में हानि हुई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल में समग्र उद्योगों पर अप्रैल, 1979 में कुछ समय के लिए, जो प्रतिकूल प्रभाव पड़ा वह 10 अप्रैल, से 14 अप्रैल 1979 तक औद्योगिक कार्यों के लिए 3300 वोल्ट तथा उससे अधिक बिजली लेने पर सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लगी रोक के कारण था।

(ख) उद्योगों को हुई हानि के बारे में राज्य सरकार द्वारा अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है।

(ग) देश में बिजली की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई अभ्युपाय किये गये हैं। इन अभ्युपायों में जिन परियोजनाओं में कार्य चल रहा है उन्हें जल्दी चालू करना, विद्यमान अधिष्ठापित क्षमता से अधिक से अधिक बिजली उत्पन्न करना, विभिन्न बिजली प्रणालियों का एकीकृत संचालन, बिजली परियोजनाओं की प्रबंध व्यवस्था में सुधार करने की दृष्टि से बिजली पूर्ति उद्योग का पुनर्गठन आदि शामिल हैं।

महाराष्ट्र में लुगदी पर आधारित कागज उद्योगों की स्थापना

10320. डा० लक्ष्मीनारामण पाण्डेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में लुगदी पर आधारित कागज एकक स्थापित करने की अत्यधिक सम्भावनाएं हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई कार्यवाही की है ;

(ग) क्या प्रवर नगर शुगर कोआपरेटिव फैक्टरी ने इस सम्बन्ध में किसी काम की पहल की हैं ;

(घ) क्या इस समय लकड़ी के स्थान पर लुगदी का प्रयोग किया जा रहा है ; और

(ङ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की गई है तो वह क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) पता चला है कि कागज का उत्पादन करने के लिए गन्ने की खोई एक उपयुक्त बेल्युलोसिक कच्चा माल

है। सरकार ने कागज के उत्पादन में गन्ने की खोई के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अनेक अभ्युपायों की घोषणा की है। इस बारे में जारी किया गया प्रेस नोट संलग्न है।

(ग) प्रवर सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में खोई के उपयोग पर आधारित प्रवर पल्प एण्ड पेपर मिल्स नामक एक सहायक उद्योग स्थापित किया है।

(घ) और (ङ) चीनी मिलों द्वारा खोई को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। सरकार बायलरों में खोई के स्थान पर कोयले का उपयोग करने के पक्ष में है ताकि खोई को कागज बनाने के लिए बचाया जा सके। संलग्न प्रेस नोट में सरकार की नीति दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4502/79]

कपड़ा मिलों को भट्टी के तेल की आवश्यकताएं

10321. डा० बसन्त कुमार पंडित : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भट्टी के तेल की कुल कितनी आवश्यकता है और वर्ष 1977, 1978 और 1979 में इसके उत्पादन तथा सप्लाई के स्रोत क्या थे ;

(ख) उपरोक्त मात्रा में से देश में कपड़ा मिलों के लिये कितनी मात्रा की आवश्यकता है ;

(ग) क्या ईरान की हाल की घटनाओं से भट्टी के तेल की सप्लाई पर बहुत कुप्रभाव पड़ा है और उसके कारण कुछ एकक बन्द हो गये हैं ;

(घ) सरकार ने कपड़ा मिलों तथा अन्य उद्योगों को पैट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ङ) क्या (1) ईंधन के संरक्षण ; (2) भाप के बेहतर उपयोग और (3) कपड़ा उद्योग में कोयला भट्टियां लगाने की दिशा में कोई कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) एक विवरण **अनुबंध के रूप में संलग्न है।**

(ग) ईरान की हाल ही की घटनाओं ने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में क्रूड तथा पैट्रोलियम उत्पादों की समग्र उपलब्धता को प्रभावित किया है। भट्टी के तेल के मामले में कोयले की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण हाल के महीनों में भट्टी के तेल की मांग में तेजी से वृद्धि हुई है। इस उत्पाद के रेल द्वारा लाने ले जाने की पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में भट्टी तेल संबंधी इस बड़ी मांग को पूरा कर पाना संभव नहीं है, भट्टी के तेल की अनुपलब्धता के कारण वस्त्र मिलों के बन्द हो जाने के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(घ) विभिन्न पूर्ति स्थलों में भट्टी के तेल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने तथा भिन्न-भिन्न उपभोक्ता स्थलों में उत्पादों को लाने ले जाने हेतु रेल परिवहन में सुधार करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

(ङ) जी, हां।

विवरण

वर्ष	आवश्यकता (टन लाखों में)	उत्पादन का स्रोत	पूर्ति का स्रोत	कपड़ा उद्योग द्वारा भट्टी तेल की खपत (किलो लीटर लाखों में)
1976-77	42.20	(1) भारतीय परिशोधन-शालाएं मुख्यत: आयातित तथा देशीकच्चे तेल से इसका उत्पादन करती हैं	आई०ओ०सी०, भारत पैट्रोलियम निगम, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम निगम, आसाम तेल कम्पनी के माध्यम से	5.57
1977-78	39.50			4.38
1978-79	42.00 (अनुमानित)			4.40 (अनुमानित)
1979-80	42.00 से 45.00 (संभावित मांग)	(2) तथा भट्टी तेल का आयात		4.50 संभावित मांग)

ग्राम तथा लघु उद्योग के विकास पर खर्च की गई धनराशि

10322. **डा० बलदेव सिंह जसरोटिया** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र ने गत तीन वर्षों में ग्राम तथा लघु उद्योग अनुभाग के विकास पर (एस०एस० आई० खादी तथा ग्रामोद्योग हथकरघा, हस्तशिल्प आदि के लिये मदवार) वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ख) वर्ष 1973-74 में इस क्षेत्र में (मदवार) वास्तव में कितने लोगों को रोजगार मिला और वर्ष 1977-78 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों में रोजगार के कितने अतिरिक्त अवसर पैदा किये गये (प्रमाणित तथा वास्तव में सत्यापित आंकड़ें) ; और

(ग) क्या सरकार योजनाओं की उपलब्धियों से संतुष्ट है ; यदि नहीं, तो वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिये पूरे कार्यक्रम में सक्रियता लाने के लिये क्या विशेष उपाय किये गये हैं या करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान किये गये वास्तविक व्यय का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	किया गया वास्तविक व्यय (लाख रुपये में)		
	1976-77	1977-78	1978-79 (अनुमानित)
1	2	3	4
हथकरघा	1395.00	2114.00	3111.00
हस्तशिल्प	179.78	471.38	1200.00

1	2	3	4
लघु उद्योग	477.35	682.64	2804.46
कयर	46.79	81.49	लागू नहीं होता
रेशम उद्योग	233.47	366.13	536.52
खादी तथा ग्रामोद्योग	2845.00	4465.00	लागू नहीं होता

(ख) इस क्षेत्र में मिले रोजगार के प्रमाणित तथा आंकड़े देना सम्भव नहीं है क्योंकि एककों द्वारा रिपोर्ट दिये जाने की प्रणाली नहीं है। रोजगार के अनुमानित आंकड़े नीचे दर्शाये गये हैं :—

क्षेत्र	रोजगार (लाख व्यक्ति)		1973-74 के मुकाबले
	1973-74	1977-78	1978-79 में बढ़ोतरी
हथकरघा	लागू नहीं होता	67.00	लागू नहीं होता
हस्तशिल्प	15.00	19.00	4.00
लघु उद्योग	18.80	29.00	10.20
कयर	5.00	5.00	—
रेशम उद्योग	30.37	38.06	7.69
खादी तथा ग्रामोद्योग	18.12	24.16	6.04

(ग) सरकार आमतौर पर इस क्षेत्र की उपलब्धियों से संतुष्ट है। दिसम्बर, 1977 में घोषित नई औद्योगिक नीति में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास पर विशेष बल दिया गया है।

कार्यालयों और स्कूलों में प्रयोग के लिए कागज

10323. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कार्यालयों में प्रयोग हेतु "कागज" का आयात करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने यह नीति निर्णय किया था कि कागज उद्योग को अपने कागज उत्पादन का 30 प्रतिशत सरकारी कार्यालयों और स्कूल की पुस्तकों के लिए उपलब्ध करना चाहिए और यदि हां, तो क्या इसका पालन नहीं किया गया है ; और

(ग) इस समय सफेद कागज का बाजार मूल्य क्या है और उक्त नीति के अन्तर्गत सप्लाई किये जाने वाले कागज का मूल्य क्या है और उसकी प्रति टन उत्पादन लागत क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) चूंकि पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता देश के अन्दर पूरी नहीं कर पाता है, अतः अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कागज आयात कराने के प्रबंध किये गये हैं।

(ख) कागज (उत्पादन का विनियमन) आदेश में केवल यही अनुबंधित है कि 25 मी० टन प्रतिदिन अथवा उससे अधिक अधिष्ठापित क्षमता वाली मिलों को अपने कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत भाग छपाई का सफेद कागज के रूप में बनाना चाहिए। आदेश में अधिष्ठापित क्षमता आदि की सीमा के आधार पर छूट देने की भी व्यवस्था है। कागज उद्योग 1974 में स्वैच्छिक रूप से समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छपाई का सफेद कागज एक सीमित मात्रा में 2750 रु० प्रति मी० टन की विशेष दर पर सप्लाई करने पर सहमत हो गया था। यह कागज पहले आंशिक रूप से सरकारी कार्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तथा अभ्यास पुस्तिकायें बनाने व शैक्षिक क्षेत्र के लिये पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करने के उपयोग में लाया जा रहा था। किन्तु, गत वर्ष से यह निर्णय किया गया है कि शैक्षिक क्षेत्र की बढ़ती हुई मांग को ध्यान में रखते हुए छपाई के रियायती सफेद कागज की समग्र आपूर्ति केवल शैक्षिक क्षेत्र को ही की जायेगी।

(ग) छपाई का रियायती सफेद कागज 2750 रु० प्रति मी० टन की दर पर सप्लाई किया जा रहा है। चूंकि कागज की यह किस्म उक्त सूची के अंतर्गत खुले बाजार में नहीं बेची जाती है, अतः कोई बाजार मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। कागज की इस किस्म के उत्पादन की लागत अलग-अलग मिलों में भिन्न-भिन्न है लेकिन औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो औसत मूल्य निर्धारित करने हेतु एक अध्ययन कर रहा है।

विस्कोस स्टेपल फाइबर का आयात

10325. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष में विस्कोस स्टेपल फाइबर का आयात करने की अनुमति दी है ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में कितनी मात्रा में आयात किया गया ;

(ग) क्या आयातित फाइबर पर सीमा शुल्क और उत्पादन-शुल्क, बिक्री कर आदि जैसे प्रति सन्तुलनकारी शुल्कों से छूट दी गई थी ;

(घ) क्या स्वदेशी फाइबर पर उत्पादन-शुल्क और बिक्री कर आदि के माध्यम से प्रति टन औसतन 2500 रुपये अदा करने पड़ते हैं ;

(ङ) इस वस्तु के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा क्यों नहीं दिया गया जबकि स्वदेशी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है और आयातित स्टेपल फाइबर का मूल्य देश में उत्पादित स्टेपल फाइबर के मूल्य से अधिक था ; और

(च) सरकार को गत दो वर्षों में शुल्कों, करों आदि के कारण कितनी हानि हुई ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) जी, हां।

(ख) 2.5 वर्ष की अवधि में लगभग 1,98,961 मी० टन विस्कोस स्टेपल फाइबर का आयात किया गया है।

(ग) 31 दिसम्बर, 1978 तक आयातित विस्कोस स्टेपल फाइबर पर पूर्णतः मूल तथा सहायक सीमा शुल्क नहीं लिया जाता था। किन्तु इस समय 5-1-1979 से प्रति किलो पर 1.32 रुपए की दर से अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता है।

(घ) देशी विस्कोस स्टेपल फाइबर पर 1.50 रुपए प्रति किलो की दर से उत्पादन शुल्क लिया जाता था किन्तु आयातित विस्कोस फाइबर की लागत के बराबर लागत लाने के उद्देश्य से 5 जनवरी, 1979 से उत्पादन शुल्क को बढ़ाकर 2.65 रुपए प्रति किलो कर दिया गया है।

(ङ) इस बारे में विस्कोस स्टेपल फाइबर की क्षमता स्थापित करने संबंधी नीति की संवीक्षा की जा रही है। पहले सेल्यूलोसिक फाइबर का उत्पादन करने के कुछ प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है लेकिन इन प्रस्तावों पर मन्द गति से क्रियान्वयन हो रहा है।

(च) चूंकि यह समझा गया था कि छूट न दिए जाने की स्थिति में आयात नहीं किया जायेगा अतः वर्ष 1976 में छूट देने संबंधी अधिसूचना जारी करते समय राजस्व की हानि पर सस्ती और कम मूल्य की वस्तु की दृष्टि से विचार किया गया था।

गृह मंत्रालय में आग लग जाना

10326. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय में लगी आग में बहुत सी फाइलें और रिकार्ड जल गये थे;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या कार्यवाही की गई है और जांच का क्या परिणाम निकला और ऐसे ही अन्य संगत तथ्य क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) गृह मंत्रालय के प्राप्ति और प्रेषण शाखा के प्रेषण अनुभाग के एक हिस्से में तारीख 21 अप्रैल, 1979 को आग लगने से कुछ फाइलें और प्रेषित होने वाले पत्रों के मसौदे जल कर नष्ट हो गए थे।

(ख) प्राथमिक सर्वेक्षण से पता चलता है कि आग में लगभग 46 फाइलें और 132 कागजात जल गए। ये न तो गुप्त और न ही गोपनीय कागजात थे। नष्ट हुए कागजातों के संबंध में एक विस्तृत जांच की जा रही है।

(ग) आग लगने के समय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अग्निशमन सलाहकार घटनास्थल पर गए। अग्निशमन सलाहकार को आग लगने के कारणों के संबंध में रिपोर्ट देने और

भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त सुझाव देने को कहा गया। उनकी प्रार्थमिक जांच रिपोर्ट के अनुसार इस बात पर विश्वास करने के कारण हैं कि आग केबिन में लगे एक ट्यूब लाईट के जोड़े के नजदीक इलैक्ट्रिक शार्ट के कारण लगी थी। तथापि, प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार लापरवाही से धुम्रपान किये जाने के कारण आग लगने की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता है। केन्द्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला के विशेषज्ञों ने मलबे के नमूनों को जांच के लिए एकत्रित किया है। केन्द्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्निशमन सलाहकार द्वारा विस्तृत जांच रिपोर्ट दी जाएगी।

पिछड़े राज्यों को निधियों के नियतन पर आपत्ति

10327. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में विकसित राज्यों ने कतिपय परियोजनाओं संबंधी कटौतियों के फलस्वरूप पिछड़े राज्यों को धनराशि के नियतन को हस्तान्तरित किए जाने पर औपचारिक रूप से आपत्ति प्रकट की है; और

(ख) इस आपत्ति पर सरकार ने तथा राष्ट्रीय विकास निगम ने क्या निर्णय किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़ज़लुर्रहमान) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

भारतीय सीमेंट निगम में प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार का समाचार

10328. श्री हलीमुद्दीन अहमद : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट कारखाने अपनी निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन कर रहे हैं, ऐसे कारखानों के नाम क्या हैं तथा वे कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ सरकारी अधिकारी भारतीय सीमेंट निगम में प्रतिनियुक्ति पर आ रहे हैं परन्तु वे बहुत ही भ्रष्ट अधिकारी हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन महीनों में जो सरकारी अधिकारी भारतीय सीमेंट निगम में आये हैं तथा हाल ही मे आने वाले हैं उनके नाम क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 20 सीमेंट कारखाने अपनी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक का उत्पादन कर रहे हैं। उन कारखानों के नाम व उनके स्थापना स्थलों की जानकारी देने वाला एक विवरण (अनुबंध) संलग्न है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड में पिछले तीन महीनों में कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया है और न ही निगम में हाल में कोई सरकारी कर्मचारी नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।

विवरण

वर्ष 1978 में अपनी अधिष्ठापित क्षमता से अधिक सीमेंट का उत्पादन करने वाले कारखानों के नाम व स्थापना-स्थलों की जानकारी देने वाला विवरण

क्रम सं०	कारखाने का नाम	स्थापना-स्थल	
1.	एशोसियेटिड सीमेंट कं० लि०	भूपेन्द्र	(हरियाणा)
2.	जे० एंड के० सीमेंट वर्क्स	निम्बाहेड़ा	(राजस्थान)
3.	हिन्दुस्तान सूगर मिल्स लि०	उदयपुर	(राजस्थान)
4.	बिरला सीमेंट वर्क्स	चित्तौरगढ़	(वही)
5.	दि इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन आफ उड़ीसा लि०	भारगढ़	(उड़ीसा)
6.	उड़ीसा सीमेंट लि०	राजगंगपुर	(वही)
7.	एशोसियेटिड सीमेंट कं० लि०	वनमोर	(मध्य प्रदेश)
8.	—वही—	जामूल	(वही)
9.	सेन्टेरी सीमेंट्स	तिल्डा	(वही)
10.	एशोसियेटिड सीमेंट कं० लि०	वनमोर (ह्वाइट सीमेंट)	(वही)
11.	—वही—	सेवालिया	(गुजरात)
12.	श्री द्विग्विजय सीमेंट कं० लि०	अहमदाबाद	(वही)
13.	—वही—	सिक्का	(वही)
14.	—वही—	सेवरी	(महाराष्ट्र)
15.	के० सी० पी० सीमेंट	मचरेला	(आंध्र प्रदेश)
16.	आंध्र सीमेंट कं० लि०	विजयवाड़ा	(वही)
17.	एशोसियेटिड सीमेंट कं० लि०	मदुक्काराई	(तमिलनाडु)
18.	डालमिया सीमेंट (बी) लि०	डालमियापुरम	(वही)
19.	इन्डिया सीमेंट लि०	संकारी दुर्ग	(वही)
20.	मैसूर सीमेंट्स लि०	अमनसन्द्रा	(कर्नाटक)

रजनीश आश्रम के बारे में शिकायतें

10329. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको रजनीश आश्रम के बारे में कुछ विशेष शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या वे जांच के लिए एक आयोग का गठन करेंगे; और

(ख) क्या उनको इस संबंध में श्री रजनीश से भी कोई पत्र प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो उसमें की गई मांगों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) रजनीश आश्रम के कुछ विदेशी शिष्यों के तथाकथित अनैतिक और भद्दे व्यवहार और आचार्य रजनीश की तथाकथित अभिव्यक्तियों जिनसे धार्मिक भावनाएं भड़कती हैं और स्थानीय युवक भ्रष्ट होते हैं, की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

जैसा कि तारीख 28-3-79 के तारांकित प्रश्न संख्या 526 के उत्तर, में सभा के पटल पर रखे गए विवरण में स्पष्ट किया गया था, प्रधान मंत्री ने संस्थान के प्रबंधक के न्यासी, मां योगा लक्ष्मी से प्राप्त पत्र के उत्तर में उन्हें सूचित किया था कि पूणे में स्थित रजनीश आश्रम की गतिविधियों के विषय में समाचार पत्रों में जो कुछ प्रकाशित हुआ है और उस पर संसद द्वारा व्यक्त विचारों को देखते हुए आश्रम की गतिविधियों का पता लगाने के लिए एक आयोग बैठाना उचित होगा। भारत सरकार इस मामले पर पुनः विचार कर सकती है यदि श्री रजनीश स्वयं प्रधान मंत्री को यह लिखें कि वह एसा करना पसंद करेंगे।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिये छात्रावास

10330. **श्री दलपत सिंह परस्ते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सरकारी भवनों तथा किराये के भवनों में स्थित आदिवासियों/अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावासों की संख्या का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या वर्तमान छात्रावास भवन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की बढ़ती हुई मांग के विचार से अपर्याप्त हैं और सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण राज्य सरकार की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकतम छात्रों को शिक्षा देने की योजना को उचित रूप से चलाने में बाधक बन रहे हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए अतिरिक्त छात्रावास बनाने तथा वर्तमान छात्रावास भवनों का विस्तार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रौद्योगिकी के आयात के लिये भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा साइमन्स के साथ सहयोग

10331. **श्री भगत राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग के छठी योजना के कार्यकारी दल ने अपने प्रतिवेदन में देश में विद्यमान प्रौद्योगिकी तथा अधिष्ठापित क्षमता को संतोषजनक और पर्याप्त से अधिक बताया है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने सभी प्रकार के दोनों तापीय तथा पन विद्युत प्रजनन सैट्स का प्रौद्योगिकी के आयात के लिए साइमन्स के साथ सहयोग क्यों किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त कार्यकारी दल ने जनवरी, 1978 तथा जनवरी, 1979 में प्रस्तुत अपनी दोनों रिपोर्टों में विद्युत जनित्रण उपकरण के उत्पादन में समकालीन विदेशी फर्मों के साथ-साथ चलते रहने के लिए वर्तमान जानकारी के उन्नयन की आवश्यकता पर बल दिया है ।

(ख) मैं० बी०एच०ई०एल० ने सीमेंस के साथ अभी तक ऐसा कोई करार नहीं किया है तथा उनका आवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम

10332. **प्रो० पी० जी० मावलंकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती किए जा चुके लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या है और ये परिवर्तन कब तक कर दिए जायेंगे ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा अन्य अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित सेवाओं की आवश्यकताओं तथा केन्द्र एवं राज्यों के प्रशासनिक ढांचे में उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका की आवश्यकताओं के साथ जुड़े होते हैं । इन कार्यक्रमों की लगातार पुनरीक्षा होती रहती है और अनुसंधान तथा अनुभव के परिणामों का उपयोग प्रशिक्षण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये किया जाता है ।

इस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा जैसी तीन अखिल भारतीय सेवाओं के सभी अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए पाठ्यक्रमों को विकसित किया जा रहा है ।

(ख) तथा (ग) चूंकि पुनरीक्षा प्रणाली निरन्तर आधार पर की जाती है अतः परिवर्तन लाए जाने का अनुमानित समय निर्दिष्ट करने का प्रश्न नहीं उठता ।

लघु क्षेत्रों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं के लिए पुनर्वित्त निगम की स्थापना

10333. **श्री ए० आर० बद्रीनारायण** :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री पी० एम० सईद :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र उद्योग बोर्ड की दो दिन की बैठक में यह निर्णय किया गया था

कि केवल लघु उद्योगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पुनर्वित्त निगम की स्थापना की जाये ;

(ख) यदि हां, तो निगम कब तक स्थापित किये जाने की आशा है ;

(ग) अन्य किन विषयों पर बातचीत हुई ;

(घ) क्या निर्णय किये गये ; और

(ङ) क्या प्रस्ताव का औद्योगिक विकास बैंक ने विरोध किया था ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने लघु क्षेत्र की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से अलग से एक अभिकरण की स्थापना करने के प्रस्ताव का स्वागत किया है और यह सिफारिश की है कि इस प्रकार की संस्था स्थापित करने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जानी चाहिये। इस प्रकार की संस्था की स्थापना करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) बैठक में विभिन्न विषयों जैसे, जिला उद्योग कार्यक्रम सहित लघु उद्योग, कच्चा माल प्राप्त करने की समस्याएं, लघु उद्योगों के उत्पादों का विपणन तथा उनकी ऋण सम्बन्धी जरूरतें, तथा लघु क्षेत्र की सुरक्षा एवं विकास हेतु एक व्यापक विधान बनाने की आवश्यकता पर चर्चा की गई थी इन्हीं विषयों पर बोर्ड ने अनेक सिफारिशें की थीं जिन पर कार्यवाही शुरू की जा रही है।

(ङ) इस बैठक में इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया के अध्यक्ष ने लघु क्षेत्र के लिये अलग से एक वित्तीय संस्थान की स्थापना करने विषयक प्रस्ताव पर टिप्पणी करते हुए यह महसूस किया था कि इस प्रकार की संस्था की स्थापना करने की आवश्यकता पर निर्णय लेना सरकार पर निर्भर करना है व पुनर्वित्त के क्षेत्र में परिणामस्वरूप संस्थागत अभिकरणों के पुनः पुनः बनाये जाने पर विचार किया जाना चाहिये। साथ ही एक संस्था जिसे केवल विकेन्द्रीकृत क्षेत्र में ही कार्य करना है उसको उन नव्यताओं से वंचित रखा गया है जो आई० डी० बी० आई० को मिली हुई हैं और जिसने लघु क्षेत्र को रियायती दर पर निधियां प्राप्त होती हैं, उस पर भी विचार किया जाना चाहिये।

ग्रामीण निर्धनता दूर करना

10334. प्रो० पी० जी० मावलंकर : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों में, 1976 से 1978 तक, ग्रामीण निर्धनता बढ़ी है अथवा घटी है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में पूरे तथ्य क्या हैं ;

(ग) धीरे-धीरे क्रमबद्ध तरीके से ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिये वर्ष 1977 और 1978 में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) अभी तक यदि कोई परिणाम प्राप्त हुये हैं तो वे क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री फ़जलुर्रहमान) : (क) और (ख) वर्ष 1976 से 1978 तक की अवधि में ग्रामीण गरीबी की स्थिति में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए ग्रामीण गरीबी के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) और (घ) गरीबी को कम करने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विभिन्न उपाय और कार्यक्रम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप (1978—83) में दिए गए हैं। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, सिंचाई तथा ग्राम और कुटीर उद्योगों को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई है जिनमें बेशी श्रमिकों को काम पर लगाने की सबसे अधिक क्षमता है। विस्तारित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की भी व्यवस्था की गई है जिससे कि कुछ न्यूनतम मूल सुविधाओं की व्यवस्था करके गरीब लोगों के जीवन-स्तर को उन्नत करने में प्रत्यक्ष सहायता दी जा सके। 1977-78 और 1978-79 की वार्षिक योजनाएं इन प्राथमिकताओं को ध्यान में रख कर तैयार की गई थीं।

गरीबों के जीवन-स्तर पर इन योजनाओं के प्रभाव का इस समय मूल्यांकन करना समय-पूर्व होगा।

सरकारी उद्यमों/निगमों द्वारा प्रशासनिक खर्च

10335. श्री राम विलास पासवान : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उनके मंत्रालय के अधीन प्रत्येक सरकारी उद्यम/निगमद्वारा कितना प्रशासनिक व्यय किया गया; और

(ख) व्यय की किन-किन मदों को इसमें शामिल नहीं किया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारत के तकनीकी ज्ञान में सीरिया की रुचि

10336. श्री जनार्दन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीरिया ने अपने औद्योगिक परियोजनाओं के लिये भारतीय विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान में अत्यधिक रुचि प्रदर्शित की है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति): (क) जी, हां।

(ख) अक्तूबर, 1977 में केन्द्रीय उद्योग मंत्री, श्री जार्ज फर्नान्डिस की सीरिया यात्रा के दौरान भारत-सीरिया के आर्थिक एवम् औद्योगिक सहयोग के विस्तृत क्षेत्र की रूप-रेखा तैयार की गई थी। दिमिश्क में 22 अक्तूबर, 1977 को सम्पन्न प्रोटोकोल में इसका वर्णन किया गया था। इसकी अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप 16 फरवरी, 1978 को वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग करार सम्पन्न हुआ, अप्रैल, 1978 में सीरिया के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान एक नया व्यापार समझौता सम्पन्न हुआ तथा सीरिया की कई औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भारतीय फर्मों की संभाव्यता रिपोर्टों तथा विशिष्ट औद्योगिक परियोजनाओं में सहयोग के लिए भारत के विशेषज्ञों तथा विशेषज्ञ दलों की प्रतिनियुक्ति सम्मिलित है।

दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई

10338. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे माल की नीति के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है जिसके अधीन लघु क्षेत्र के मामले में दुर्लभ कच्चे माल की सप्लाई में कोई कटौती नहीं की जायेगी; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय कब तक कर लिया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड ने 14 और 15 फरवरी, 1979 को हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि लघु क्षेत्र की दुर्लभ कच्चे माल की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरी तरह पूरा किया जाना चाहिए। बोर्ड की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए वास्तविक लघु उद्योगों के लिए दुर्लभ कच्चे माल की उपलब्धता में वृद्धि करने के लगातार अभ्युपाय किए जा रहे हैं।

पुलिस कर्मचारियों को प्रशिक्षण में एकरूपता

10339. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने इस बात की जांच की है कि क्या विभिन्न राज्यों में पुलिस कर्मचारियों को दिये गये प्रशिक्षण की प्रणाली में एकरूपता है ;

(ख) क्या भाषा, जाति और समुदाय के भेदभाव के बिना, भारतीय नागरिकों के समान अधिकारों और मूल अधिकारों के बारे में सभी राज्यों ने सभी पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आदेशों को लागू किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो एक समान पाठ्यक्रम के आधार पर सभी राज्यों में एक समान प्रशिक्षण देने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) 1971 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई, गोरे समीति ने इस मामले की जांच की थी और 1973 में प्रस्तुत की गई अपनी अंतिम रिपोर्ट में समीति ने एक समान पाठ्यक्रम की सिफारिश की थी जो अधिकांश राज्यों ने अपना लिया है।

(ख) अधिकांश राज्यों ने अपने पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उक्त आदेशों को लागू किया है।

(ग) इस संबंध में गोरे समीति की सिफारिशें, उन राज्यों में जहां उन्हें पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं किया गया है, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

इस मामले की और आगे जांच करने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग गठित किया है और समिति के विचारार्थ विषय मद संख्या 12 इस प्रकार हैं :

> "पुलिस प्रशिक्षण, विकास और अधिकारियों के कैरियर प्लानिंग के तरीकों की जांच करना और कोई परिवर्तन जो उनकी सेवा के किसी स्तर पर आवश्यक हो, उनका दृष्टिकोण आधुनिक बनाने और इस बल के नेतृत्व को प्रभावी बनाने एवं उनके आचरण को सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिश करना।"

राष्ट्रीय पुलिस आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने पर इस मामले पर यथोचित कारंवाही की जाएगी।

आसाम का दौरा करने वाले विदेशियों पर प्रतिबन्ध

10340. श्री वेदव्रत बरुआ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशियों को जम्मू व काश्मीर में प्रवेश करने दिया जाता है और पाकिस्तानी सीमा से तीन मील दूर स्थित गुलमर्ग सहित सभी क्षेत्रों में जाने दिया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि विदेशियों को काजीरंगा तथा मानारु को छोड़ कर ग्रासाम में किसी स्थान पर भी नहीं जाने दिया जाता है; ग्रौर

(ग) उपरोक्त स्थानों को छोड़ कर, जहां केवल जानवर रहते हैं, ग्रासाम के किसी भी ग्रन्य भाग में न जाने देने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जम्मू ग्रौर काश्मीर के कुछ पश्चिमी ग्रौर उत्तरी क्षेत्र, विदेशी (संरक्षित क्षेत्र) ग्रादेश, 1958 के ग्रधीन संरक्षित क्षेत्र हैं ग्रौर सामान्यत: विदेशियों को इन क्षेत्रों में जाने की ग्रनुमति नहीं दी जाती है ।

(ख) ग्रौर (ग) विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) ग्रादेश, 1963 के ग्रधीन ग्रसम का सम्पूर्ण क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र है ग्रौर इन क्षेत्रों में जाने के लिए विदेशियों को परमिट लेना पड़ता है । हांलांकि काजीरंगा तथा मनारु जैसे पर्यटक स्थानों में जाने के लिए परमिट ग्रासानी से दिये जाते हैं लेकिन ग्रन्य क्षेत्रों में जाने के लिए परमिट तभी दिए जाते हैं जब इन स्थानों पर जाने की आवश्यकता सिद्ध कर दी जाती है ।

भारतीय ग्रर्थ सेवा के श्रेणी एक के राजपत्रित ग्रधिकारियों को स्थायी किया जाना

10341. श्री राम विलास पासवान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय ग्रर्थ सेवा के उन प्रथम श्रेणी के राजपत्रित अधिकारियों को, जिन्हें संघ लोक सेवा ग्रायोग द्वारा ग्रायोजित प्रतियोगी परीक्षा के ग्राधार पर 1969 से 1976 तक नियुक्त किया गया था, ग्रभी तक स्थायी नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ग्रौर इसमें विलम्ब के लिये कौन जिम्मेवार है; और

(ग) उन्हें स्थायी कब तक किया जायेगा ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय ग्रौर कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) 1967 से 1973 तक हुई प्रतियोगिता परीक्षाग्रों के परिणामों के ग्रधार पर भारतीय ग्रार्थिक सेवा के ग्रेड IV में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त ग्रौर स्थायीकरण के लिए पात्र ग्रधिकारियों को, उपलब्ध स्थायी रिक्तियों पर स्थायी कर दिया गया है । 1974 से 1976 तक ली गई परीक्षाओं के परिणामों के ग्राधार पर नियुक्त किए गए ग्रधिकारियों को स्थायी रिक्तियां होते ही स्थायी कर दिया जाएगा ।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए 6,900 करोड़ रुपये की राशि का खर्च किया जाना

10342. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या उद्योग मंत्री 6 फरवरी, 1979 को कोचीन में दिये गये ग्रपने प्रेस वक्तव्य के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रागामी पांच वर्षों के दौरान वह सरकारी क्षेत्र के नये उद्योगों के लिये 6,900 करोड़ रुपये की राशि किस प्रकार खर्च करेंगे ;

(ख) उपरोक्त राशि में से सरकारी क्षेत्र के कौन-कौन से नये उद्योग ग्रलग-ग्रलग राज्यों को ग्राबंटित किये जायेंगे ग्रौर इसका क्या मानदंड होगा; ग्रौर

(ग) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे पिछड़े राज्यों को ऐसी और परियोजनायें दी जायेंगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 6 फरवरी, 1979 के विवरण में निर्दिष्ट राशि 69,000 करोड़ रु० थी न कि 6900 करोड़ रु०, जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है। इसका सन्दर्भ पंचवर्षीय योजना (1978-83) अवधि में केवल सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के निवेश के लिए न हो कर समग्र सरकारी क्षेत्र में होने वाले कुल निवेश से है। पंचवर्षीय योजना (1978-83) को मसौदों में 69,380 करोड़ रु० तक के सरकारी क्षेत्र के कुल परिव्यय होने का अनुमान है जिसके अलग-अलग मुख्य रूप से आंकड़े निम्न प्रकार होंगे :

क्षेत्र	**योजना परिव्यय 1978-83 (करोड रु०)**
1. कृषि तथा सम्बद्ध उद्योग	8600
2. सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	9650
3. उद्योग तथा खनिज (ऊर्जा को छोड़कर)	10350
4. ऊर्जा, विज्ञान, प्रौधोगिकी	20800
5. परिवहन तथा संचार	10625
6. समाज सेवाएं	9355
योग :	69380

(ख) तथा (ग) केन्द्रीय औद्योगिक तथा खनिज पयोजनओं के नाम, जिनके लिए पंचवर्षीय योजनावधि में परिव्यय की व्यवस्था करने का विचार है, पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के मसौदों (1978-83) के पृष्ठ 200 से 205 पर दिये गये हैं जिस पर अभी अन्तिम निर्णय लिया जाना है।

सरकारी क्षेत्र को परियोजनओं के स्थापना स्थल का निर्णय मुख्यत: तकनीकी आर्थिक बातों के आधार पर किया गया है। सरकार की यह नीति है कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं के स्थापना स्थल के विषय में कम विकसित क्षेत्रों को प्रधानता दी जाए।

काग़ज़ उद्योगों की संख्या और उनके लिए लाइसेंस जारी किया जाना

10343. श्री सुरेन्द्र विक्रम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में काग़ज़ बनाने वाले कारखानों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको कागज बनाने के नये कारखाने स्थापित करने के लिये लाइसेंस जारी किये हैं, उनमें से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता कितनी है और प्रत्येक कारखाने में उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ; और

(ग) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके कागज बनाने के नये कारखाने स्थापित करने के लिये प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और उनको लाइसेंस कब तक जाकी किये जायेंगे ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पर प्रतिबंध

10344. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने जयपुर में कहा है कि किसी संगठन पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव केन्द्र के विचाराधीन नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सार्वजनिक स्थानों और शिक्षा संस्थाओं के प्रांगणों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाओं पर प्रतिबंध संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय को श्री एस० डी० पाटिल ने निराशा से उत्पन्न कार्यवाही बताया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ इस बारे में विचार विमर्श किया हैं;

(घ) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या यह कार्यवाही करने से पूर्व केन्द्र के साथ परामर्श किया गया था ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्। लेकिन ये पूर्ण रूप से उनके व्यक्तिगत विचार थे।

(ग) उक्त स्थिति को देखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से सम्पर्क करने का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) अजी नहीं, श्रीमान्।

बडे उद्योगपतियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना

10345. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े उद्योगपतियों को ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो कितने उद्योगपतियों ने स्वेच्छा से इस ओर कदम बढ़ाया है; और

(ग) कुटीर उद्योगों का स्वरूप क्या है और उन्हें कितने स्थानों पर स्थापित किये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) दिसम्बर, 1977 के औद्योगिक नीति विवरण में सरकार ने बताया है कि वह समूचे देश के संतुलित क्षेत्रीय विकास को बड़ा महत्व देती है ताकि भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच विकास स्तर की विषमताओं को क्रमशः कम

किया जा सके। चूंकि देश में अभी तक हुआ औद्योगिक विकास अधिकांशत: महानगरीय क्षेत्रों तथा बड़े शहरों के आसपास हुआ है सरकार ने अनेक बार अपनी इस नीति को दुहराया है कि नये उद्यगों को बड़े शहरों से दूर स्थापित किया जाना चाहिये साथ ही, विद्यमान उद्योगों को अनुमोदित पिछड़े क्षेत्रों में घने बसे महानगरों से दूर स्थानान्तरित कर देना चाहिये।

(ख) और (ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों के फलस्वरूप बड़े तथा छोटे अनेक उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हो गये हैं। तथा भविष्य में इस प्रक्रिया के तेज होने की संभावना है चूंकि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 1971 की जनगणना के अनुसार 10 लाख तक की आबादी वाले महानगरीय शहरों की सीमा तथा 8 लाख की आबादी वाले शहरी क्षेत्रों की सीमा के अन्दर नये उद्योग स्थापित करने हेतु अब लाइसेंस नहीं दिये जाने चाहिये।

"ब्लैक मनी थ्रु पेपर" शीर्षक से समाचार

10346. श्री डी० डी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने "इकोनामिक टाइम्स" दिनांक 9 मार्च, 1979 में "कागज के माध्यम से काला धन" (ब्लैक मनी थ्रु-पेपर) शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार देखे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारी धनराशि जो उद्योग को मिलनी चाहिए, "ट्रेड चेनलों" द्वारा अधिकृत कर ली जाती है;

(ग) सरकार का इसको रोकने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ;

(घ) क्या सरकार कागज पर से नियंत्रण हटाने और सभी मूल्यों नियन्त्रणों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) दिनांक 9 मार्च, 1979 के इकोनामिक टाइम्स में बताया गया है कि रियायती दर वाले छपाई के सफेद कागज के नियंत्रित मूल्य जो प्रति मीट्रिक टन 2750 रु० हैं तथा—लिखाई के कागज के बाजार मूल्य जो प्रति मीट्रिक टन लगभग5000 रुपये हैं में भारी अंतर होने के कारण छपाई के सफेद कागज के स्थानान्तरित होने तथा उसकी कालाबाजारी होने की गुंजाइश है। इस समय छपाई का सफेद कागज एक केन्द्रीय समन्वय समिति जो राज्यवार आबंटन करती है तथा राज्य स्तरीय समितियां जो लोगों को अभ्यास पुस्तिकाओं तथा पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने हेतु आबंटन करने का निर्धारण करती हैं, के माध्यम से 2750 रुपये प्रति मीट्रिक टन की रियायती दर से शिक्षा क्षेत्र के लिये सप्लाई किया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय ने रियायती दर के कागज का दुरुपयोग रोकने के लिये राज्य सरकारों को उपयुक्त अनुदेश जारी किये हैं।

(घ) छपाई के सफेद कागज का 2750 रुपये प्रति मी० टन का विशेष मूल्य तथा इस समय चल रही वितरण प्रणाली कागज उद्योग के साथ किये गये एक औपचारिक करार के अन्तर्गत चल रही है। इस वर्तमान प्रणाली में रद्दोबदल करने का कोई फिलहाल विचार नहीं है।

सोडियम बाइक्रोमेट के लिये लाइसेंस जारी करना

10347. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोडियम बाइक्रोमेट के ऊत्पादन जो गत कुछ वर्षों से लघु क्षेत्र

के लिए आरक्षित था, में पुनरीक्षण करके उसके उत्पादन के लिए लाइसेंस बड़े औद्योगिक गृहों को भी दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बड़े औद्योगिक गृहों की ओर से कठोर प्रतिस्पर्धा के कारण लघु क्षेत्र संकट का सामना कर रहा है;

(घ) क्या कुछ समय पूर्व सोडियम बाइक्रोमेट का गम्भीर अभाव था और उससे तैयार चमड़े के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) और (ख) सोडियम बाइक्रोमेट उद्योग अब भी लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची में शामिल है। सोडियम बाइक्रोमेट का उत्पादन करने के लिए पिछले तीन वर्षों में उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन कोई औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) कुछ समय से सोडियम बाइक्रोमेट की कमी चल रही है। वस्तुतः यह कमी इस वस्तु का उत्पादन करने वाले संगठित क्षेत्र के एक एकक में हड़ताल होने के कारण नवम्बर, 1978 से उत्पादन बंद होने व सोडियम बाइक्रोमेट के उत्पादन के लिए आवश्यक सोडा ऐश नामक कच्चे माल की कमी की वजह से संगठित क्षेत्र तथा लघु क्षेत्र के अन्य एककों द्वारा अपनी अधिष्ठापित क्षमता तक उत्पादन न करने के कारण हुई है। सोडियम बाइक्रोमेट की कमी पर काबू पाने के लिए चमड़ा निर्यातकों व अन्य चमड़ा उत्पादकों को अब परिपूरक योजना के अधीन इसका आयात करने की अनुमति दे दी गई है।

कोयला उपभोक्ता उद्योग को हुई हानी

10348. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 में कोयले की सप्लाई में विलम्ब के कारण किन कोयला उपभोक्ता उद्योगों को हानि हुई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में पृथक-पृथक प्रत्येक उद्योग को कितनी-कितनी हानि हुई है; और

(ग) कोयला उपभोक्ता उद्योगों को नियमित रूप से तथा पर्याप्त मात्रा में कोयला सप्लाई करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) अन्य के साथ-साथ कोयले की कमी के कारण जिन महत्वपूर्ण उद्योगों के एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा उनमें सीमेंट, कागज, सोडा ऐश, उर्वरक, रबड़, इन्जीनियरिंग आदि शामिल हैं कोयला उपलब्ध न होने के कारण 13 सीमेंट कारखानों तथा 3 स्ट्रॉ बोर्ड मिलों ने अल्पावधि के लिए पूर्ण/आंशिक रूप से बन्द हो जाने की सूचना दी है। कोयले की कमी के कारण उत्तरी क्षेत्र में 2 उर्वरक एककों पर भी काफी हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। उपर्युक्त के अलावा, कोयले की अपर्याप्त पूर्ति के कारण दो

उर्वरक एककों को चालू करने में भी विलम्ब हुआ है। पिछले 3 महीनों में कोयले की पूर्ति न होने के कारण मोटर गाड़ियों के टायर तथा ट्यूब बनाने वाले किसी भी एकक के बन्द हो जाने की सूचना नहीं मिली है परन्तु कुछ एककों ने कोयले की अपर्याप्त पूर्ति के बारे में शिकायतें की हैं। कुछ औद्योगिक एककों को अपने बायलरों को चलाने के लिए कोयले के स्थान पर भट्टी तेल/एल० डी० ओ० जैसे मंहगे माल को इस्तेमाल करना पड़ता है। रेल द्वारा कोयला लाने-ले जाने में कमी हो जाने से भी कई बार कोयले की कमी हो जाती है, जिससे औद्योगिक एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और इस सम्बन्ध में तकनीकी विकास के महानिदेशालय में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) औद्योगिक उत्पादन में हानि के कोयले की कमी के अलावा बिजली की कमी, मांग में मन्दी, श्रमिक विवाद, निवेशों की उपलब्धता आदि जैसे कई कारण हैं। अतः केवल कोयले की कमी के कारण हुई हानि का पता लगाना कठिन है।

(ग) औद्योगिक एककों द्वारा उठाए जाने वाली इस कठिनाई को कोयला भेजकर/दिक्परिवर्तन करके और ऐसे कुछ औद्योगिक एककों जिनके पास दोनों प्रकार (तेल तथा कोयले) से चलाये जाने वाले बायलर हैं उन्हें कोयले की पूर्ति की कमी को मिट्टी तेल का इस्तेमाल करके पूरा करने के विकल्प के रूप में सहायता देकर संभव सीमा तक कम किया गया था। इसके अलावा जिन एककों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इन्हें सड़क द्वारा कोयला लाने की सुविधाएं भी दी गई थीं। जब भी उद्योग कोयले की पर्याप्त मात्रा की पूर्ति के बारे में सहायता के लिए कहते हैं तब पार्टियों को आवश्यक सहायता देने के लिए रेलवे तथा कोयला विभाग से अनुरोध किया जाता है।

हिन्दी के बारे में सरकार की नीति

10349. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या गृह यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि नई दिल्ली में 13 जनवरी, 1979 को विश्व हिन्दी दर्शन के विमोचन के अवसर पर बोलते हुए प्रधान मन्त्री ने कहा था कि हिन्दी लोगों पर जबरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए अपितु प्रेम और सूझ-बूझ के जरिए इसका प्रसार किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त वक्तव्य प्रधान मन्त्री के निजी मत को व्यक्त करता है अथवा यह सरकार की नीति को भी अभिव्यक्त करता है ; और

(ग) उस तरीके की मुख्य रूपरेखा क्या है जिससे इस नये दृष्टिकोण को लागू किया जाएगा ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) प्रधान मन्त्री जी का वक्तव्य केन्द्रीय सरकार की राजभाषा नीति को प्रतिबिम्बित करता है।

(ग) शुरू से ही सरकार की यह नीति रही है कि हिन्दी के प्रचार और प्रसार के संदर्भ में पुरस्कारों और प्रोत्साहनों का ही आश्रय लिया जाये। तदनुसार, सरकारी कर्मचारियों के हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करने पर और उनके कामकाज में हिन्दी का उपयोग करने पर पुरस्कारों

की व्यवस्था की गई है तथा निर्धारित ज्ञान प्राप्त न करने पर भी किसी को दण्डित नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने अहिन्दी-भाषी कर्मचारियों की मुश्किल को ध्यान में रखते हुये यह निर्णय किया है कि सरकारी कामकाज में सदा हिन्दी का प्रयोग होना चाहिये। इसके लिए उचित आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। सरकारी कर्मचारियों को हिन्दी में कामकाज करने में सुविधा देने के लिये सहायक साहित्य की व्यवस्था भी की गई है और हिन्दी में प्रशिक्षित आशुलिपिकों और टाइपिस्टों की व्यवस्था भी की जा रही है। देवनागरी टाइपराइटरों का प्रबन्ध भी किया जा रहा है। इन सब प्रयत्नों से आशा है, बिना किसी जोर-जबरदस्ती के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा मिलेगा।

औद्योगिक विकास दर के सम्बन्ध में मतभेद

10350. श्री कंवर लाल गुप्त : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक विकास दर के बारे में सरकार के दावे के बारे में तीव्र मतभेद है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि कुछ समाचारपत्रों में यह कहा गया है कि औद्योगिक विकास दर 2 प्रतिशत से भी कम है ;

(ग) इस वर्ष औद्योगिक विकास दर 8 प्रतिशत होने के सरकार के दावें का आधार क्या है ; और

(घ) ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जिनके उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है ?

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) औद्योगिक उत्पादन के सरकारी सूचकांक केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा संकलित किये जाते हैं। केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा दिये गये अप्रैल-दिसम्बर, 1978 की अवधि के सूचकांक 1977 की इसी अवधि की तुलना में 8 प्रतिशत की विकास दर दर्शाते हैं। समाचार-पत्र के इस समाचार का कोई वास्तविक आधार नहीं है कि औद्योगिक विकास दर 2 प्रतिशत से कम हो सकती है।

(घ) जिन उद्योगों के उत्पादन में अप्रैल, 1978—फरवरी, 1979 में 8 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है, उन्हें दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

अप्रैल—फरवरी, 1979 में 8 प्रतिशत तथा उसे अधिक की बढ़ोत्तरी दर्शाने वाले चुने हुये उद्योगों का उत्पादन

क्र० सं०	उद्योग	ईकाई	अप्रैल—फरवरी 1977-78	1978-79	प्रतिशत परिवर्तन
1	2	3	4	5	7
1.	पैट्रोलियम क्रूड	ह० मी० टन	9729	10527	+ 8.2
2.	चीनी	-वही-	4039	5487	+35.9
3.	आटे की मिलें	-वही-	1766	2019	+14.3

1	2	3	4	5	6
4.	वनस्पति	ह० मी०टन	519	621+	19.7
5.	शिशु आहार	-वही-	28.0	30.7+	9.6
6.	नमक	ह० ला० ज०	4969	5983+	20.4
7.	सिगरेट	द० ला० ज०	62.8	68.9+	9.7
8.	सूती धागे	मि० मी०	1047	1152+	10.0
9.	लेदर क्लाथ	मिलियन मी०	13.6	16.6+	22.1
10.	क्रोम से कमाई हुई चार्मे	ह० चार्मे	719.4	855.0+	18.9
11.	वनस्पति से कमाई हुई चार्मे	-वही-	628.2	682.0+	10.3
12.	बड़े टायर	स० ह०	2787	3240+	16.3
13.	स्कूटर टायर	-वही-	829	1090+	31.5
14.	ट्रैक्टर टायर	-वही-	445	555+	24.7
15.	साइकिल टायर	द० ह० सं०	26.0	29.4+	13.1
16.	फोस्फेटिक फर्टीलाईजर (पी$_2$ ओ$_5$)	ह० टन	681	707+	17.6
17.	आक्सीजन गैस	ह०ला०क्य०मी०	72.7	81.9+	12.7
18.	धुली हुई एसिटीलीन गैस	,,	7.7	8.4+	9.1
19.	तरल क्लोरीन	ह० टन	187.1	206.0+	10.0
20.	पोलिथिलीन एल० डी०	,,	18.0	51.5+	186.1
21.	पोलिथिलीन एच० डी०	,,	22.9	25.1+	9.6
22.	पी० वी० सी० रेजिन्स	,,	51.6	57.3+	11.1
23.	नाइलोन फिलामेंट यार्न	,,	15.2	17.3+	13.8
24.	विस्कोस स्टेपल फाइबर्स	,,	78.8	88.4+	12.2
25.	नाइलोन टायर वार्ड	,,	6.0	7.7+	28.3
26.	पोलियस्टर फाइबर	,,	21.1	23.1+	9.5
27.	पोलियस्टर फिलामेंट यार्न	,,	3.8	6.5+	71.5
28.	सैल्युलोज फिल्म	टनों में	5.0	5.7+	14.0
29.	नम रेजक पदार्थ	,,	1400	1513+	8.1
30.	पेन्ट तथा वार्निश	ह० टन	67.2	82.8+	23.2

बिहार में बन्द किए गए कारखाने

10351. श्री ए० के० राय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य रूप से बिहार में और विशेष रूप से धनबाद जिले में कितने कारखाने बन्द पड़े हुए हैं और उन कारखानों के नाम क्या हैं और कामगरों की संख्या कितनी है और उसमें लगाई गई कितनी पूंजी निष्क्रिय पड़ी हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि इनमें से अधिकांश कारखानों में सार्वजनिक वित्त संस्थाओं से ऋण लिए हुए हैं ; यदि हां, तो धनबाद जिले में बन्द किये गये कारखानों की राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या धनबाद के कुछ कारखानों में सरकारी ऋण कारखानों की आरिक्तयों से अधिक राशि के हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे कारखानों को अपने अधिकार में लेने और उन्हें कामगारों की सहकारी समितियों को सौंपने का है ; और यदि हां, तो कब ; यदि नहीं, तो उसके कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) बिहार सरकार से जानकारी मांगी गई है तथा प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) फरवरी, 1979 में विभिन्न वित्तीय संस्थानों द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार निम्नलिखित संस्थानों द्वारा वित्त पोषित कोई भी कारखाना धनबाद में बन्द नहीं हुआ :—

1. आई० सी० आई० सी० आई०
2. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया
3. आई० डी० बी० आई०
4. जीवन बीमा निगम
5. सामान्य बीमा निगम
6. आई० आर० सी० आई०

(ग) केन्द्र सरकार रुग्ण एककों को सीधे कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती और इसने धनबाद के कारखानों को कोई ऋण नहीं दिया है।

(घ) धनबाद स्थित इस प्रकार के कारखानों के अधिग्रहण करने तथा उन्हें कर्मचारियों की सहकारी समितियों को सौंपने का कोई प्रस्ताव इस समय उद्योग मन्त्रालय के विचाराधीन नहीं है।

देश में तथा विशेषकर बिहार में सीमेंट की कमी

10352. श्री ए० के० राय : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें देश में तथा विशेषकर बिहार के संदर्भ में सीमेंट की भारी कमी के बारे में जानकारी है जिससे विकास सम्बन्धी सभी कार्य रुक गये हैं ;

(ख) क्या यह कमी मांग और सप्लाई के बीच के अन्तर के कारण स्वाभाविक है अथवा विचौलियों द्वारा किये गये कदाचारों के कारण कृत्रिम है ; और

(ग) क्या सीमेंट की कमी की समस्या का सामना करने के लिए सरकार का कोई समयबद्ध कार्यक्रम है और यदि हां, तो उसके तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) 1978-79 में सीमेंट का अब तक सबसे ज्यादा उत्पादन होने के बावजूद बिहार राज्य सहित देश के विभिन्न भागों से सीमेंट की कमी होने की सूचना मिली है क्योंकि उद्योग, सिंचाई और बिजली, आवासीय तथा अन्य विकास सम्बन्धी परियोजनाओं में निर्माण सम्बन्धी गतिविधियां बढ़ जाने के कारण मांग पूर्ति से अधिक हो गई है। बिहार सरकार ने सूचित किया है कि यह सही नहीं है कि सीमेंट की कमी के कारण सभी विकास सम्बन्धी निर्माण कार्य रुक गए हैं।

(ख) फिलहाल सीमेंट की कमी का मुख्य कारण मांग और पूर्ति के बीच अन्तर रहा है। किन्तु, ऐसा समाचार मिला है कि सीमेंट की जमाखोरी व कालाबाजारी जैसे कदाचारों को करने में कुछ असामाजिक तत्व लगे हुए हैं। राज्य सरकार से जमाखोरी और कालाबाजारी की प्रवृत्तियों को रोकने के लिये सहकारी समितियों, सुपर बाजारों, उचित दर की दुकानों और अन्य तरीकों से प्रभावी सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्थापित करने का अनुरोध किया गया है। अब तक 16 राज्यों तथा 3 संघ शासित प्रदेशों ने सीमेंट का वितरण अपने हाथ में लिया है। अन्य राज्य इस प्रकार के अभ्युपाय करने पर विचार कर रहे हैं।

(ग) प्राप्त हुए आवेदनों में से वर्ष 1974 से 77 तक के तीन वर्षों के दौरान 84.6 मी० टन की कुल क्षमता के लिये 7 आशयपत्र और 11 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे, जबकि वर्ष 1977-79 के पिछले दो वर्षों में 150.5 लाख मी० टन की कुल क्षमता के लिए 35 आशयपत्र और 7 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये। लगभग 12 लाख मी० टन की कुल क्षमता के लिये मिनी सीमेंट सन्यन्त्रों की स्थापना की हेतु 38 योजनाएं पहले ही स्वीकृत की जा चुकी हैं।

सीमेंट उद्योग में निवेश करने में दुबारा रुचि दिखाई जाने से अगले 5 वर्षों के भीतर सीमेंट उद्योग की क्षमता व उत्पादन दुगुना हो जाने तथा इस आवश्यक वस्तु में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाने का अनुमान है।

"मीसा" और "डी०आई०एस०आई०आर०" के अन्तर्गत नजरबन्द किए गए व्यक्तियों का पुनर्वास

10353. श्री आर० के० महालगी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी राज्य सरकारों ने आपातकाल के दौरान "मीसा" और "डी० आई० एस० आई० आर०" के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये व्यक्तियों को राहत देने और उनके पुनर्वास के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन नजरबन्द व्यक्तियों को अभी तक हो रही भारी कठिनाइयां कम करने के लिये ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या संसद-सदस्यों द्वारा इस आशय के विभिन्न सुझाव सरकार को दिए गये थे ; और

(च) यदि हां, तो दिये गये सुझावों के प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (घ) सूचना परिशिष्ट I और II में दी गई है।

(ङ) और (च) संसद-सदस्यों से प्राप्त सुझावों की जांच की गई थी और आपातकाल के दौरान मीसा/डी०आई०एस०आई०आर० के अधीन जिन व्यक्तियों ने सजा काटी थी, उनको सहायता प्रदान करने के उपाय करते समय उन पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4303/79]

अन्तरिक्ष अनुसंधान

10354. श्री आर० के० महालगी : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तरिक्ष अनुसन्धान में कोई शिथिलता आई है और शान्तिपूर्ण प्रयोजनों के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने की सरकार की हाल की नीति के कारण वैज्ञानिक निरुत्साहित हुये हैं ;

(ख) क्या हाल में वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी संख्या में अन्तरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष व इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अल्पसंख्यक आयोग द्वारा दौरे

10355. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने अभी हाल में देश के अनेक राज्यों में कई शहरों और स्थानों का दौरा किया है ;

(ख) उनके दौरे का ब्यौरा क्या है और उन्हें निर्देशित किये गये प्रत्येक विवाद के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह मन्त्रालय में तथा विधि, न्याय तथा कम्पनी-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अल्पसंख्यक आयोग ने कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और केरल राज्यों का दौरा किया है ताकि इन राज्यों में अल्पसंख्यकों की स्थिति का पता लगाया जाए। आयोग अलीगढ़ और जमशेदपुर में हुए दंगों के सम्बन्ध में वहां गया था और गुरूद्वारा मंजी साहेब के पास शिव मन्दिर के निर्माण के कारण हुए विवाद के सम्बन्ध में करनाल गया था। आयोग के अलग-अलग सदस्यों ने बम्बई, अहमदाबाद, मद्रास, हैदराबाद, त्रिवेन्द्रम और लद्दाख में लेह का भी दौरा किया है।

आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों के बारे में सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है।

विवरण

अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा तथा उस पर विचार की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1978 पर रिपोर्ट।	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 1978 पर अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति के साथ सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ज्ञापन 19-3-79 को संसद के दोनों सदन के पटल पर रखा गया था।
2.	परनमबट में जुलाई-सितम्बर 1978 में हुई सांप्रदायिक अशान्ति की रिपोर्ट।	सिफारिशें तमिलनाडु राज्य सरकार से सम्बन्धित है। तमिलनाडु सरकार ने अल्पसंख्यक आयोग को अपनी टिप्पणी प्रस्तुत की है। अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन के लिये तमिलनाडु सरकार द्वारा आवश्यक कार्यवाई की जायेगी।
3.	अलीगढ़ की सांप्रदायिक अशांति की रिपोर्ट।	इस पर की गई कार्रवाई की सूचना 21 फरवरी 1979 के अंतारांकित प्रश्न सं० 336 के उत्तर में दी गई थी।
4.	गुरूद्वारा मंजी साहब (करनाल, हरियाणा) के पास शिव मन्दिर के निर्माण के विवाद पर रिपोर्ट।	हरियाणा सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
5.	जमशेदपुर (बिहार) के सांप्रदायिक दंगों से पीड़ित लोगों के पुनर्वास की रिपोर्ट।	बिहार सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिश कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अधिग्रहण के बाद कम्पनियों द्वारा अर्जित लाभ

10356. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ प्राइवेट कम्पनियों ने सरकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत अधिग्रहण के बाद लाभ अर्जित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने लाभ अर्जित किया है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) जी, हां। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिन औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया गया है उनमें से कुछ उपक्रमों ने प्रबन्ध हाथ में लिये जाने के बाद लाभ अर्जित किया है। ऐसे उपक्रमों का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

1. मैसर्स आंध्र साइंटिफिक कं० प्रा० लि० मछलीपट्नम।
2. मैसर्स गोला फ्लोर दिल्ली।

3. मैसर्स अमृतसर आयल वर्क्स, अमृतसर ।

4. मैसर्स इण्डिया मशीनरी क० लि०, हावड़ा ।

5. मैसर्स ग्लुकोनेट लि०, कलकत्ता ।

6. मैसर्स बुलगांव काटन मिल्स लि०, बम्बई ।

7. मैसर्स वैस्टर्न इण्डिया स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं० लि०, बम्बई ।

8. मैसर्स सोमासुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, रामानाथनपुरम ।

9. मैसर्स मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कालीकट ।

10. मैसर्स स्वदेशी क्लाथ मिल्स लि०, कानपुर ।

11. मैसर्स ईस्टर्न डिस्टिलरीज (प्रा) लि०, कलकत्ता ।

लाइसेंसों का जारी किया जाना

10357. श्री एस० आर० दामाणी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान मंत्रालय को औद्योगिक लाइसेंसों के लिए कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) वर्ष, 1978 के दौरान कितने लाइसेंस तथा आशयपत्र जारी किये गये ; और

(ग) आवेदन-पत्रों के स्वरूप के आधार पर दी गई मंजूरियों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) वर्ष 1978 के दौरान औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में 1392 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे ।

(ख) वर्ष 1978 की अवधि में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियमन/अधिनियन, 1951 के अधीन 440 आशयपत्र तथा 348 औद्योगिक लाइसेंस जारी किये थे ।

(ग) 1978 में जारी किये गये आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों का श्रेणीवार ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
नये उपक्रम	206	93
पर्याप्त विस्तार	83	81
नई वस्तुएं	145	124
नई वस्तु/पर्याप्त विस्तार	6	4
कारोबार चालू रखना	—	46
योग :	440	348

विदेशों के साथ सहयोग

10358. श्री एस० आर० दामाणी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1978 के दौरान सरकार को विदेशी सहयोग के लिये कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ;

(ख) उनमें से कितनों को मंजूरी दी गई ; और

(ग) विदेशी सहयोग के क्षेत्रों के अनुसार दी गई मंजूरियों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) से (ग) वर्ष 1978 में विदेशी सहयोग के लिए 429 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से अभी तक 210 आवेदन-पत्रों को स्वीकृति दी गई है। 31-3-1979 तक दी गई स्वीकृतियों की तिमाही की सूचियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इन सूचियों में भारतीय पार्टी का नाम, विदेशी सहयोगी का नाम तथा उत्पादन की वस्तु के बारे में बताया गया है।

वाहनों का निर्माण करने के लिए सिम्पसन ग्रुप के साथ फोर्ड कम्पनी का सहयोग करार

10359. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की फोर्ड कम्पनी ने मुख्यतः वाहनों का निर्माण करने के लिए दक्षिण भारत के सिम्पसन ग्रुप के साथ सहयोग करार किया है अथवा करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आभा माईति) : (क) तथा (ख) बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वाणिज्यिक गाड़ियों की उपलब्धता में वृद्धि करने के संदर्भ में मैसर्स सिम्पसन एण्ड कम्पनी लिमिटेड द्वारा 12,000 नग की वार्षिम क्षमता से ट्रकों का निर्माण करने के लिये सितम्बर, 1963 के औद्योगिक लाइसेंस को कार्यान्वित करने हेतु कदम उठाए गए हैं। फोर्ड कम्पनी के साथ विदेशी सहयोग के लिए फर्म द्वारा बातचीत शुरू की गई है। विदेशी सहयोग प्रस्ताव निर्णय हेतु सरकार को प्रस्तुत नहीं किया गया है।

तीसरे उपग्रह "रोहिणी" का छोड़ा जाना

10360. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या अन्तरिक्ष मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तीसरा उपग्रह "रोहिणी" निकट भविष्य में छोड़े जाने के लिए तैयार हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस उपग्रह के लिए क्या कार्यक्रम है ?

रक्षा मंत्रालय में तथा परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष तथा इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) रोहिणी उपग्रह वस्तुतः एक प्रौद्योगिकीय प्रणाली है, जो मुख्यतया भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित किये जा रहे उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस० एल० वी०-3) के चतुर्थ खण्ड के कार्य-निष्पादन का मानीटर करने के लिए है।

दिल्ली परिवहन निगम के भाड़ों में वृद्धि के खिलाफ आन्दोलनकर्ताओं पर पुलिस की कथित ज्यादतियां

10361. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री भगत राम :

श्री कचरूलाल हेमराज जैन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शनिवार, 17 फरवरी, 1979 को दिल्ली परिवहन निगम के भाड़ों में वृद्धि के खिलाफ विरोध करते हुए आन्दोलनकर्ताओं पर पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया गया है ;

(ख) क्या कथित ज्यादतियों की न्यायिक जांच की मांग की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) जी हां, श्रीमान । पुलिस की ज्यादतियों का आरोप लगाया गया था लेकिन ये आरोप सिद्ध नहीं हो सके । घटना की न्यायिक जांच करने के लिए कोई मांग नहीं की गई है ।

आयातित टी०वी० पिक्चर ट्यूबों का वितरण

10362. डा० वसन्त कुमार पण्डित : क्या इलैक्ट्रानिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलैक्ट्रानिकी विभाग द्वारा आयातित टी० वी० पिक्चर ट्यूबों का वितरण इलैक्ट्रानिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम के माध्यम से किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि टी० वी० पिक्चर ट्यूबों का वितरण त्रुटिपूर्ण एवं पक्षपातपूर्ण है और वह टी०वी० एककों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता अथवा किसी निश्चित मानक पर आधारित नहीं हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सारणीकृत टी०वी० पिक्चर ट्यूबों की अपर्याप्त सप्लाई के कारण टी०वी० निर्माताओं के छोटे एककों को भारी नुकसान हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो आयातित टी० वी० पिक्चर ट्यूबों के वितरण और सभी निर्माता एककों को उनके आबंटन के बारे में सरकार की क्या निश्चित नीति है ?

रक्षा मंत्रालय तथा में परमाणु, ऊर्जा, अन्तरिक्ष व इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शेर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) केवल इस आशय की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों का जो वितरण किया जाता है, वह लघु उद्योग के एककों की मंजूरशुदा क्षमता के आधार पर नहीं किया जाता । इस मामले की समीक्षा की गई है और यह निष्कर्ष निकाला गया है कि चूंकि लघु उद्योगों के एककों के उत्पादन की मात्रा पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है, इसलिए उन एककों को उनकी मंजूर

शुदा क्षमता के आधार पर आयातित दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब वितरित किये जाने का कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अब तक जिस नीति का अनुपालन किया जाता रहा है, उसे जारी रखने का विचार है।

तिहाड़ जेल, दिल्ली में कैदी

10363. श्री ज्योतिर्मय बसु :
श्री मुकुंद मंडल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पता चला है कि सितम्बर, 1978 को दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैदियों की संख्या जेल की क्षमता से तीन गुना थी;

(ख) जेल नियम पुस्तिका के अनुसार विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के कैदियों के लिए जमीन पर कितना स्थान होना चाहिए और गुसलखाने आदि की किस प्रकार की सुविधा अवश्यमेव उपलब्ध होनी चाहिए;

(ग) क्या यह भी सच है कि संघ राज्य क्षेत्रों विशेष कर दिल्ली में कोई जेल नियम पुस्तिका है ही नहीं ?

गृह मंत्रालय में तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केन्द्रीय जेल, तिहाड़ में तारीख 1-9-1978 को कैदियों की संख्या इसकी अधिकृत क्षमता 1,273 के मुकाबले 3,259 थी। यह इस कारण हुआ कि तारीख 29-8-1978 से 31-8-1978 के बीच कंझावला आन्दोलन के संबंध में बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपने आपको गिरफ्तार कराया। तथापि तारीख 2-9-1978 को कैदियों की संख्या पर्याप्त रूप से कम (2,431) हो गई क्योंकि गिरफ्तार व्यक्तियों में से अधिकांश को न्यायालय ने छोड़ दिया था।

2. संघशासित क्षेत्र, गोवा, दमण और द्वीव और पांडीचेरी आदर्श कारावास मैन्युल में निहित उपबंधों का अनुपालन करते हैं। दूसरे संघशासित क्षेत्र विभिन्न राज्यों के जेल मैन्युअल का अनुपालन करते हैं। दिल्ली में पंजाब जेल मैन्युअल का अनुपालन किया जाता है। उक्त मैन्युअल का पैरा 969 में प्रत्येक कैदी के लिए निम्नलिखित स्थान निर्धारित किया गया है :—

(i) वार्ड/कार्यशाला	45 वर्ग फुट
(ii) कोठरी	96 वर्ग फुट
(iii) अस्पताल	54 वर्ग फुट

इसके अतिरिक्त पैरा 583 के अनुसार प्रत्येक 6 कैदियों के लिए प्रत्येक शौचालय में एक सीट के अनुपात में स्थान होना चाहिए और शौचालय से लगे कपड़े धोने के स्थान में चार सीटों के लिए कम्पार्टमेंट होना चाहिए। केन्द्रीय जेल, तिहाड़ की कोठरियों में 374 शौचालय और उतनी संख्या में कपड़े धोने के स्थानों सहित 512 शौचालय और 500 कपड़े धोने के स्थान हैं।

सीमेंट और टिम्बर का आयात

10364. श्री जनार्दन पुजारी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1979 के दौरान सीमेंट और टिम्बर का आयात करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक वस्तु का कितनी मात्रा में, और किस-किस देश से तथा किस मूल्य पर आयात किया जायेगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगदम्बी प्रसाद यादव) : (क) तथा (ख) वर्ष 1978-79 में जापान, उत्तरी कोरिया, पोलैंड, रूमानिया तथा दक्षिण कोरिया से 54.71 से 67.50 अमरीकी डालर प्रति मी० टन (लागत तथा भाड़ा) की विभिन्न दरों पर 15.4 लाख मी० टन सीमेंट का आयात किया गया था। सरकार ने 1979-80 में लगभग 20 लाख मी० टन सीमेंट का आयात करने का निर्णय लिया है।

1979-80 आयात नीति के परिशिष्ट–19 के अनुबंध–1 की मद सं० 21 के अन्तर्गत लकड़ी के आयात की अनुमति दी गई है। अतः वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अथवा उत्पादन के लिए प्रयोग में आने वाले माल की प्रतिपूर्ति अथवा दोनों के लिए निर्यात संबंधी आदेशों को पूरा करने के लिए सीमा शुल्क की छूट के साथ इसका आयात किया जा सकता है। वर्ष 1979 में आयात की गई मात्रा तथा मूल्य वर्ष की समाप्ति के बाद ही बताया जा सकेगा, जब वास्तविक आयात पूरा हो चुकेगा।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर) : अध्यक्ष जी, रेल विभाग में बड़ी तोड़-फोड़ शुरू हो गई है। कल गाजियाबाद के पास दिल्ली-बरेली 376 डाउन पैसेंजर ट्रेन का जबरदस्ती पटरी उखाड़ कर डिरेलमेंट करा दिया गया।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिना सूचना दिये कोई मामला उठाने की प्रक्रिया हमें क्यों आरम्भ करनी चाहिये, समझ में नहीं आता।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब पत्र सभा पटल पर रखे जायेंगे। श्री जार्ज फर्नान्डीस।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आयातित सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश 1979 तथा भारी इन्जीनियरी निगम लि० का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन और समीक्षा

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत आयातित सीमेंट नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

की एक प्रति जो दिनांक 9 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 198 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4435/79]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची के वर्ष 1977-78 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड, रांची का वर्ष 1977-78 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल०टी० 4436/79]

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : मैने आपको अपनी मातृभाषा में बोलने के अपने अधिकार के बारे में लिखा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। हम अभी इसकी व्यवस्था नहीं कर सके हैं। श्री मण्डल।

सिख गुरूद्वारा बोर्ड (सदस्यों का सहयोजन) (संशोधन) नियम, 1979

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : मैं सिख गुरूद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 146 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सिख गुरूद्वारा बोर्ड (सदस्यों का सहयोजन) (संशोधन) नियम, 1979 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 279 (ङ) में प्रकाशित हुए थे सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4437/79]

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : **श्री**मान, मैं एक **व्यवस्था** का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री जी० एम० बनतवाला : दो दिन पहले 7 मई को मैंने श्री चन्दर द्वारा उपकुलपति डा० खुसरो के कथन को गलत रूप में पेश करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार के हनन की सूचना दी थी।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनतवाला मैंने इस संबंध में उनके विचार मांगे हैं। यही सुस्थापित प्रक्रिया है।

श्री जी० एम० बनतवाला : मैं मामले के गुण दोषों पर नहीं जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय मैं आपको इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि आपने मंत्री महोदय से उनके विचार जानने चाहे हैं।

इस संबंध में मैं आपका ध्यान नियम 224 (दो) के साथ नियम 222 की ओर सींचना चाहता हूं।

अब मेरा विशेषाधिकार हनन का प्रश्न यह है कि मंत्री महोदय ने डा० खुसरो के कथन को गलत रूप में पेश किया कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक का स्वागत किया है।

अध्यक्ष महोदय : हम इस संबंध में निर्णय उनका उत्तर आने पर ही ले सकते हैं। कृपया मेरी बात सुनें। 1950 से ही यही प्रक्रिया अपनाई जाती रही है। जब भी किसी संसद-सदस्य के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी जाती है तो हम सबसे पहले उसके विचार इस संबंध में मांगते हैं। यह प्रक्रिया केवल संसद-सदस्यों के संबंध में ही नहीं है बल्कि समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में भी इसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसलिये हम हमेशा सम्बन्धित व्यक्तियों के विचार मांगते हैं और उसके बाद मामले पर विचार करते हैं। इसी कारण मैं इस प्रक्रिया को अपना रहा हूँ।

श्री जी० एम० बनतवाला : आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, परन्तु ……

अध्यक्ष महोदय : आप ही अकेले नहीं हैं अन्य लोगों को भी कुछ कहना है।

श्री चित्त बसु खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने भी सूचना दी है ?

श्री जी० एम० बनतवाला : मेरा प्रश्न यह है कि नियम 224 (दो) में विशेष रूप से यह दिया गया है कि मामला हाल ही का होना चाहिये। मैंने जो मामला उठाया है वह हाल ही का है।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई इंकार नहीं करता।

श्री जी० एम० बनतवाला : अतः मेरा कहना यह है कि इस संबंध में और अनावश्यक विलम्ब न किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जा रहा है।

श्री जी० एम० बनतवाला : छात्रों में असंतोष विद्यमान है। आज ही एक विशाल प्रदर्शन हुआ। उपकुलपति की स्थिति संदिग्ध होती जा रही है।

इसमें विलम्ब करना मामले को टालना है।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : पता नहीं ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है कि मैं अपनी भाषा में बोल सकूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वरिष्ठ सदस्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हमने प्रार्थनापत्र मांगे थे और एक परीक्षा ली थी, परन्तु दुर्भाग्यवश हमें कोई आदमी नहीं मिला।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : यह मेरा अधिकार है कि मैं अपनी मातृभाषा में बोलूं। मैंने आपको 6 महीने पहले लिखा था और अब मैं प्रधान मंत्री से भी अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : मुझे अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें। श्री पाटिल।

कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री डी० देवराज अर्स तथा अन्य मंत्रियों के सम्बन्ध में ग्रोवर जांच आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन, इसके हिन्दी में न रखे जाने के बारे में विवरण तथा अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) जांच अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :

(एक) कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री डी० देवराज अर्स तथा अन्य मंत्रियों के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिए गठित ग्रोवर जांच आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4438/79]

(2) उपर्युक्त (1) (एक) में उल्लिखित प्रतिवेदन के अंग्रेजी संस्करण को साथ उसका हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4439/79]

(3) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 619 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 8 दिसम्बर 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 574 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है।

(दो) सा० सां० नि० 620, जो दिनांक 28 अप्रैल, 1979 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिसमें दिनांक 8 दिसम्बर, 1978 की अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 575 (ङ) का शुद्धि-पत्र दिया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 4439/79]

भारत के नियंत्रक मालेहखापरीक्षक का वर्ष 1977-78—संघ सरकार (सिविल), भाग 3 और 4 (वाणिज्य) और भारतीय उर्वरक निगम लि० ट्राम्बे और नामरूप एककों के प्रतिवेदन तथा संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) 1977-78

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुल्फिकारुल्ला) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) संविधान अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :–

(एक) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1977-78 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (सिविल)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4440/79]

(दो) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 1978 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक)—भाग 3—भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (ट्राम्बे एकक)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4441/79]

(तीन) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का वर्ष 1978 का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग 4—भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड (नामरूप एकक)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4442/79]

(2) वर्ष 1977-78 के लिये संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4443/79]

———

राज्य सभा से संदेश

सचिव : श्रीमान्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 186 के उपनियम (6) के अनुसार मुझे वित्त विधेयक, 1979 को, जो लोक सभा ने अपनी 26 अप्रैल, 1979 की बैठक में पास किया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिश के लिए भेजा गया था, लौटाने और यह बताने का निदेश दिया गया है कि इस सभा को उक्त विधेयक के सम्बन्ध में लोक-सभा को कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

(34वां प्रतिवेदन)

श्री यादवेन्द्र दत्त (जौनपुर) : मैं गैर-सरकारी सनस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 34वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में शामिल न किया जाए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जब तक मैं अपनी अनुमति नहीं देता।

श्री कंवर लाल गुप्त।

सभा पटल पर रखे गए पत्रों सम्बन्धी समिति

(18वां प्रतिवेदन)

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली-सदर) : मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 18वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

याचिका समिति

(10वां प्रतिवेदन)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस छठी लोक सभा की याचिका का टाइम प्रतिवेदन सदन की सेवा में प्रस्तुत करता हूं।

जयपुर उद्योग लिमिटेड (सीमेंट उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) विधेयल

उद्योग मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीस) : मैं सीमेंट का, जो कि समुदाय, उद्योगों और देश में अन्य विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की आवश्यकताओं के लिये अनिवार्य है, उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जयपुर उद्योग लिमिटेड के उसके सीमेंट उपक्रमों से सम्बन्धित अधिकार, हक और हित के लोकहित में अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : अध्यक्ष महोदय, मेरे सम्मुख इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध किये जाने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। कर्मचारियों के हितों का मान करने और

**कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

एक कार्मिक संघ नेता होने के नाते मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी उन बातों पर गंभीरता से विचार करेंगे, जो मैं उठा रहा हूं।

प्रस्तावित विधेयक जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है लोक हित में है। परन्तु मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक से लोक हित पूर्णतः नहीं सधता है। विशेषकर इस दृष्टि से कि जयपुर उद्योग लिमिटेड की कानपुर में एक सहयोगी इकाई है, जो जूट के माल का उत्पादन करती है और इस विधेयक के अन्तर्गत उस इकाई को नहीं लिया गया है। जूट के माल का उत्पादन भी सीमेंट के समान ही लोकहित की वस्तु है। प्रस्तावित विधेयक में केवल सीमेंट की इकाइयों का ही अर्जन करने की बात कही गयी है तथा कानपुर की इकाई को छोड़ दिया गया है। इस सहयोगी इकाई की कानपुर इकाई जनवरी 1979 से बन्द पड़ी है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 2 हजार कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं। इस विधेयक में इस इकाई का कोई ज़िक्र नहीं किया गया है और ना ही 2 हजार कर्मचारियों के तथा अन्य सम्बन्धित लोगों के हितों के बारे में कोई उल्लेख है।

राजस्थान सरकार का भी इससे सम्बन्ध है क्योंकि प्रविष्टि 24 राज्य सूची का विषय है। जयपुर उद्योग लिमिटेड में राजस्थान सरकार की पूंजी लगी है तथा आज समाचार-पत्रों में छपा है कि राजस्थान सरकार के मंत्रिमण्डल ने इस विधेयक को स्वीकृति नहीं दी है। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं बता दूं कि राजस्थान के उद्योग मंत्री ने यह कहा है—

"हम चाहते हैं कि केन्द्र इस निर्णय पर पुनर्विचार करे।"

अन्त में मैं मंत्री महोदय को उनके उस आश्वासन का स्मरण कराना चाहता हूं जो उन्होंने रूग्ण इकाइयों का अर्जन करने के सम्बन्ध में दिये थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि जब भी सरकार किसी रुग्ण इकाई का अर्जन करेगी तो उसके साथ कम्पनी को अन्य रुग्ण इकाइयों का भी अर्जन कर लिया जायेगा, जिससे कम्पनी का कार्य ठीक प्रकार चल सके। इस कथन के साथ मैं इस विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने का विरोध करता हूं। आशा है मंत्री महोदय सदन को यह आश्वासन देंगे कि कानपुर जूट इकाई के कर्मचारियों के हितों की भी समान रूप से रक्षा की जायेगी।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : माननीय सदस्य ने इस कम्पनी की कानपुर जूट इकाई का उल्लेख किया है। हम भी इस संबंध में चिंतित हैं तथा इस सम्बन्ध में हम राज्य सरकार से सम्पर्क बनाये हुये हैं तथा आशा है कि इस समस्या का हल मिल जायेगा। हमें समस्या की गंभीरता का आभास है और हम इसे हल करने के लिये हर आवश्यक कदम उठा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने यह कहा है कि वे चाहते हैं कि यह इकाई उन्हें दे दी जाये। परन्तु इस विधेयक में जैसा कि सरकार ने इसे स्वीकार किया है भारतीय सीमेंट निगम द्वारा इसे अपने हाथ में लिये जाने का उपबंध है। एक अन्य समस्या जिसकी ओर राज्य सरकार ने ध्यान दिलाया है केन्द्र सरकार उस पर विचार कर रही है और वह समस्या है कम्पनी द्वारा उन्हें कुछ राशियों का भुगतान किया जाना। बहुत से लोगों को एक बड़ी राशि का भुगतान किया जाना है तथा विधेयक में एक निश्चित समय में भुगतान किये जाने का उपबन्ध है।

माननीय सदस्य ने कम्पनी की सभी इकाइयों का अर्जन किये जाने की बात कही है। सरकार की किसी कम्पनी की सभी इकाइयों को लिये जाने की कोई नीति नहीं है। स्वदेशी मिल के संबंध में हमने कोई निर्णय लिया था।

जहां तक इस कम्पनी का संबंध है इस समय हम इसके सवाई माधोपुर स्थित एकक पर ही विचार कर रहे हैं। आशा है माननीय सदस्य अपनी आपत्ति वापिस ले लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, मेरे विचार से आप जोर नहीं दे रहे।

श्री चित्त बसु : महोदय, मैंने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सीमेंट का, जो कि समुदाय, उद्योगों और अन्य विकास सम्बन्धी परियोजनाओं की आवश्यकताओं के लिए अनिवार्य है, उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन से जयपुर उद्योग लिमिटेड के उसके सीमेंट उपक्रमों से सम्बन्धित अधिकार, हक और हित के लोकहित में अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

श्री जार्ज फर्नान्डीस : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले लिए जाएंगे।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) तमिलनाडु में हस्त-निर्मित दियासिलाई उद्योग में नियोजित बालकों के शोषण का समाचार

श्री सुरेन्द्र विक्रम (शाहजहांपुर) : महोदय, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और रामनाथपुरम जिलों में हाथ से बनने वाली माचिसों के उद्योग में बाल श्रमिकों के शोषण के बारे में मैं मामला उठाना चाहता हूं।

अन्तर्राष्ट्रीय बाल दिवस अर्थात् जनवरी, 1979 के पहले महीने में ही तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में शिवकाशी के निकट भीषण दुर्टना के कारण बच्चों के शोषण का मामला प्रकाश में आया है। एक बस जिसमें 10-14 वर्ष के 60 बच्चे थे, पुल पार करते समय बाढ़ में बह गई जिसमें 37 बच्चे मर गये। इन बच्चों को एक माचिस बनाने के कारखाने में ले जाया जा रहा था।

इस प्रकार का बच्चों का बड़े पैमाने पर शोषण एक सामान्य बात है और देश के अन्य किसी भी भाग में किसी भी उद्योग में ऐसा नहीं है। माचिस उद्योग में 5 से 15 वर्ष के बच्चे

काम करते हैं जो कुल श्रमिकों का 50 प्रतिशत है। इन्हें 50 पैसे से 2 रुपये तक मजदूरी मिलती है और 12 घंटे काम करना पड़ता है। उनका काम बहुत जोखिम भरा है और उन्हें 10 से 20 कि० मी० की दूरी से बसों, ट्रकों तथा अन्य वाहनों द्वारा लाया जाता है। उन्हें घर से प्रातः 3 और 4 बजे उठा दिया जाता है ताकि वे 6.00 बजे फैक्टरी पहुंच सकें और शाम को 7.00 बजे छोड़ा जाता है। उन्हें भविष्य निधि, ई० एस० आई० आदि के लाभ भी नहीं दिये जाते।

1976 में राजस्व बोर्ड के एक भूतपूर्व सदस्य ने माचिस उद्योग में लगे बाल श्रमिकों की समस्याओं का विस्तृत अध्ययन करके तमिलनाडु सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश की थी जिसे अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया। समाचारपत्रों ने रिपोर्ट से ये उद्धरण प्रकाशित किये है :

(क) माचिस उद्योग में 40 से 45 प्रतिशत तक बाल श्रमिक हैं और उनमें भी लड़कियों का अनुपात 1 के मुकाबले 3 है ;

(ख) न्यूनतम आयु 5 से 6 वर्ष है और कभी-कभी इससे भी कम होती है ;

(ग) मजदूरी 50 पैसे से 2/—रु० के बीच है ;

(घ) बालकों को बहुत सुबह 3.00 बजे जगाया जाता है और वापस शाम को 7 बजे लाया जाता है ;

(ङ) उद्योग में अनेक दुर्घटनाएं होती हैं जिनके मामले दबा दिए जाते हैं ;

(च) विधि में विशेष उपबन्धों के बावजूद बाल श्रमिकों को बहुत कम सुविधाएं दी जाती हैं ; और

(छ) सुरक्षा के उपाय बहुत कम हैं।

यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष में सरकार पूरी जांच करके माचिस उद्योग में बच्चों के शोषण को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मनी राम बागड़ी यहां नहीं हैं। श्री टी० बालकृष्णैया

(दो) टेनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन, कानपुर के कर्मचारियों द्वारा भूख-हड़ताल

श्री मनोहर लाल (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं :

कानपुर स्थित भारत सरकार के टैनरी एण्ड फुटवियर कारपोरेशन, टैफ्को के लगभग 3500 कर्मचारी 70 दिनों से अपनी पुरानी ग्रेडिंग की मांग को लेकर क्रमिक अनशन कर रहे हैं। माननीय उद्योग मंत्री जी ने लोक सभा में आश्वासन दिया था कि 31 जनवरी 79 तक ग्रेडिंग हो जायगी। मगर एन० पी० सी० की रिपोर्ट आने के बावजूद भी अभी तक ग्रेडिंग के आदेश पारित नहीं हुए हैं। कर्मचारियों में बड़ा असंतोष है। जुलूस व प्रदर्शन भी निकाल रहे हैं। स्टाफ के लोगों की ग्रेडिंग कई साल पहले हो चुकी है। अतः टैफ्को के कर्मचारियों के शीघ्र ग्रेडिंग के आदेश पारित किए जायें और यदि विलम्ब हो तो अन्तरिम ग्रेडिंग तुरन्त दी जाय।

(तीन) आंध्र प्रदेश में कृषि उत्पादों को खरीदने के लिए विपणन एजेन्सियों का अभाव

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : महोदय, नियम 377 के अधीन मैं यह मामला उठाना चाहता हूं :

आंध्र प्रदेश राज्य को वर्ष 1979–80 के लिए 30,000 टन चावल निर्यात करने का कोटा मिला है । लेकिन अभी तक वहां से एक दाने का भी निर्यात नहीं हुआ । आंध्र प्रदेश के किसान पंजाब के किसानों से ईर्ष्या करते हैं हालांकि पंजाब में हाल ही में धान की खेती शुरू हुई है, फिर भी वे बेहतर स्थिति में हैं । आंध्र प्रदेश में धान, गन्ने और तम्बाकू की अतिरिक्त पैदावार होने पर भी किसान को विपणन सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं । इससे किसानों में निराशा है । मार्कफेड तथा नागरिक पूर्ति निगम उनकी समस्याओं को नहीं सुलझा सकते । राज्य सरकार की इन एजेन्सियों को सुदृढ़ करने की कोई योजना नहीं है । गत वर्ष धान 70 रु० प्रति क्विन्टल बेचा गया । इससे चावल का मूल्य 1.05 रु० प्रति किलो बैठता है जबकि बाजार में चावल का मूल्य 2 रु० प्रति किलो है ।

अतः मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि वह आंध्र प्रदेश से धान, गुड़ और तम्बाकू खरीदने की कोई योजना तैयार करे ।

(चार) एक मई 1979 में जनपथ, नई दिल्ली में हुई घटनाएं

श्री एन० कुदनतई रामलिंगम (मयूरम) : मैं आपकी अनुमति से नियम 377 के अधीन यह मामला उठाना चाहता हूं :

युवा कांग्रेस के निर्णय पर मैंने तथा मेरे साथियों ने काले विधेयक विशेष न्यायालय को वापस लिये जाने के लिये लोकतांत्रिक तथा शांतिपूर्ण ढंग से जलूस निकाला । जलूस 5000 व्यक्तियों का था जो मिन्टो ब्रिज से प्रधान मन्त्री को ज्ञापन देने के लिए चला था ताकि यह विधेयक वापस लिया जाये । सुरक्षा तथा अन्य प्रबन्धों के लिए पुलिस को मार्ग पहले ही बता दिया गया था । जलूस जब जनपथ पहुंचा तो कुछ दुकानों से लोगों ने जान-बूझ कर पत्थर फेंके और शांतिपूर्ण जलूस को भंग करने की कोशिश थी । तभी कुछ समाज-विरोधी तत्वों ने जलूस के लोगों पर ईंटें और सोडावाटर की बोतलें फैंकनी शुरू कीं । दुकानदारों ने भी जलूस के लोगों को मारना शुरू कर दिया । मैंने तत्काल वहां उपस्थित मुख्य पुलिस अधिकारी श्री बरार को इन हिंसात्मक एवं समाज-विरोधी तत्वों को रोके जाने के लिए कहा और मैंने उसे बताया कि मैं संसद-सदस्य हूं । पर अफसोस की बात है कि बचाव करने के स्थान पर इस अधिकारी ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का आदेश दे दिया । इससे युवा कांग्रेस के अनेक लोगों को चोटें आईं और मेरे अनुरोध करने पर उसने कहा मुझे परवाह नहीं चाहे आप संसद-सदस्य क्यों न हों और मुझे मारना शुरू कर दिया जिससे मेरा हाथ टूट गया और कई चोटें आईं । आप मेरी कमीज देखिए । मेरे पास खड़े अन्य संसद-सदस्य ने भी उससे लोगों के बचाव के लिये कहा लेकिन उसने हमारी बात नहीं सुनी और पुलिस से मुझे मारने को कहा । मेरे बार-बार कहने पर भी मुझे किसी पुलिस थाने अथवा अस्पताल में 45 मिनट तक नहीं ले जाया गया । मुझे संसद भवन भी नहीं आने दिया गया । वह पैदल मुझे संसद भवन ले गया और शाम 6.00 बजे तक मुझे प्राथमिक सहायता नहीं मिली । मैंने उसी दिन पार्लियामेंट थाने में उस अधिकारी

श्री बरार के विरुद्ध रिपोर्ट भी लिखाई है। मैं स्पष्ट कहता हूँ कि किसी ने भी श्री बरार पर हमला नहीं किया। उन्हें कोई चोट भी नहीं लगी है।

हमारा इरादा तो शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के विशेष न्यायालय विधेयक के विरुद्ध जलूस निकालना था। समूची दिल्ली के युवा कांग्रेस के लोगों ने उत्साह से जलूस में भाग लिया और किसी हिंसा की कार्यवाही का हमारा इरादा न था। मैं संसद-सदस्य के नाते और युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि के नाते किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता हूं। लेकिन खेद की बात है कि पुलिस ने समाज-विरोधी तत्वों की हिंसात्मक गतिविधियों को नहीं रोका। शांतिपूर्ण जलूस पर हमला किया गया। अस्पताल में न तो मेरी ठीक तरह देख-भाल हुई और न ही मुझे कमरा दिया गया। मेरा अध्यक्ष से अनुरोध है कि सदस्यों के अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा की जाए और सरकार को न्यायिक जांच कराने का आदेश दिया जाये। ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार उल्लंघन का प्रस्ताव लाने का मुझे अधिकार है।

(पांच) मेघालय के कुछ भागों में प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का अनियमित भुगतान

श्री पी० ए० संगमा (तुरा) : महोदय, मेघालय के पूर्वी और पश्चिमी गारों पहाड़ी जिलों में निम्न प्राथमिक स्कूल अध्यापकों को अनियमित वेतन देने की समस्या मैं भारत सरकार तथा सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। कई बार उन्हें 3-4 मास तक वेतन नहीं मिलता। मेघालय में यह आम बात है। अध्यापकों को बहुत कठिनाई होती है और पूरे परिवार को असुविधा होती है। वहां 25,000 अध्यापक हैं जिन्हें इस गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि समयपर कार्यवाही न हुई तो स्थिति बिगड़ सकती है। अध्यापक प्रदर्शन तथा अन्य तरीकों से अपनी न्यायपूर्ण मांगें मनवाना चाहते हैं। संघ सरकार ने राज्य को शिक्षा के लिए भारी राशियां दी हैं लेकिन शायद जिला परिषद अधिकारियों द्वारा इनका प्रयोग अन्य कार्यों के लिए किया गया है। अध्यापक वर्ग को पिछले कई वर्षों से इस मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है।

अध्यापकों की अपने कार्यों में रुचि नहीं है। एक भूखा और असन्तुष्ट अध्यापक अपने शिष्यों से न्याय नहीं कर सकता। उनका धैर्य समाप्त हो चुका है। स्थिति बिगड़ सकती है। आशा है सरकार तत्काल ही कोई निर्णय लेगी।

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधान कार्य लेंगे।

प्रो० समर गुह (कन्टाई) : मारीझाये क्षेत्र में ····

अध्यक्ष महोदय : आपने आज ही सूचना भेजी होगी।

प्रो० समर गुह : जी हां। वहां स्थिति बहुत खराब है ····

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए।

प्रो० समर गुह : * * *

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी नियम 377 के अधीन सूचना नहीं देखी। आप को 10.30 बजे या 11.00 बजे तक देनी चाहिए थी। मैंने ध्यान आकर्षण की अनुमति दी है।

*** कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

नियम सभी के लिए हैं। किसी विशेष क्षेत्र का एकाधिकार किसी मामले में नहीं हो सकता। उचित होने पर मैं 377 के अधीन उस पर विचार करूंगा।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : नियम 36(2) परन्तुक के अधीन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। कल के लिये हमें कार्य सूची मिली है जिसमें सरकारी कार्य का समय सवेरे 10.30 बजे से शाम के 4.30 बजे तक दिखाया गया है और गैर-सरकारी कार्य शाम के 4.00 बजे से 6.30 बजे तक है। पता नहीं यह छपाई की गलती है या कुछ विशेष बात है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता चला है कि यह छपाई की गलती है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : अतः 10.30 बजे म० पू० से 4.00 बजे म० प० तक सरकारी कार्य, 4.00 बजे म०प० से 6.30 बजे म०प० तक गैर-सरकारी कार्य, 6.30 बजे म०प० से 7.30 बजे म० प० तक नियम 193 के अधीन चर्चा, 7.30 बजे म० प० से आधे घंटे की चर्चा। अब हमने कल से मध्यान्ह भोजन अवकाश भी छोड़ दिया है। कल सरकार को संविधान (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव लाना पड़ा। क्योंकि उपस्थिति बहुत कम थी। आपने संसदीय कार्य प्रक्रिया ऐसी बनाई है। क्या यह जरूरी है कि संसद-सदस्यों को यहां 10.30 बजे बुलाकर शाम के 8.30 बजे तक बिना मध्यान्ह भोजन अवकाश के बिठाया जाये ? मेरा अनुरोध है कि कम-से-कम मध्यान्ह भोजन के लिए समय जरूर निकाला जाये ताकि कुछ राहत मिले और प्रभावी ढंग से कार्य चले अन्यथा उसका कोई प्रयोजन नहीं।

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि सभा का कार्य इस प्रकार से नियत किया जाये कि संसद-सदस्य उसे प्रभावशाली ढंग से तथा कुशलतापूर्वक कर सकें। अगर उपस्थिति ही न हो तो सदस्यों को सुबह 10.30 बजे बुलाने तथा उन्हें यहां शाम के 7.30 बजे तक रोकने का क्या लाभ है ? मैं हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करता हूं कि मध्यान्ह भोजनावकाश को पुनः बहाल किया जाये ताकि कुशलता आ सके।

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई उत्तर) : मैंने महाराष्ट्र में पावर कट के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस आज ही दिया होगा। प्रत्येक सदस्य नोटिस और भाषण साथ-साथ देना चाहता है।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : समय आधा घंटा बढ़ा दिया गया है। आपको सदस्यों को सभा के समक्ष तात्कालिक मामले उठाने के लिए कुछ छूट भी देनी चाहिए। नियम 377 के अन्तर्गत नोटिस देने में दस-पन्द्रह मिनट के विलम्ब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : इसमें विलम्ब का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन मैं सदस्य को बोलने की अनुमति देने से पहले उसका नोटिस अवश्य देखना चाहता हूं।

(व्यवधान)*

*इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन और सेवा शर्तें) विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 8 पर आते हैं।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

1. पृष्ठ 6, पंक्ति 6, –

"करने" के पश्चात्, "आवास तथा चिकित्सा सुविधाओं" अन्तः स्थापित किया जाये। (16)

2. पृष्ठ 6, पंक्ति 10, –

"जाए" के पश्चात् "और ऐसी प्रति भूति देने पर जो अवधारित की जाए" अन्तः स्थापत किया जाये। (17)

पृष्ठ 6, –

पंक्ति 11 से 17 का लोप कर दिया जाए। (18)

जहां तक मेरे पहले संशोधन का सम्बन्ध है, खण्ड 8 के उपखण्ड (2) में कहा गया है :—

"इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञप्ति में ऐसी शर्तें होंगी जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया, उस करार या ठहराव के जिसके अधीन कर्मकारों की भर्ती की जाएगी, अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों की बाबत संदेय पारिश्रमिक, काम के घण्टों, मजदूरी नियत करने और अन्य ऐसी आवश्यक सुख-सुविधाओं के निर्बंधन और शर्तें भी हैं जो समुचित सरकार धारा 35 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, यदि कोई हों, अधिरोपित करना ठीक समझे, और वह अनुज्ञप्ति ऐसी फीस देने पर जो विहित की जाए प्रदान की जायेगी :"

मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि आवास तथा चिकित्सा सुविधाएं भी एक शर्त होनी चाहिए। जब तक इन शर्तों को सूची में शामिल नहीं किया जाता तब तक किसी विशिष्ट संस्था को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।

जहां तक मेरे दूसरे संशोधन का सम्बन्ध है, यह प्रावधान है कि विशेष मामलों में सरकार संस्था से आवश्यक जमानत माँग सकती है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब सरकार इसे आवश्यक समझे। अपने संशोधन में मैंने यह सुझाव दिया है कि जमानत देना अनिवार्य बना दिया जाए। यह काम लाइसेंसिंग अधिकारी पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि जमानत मांगने के लिए विशेष परिस्थितियां बनती हैं अथवा नहीं। मेरा प्रस्ताव यह है कि आवश्यक जमानत देना अनिवार्य बना दिया जाए तथा जमानत की राशि तथा स्वरूप समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

मेरा तीसरा संशोधन आनुषंगिक है। यदि इसे स्वीकार किया जाता है तो परन्तुक की कोई आवश्कता नहीं है। अतः मैं यह चाहता हूं कि इन पंक्तियों का लोप कर किया जाए।

संसदीय कार्य तथा श्रम मन्त्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुतः मेरे माननीय सहयोगी ने यह प्रश्न कल अपने भाषण के दौरान उठाया था और मैंने कल उनके संशोधनों के बारे में स्पष्ट उत्तर दिया था। मैंने उन्हें यह बताने का प्रयास किया था कि उनके प्रस्तावित संशोधनों की कोई आवश्यकता नहीं है।

जहां तक आवास सुविधा का प्रश्न है, यदि माननीय सदस्य खण्ड 16 को देखें तो निश्चित रूप से यह यिधेयक का एक अंग है।

मैं उद्धृत करता हूं :—

"किसी स्थापन के, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, काम के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को नियोजन करने वाले प्रत्येक ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा"

एक सूची बनायी गई है और सूची (ग) तथा (घ) में कहा गया है :

"कर्मकारों के लिए उनके नियोजन की अवधि के दौरान समुचित आवास सुविधा की व्यवस्था करे और उसे बनाए रखे"

"कर्मकारों के लिए मुफ्त विहित चिकित्सा सुविधाओं की व्यवस्था करे ;"

अतः मैं विश्वास करता हूँ कि दोनों बातें इसमें शामिल हैं और इसलिए इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं।

जहां तक माननीय सदस्य द्वारा जमानत राशि जमा कराने के बारे में उठाये गये प्रश्न का सम्बन्ध है वस्तुतः विधेयक के खण्ड 8 (2) में दिए गए शब्द "फीस" में जमानत राशि भी शामिल है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। मेरे विचार में माननीय सदस्य को इस बारे में आशंका थी और इसलिए उन्होंने यह संशोधन पेश किया है। मेरे स्पष्टीकरण देने के बाद मैं माननीय सदस्य से अपील करता हूं कि वह अपने संशोधन के लिए आग्रह न करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री चित्त बसु, क्या आप अपने संशोधनों के लिए आग्रह कर रहे हैं ?

श्री चित्त बसु : जी, नहीं। मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिए गए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 9 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 12

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 8 :—

पंक्ति 12 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये—

"(3) (क) इस अधिनियम में कोई अन्य उपबन्धों के होते हुए भी, ठेकेदार किसी विशिष्ट काम या कार्य या परियोजना के लिए भर्ती और नियोजित किये गये सभी कर्मकारों को नियोजन वाले राज्य से, उस

तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, जिसको धारा 8 की उप-धारा (1) (ख) (i) और (ii) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति समाप्त हो जाती, ऐसे ऋण निपटाने के पश्चात् जो ठेकेदार या उसके कर्मकारों ने लिये हों, सम्प्रवर्तित करेगा।

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी, किसी भी लेनदार का, जो इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन अनुज्ञप्त किसी ठेकेदार या उसके कर्मकारों के बिरुद्ध सम्बन्धित राज्य के निरीक्षक या अनुज्ञापन अधिकारी के समाधानप्रद रूप में किसी ऋण की वसूली के लिये दावा सिद्ध करता है, ठेकेदार के प्रतिभूति निक्षेप पर, जो इस अधिनियम की धारा 8 (2) के अधीन उससे लिया गया हो, प्रथम भार होगा।

(ग) प्रवासी कर्मकारों के संप्रवर्तन और ऋणों के निपटारे में असफलता की दशा में सम्बन्धित राज्य सरकार को उन्हें बेदखल और उत्प्रवर्तित करने का अधिकार होगा तथा ठेकेदार के प्रतिभूति निक्षेप पर भी, जो उसके प्रधान नियोजक के पास उपलब्ध हों, राज्य सरकार का प्रथम भार होगा।" (27)

मैंने कल स्थिति स्पष्ट करने का प्रयत्न किया था। आज भी मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। मंत्री महोदय ने कहा है कि यह व्यवस्था एक-दूसरे खण्ड में है। लेकिन मुझे यह खण्ड नहीं मिला। यदि केरल के श्रमिक कर्नाटक आते हैं और वहां रह जाते हैं तो वहां के लोगों के लिये आर्थिक समस्यायें पैदा हो सकती हैं। इसी प्रकार बिहार और उड़ीसा के श्रमिक आसाम में आ सकते हैं और काम पूरा होने के बाद भी वहां रह सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप आसाम के लिये आर्थिक समस्यायें पैदा हो सकती हैं। इस समय उन लोगों ने भूख हड़ताल कर रखी है जिनकी भर्ती कलकत्ता के ठेकेदारों द्वारा बोंगाईगांव शोधनशाला तथा पैट्रो रसायन कार्य के लिये की गई थी। उन लोगों को ठेकेदार द्वारा बीच में ही छोड़ दिया गया। यह लोग अपनी मजदूरी तथा अन्य सुविधाओं के लिये मांग कर रहे हैं। आजकल वे भूख-हड़ताल कर रहे हैं। कोई मी उनकी बात सुनने वाला नहीं है। ऐसी बातें अभी भी चल रही हैं। जब भी कोई कार्य पूरा हो जाता है और लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाती है तो ठेकेदार का यह कर्त्तव्य है कि वह उन मजदूरों को जिस भी राज्य से लाया था उन्हें स्थानीय लोगों को अदायगी करने के बाद वापस उसी राज्य में भेजने की व्यवस्था करे।

मैं अपने संशोधन पर जोर देना चाहता हूँ। इसे अच्छी तरह स्पष्ट किया गया है। वस्तुतः यह संशोधन नहीं है बल्कि इसे खण्ड को स्पष्ट करने के लिये जोड़ा गया है। इससे कानून और भी परिपूर्ण हो जायेगा।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्य से फिर अपील करता हूँ कि वह अपने संशोधन के लिये आग्रह न करें क्योंकि अपने संशोधन के माध्यम से जो कुछ वह कहना चाहते हैं वह पहले ही विधेयक के खण्डों में शामिल कर दिया गया है। यहां बात स्पष्ट कर देनी होगी। कोई भी

नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाकर नौकरी कर सकता है और उसे वहां काम पूरा होने के बाद कठिनाई उठानी पड़ सकती है। ऐसे सभी मामलों को अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार विधेयक में शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि कई नागरिक ऐसे होते हैं जो नौकरी की तलाश में दूसरे राज्य में जाते हैं और अपने काम पूरा होने पर वहां रह सकते हैं या अन्यत्र जा सकते हैं। यह एक सामान्य मामला है और किसी भी नागरिक को यह अधिकार है कि वह कहीं भी जा सकता है और कहीं भी नौकरी कर सकता है। संविधान में भी ऐसी व्यवस्था है। अतः यह एक अलग बात है कि जहां तक उन मजदूरों का सम्बन्ध है जो ठेकेदार द्वारा भर्ती किये जाते हैं, मैं यह बताना चाहता हूं कि खण्ड 12 में प्रत्यावर्तन के लिये अदायगी के दायित्व के बारे में कहा गया है। खण्ड 12 (ख) कर्मकार को देय वापसी किराये के बारे में है।

खड 12 (ख) (v) में कहा गया है :—

"नियोजन की समाप्ति पर और ऐसी आकस्मिकताओं में जो विनिर्दिष्ट की जाएं और ऐसी अन्य आकस्मिकताओं में जो नियोजन संविदा में विनिर्दिष्ट की जाएं कर्मकार को संदेय वापसी किराया"

खंड 12 (ग) में कहा गया है :—

"······इस विवरणी में यह घोषणा भी होगी कि कर्मकार को संदेय सभी मजदूरी और अन्य बकाया और उसके राज्य तक वापस यात्रा के लिये किराया संदत्त कर दिया गया है।"

अब मैं खण्ड 14 और 16 पर आता हूं। मैं यहां फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि भत्ता दिया जाएगा। इसका समायोजन अन्य देय राशि के साथ किया जा सकता है। इसका उपयोग वापसी यात्रा के लिए करना होगा। खंड 15 में कहा गया है :—

"ठेकेदार द्वारा कर्मकार को आने और वापस जाने दोनों का यात्रा भत्ता दिया जायेगा जो अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार के अपने राज्य में उसके निवास स्थान से किसी अन्य राज्य में काम के स्थान तक के किराए की धनराशि से कम न होगा और ऐसी कर्मकार ऐसी यात्राओं की अवधि के दौरान मजदूरी संदाय का ऐसे हकदार होगा मानो वह काम पर हो।"

यह स्पष्ट है। अतः मुझे आशा है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन के लिये आग्रह नहीं करेंगे।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : वस्तुतः यह राज्य की जिम्मेदारी है और इसलिए ऐसी यात्राओं की अवधि के लिए प्रावधान होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : आपने सब कुछ बता दिया है। अब आप यह निश्चय कर लें कि क्या आप अपने संशोधनों पर जोर देना चाहते हैं ?

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : मैं अपना संशोधन संख्या 27 वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा संशोधन वापस लेने की अनुमति देना चाहती है ?

कई माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।"

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 13

अध्यक्ष महोदय : कोई संशोधन नहीं है । मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 13 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 14

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 14 पर आते हैं । क्या श्री भगत राम अपना संशोधन पेश करना चाहते हैं ?

श्री भगत राम (फिल्लौर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 8, पंक्ति 6,

"पचास प्रतिशत के" का लोप कर दिया जाये ।

पृष्ठ 8, पंक्ति 6 और 7,—

"75" के स्थान पर "100" प्रतिस्थापित किया जाये ।

इस संशोधन में यह कहा गया है :—

"भर्ती के समय प्रत्येक अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार को ठेकेदार द्वारा विस्थापन भत्ता, जो उसको संदेय मासिक मदूजरी के 50 प्रतिशत के बराबर या 75 रुपये, इन दोनों में से जो भी अधिक हो, संदत्त किया जायेगा ।"

तो मेरा इससे मकसद है कि 50 परसेंट को डिलीट कर दिया जाये और इसकी जगह पर जहां 75 रुपये है, वहां 100 रुपये कर दिया जाये क्योंकि उनको काफी दूर जाकर काम करना पड़ता है । इसलिए डिस्प्लेसमेंट एलाउन्स कम न पड़े, ज्यादा होना चाहिए । इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे अमेंडमेंट को माना जाये ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की इस चिन्ता को समझता हूँ वे किसी राज्य में भर्ती किये गये व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार को सुनिश्चित करना चाहते हैं । परन्तु यह देखना भी आवश्यक है कि रखी गई शर्तें भर्ती और रोजगार को कम न करें । इस पहलु पर भी विचार किया जाना आवश्यक है । अतः एक बात है अच्छा व्यवहार मिलना और दूसरी

और यह सुनिश्चित करना कि इससे इन कर्मकारों की बाहर भर्ती में कमी न हो। अतः हमने सुझाव दिया है कि यह 50 प्रतिशत या 75 रुपये हो। तदि मजदूरी अधिक होगी तो यह निःसन्देह 75 रुपये से अधिक होगी। 75 रुपये की यह राशि हर हालत में न्यूनतम होगी। अतः मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन पर जोर न दें।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संशोधनों पर जोर दे रहे हैं ?

श्री भगत राम : मैं सभा की अनुमति से अपने संशोधन संख्या 4 और 5 वापिस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदस्त को अपने संशोधन वापस लिये जाने की सभा अनुमति देती है ?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 15

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 15 को लेते हैं। इसके लिए कोई संशोधन नहीं है।

पश्न यह है :

"कि खण्ड 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 15 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 16

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 16 के लिये श्री चित्त बसु के संशोधन हैं।

श्री चित्त बसु : मेरे संशोधन संख्या 19 के दो भाग हैं। मैं उसके केवल भाग (छ) को पेश करना चाहता हूं और भाग (ज) को नहीं। मैं भाग (ज) को इसलिए पेश नहीं करना चाहता क्योंकि मंत्री महोदय ने कल यह स्पष्टीकरण दिया था कि अनुसूची में प्रसूति सम्बन्धी लाभों का उपबन्ध है। मैं अपने सशोधन का भाग (छ) पेश करता हूं :

"(छ) महिला पुरुष का ध्यान रखे बिना समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना।" (19)

मेरा यह अनुभव है कि अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकारों में औरतों को भी ठेकेदार काम पर लगाते हैं और इन महिला कर्मकारों से भी वही काम लिया जाता है। परन्तु उनके वेतन में बड़ा अन्तर

है। मैं चाहता हूं कि समान कार्य के लिये समान वेतन देने के स्वीकृत सिद्धान्त को एक ठेकेदार को मनाना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जैसाकि मेरे माननीय मित्र ने कहा कि उनके संशोधन के दो भाग हैं। भाग (ज) का सम्बन्ध प्रसूति लाभों से है। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है कि मैंने कल यह स्पष्ट कर दिया था कि अनुसूचि में प्रसूति लाभ अधिनियम के लागू किये जाने का उपबन्ध है और इसलिए वे अपने संशोधन के इस भाग को पेश करना उचित नहीं समझते।

जहां तक भाग (छ) का सम्बन्ध है मैंने कल बताया था कि इन कर्मकारों के सम्बन्ध में भी समान परिलब्धियां अधिनियम लागू होगा। यदि माननीय सदस्य में अपने संशोधन को वापस लेने का साहस नहीं है तो मैं उनके इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"पंक्ति 32 के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये--

(छ) महिला पुरुष का ध्यान रखे बिना समान कार्य के लिये समान वेतन सुनिश्चित करना।" (19)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 16, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 17 से 21 विधेयक में जोड़े गये।

खण्ड 22

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 12, पंक्ति 27,--

"छः" के स्थान पर "बारह" प्रतिस्थापित किया जाये (20)

श्री भगत राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 12, पंक्ति 21,—

"अपना नियोजन समाप्त होने के पश्चात्" का लोप कर दिया जाए। (22)

"पृष्ठ 13, पंक्ति 1,–

"अपना नियोजन समाप्त होने के पश्चात्" का लोप कर दिया जाए। (23)

श्री चित्त बसु : मेरा संशोधन संख्या 20 बहुत ही सरल है और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय इस पर सहानुभूति से विचार करेंगे। इस उपबन्ध का उद्देश्य यह है कि एक कर्मकार जिसे दूसरे राज्य में भेजा जाता है जब अपने राज्य में वापस जाता है तो वह छः महीने समाप्त

होने से पहले शिकायत दर्ज करा सकता है। मैं चाहता हूं कि यह अवधि छः मास के स्थान पर बारह मास की जाये। यह अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार सामान्यतः गांव से आते हैं और वे अनुसूचित जाति/जनजाति और गिरिजन होते हैं। हो सकता है उन्हें यह पता न हो कि छः महीने समाप्त होने से पहले किसी समुचित अधिकारी को सूचित करना चाहिए और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते तो उनका मामला समाप्त हो जाता है। इसलिए उन्हें इस तथ्य के अवगत कराने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है और इसी कारण मैंने यह संशोधन पेश किया है। यह विधेयक असंगठित और अत्यधिक कठोर मेहनत करने वालों से सम्बन्धित है। हमें इन कर्मकारों को भली प्रकार शिक्षित करना है इसी उद्देश्य से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्वीकार करें।

वे बहुत ही असंगठित हैं। उन्हें शिक्षित करना हमारा कर्त्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि अध्यक्ष महोदय मेरी इस बात से सहमत होंगे। यह कार्मिक संघों का कर्त्तव्य है। सामाजिक कार्य-कर्त्ताओं का यह कर्त्तव्य है कि वे श्रमिकों को संगठित करें और उन्हें उनके अधिकारों से अवगत करायें तथा इस कानून के बारे में उन्हें सूचित करें। इसलिए इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अधिक समय की आवश्यकता है जिससे इन असंगठित श्रमिकों को संगठित किया जा सके और उन्हें इस विधान के प्रभाव से अवगत कराया जा सके और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा सके। मेरे इस संशोधन को पेश करने का यही उद्देश्य है।

श्री भगत राम (फिल्लौर) : श्री चित्त बसु ने जो डिस्प्यूट रेज़ करने के लिए समय बढ़ाने की डिमांड की है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं और उसका समर्थन करता हूं। इसलिए मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन इसी क्लाज 22 में मैंने कुछ अमेंडमेंट पेश की हैं—पेज 10, लाइन 46 ऐंड 47 में भी यही वर्ड्स हैं और पेज 11, लाइन 11 ऐंड 12 ऐंड लाइन 31 में यही वर्ड्स हैं —आफ्टर दि कम्पलीशन आफ हिज़ एम्लायमेंट, ये शब्द निकाल दिए जायं। मेरा कहना यह है कि अगर कोई माइग्रेन्ट वर्कर अपने होम स्टेट में जाकर डिस्प्यूट रेज़ करता है ठेकेदार के साथ उसकी वेज़ज न मिलने का या और किसी तरह का तो उसमें उसको यह लिख कर देना पड़ेगा कि उसने अपना काम समाप्त कर लिया है। इसके बाद जो होम स्टेट है वह उसे दूसरे स्टेट को उसका केस ट्रांसफर कर सकता है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो बिल है और जो इसका पर्पज़ है उसको यह काफी हद तक खत्म कर देता है क्योंकि बहुत से मेम्बर्स ने इस बिल पर बोलते हुए बताया है कि ये जो माइग्रेन्ट वर्कर होते हैं, इनको कैसी हालत होती है, कैसे इन पर दबाव होते हैं, अपने होम स्टेट में इनको कितना कम वेतन मिलता है और इनके साथ में कैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, इनकी कोई खास यूनियन नहीं होती है, इसलिए ये कोई खास एसर्ट नहीं कर सकते हैं। मंत्री जी कह सकते हैं कि होम स्टेट में जाने से पहले भी वे यह डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हैं लेकिन ऐसी हालत में डिस्प्यूट रेज़ करना उनके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए अपनी स्टेट में जाकर वह डिस्प्यूट रेज़ कर सकते हैं लेकिन उन पर यह कंडीशन होगी कि उन्होंने अपना काम समाप्त कर लिया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जो ठेकेदार हैं, जो जोंक की तरह इन लोगों का खून चूसते हैं, वे लोग इनको काम करने ही नहीं देते हैं, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं जिससे वे अपना काम पूरा नहीं कर सकते हैं। कई बार वे बीमार पड़ जाते हैं, उनको ठीक ढंग से खाना पीना नहीं मिलता,

तो उनका इतना शोषण होता है कि उनको मजबूर होकर काम छोड़ना पड़ता है। तो वहां पर तो वे झगड़ा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वह दूसरा स्टेट होता है। इसलिए उनको बीच में ही कई बार काम छोड़ना पड़ता है। अगर उन पर यह कंडीशन होगी तो वह अपने स्टेट में जाकर डिस्प्यूट रेज़ नहीं कर सकेंगे और उनका केस भी ट्रांसफर नहीं हो सकेगा। इसलिए मैं मिनिस्टर साहब से पुरजोर रिक्वेस्ट करूंगा कि वह इतना अच्छा बिल लाये हैं जिसके लिए सारे हाउस के मेम्बरों ने उनको बधाई दी है, इसलिए इसमें जो लूपहोल्स रह गये हैं उनको दूर करने के लिए मंत्री जी अपनी रज़ामन्दी ज़ाहिर करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें यह शब्द "अपना नियोजन समाप्त होने के पश्चात्" जहां जहां भी हैं वहां से डिलीट कर देना चाहिए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे मित्र श्री चित्त बसु छः मास की अवधि को बढ़ा कर 12 मास करना चाहते हैं। यदि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं करता तो इसका कारण यह नहीं है कि मुझे छः की संख्या से कोई विशेष लगाव है। परन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि ये कर्मकार पिछड़े वर्ग और शोषित और अशिक्षित वर्गों से आते हैं और उन्हें सहायता की आवश्तकता होती है तथा इसलिए यह हो सकता है कि उन्हें अन्य वर्गों के कर्मकारों की अपेक्षा समझने में कुछ अधिक समय लगे। फिर भी लम्बे समय की आवश्यकता और कितना आवश्यक समय दिया जाये तथा निर्णय के लिये कितना समय उपलब्ध है इन दोनों बातों में संतुलन होना चाहिये। यदि हम समय को एक साल तक के लिये बढ़ा देते हैं तो यह सही है कि अधिक समय उपलब्ध हो जायेगा परन्तु उन बातों का पता लगाने में कठिनाई भी होगी जिनके आधर पर निर्णय लिया जाना है। कुछ लोग ढिलाई भी कर सकते हैं और कोइ यह कह सकता है कि "मेरे पास पर्याप्त समय है और मैं इसे फिर ढूंढ लूंगा"। अतः एक बीच का रास्ता निकालना पड़ा और इस कारण छः मास का उपबन्ध किया गया। यह छः मास इसलिए नहीं रखे गये कि छः मास अथवा बारह मास के पीछे कोई पवित्रता की भावना छिपी है। यदि अनुभवों से यह पता चलेगा कि छः मास का समय पर्याप्त नहीं है तो हम निश्चय ही कोई समायोजन करेंगे परन्तु साथ ही हमें लगता है कि छः मास का समय अपर्याप्त नहीं है। आशा है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

अब मैं श्री भगत राम के संशोधन पर आता हूं। मुझे भय है कि इस सम्बन्ध में उन्हें कुछ गलतफहमी है। जहां तक इन शब्दों का सम्बन्ध है ये कर्मकार को अपने राज्य में वापस आने पर ही औद्योगिक विवाद उठाने में सक्षम बनाते हैं। वह अपने राज्य में उस समय वापस नहीं आता जब वह रोजगार पर लगा होता है वरन् वह तब वापस आता है जब उसका रोजगार समाप्त हो जाता है। इस खण्ड और अन्य खण्डों में जहां कहीं भी संयोजन समाप्त होने के पश्चात् शब्द आते हैं कर्मकार को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वह सेवा में न रहने पर भी विवाद उठा सकता है। यदि ये शब्द नहीं होते तो यह हो सकता था कि वह रोजगार में रहते समय विवाद उठा सकता था और उस विवाद को जिस राज्य में वह काम कर रहा है विचार किये जाने को कह सकता था, परन्तु रोजगार समाप्त होने के बाद विवाद उठाने की उसकी योग्यता स्पष्ट नहीं होती। इसलिये इस विधेयक में यह उपबन्ध यह सुनिश्चित करने के लिये किया गया है कि एक कर्मकार की सेवा की अवधि समाप्त होने पर और उसके

अपने राज्य में वापस आने पर भी तथा सेवा में न रहने पर भी, उसकी अपने राज्य में विवाद को उठाने के अधिकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः यह कर्मकार के हित में है और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

श्री चित्त बसु : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये आश्वासन की दृष्टि से मैं सभा की अनुमति से अपना संशोधन संख्या 21 वापस लेता हूँ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री भगत राम : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने अमेंडमेंट्स को प्रेस करता हूं क्योंकि यह प्राविजन्स वर्कर्स के इन्ट्रेस्ट्स के खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री भगत राम द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 22 और 23 सभा में मतदान के लिये रखता हूँ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 22 विधेयक में जोड़ा गया।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 23 और 24 के लिये कोई संशोधन नहीं है। **प्रश्न यह है :**

"खण्ड 23 और 24 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 23 और 24 विधेयक में जोड़े गये।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 25 पर आते हैं। श्री भगत राम के पांच संशोधन हैं। क्या श्री भगत राम अपने सभी संशोधनों को पेश कर रहे हैं ?

श्री भगत राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14, पंक्ति 4,—

"एक वर्ष" **के स्थान पर** "तीन वर्ष" **प्रतिस्थापित किया जाए (7)**

पृष्ठ 14, पंक्ति 4,—

"या" **के स्थान पर** "तथा" **प्रतिस्थापित किया जाए (8)**

पृष्ठ 14, पंक्ति 4-5,—

"एक हजार" **के स्थान पर** "पांच हजार" **प्रतिस्थापित किया जाए (9)**

पृष्ठ 14, पंक्ति 5,—

"या दोनों से" का **लोप किया जाए (10)**

पृष्ठ 14, पंक्ति 7, —

"एक सौ" के स्थान पर "दो सौ" प्रतिस्थापित किया जाए (11)

क्लाज 25 में यह है कि जो ठेकेदार इस विधेयक का उल्लंघन करेगा, उसके लिए एक साल की सज़ा रखी गई है या फिर 1,000 रुपये फाइन होगा। यह जो क्लाज है, इसमें यह कहा गया है :

"जो कोई भी इस अधिनियम के उपबंधों का या अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के नियोजन का विनियमन करने वाले अधिनियम सम्बन्धी नियमों का उल्लंघन करेगा या इस अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसे 1 वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास या 3000 रु० तक जुर्माने या दोनों और यदि लगातार उल्लंघन किया जाये तो ऐसे पहले उल्लंघन की दोषसिद्धि के बाद, ऐसा उल्लंघन जारी रखने के दिनों 100 रु० प्रति दिन के हिसाब से अतिरिक्त जुर्माना देना होगा।"

इसलिए मेरा संशोधन यह है; कि 'एक वर्ष' के स्थान पर 'तीन वर्ष' प्रतिस्थापित किया जाये और "एक हजार" के स्थान पर "पांच सौ" प्रतिस्थापित किया जाये तथा "या दोनों" का लोप किया जाये।

मैंने यह एमेंडमेंट दी है कि यह जो सज़ा है, यह बहुत थोड़ी है। जितना वे शोषण करते हैं, उसके मुकाबले में एक साल की सज़ा या 1,000 रुपये का फाइन कुछ भी नहीं है। इस हाऊस में बहस करते हुए यह अच्छी तरह से बताया गया है कि वे लोग वर्कर्स का इतना शोषण करते हैं कि उनको इतना ज्यादा परिश्रम करने के बाद, कुछ भी नहीं देते हैं। वे सिर्फ उनके खाने-पीने मात्र के लिए ही पैसा देते हैं, जिससे वे काम करते रहें और इस तरह से लाखों रुपये वे उनका खा जाते हैं और उनका शोषण करते हैं। ऐसी हालत में उनको सिर्फ एक साल की सज़ा और एक हज़ार रुपये जुर्माना बहुत थोड़ा है। इससे ठेकेदार इस विधेयक की अवहेलना करने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए मैंने यह एमेंडमेंट दी है कि उनको कम-से-कम 5 साल की सज़ा और 5,000 रुपये जुर्माना होना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वे इस एमेंडमेंट को, बिल को वर्कर्स के फेवर में अच्छी तरह करने के लिए, मजूर कर लें।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री रवीन्द्र वर्मा : दण्ड देने सम्बन्धी उपबन्धों को शामिल करने के लिये सदस्यों की उत्सुकता मैं समझता हूं क्योंकि जिन बुराईयों के विरुद्ध हम कानून बना रहे हैं उन्हें हम जड़ से उखाड़ना चाहते हैं। लेकिन दो बातें याद रखनी जरूरी हैं। एक तो यह है कि अधिकतम जुर्माना या दण्ड लगाने के लिये यह जरूरी नहीं कि यह न्यायालय द्वारा ही लगाया जाये और दूसरे यह कि खण्ड 24 और 26 में दण्ड केवल दो वर्ष के लिये ही है और खण्ड 25 के मामले में केवल एक वर्ष के दण्ड की व्यवस्था है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि विधेयक में यह सुनिश्चित किया जाये कि श्रमिकों के साथ उचित व्यवहार किया जाये और खण्ड 24 और 26 के अन्तर्गत दो वर्ष तथा खण्ड 25 में एक वर्ष के दण्ड की व्यवस्था काफी है। इसलिये माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संशोधन के लिये जोर न दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत राम, क्या ग्राप ग्रपने संशोधनों पर मतदान के लिये ग्राग्रह करते हैं ?

श्री भगत राम : जी, हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ग्रब श्री भगत राम का संशोधन संख्या 7 से 11 सभा में मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गये ग्रौर ग्रस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"खण्ड 25 विधेयक का ग्रंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड 26

उपाध्यक्ष महोदय : श्री भगत राम, ग्रापका संशोधन तो उसी प्रकार का है जोकि ग्रभी ग्रस्वीकृत हुग्रा है । क्या ग्राप पेश कर रहे हैं ?

श्री भगत राम : जी, नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 26 विधेयक का ग्रंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुग्रा ।

खण्ड 26 विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड 27 विधेयक में जोड़ा गया ।

खण्ड 28

श्री चित्त बसु : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 13, पंक्ति 21 के बाद निम्नलिखित ग्रन्तःस्थापित किया जाये ।

"परन्तु यदि निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति परिवाद दर्ज करने से इंकार करता है या उसके लिए सम्मत्ति देने से इंकार करता है तो कोई ग्रकेला ग्रन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार या ग्रन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों का संगम ग्रथवा संघ परिवाद दाखिल कर सकेगा ग्रौर न्यायालय निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति को सुने जाने का ग्रवसर देने के बाद संज्ञान करेगा । "(21)

श्री भगत राम : मैं प्रस्ताव करता हूं

पृष्ठ 14, पंक्ति 34 ग्रौर 35 के बाद निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा या लिखित रूप से उसकी पूर्व मंजूरी से" के स्थान पर "व्यथित कर्मकार द्वारा या व्यवसाय संघ द्वारा ग्रथवा निरीक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति की लिखित रूप में मंजूरी से"(24)

श्री चित्त बसु : मेरा संशोधन खण्ड 27 के बाद खण्ड 28 में है जिसका सम्बन्ध कम्पनी के अपराधों से है। निःसंदेह मंत्री जी ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है क्योंकि मैं उससे असंतुष्ट हूँ। प्रश्न यह है कि न्यायालय किन परिस्थितियों में कम्पनी द्वारा किये गये अपराधों को हस्तक्षेप्य मानेगा। खण्ड 28 में कहा गया है कि केवल उसी समय किसी कम्पनी द्वारा किये गये अपराधों को हस्तक्षेप्य मानेगा जबकि किसी इंस्पेक्टर या किसी प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा शिकायत की गई है जिसका अर्थ यह है कि न्यायालय किसी अन्य एजेंसी अथवा व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत पर ध्यान नहीं देगा। मुझे पता है कि इंस्पेक्टर या दूसरे व्यक्ति निहित स्वार्थों अर्थात् कम्पनियों या संस्थानों का ही हित साधन करते हैं। वे सामान्यतया श्रमिकों और इस मामले में अन्तर्राज्यिक श्रमिकों के हित की बात नहीं सोचते। फिर खण्ड 29 में कहा गया है कि शिकायत 3 मास के भीतर की जानी चाहिये। अतः यदि कोई इंस्पेक्टर अथवा प्राधिकृत व्यक्ति 3 मास के भीतर किसी उपयुक्त न्यायालय में शिकायत नहीं करता तो न्यायालय उसे हस्तक्षेप्य नहीं मानेगा और अन्तर्राज्यिक श्रमिक को राहत नहीं मिलेगी। अतः मैंने यह उपबंध जोड़कर स्थिति ठीक करने का प्रयत्न किया है, अर्थात् :

> "परन्तु यह कि यदि इंस्पेक्टर या प्राधिकृत व्यक्ति शिकायत करने या शिकायत के लिए सहमति से इनकार करता है तो कोई अन्तर्राज्यिक प्रवासी व्यक्ति या अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों का संघ या कार्मिक संघ शिकायत कर सकेगा और न्यायालय इंस्पेक्टर या प्राधिकृत व्यक्ति को अपनी बात कहने का अवसर दे कर, हस्तक्षेप करेगा।"

मेरे परन्तुक का उद्देश्य यह है कि इंस्पेक्टर या प्राधिकृत व्यक्ति को सदैव इस बात का ध्यान रहे कि यदि तीन मास के भीतर वे शिकायत करने सम्बन्धी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकारों के संगठित कार्मिक संघ या संघ उपयुक्त न्यायालय में शिकायत कर सकते हैं। इस परन्तुक के बिना मुझे सन्देह है कि किसी भी कम्पनी को दण्डित नहीं किया जा सकेगा। कोई भी न्यायालय बड़ी कम्पनियों द्वारा किये गये अपराधों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कर्मकारों की शिकायतें दूर न होगी। दण्ड देने सम्बन्धी उपबन्ध केवल कागज या कानून की पुस्तक में ही रहेंगे। क्योंकि न्यायालय इंस्पेक्टर अथवा प्राधिकृत व्यक्ति की शिकायत के आधार पर ही कार्यवाही करेगा और यदि शिकायत नहीं की जाती तो अधिनियम में कम्पनी को दण्ड देने का कोई उपबंध नहीं है।

मुझे पता है कि माननीय मंत्री जी दिल से चाहते हैं कि अपराधी को दण्ड मिले। मैं कानूनी पहलु को चुनौती नहीं दे रहा लेकिन अप्राधिकृत क्षेत्र में श्रमिकों के साथ जो होता है, सरकार पिछले अनुभव के आधार पर उस की ओर ध्यान दे और ऐसे उपाय करे जिससे अपराधी दण्ड से न बच सकें और उपयुक्त समय पर उससे स्पष्टीकरण लिया जा सके।

इन शब्दों के साथ मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि मैंने जो सुझाव दिया है उस पर भली भांति विचार किया जाये।

श्री भगत राम : माननीय चित्त बसु ने इस एमेंडमेंट को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं बोलना नहीं चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करता हूं कि वह इस एमेंडमेंट को मान लें।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, अपनी बात मनवाने की अपने माननीय मित्र की क्षमता का मुझे पता है और मुझे यह भी पता है कि वह किस उद्देश्य से यह संशोधन लाये हैं। मुझे सन्देह है कि वह पुनः यह वाक्य दोहरायेंगे कि यही विधेयक का सार है। विधेयक के अन्य भाग भी हो सकते हैं जिन्हें विधेयक का सार कहा जा सकता है।

जहां तक दण्ड की व्यवस्था का प्रश्न है माननीय सदस्य की चिंता दो प्रकार की है, पहली यह कि समय बीतने के साथ गलती करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कार्यवाही करना कठिन या असम्भव न हो जाये ; दूसरा यह कि शिकायत करने का जिन पर उत्तरदायित्व है ....

श्री भगत राम : क्या गवर्नमेंट में कोई चेंज आ गया है ? हम देख रहे हैं कि माननीय राज नारायण जी प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे हैं।

श्री राज नारायण (राय बरेली) : माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी को हमने ही हराया है। जो प्राइम मिनिस्टर गड़बड़ी करेगा वह हमारे द्वारा ही तो हारेगा। प्राइम मिनिस्टर की सीट वह है। यह प्राइम मिनिस्टर की सीट नहीं है। यह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की सीट है। पार्लिमेंटरी प्रैक्टिस क्या है इसको भी आप देखें।

यह संसदीय प्रक्रिया और प्रत्येक सदस्य का विशेषाधिकार है कि वह सभापति से परामर्श करे। यहां अपने माननीय मित्र संसदीय कार्य मंत्री से परामर्श करना चाहता हूं।

पार्लिमेंटरी एफेयर्ज मिनिस्टर हमें कभी समय देना नहीं चाहते हैं यह मैं देख रहा हूं। कल गोआ के मामले में हमें आप बोलने दीजियेगा, यह मैं लिख कर आपको दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी सूचनाएं सभा पटल पर नहीं दी जातीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने ऐसी बातें नहीं रखीं जिनसे मैं उनका संशोधन स्वीकार कर लूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि खण्ड के बाद के भाग में 3 मास नहीं बल्कि 6 मास की बात कही गई है यदि आदेशों की अवहेलना, उल्लंघन का मामला इंस्पेक्टर द्वारा लिखित रूप में सामने लाया जाता है।

दूसरे मैं समझता हूँ कि मेरे माननीय मित्र को चिन्ता इस बात की है कि यदि किसी कारण से या किसी प्रकार के प्रभाव में आकर कोई इन्स्पेक्टर शिकायत नहीं करता तो उस बारे में भी व्यवस्था की जाए। कल मैंने स्पष्ट किया था कि इस विधेयक में संविदा श्रमिक विनियमन अधिनियम में निहित खण्डों का समावेश किया गया है। **(व्यवधान)**

क्या मैं आगे चलूं ? निःसन्देह बाधा डालना या अपने स्थान से उठकर अधिक अनुकूल स्थान पर बैठ जाना सदस्य का मूल अधिकार है।

उपाध्यक्ष महोदय : उस स्थान पर बैठ जाने से उनका वह पद नहीं हो जाता।

श्री रवीन्द्र वर्मा : लेकिन इस विधेयक का सम्बन्ध प्रवासी श्रमिकों से है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री के बैठने के स्थान पर प्रवास से वह मंत्री नहीं हो जाते।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं अपने माननीय मित्र को बता दूं कि इसमें कोई नई बात नहीं है। यह कहा जा सकता है कि विधान में कई त्रुटियां हो सकती हैं।

संशोधन के समर्थन में मेरे मित्र ने जो कहा है उस पर मैं विचार करूंगा और यदि आवश्यक हुआ तो उस उपबन्ध की पुष्टि की जायेगी लेकिन अभी मेरा अनुरोध है कि इस प्रयोग कार्य को आगे बढ़ने दें।

श्री चित्त बसु : आपके आश्वासन पर मैं संशोधन वापस लेता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री भगत राम : आश्वासन को देखते हुए मैं भी संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : हां

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 28 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 29

श्री भगत राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13, पंक्ति 23,—

"तीन मास" के स्थान पर "छः मास" प्रतिस्थापित कीजिए। (25)

पृष्ठ 13, पंक्ति 25,—

'के बाद' यह जोड़िये 'कार्मिक संध के कर्मकार' (26)

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

पृष्ठ 13, पंक्ति 23,—

'की गई' के बाद जोड़िए "किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा" (28)

बात यह है कि इस विधि के उपबन्धों का उल्लधंन हो सकता है। हो सकता है कि इंस्पेक्टर शिकायत न करें या उन्हें प्रभावित भी किया जा सकता है। चूंकि केवल इन्स्पेक्टरों ही मुकदमा चलाने का अधिकारी होगा। अतः मैं यह चार शब्द छोड़ना चाहता हूँ "किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा"। अप्रवासी कर्मकारों के हितों के ध्यान के लिए सारे अधिकार इन्स्पेक्टरों को दिए गए हैं। मेरा निवेदन है कि पीड़ित व्यक्ति को भी मजिस्ट्रेट के पास शिकायत करने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाए।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यद्यपि शब्द भिन्न हैं लेकिन अभिप्राय: वही है, इसलिए मेरे तर्क भी वही हैं और बाद में अनुभव के आधार पर संशोधन करने सम्बन्धी मेरा वक्तव्य भी वही है। अतः मेरा माननीय मित्र से अनुरोध है कि वह अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री पूर्ण नारायण सिन्हा : मैं मंत्रीजी को चेतावनी देता हूं कि छः मास बाद उन्हें एक संशोधन पेश करना होगा। फिर भी उनके आश्वासन पर मैं अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

श्री भगत राम : मैं भी अपना संशोधन वापस लेता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें संशोधनों को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति है ?

माननीय सदस्य : हां।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 29 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 30 से 36 विधेयक में जोड़े गये।

अनुसूची को विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 1

श्री भगत राम : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, —

पंक्ति 10 से 15 का लोप कर दिया जाए।

मैं निम्नलिखित अंश का लोप चाहता हूँ :

परन्तु यह कि यदि केन्द्रीय सरकार इसे सार्वजनिक हित में आवश्यक समझे या शीघ्रता लाना चाहे तो, उस सीमा तक जहां तक ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हो, उसे किसी राज्य या राज्यों में इस अधिनियम के लागू होने की तारीख से 1 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए सभी या किसी भी उपबन्ध को स्थगित या नरम किया जा सकता है।

मैं समझता हूँ कि यह बड़ा अच्छा बिल है तो इसे एक साल तक रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। सारे बिल में जो इतने सैंक्शन्ज़ दिये गये हैं, उसमें कम-से-कम कुछ देर के लिए यह पोस्टपोन कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अमेंडमेंट दिया है कि इसको डिलीट कर दिया जाए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भय है कि मेरे माननीय मित्र अनावश्यक आशंका प्रकट कर रहे हैं कि विधेयक के अधिनियम बनने पर इसके क्रियान्वयन में विलम्ब होगा। विधेयक में ये शब्द शामिल करने का यह उद्देश्य नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विधेयक के परिणामस्वरूप कतिपय ऐसे अधिनियम वापस ले लिये जाएंगे या रद्द हो जायेंगे जो इस समय लागू है, जैसे कि उड़ीसा ददान श्रमिक अधिनियम, 1975। अतः जब यह विधेयक पास हो जाएगा और अधिनियम बन जाएगा तो श्रमिकों के संरक्षण के लिए अन्य राज्यों में लागू अधिनियम अपने आप व्यपगत हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में यह हो सकता है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत नियम बनाने से पूर्व ही राज्यों में लागू अधिनियम व्यपगत हो जाएं। अतः ऐसा न होने देने के लिये व्यवस्था करने हेतु एक प्रकार से समकाकिता लाना आवश्यक है जिससे यह पता चल सके कि अपने राज्य एवं बाहर के राज्य को क्या करना है। आशा है कि माननीय सदस्य इसका विरोध नहीं करेंगे और इस संशोधन को मानने का आग्रह नहीं करेंगे।

श्री भगत राम : मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुये मैं अपना संशोधन वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा संशोधन वापस लेने के लिए अनुमति देती है ?

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन, सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाए।"

मैं यह बताना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य श्री चित्त बसु का संशोधन, जो खण्ड (ठ) के रूप में स्वीकार किया गया है खण्ड (ख) के रूप में पुरःस्थापित किया जाना चाहिए था तथा उसमें परिणामात्मक परिवर्तन किये जाने चाहियें थे। इनके रहते हुये मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक संशोधित रूप में पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक

संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संसद-सदस्य के वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

यह विधेयक संसद-सदस्य के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिश के अनुसरण में पेश किया गया है। इसका उद्देश्य नेत्रहीन सदस्य अथवा अक्षम सदस्य, जिसे परिचारक की आवश्यकता होती है, के साथ जाने वाले परिचारक को निःशुल्क विमान यात्रा सुविधा देने की व्यवस्था करना है।

चूंकि विधेयक का उद्देश्य सीमित, सरल तथा विवादहीन है, मैं आशा करता हूं कि सदन के सभी वर्ग इसका समर्थन करेंगे और इसे बिना किसी वाद-विवाद के पास करेंगे।

मैं जानता हूँ कि ऐसे कई मामले हैं जिनके बारे में माननीय सदस्य यह चाहेंगे कि वक्तव्य दिये जाएं और संशोधन पेश किए जायें लेकिन मैं और अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। माननीय सदस्य यह आसानी से समझ जायेंगे कि यह एक विशिष्ट मामले से सम्बन्धित है और इसलिए मैं उनसे अपील करूंगा कि वह कोई इधर-उधर की बात न करते हुये बिना विवाद में पड़े विधेयक को पास करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संसद-सदस्य के वेतन भत्ते, तथा पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव पर विचार करने, इसे प्रवर समिति को भेजने तथा इसे परिचालित करने के बारे में संशोधन मिले हैं। श्री विनायक प्रसाद यादव—अनुपस्थित ; श्री राम कृष्ण—अनुपस्थित ; श्री पूर्णनारायण सिन्हा।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा (तेजपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि संसद-सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) श्री वी० अरूणाचलम
(2) श्री राज कृष्ण डान
(3) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(4) श्री सरत कार
(5) श्री रिनचिंग खाण्डू ख्रिमे
(6) श्री आर० एल० कुरील
(7) श्री मृत्युंजय प्रसाद

(8) श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
(9) श्री बी० राचैया
(10) श्री सौगत राय
(11) श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा
(12) श्री रामधारी शास्त्री
(13) श्री रवीन्द्र वर्मा
(14) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा ; और
(15) श्री पूर्णनारायण सिन्हा

और उसे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन के पुनरीक्षण तथा अन्य सुविधाओं के समूचे प्रश्न की जांच करने और आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें।"

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं संसदीय कार्य मंत्री के साथ सहमत हो सकता था और सदन का समय नहीं लेना चाहता था लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने "इधर उधर की बातें" शब्द क्यों कहा और मैं यह महसूस करता हूं कि विधेयक का नाम संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन नहीं होना चाहिये था।

यह बिल्कुल सच है कि यह एक छोटा, सरल तथा विवादहीन विधेयक है और इसका उद्देश्य अच्छा है और इसलिये हमें इसे स्वीकार करना चाहिये। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूं। अपने नेत्रहीन सहयोगियों तथा विकलांग सहयोगियों को बिना किसी हिचक के सुविधाए दी जानी चाहिये। वस्तुतः ऐसा हमें पहले कर लेना चाहिये था। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सुविधा रेल यात्रा के बारे में क्यों नहीं दी जाती। यदि नेत्रहीन व्यक्ति को विमान यात्रा के लिये सहायता की आवश्यकता हो सकती है तो रेल यात्रा के लिये सहायता की आवश्यकता क्यों नहीं हो सकती। मन्त्री महोदय यह तर्क दे सकते हैं कि संसद सदस्य के पास रेलवे पास होता है लेकिन वह रेलवे पास केवल पहले दर्जे और दूसरे दर्जे का होता है। यदि नेत्रहीन व्यक्ति को सीधे कोई सहायता की आवश्यकता होती है और वह चाहता है कि कोई परिचारक उसके साथ बैठे तो उसे विमान यात्रा की अपेक्षा रेल यात्रा में सहायता की अधिक आवश्यकता होती है क्योंकि रेल यात्रा अपेक्षाकृत लम्बी होती है। अतः मंत्री महोदय सभा को यह आश्वासन दें कि यह सुविधा नेत्रहीन तथा विकलांग सदस्यों को रेल यात्रा के सम्बन्ध में भी दी जायेगी।

विधेयक के लम्बे शीर्षक में वेतन, भत्ते तथा पेंशन तीन शब्द दिये गये हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं किसी अन्य अवसर पर इसके बारे में कहूंगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का प्रश्न बहुत ही नाजुक विषय है। क्योंकि वेतन, भत्ते तथा पेंशन का मामला राजनीतिक नाजुकता का मामला बन जाता है इसका कारण स्पष्ट है। हम संसद सदस्यों को यह पूरा अधिकार है कि सरकारी राजकोष से पैसा निकाल सकें तथा यह स्वाभाविक है कि लोग हमारी आलोचना करेंगे और इसलिये हमें बहुत अधिक सतर्क रहना होगा। मैं यह महसूस करता हूं कि दुरुपयोग की सभावना है और ऐसा बिल्कुल स्पष्ट है। हमें इस बात का पूरी तरह ध्यान रखना चाहिये कि लोग हमारे बढ़े हुए वेतन, भत्ते तथा पेंशन पर पूरी नजर रखते हैं और इसलिये हम जो भी कहते या करते हैं उसे जल्दबाजी में या बिना सोच विचारे नहीं करना चाहिये। ऐसा कहने के बाद मैं यह सुझाव देना चाहता हूं (**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी सदस्य के भाषण में व्यवधान डालने का यह कोई तरीका नहीं है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : प्रश्न यह है कि संसद सदस्यों के वेतन का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है और जो कुछ हम करते हैं वह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हम करते हैं अथवा जो हम नहीं करते हैं या जो हम खास तरीके से करते हैं उसका संसद के सम्मान पर बुरा असर पड़ सकता है और संसद तथा इसके सदस्यों की प्रतिष्ठा पर चोट आ सकती है। आज से पहले कभी भी पढ़े लिखे तथा सजग लोगों ने संसद सदस्यों अथवा संसद के प्रति आलोचना का रवैया नहीं अपनाया था लेकिन अब संसद और संसद सदस्यों की आलोचना की जा रही है। इस प्रकार संसद तथा हमारी प्रतिष्ठा उतनी अच्छी नही है जितनी होनी चाहिये थी। मामले के इस पहलू पर विचार करना होगा।

अधिक समानता लाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है और यह कहा जा रहा है कि संसद सदस्यों को वही सुविधायें और भत्ते क्यों न दिये जायें जो अन्य लोगों को दिये जा रहे हैं चाहे संसद सदस्य बहुत सधिक काम क्यों न करते हों। मैं यह मानता हूं कि समानता की अपेक्षा द्वेष की भावना बहुत अधिक है। मैं श्री डेविड लायर्ड जार्ज के शब्द दुहराना चाहता हूं जो उन्होंने 1911 में संसद सदस्यों के वेतन के बारे में ब्रिटिश हाऊस आफ कामन्स में कहे थे। श्री लायर्ड जार्ज, जो 1911 में राजकोष के चांसलर थे, संसद सदस्यों को अदायगी करने के प्रस्ताव को पेश करते हुए कहा था :

> "जब हम संसद सदस्यों को £400 प्रति वर्ष देने की पेशकश करते हैं तो यह इनकी सेवा के परिणाम को मान्यता देना नहीं है, वह एक परिलब्धि भी नहीं है ना ही यह एक मुआवजा है। इसे वेतन भी नहीं कहा जा सकता। यह तो एक भत्ता है और मेरे विचार से यह एक न्यूनतम भत्ता है जिससे वे लोग यहां आ सकें जो सरकार की बहुत अधिक सेवा कर रहे हैं और ... जो साधन न मिलने पर यहां नहीं आ सकते।"

उपाध्यक्ष महोदय : चांसलर के प्रस्ताव तथा उसके वक्तव्य को हाऊस आफ कामन्स में चुनौती दी गई और यह 256 मतों से पास किया गया और इसके विपक्ष में 158 मत पड़े। इसके बाद लन्दन में स्थिति काफी बदल गई है और इससे भी ज्यादा स्थिति भारत में बदली है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि वेतन तो स्थिर रह सकता है लेकिन भत्ते में कुछ वृद्धि की जा सकती है क्योंकि संसद सदस्यों को अपने कार्यों तथा गतिविधियों के लिये इसकी आवश्यकाता पड़ती है।

मैं बात के विस्तार में जाये बिना दो सुझाव देना चाहता हूं। संसद सदस्यों के वेतनों तथा भत्तों सम्बन्धी समिति न केवल इन सुझावों पर विचार करे बल्कि सभी सुझावों पर विस्तार से विचार करे तथा एक व्यापक प्रतिवेदन दे ताकि सदन इस पर विस्तार से चर्चा कर सके। उदाहरण के तौर पर जब हम रेल से यात्रा करते हैं तो हमें पास की सुविधा होती है और हमें कुछ देना नहीं पड़ता। लेकिन भारत जैसे बड़े देश में कई बार बहुत तेजी से लम्बी दूरी तय करनी पड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर यदि मुझे रेल से मद्रास जाना है तो मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे। यदि मुझे विमान से मद्रास जाना है तो सत्र के दौरान यदि मैंने आठ निःशुल्क विमान यात्रा का लाभ उठा लिया है तो मुझे पूरे पैसे देने पड़ेंगे। ऐसा क्यों नहीं किया जाता

कि यदि मैं 8 विमान यात्राओं का लाभ उठा चुका हूं तो उसके बाद वाली विमान यात्रा के किराये में से रेल का किराया कम कर दिया जाये और मुझे शेष किराया देने के लिये कहा जाये। मैं यह नहीं कह रहा कि मुझे निःशुल्क विमान यात्रा करनी दी जाये बल्कि मुझे रेल का किराया काट कर शेष किराया देने की अनुमति दी जानी चाहिये। यह एक अच्छी चीज है क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ा देश है और हम समय बचाना चाहते हैं। विमान कम्पनी को जो हानि होगी उसे रेलवे पूरी कर लेगा और रेलवे को जो हानि होगी वह विमान कम्पनी पूरा कर लेगी। यह दोनों विभाग एक ही सरकार के हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा विश्वास है कि संसद सदस्यों को सचिवालीय सहायता विशेषकर स्टेनोग्राफ़र की सहायता के लिये एक प्रभावकारी भत्ते की आवश्यकता होती है। मंत्रियों की तरह हमें भी काफी काम और महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमें अत्यधिक महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। लेकिन हमें काफी काम और महत्वपूर्ण काम करना पड़ता है। मंत्रियों को विशेष सहायकों, सचिवों की सहायता तथा अन्य सुविधायें प्राप्त होती हैं लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। मैं यह शिकायत नहीं कर रहा कि उनके पास यह सुविधा क्यों है। मुझे उनसे कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं मंत्री बनना नहीं चाहता लेकिन मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि यदि हमें प्रभावशाली ढंग से कार्य करना है तो हमें यह सहायता अथवा स्टेनोग्राफर भत्ता मिलना चाहिये।

जहां तक दैनिक भत्ते का सम्बन्ध है, इसमें वृद्धि किए जाने का औचित्य बनता है क्योंकि पैट्रोल की कीमत बढ़ गई है। पालम हवाई अड्डे से मेरे निवास स्थान वैस्टर्न कोर्ट तक टैक्सी से 20 रुपया किराया लगता था और अब मुझे 25 रुपये या 27 रुपये 50 पैसे देने पड़ेंगे जबकि मेरा भत्ता उतना ही है। मंत्रियों, सचिवों, उप-सचिवों, सरकारी निगमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के पास कारें या अन्य साधन होता है लेकिन हमें टैक्सियों या कोच से जाना पड़ता है। मैं प्रायः कोच पर जाता हूँ परन्तु चूंकि संसद समय पर पहुंचना होता है, इसलिए मुझे टैक्सी लेनी पड़ती है। मैं व्यर्थ में 27 रुपये 50 पैसे क्यों दूं? अतः भत्ते में वृद्धि की जानी चाहिए।

विधेयक में 'पेंशन' शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं जानता हूँ कि मेरे माननीय सहयोगी के इस बारे में निश्चित विचार हैं और मैं यह भी जानता हूँ कि कई माननीय सदस्य इस बारे में मेरे खिलाफ थे। लेकिन मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए गत सरकार द्वारा आपात स्थिति के दौरान पेंशन का प्रावधान गैर-कानूनी, अनैतिक तथा अन्यायपूर्ण था तथा जनता सरकार को इसे तत्काल रद्द कर देना चाहिये। यह इसलिये अनैतिक था क्योंकि यह प्रावधान आपात स्थिति के दौरान संसद द्वारा बनाया गया था और जनता की राय नहीं ली गई थी तथा संसद सदस्यों को लालच दिया गया था। यह पेंशन पांच वर्षों की एक अवधि तक के लिये दी गई थी। यदि कोई सदस्य 26 वर्ष की आयु में संसद सदस्य बनता है और 31 वर्ष की आयु तक संसद सदस्य रहता है तो 31 वर्ष की आयु के बाद से लेकर मरने तक उसे पेंशन मिलती रहेगी। क्या सरकार चाहती है कि उसे 31 वर्ष की आयु से लेकर 91 वर्ष की आयु तक 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती रहे? यह एक घृणित विधान है। मैंने उस समय इसका विरोध किया था और मैं यहां तक कहने के लिये तैयार हूँ जब भी मैं सदस्य के रूप में सेवा निवृत्त होऊंगा अथवा त्याग पत्र दूंगा या हार जाऊंगा तो मैं पेंशन नहीं लूंगा। मेरी कथनी

और करनी में कोई अंतर नहीं है। इस कानून को समाप्त कर देना चाहिये। यदि सरकार संसद सदस्यों को सहायता देना ही चाहता है तो उसे एक नया विधेयक बनाना चाहिये जिसमें यह व्यवस्था हो कि जो सदस्य स्वेच्छा से अंशदान दे और कुछ वर्षों तक अपने वेतन में से प्रति माह कुछ राशि कटवाता रहे तो वह राशि उन्हें बाद में पेंशन के रूप में दी जा सकती है। यह प्रावधान कम से कम 2 अवधि के लिये होना चाहिये न कि केवल एक अवधि के लिये। यह प्रावधान 2 अवधियों के लिये होना चाहिये दस वर्षों अथवा कुछ वर्षों तक के लिये नहीं क्योंकि कई बार अवधि पांच वर्ष से कम समय के लिये भी होती है। न्यूनतम आयु 55 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये। यदि वह 55 वर्ष का है तो उसे पेंशन दी जानी चाहिये क्योंक उस अवस्था में वह कहीं नौकरी नहीं पा सकता लेकिन यदि उसकी आयु 35 अथवा 37 वर्ष है तो उसे नौकरी मिल सकती है इसलिये उसे पेंशन देने की आवश्यकता नहीं है। उसे 55 वर्ष की आयु तक प्रतीक्षा करनी चाहिये और उसके बाद ही जब तक वह जीवित है पेंशन ले सकता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं वयोवृद्ध संसद सदस्यों, जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं अथवा त्यागपत्र दे देते हैं या ससद में नहीं रहते हैं, को पेंशन देने के विरुद्ध नहीं हूं। लेकिन मैं संसद सदस्यों को पेंशन देने के उद्देश्य और विचार का पूरी तरह विरोध करता हूँ क्योंकि ससद सदस्य यहां नौकरी करने नहीं आते बल्कि वह जनता का काम करने आते हैं। यह उनका दायत्व है। यह पेंशन योग्य नौकरी नहीं है। यह तो जनसेवा है जिसमें वयोवृद्ध संसद सदस्य स्वेच्छा से अंशदान देकर और आंशिक रूप से राज्य की सहायता से पेंशन पा सकते हैं।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि संसद सदस्य को अच्छे वेतन भत्ते तथा समुचित सुविधायें मिलनी चाहिये ताकि उनको काम और कुशलता पर असर न पड़े। हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि हम ऐसा कोई काम न करें कि जिससे हमारे पास बिल्कुल पैसा न रह जाये। हम नहीं चाहते कि केवल अमीर लोग और उच्च मध्यम स्तर वर्ग के लोग यहां आयें। हम तो यह चाहते हैं कि ऐसे लोग यहां आयें जिनमें जन सेवा की भावना हो और वे संसद तथा लोगों की सेवा कर सकें। एक ओर तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संसद सदस्य निर्धन न हों और साथ ही हम यह भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि वे कार्यकुशलता और सेवा के नाम पर बहुत अधिक पैसा या सुविधायें न ले जायें। अच्छे वेतन, पर्याप्त भत्ते और समुचित सुविधायें संसद सदस्य को अंशकालिक रोजगार अथवा धनोपार्जन के लिये अवांछित प्रक्रिया अपनाने के लिये रोकती हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि संसद सदस्यों तथा संसद की प्रतिष्ठा एकता, कुशलता, ईमानदारी, सेवा एवं सतत परिश्रम के संदर्भ में बढ़ेगी।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : अपने संशोधन तथा श्री मावलंकर के कथन के समर्थन में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस बारे में मैंने गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक दिया हुआ है लेकिन वह विधेयक इस सत्र के दौरान चर्चा हेतु बैलट में नहीं आया है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : आपको "ए" श्रेणी मिली है।

श्री पुर्णनारायण सिन्हा : यह ठीक है। लेकिन इस सत्र के दौरान चर्चा हेतु बैलट में इसका नाम नहीं आया है। इसकी श्रेणी "नवीं" है।

प्रो० मावलंकर ने संसद सदस्यों को पर्याप्त वेतन भत्ते तथा समुचित सुविधाएं देने के लिये तर्कसंगत बातें कही हैं। वह नहीं चाहते कि संसद सदस्य निर्धन हो जायें। लेकिन गत दो वर्षों से मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है मुझे अपने निर्वाह के लिये घर से पैसे मंगवाने पड़ते हैं।

मैं केवल चार घंटे सोता हूं मुझे काफी अधिक पत्र व्यवहार करना पड़ता है। मुझे सचिवालीय सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। मेरे पास तीन टाइपराइटर हैं और मैं प्रतिदिन 50 से 60 पत्र रोज टाइप करता हूं। मैं रात के दो बजे तक काम करता हूं। अतः मैं चाहता हूं कि सुविधायें बढ़ायी जायें।

यदि सभी राजनैतिक दलों के संसद सदस्य आपस में बैठकर इस विषय में चर्चा करें तो कोई हानि नहीं होगी। मेरे गैर-सरकारी विधेयक में संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ऐसा सरकारी रूप में होना चाहिये। अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे मेरा संशोधन स्वीकार कर लें। सदन के अगले सत्र के शुरू होने में छः सप्ताह बाकी हैं और इस अवधि के दौरान हम इस पर चर्चा कर सकते हैं और सुझाव दे सकते हैं। उन्हें मेरी बात से सहमत होना चाहिये। अगले सत्र में संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्ते में संशोधन करने वाले विधेयक को पेश किया जा सकता है और हम इसे जल्दी से पास कर सकते हैं। प्रत्येक संसद सदस्य यह चाहता है कि इस विधेयक को यथा सम्भव शीघ्र पास कर दिया जाये। हमें यह विधेयक पास करके संसद सदस्यों को राहत देनी चाहिये। मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये। मैं चाहता हूँ कि इसे दूसरी समिति को भेजा जाये। मुझे वहां भी अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा। समिति में वेतन भत्ते आदि में संशोधन पर चर्चा हो सकती है और एक नया विधेयक लाया जा सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपना संशोधन पेश किया था। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इसे स्वीकार कर लें।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक तो बहुत सीमित मर्यादा में रखा गया है और इसमें किसी को विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आज जो स्थिति किसी एक माननीय सदस्य की हो सकती है वह एक से ज्यादा माननीय सदस्यों की भी हो सकती है। इसलिए इस संदर्भ में जो प्रावधान किया गया है उस पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें विरोध की कोई गुंजाइश नहीं है। यह बहुत साधारण और सरल विधेयक है।

मैं मावलंकर जी की इस बात से सहमत हुं कि इस तरह के लेजिस्लेशन को पीसमील में नहीं लाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे पीसमील लेजिस्लेशन पर भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उतना ही सदन का समय जाता है जितना कि विस्तृत लेजिस्लेशन पर। अतः इस प्रश्न पर सरकार को विचार करना चाहिए।

एक प्रश्न हमारे माननीय सदस्यों को जो पेंशन देने का प्रावधान है, वह भी काफी विवादास्पद है और इस संदर्भ में माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी अपने विचार रखे थे। इस प्रश्न पर और भी लोगों के विचार हैं। मैं समझता हुं कि इन सब बातों पर एक प्रवर समिति में यदि विचार किया जाए और विस्तृत रूप से विचार किया जाए तो काफी अच्छा होगा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे देशों में और सोशलिस्ट कन्ट्रीज में मेम्बर्स के जो अलाउंसिज हैं ....

उपाध्यक्ष महोदय : जब श्री पूर्णनारायण सिन्हा का विधेयक हमारे सामने आएगा उस समय आप यह सब बातें कह सकते है। आप भाषण समाप्त कीजिए।

डा० रामजी सिंह : ठीक है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस बिल को मुल्तवी रखा जाए और इस प्रकार के बिल को समग्र रूप में रखा जाए जिसमें सारी चीजों के विषय में प्रावधान

हो। लेकिन यह ठीक है कि पैसा न बढ़ाया जाए उसकी जगह सेक्रेटरी दे दिया जाए। यू०एस०ए० में एक मेम्बर 13 सेक्रेटरी रखता है। हम लोगों की तो हालत यह है कि अपने आप ही चिट्ठी खोलनी पड़ती है, अपने आप ही चिट्ठी लिखनी पड़ती है। जब मैं यह कहता हूँ तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं वेतन बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। मैं केवल इतना चाहता हूँ कि माननीय सदस्यों की सुविधाएं बढ़ा दी जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातों की ओर मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक तो यह कि इस को सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए ताकि वहां पर इस सारे प्रश्न पर पूरी गहराई से विचार हो सके। मैं यह नहीं चाहूँगा कि कोई पैसा बढ़ाया जाए लेकिन एक सेक्रेटरी अवश्य दे दिया जाए। मैं जरूर चाहूंगा कि कांस्टीच्युन्सी में घूमने के लिये सरकारी खर्च पर सदस्यों को गाड़ियां देने की व्यवस्था अवश्य की जाए। ये गाड़ियां परसनल काम के लिए नहीं होनी चाहिएं। यह भर कर दिया जाए। इसके लिए पैसा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा मानता हूं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेज दें ताकि वहां पर इस पर विस्तार से विचार हो सके और एक विधेयक सम्यक रूप में यहां प्रस्तुत किया जा सके।

श्री आर० एन० राकेश (चायल) : मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिल के विरुद्ध जो लड़के प्रदर्शन करने के लिए आ रहे थे उन पर प्राण घातक हमला किया गया है। दो सौ जख्मी लोग वहां पर उतारे गए हैं। हजारों लड़के गायब कर दिए गए हैं। तीन चार मर गए है · · ·

उपाध्यक्ष महोदय : इस तरह से प्वाइंट आफ आर्डर रेज करना उचित नहीं है। अगर आपको कोई सबमिशन करना हो तो 377 का नोटिस दें।

श्री आर० एन० राकेश : यह बड़ा सीरियस मैंटर है · · ·

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं होगा। श्री रवीन्द्र वर्मा।

(व्यवधान)

श्री रवीन्द्र वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, जब मैंने विचार करने के लिए प्रस्ताव पेश किया था तो मुझे यह आशा थी कि इस विधेयक पर सदन में लम्बी चर्चा नहीं होगी क्योंकि जैसाकि कुछ माननीय सदस्यों ने बताया कि लम्बे समय से यह महसूस किया जा रहा था कि उन सहयोगियों के लिये ऐसा विधेयक लाना आवश्यक है जिन्हें कठिनाई है ताकि उन्हें यह कठिनाई और लम्बे समय तक न सहनी पड़े।

अतः विधेयक का उद्देश्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि संसद सदस्य को उस कठिनाई का सामना न करना पड़े जो गत दो वर्षों से उन्हें हो रही है। उस विधेयक को यह तर्क देकर प्रवर समिति में भेजने कि कई अन्य मामले संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन से सम्बन्धित हैं, जिसके बारे में सदन को सोचना चाहिये और निर्णय करना चाहिए, संसद सदस्य की कठिनाई को और अधिक अवधि तक बनाये रखना होगा।

अतः मैं संसद सदस्यों से यह अपील करता हूं कि वे इसे प्रवर समिति को भेजने का सुझाव न दें **(व्यवधान)**

**कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त जहां तक संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का संबंध है, कई मामले सदस्यों के मन में हैं। मैं उनसे अवगत हूं। मैं संसद सदस्यों की सुविधाओं के महत्व को समझता हूं और मैं यह भी समझता हूं कि सदस्य यह चाहते हैं कि उन्हें ये सुविधाएं शीघ्र से शीघ्र दी जायें।

मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि प्रो० मावलंकर के भाषण के बारे में मैं क्या कहूं। उन्हें यह पता नहीं है कि मैं क्या कहने वाला हूं।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : मुझे पक्का पता है कि आप ऐसी बात कहेंगे जिससे मैं प्रसन्न तो हो सकता हूं लेकिन संतुष्ट नहीं।

श्री रवीन्द्र वर्मा : जब प्रो० मावलंकर ने अपना भाषण शुरू किया था तो मुझे यह नहीं पता था कि वे अपने भाषण को किस ओर ले जायेंगे। इस अवसर पर मुझे शेक्सपियर की बात याद आती है। यह उक्ति मार्क एन्टनी की थी।

श्री हरि विष्णु कामत : वह उक्ति दाह संस्कार के समय कही गई थी।

श्री रवीन्द्र वर्मा : इस समय यह उक्ति ऐसे समय पर नहीं कही जा रही। लेकिन शब्दों को सुनकर मुझे लगभग वैसा ही लगता है। प्रो० मावलंकर ने पहले तो जन भावनाओं की बात कही और बाद में कई मामलों पर भाषण दिया। उन्होंने सदस्यों के वेतन तथा भत्ते में अन्तर करते हुए यह बताया कि सदस्यों के कार्य एवं कुशलता पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद उन्होंने पेंशन की बात कही। उन्होंने इस बारे में अपना रोष व्यक्त किया कि मैंने अपने भाषण के प्रारंभ में यह कहा था कि मैं यह नहीं चाहता कि 'इधर उधर' की बातें कही जायें। 'इधर उधर' से मेरा मतलब विधेयक के शीर्षक के शब्दों से नहीं था बल्कि विधेयक के खन्डों से था। मैं यह नहीं चाहता कि सदन में ऐसी बातों पर चर्चा की जाये जो विधेयक के खण्डों के साथ सम्बन्धित न हों। सदन को इस बात की जानकारी है कि संसद सदस्यों के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी विषयों तथा अन्य विषयों के बारे में विचार किया जा चुका है। समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। उन पर विचार किया जा रहा है। सरकार उन सिफारिशों के आधार पर अपने प्रस्ताव रखेगी। उस समय इन सब बातों पर चर्चा की जा सकती है अतः मैं माननीय सदस्यों से यह अपील करता हूँ कि वे यह न सोचें कि मंत्रियों को माननीय सदस्यों की कठिनाइयों का पता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि माननीय सदस्य मंत्रियों की कठिनाइयों को नहीं समझते।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : हमें आपसे सहानुभूति है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं जानता हूँ कि आपको मुझ से सहानुभूति है। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वह इस विधेयक को पास करें तथा इसे प्रवर समिति के पास भेजें।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : उनके कथन का तात्पर्य क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने विधेयक को प्रवर समिति को भेजे बिना पास करने को कहा है।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा का एक संशोधन है।

श्री पूर्णनारायण सिन्हा : संयुक्त समिति ने इस सब पर दो वर्ष तक विचार किया और मैं भी एक वर्ष तक उसमें था। समिति को 225 सदस्यों से मत्तों का पुनरीक्षण करने के लिए प्रार्थनापत्र मिले तथा वह किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे वापस नहीं ले रहे। मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाए, जिसमें 15 सदस्य हों, अर्थात :—

(1) श्री वी० अरूणाचलम
(2) श्री राज कृष्ण डान
(3) श्रीमती वी० जयलक्ष्मी
(4) श्री सरत कार
(5) श्री रिनचिंग खाण्डू खिमे
(6) श्री आर० एल० कुरील
(7) श्री मृत्युंजय प्रसाद
(8) श्री एम० एन० गोविन्दन नायर
(9) श्री बी० राचैया
(10) श्री सौगत राय
(11) श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा
(12) श्री रामधारी शास्त्री
(13) श्री रवीन्द्र वर्मा
(14) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा; और
(15) श्री पूर्णनारायण सिन्हा :

और उसे संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन के पुनरीक्षण तथा अन्य सुविधाओं के समूचे प्रश्न की जांच करने और आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने के अनुदेश दिये जायें।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेन्शन अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड-वार विचार आरम्भ करते हैं। खण्ड 2।

श्री मृत्युंजय प्रसाद, क्या आप अपने सभी संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री मृत्युंजय प्रसाद (सीवान) : पहले संशोधन को छोड़ देता हूं; बाकी तीसरा और चौथा मैं प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अच्छा आप अपने संशोधन संख्या 3 और 4 पेश कर सकते हैं। प्रश्न यह है :—

श्री मृत्युजंय प्रसाद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, पंक्ति 9 से 11,—

"धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) या धारा 6ग में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी विमान यात्रा के लिए" के स्थान पर "धारा 4 की या धारा 5 की उपधारा (1) या धारा 6ग में निर्दिष्ट प्रत्येक ऐसी विमान, रेल या स्टीमर यात्रा के लिए" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

पृष्ठ 1, पंक्ति 13,—

"विमान भाड़े" के स्थान पर "यथास्थिति विमान, रेल या स्टीमर भाड़े, जिस दर्जे के लिए सदस्य सामान्यतः हकदार है" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

श्री मृत्युंजय प्रसाद (सीवान) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा काम माननीय मावलंकर जी ने बहुत हल्का कर दिया है क्योंकि उनके भाषण में सब बातें आ गई हैं। सिर्फ मुझे यह कहना है कि जिनके लिए जो सुविधा आप हवाई जहाज में दे रहे हैं उनके लिये वही सुविधा अगर आप रेल में नहीं देते हैं तो बात अधूरी रह जाती है, भले ही आप यह कह दीजिये कि इसमें सीमित सुविधा है। इस अर्थ में सीमित, मर्यादित हवाई यात्रायें हो सकेंगी, इसलिए आप यह कह सकते हैं इतना सुधार कर सकते हैं कि जब हाउस बैठे तभी वैसे सदस्य जब आवें, जब हाउस के काम से आवें तभी फर्स्ट क्लास में अपने साथ एक आदमी को ला सकें। यह आप भले कर दें, इसमें कोई बाधा नहीं है। किन्तु यदि यह सुविधा न दी जायेगी तो यह संशोधन अधूरा रह जायेगा।

दूसरी बात यह है कि अगर बोलने का अवसर हो तो 2, 4 बातें मुझे कहनी हैं, इससे थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इसलिये मैं आपसे इजाजत लेकर कहना चाहता हूं, सिर्फ हाउस की जानकारी के लिये।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो छोड़िये, जब बिल आयेगा तो उस वक्त बोलिये।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि रेल मंत्री इस सम्बन्ध में पहले ही प्रशासनिक कार्यवाही कर चुके हैं। इस कारण इस सम्बन्ध में कोई उपबन्ध नहीं है। अतः इसके लिए किसी संशोधन की आवश्यकता नहीं है। आशा है वे अपने संशोधन पर जोर नहीं देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : रेल मंत्रालय द्वारा पहले ही से प्रशासनिक कार्यवाही किये जाने के कारण क्या आप इस संशोधन को पेश नहीं कर रहे हैं ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : रेलवे में यह सुविधा उपलब्ध है।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : वह हमें बता दीजिए। वह एक ही आदमी को न रहे औरों को भी मिले।

श्री रवीन्द्र वर्मा : अन्धे सदस्य के लिये यह सुविधा उपलब्ध है।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : अन्धे के अलावा बाकी इस बिल में जो और तरह के लाचार सदस्य हैं, उन्हें भी यह सुविधा मिलेगी न ? इस विधेयक में जिन्हें हवाई यात्रा के साथ में सहायक को ले जाने की सुविधा है वह उन्हें रेल में भी मिलेगी ?

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सुविधा अन्धे तथा अन्य विकलांगों को भी उपलब्ध है।

श्री मृत्युंजय प्रसाद : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ा गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़े गए।

श्री रवीन्द्र वर्मा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक, सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक तथा अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम दूसरे विषय पर आते हैं। श्री सतीश अग्रवाल।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है जिसे उठाने पर मुझे खेद है। कई दिन से हमें वरिष्ठ उप-प्रधान मंत्री को देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पिछले सप्ताह वित्त विधेयक भी उनके द्वारा पेश किया जाना था परन्तु वे नहीं आये।

उपाध्यक्ष महोदय : वे बीमार हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : यह विधेयक उन्हें पेश करना था। नियम 76 बहुत ही स्पष्ट और सुस्पष्ट है। इसमें कहा गया है :–

> विधेयक के भारसाधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जायेगा कि विधेयक पर विचार किया जाये या विधेयक को पारित किया जाए और विधेयक में भारसाधक सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य सदस्य द्वारा, विधेयक के भारसाधक सदस्य द्वारा किये गये प्रस्ताव पर संशोधन के रूप के अतिरिक्त, यह प्रस्ताव नहीं किया जायेगा कि विधेयक सभा की प्रवर समिति या, राज्य सभा की सहमति से, दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा जाये या राय जानने के लिए परिचालित किया जाये :
>
> परन्तु यदि किसी विधेयक का भारसाधक सदस्य, ऐसे कारणों से जिन्हें अध्यक्ष पर्याप्त समझे, उसके पुनः स्थापन के बाद उसके बारे में अगले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो यह अध्यक्ष की अनुमति से उस प्रस्ताव विशेष को प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य सदस्य को अधिकृत करे सकेगा।

वरिष्ठ उप-प्रधान मंत्री बीमार हैं। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में आपको लिखा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने अध्यक्ष महोदय को लिखा है और अध्यक्ष ने श्री सतीश अग्रवाल को यह विधेयक पेश करने की अनुमति प्रदान की है।

श्री हरि विष्णु कामत : आशा है, उनका स्वास्थ्य पहले से अच्छा है और उसमें सुधार हो रहा है। हम सभी यह जानने के लिए उत्सुक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। श्री सतीश अग्रवाल।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

> "कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है कतिपय संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के भाग के समतुल्य राशि संदत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिश किये गये सिद्धान्तों के अनुसार उन राज्यों में उन राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"
>
> "कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"
>
> "कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसाकि माननीय सदस्यों को ज्ञात है ये तीनों विधेयक सांतवे वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप पुश किये गये। वित्त आयोग का यह प्रतिवेदन की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ संविधान के अनुच्छेद 281 के अनुसार पिछले सत्र में सभा पटल पर रखा गया

था। आयोग अनुच्छेद 280 के अन्तर्गत करों और शुल्कों में राज्यों के भाग के बारे में सिफारिश करता है । वह राज्यों को केन्द्रीय सरकार के सहायतानुदान के सम्बन्ध में भी सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सुदृढ़ वित्त व्यवस्था के लिए कोई अन्य मामला भी सौंप सकता है । आयोग की सिफारिशें कुछ मामलों में राष्ट्रपति के आदेश तथा अन्य में विधान द्वारा लागू की जा सकती हैं। ऋणों के सम्बन्ध में राज्यों को राहत प्रशासनिक आदेशों के द्वारा दी जा सकती है । जो तीन विधेयक मैंने विचार के लिए पेश किए हैं वे संघ उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सम्पदा शुल्क का वितरण करने से सम्बन्धित हैं, जो संसदीय विधान द्वारा ही किया जा सकता है ।

इससे पहले कि मैं इन तीनों विधेयकों पर अपनी बात शुरू करूं, मैं सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। केन्द्र से राज्यों को हस्तान्तरित किये जाने वाले साधनों की कुल धन-राशि की आयोग ने एक सीमा निर्धारित कर दी है। ये हस्तान्तरण उस आवश्यक प्रशासनिक आधारभूत-ढांचे को अनुरक्षित और विकसित करने के लिए राज्यों को प्रर्याप्त वित्तीय साधन उपलब्ध करायेंगे जो किसी विकासशील अर्थव्यवस्था से उत्पन्न बढ़ती हुई मांगों के लिए आवश्यक होता है। आयोग ने मांग की है कि यथासम्भव जितने भी कम समृद्ध राज्य हैं उनके पास राजस्व लेखे में आधिक्य रखा जाये जिसे उनके नये सिरे से विकास के लिए वापिस प्राप्त किया जा सके। सहायतार्थ अनुदान के बजाय कर हस्तान्तरण द्वारा भारी धन-राशि राज्यों को हस्तान्तरित करने की मांग की गई है जिससे कर प्राप्तियों में राज्य एक बड़ी सीमा तक उत्पलावकता का लाभ उठा सके जिसके साथ ही साथ केन्द्र के साधन बढ़ाने के प्रयत्नों को भी बढ़ावा मिलना चाहिये। आयोग ने राज्यों के आयकर के हिस्से को 80 से बढ़ाकर 85 प्रतिशत कर दिया है और मूल उत्पाद-शुल्कों के मामले में राज्यों के अंश को दुगने से अधिक कर दिया गया है। इसने उन आठ राज्यों को वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक कुल 1173 करोड़ रुपये का अनुदान देने की सिफारिश की है, जिनसे कर हस्तान्तरण द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त होने के बावजूद, राजस्व लेखे में कुछ कमी रखने की आशा की गई थी। अपने कुछ प्रशासनिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आयोग ने 22 में से 17 राज्यों के लिए और अलग से लगभग 437 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की है । इन सबसे बढ़कर, वर्ष 1979-84 की अवधि में राज्यों को 2156 करोड़ रुपये की ऋण-राहत की भी आयोग ने सिफारिश की है। उसने राज्यों के राहत-व्यय के लिए धन जुटाने के लिये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें भी की हैं। राज्यों को दी जाने वाली ऋण-राहत को मिलाकर इसके पूर्व अनुमानानुसार और आयोग के आदेशानुसार हस्तान्तरण 1979-84 की अवधि में 23063 करोड़ रुपये का होगा, यह छठे वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार 1974-79 की अवधि में किये गये प्राक्कलित हस्तान्तरण के 11578 करोड़ रुपये की तुलना में है ।

यहां यह बताना अनुचित न होगा कि कर प्राप्तियों तथा 1974-79 की अवधि में उत्पन्न अतिरिक्त स्रोतों के अंशों की अधिकता और राज्यों को इस अवधि में हस्तान्तरण, जैसा कि आयोग के प्रतिवेदन में कहा गया है 23063 करोड़ रुपये की राशि से प्रर्याप्त रूप में अधिक होगा।

महोदय, हमारे संविधान में यह स्वीकार किया गया है कि राज्यों की वित्तीय सामर्थ्य केन्द्र द्वारा राज्यों को किये जाने वाले बड़ी सीमा तक साधनों के स्थानान्तरण पर निर्भर करती है और

इसलिये इसने वित्त आयोग के माध्यम से एक बने बनाये तन्त्र का प्रावधान किया है जिससे साधनों की ओर केन्द्र तथा राज्यों की आवश्यकता की आवधिक समीक्षा की जा सके और केन्द्र से राज्यों की ओर साधनों के बहाव को बनाये रखा जा सके। यह बात कि वित्त आयोग इस निर्णायक भूमिका के प्रति सजग रहा है इस तथ्य से स्पष्ट हो जाती है कि हस्तान्तरण की मात्रा बढ़ रही है जिसकी राज्यों को उपलब्ध साधनों और उनकी आवश्यकताओं के सावधानीपूर्वक तथा व्यापक परीक्षण के बाद उत्तरगामी वित्त आयोगों ने सिफारिश की थी। केन्द्र के अपने वित्त पर हस्तान्तरण में ऐसी वृद्धि के प्रभाव के बावजूद, संविधान में इसे विशेष स्थिति प्रदान किये जाने के कारण, भारत सरकार प्रत्येक आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करती रही है। साधनों के केन्द्र और राज्यों में बटवारे के मामले में, कोई टकराव नहीं हो सकता क्योंकि ये साधन केन्द्र अथवा राज्यों की बपौती नहीं है अपितु समग्रतः सारे राष्ट्र के हैं और उन्हें वहीं पर लगाया जाना चाहिये जहां पर इनकी सर्वाधिक आवश्यकता हो।

प्रथम विधेयक की बात यह है कि वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि (i) विद्युत के अलावा और सभी वस्तुओं पर 40 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क और (ii) राज्यों को देय, विद्युत पर लगे समस्त उत्पाद-शुल्क को 1974-84 की अवधि में उनको दे दिया जाना चाहिये। इस प्रकार आयोग ने उस अंश को दुगने से भी अधिक कर दिया है जो राज्यों को छठे वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मिल रहा था। 1979-84 की अवधि में अकेले इन लेखों का अनुमानित हस्तान्तरण 12,493 करोड़ रुपये का हो जायेगा। इस विधेयक में राज्यों को देय, उत्पाद-शुल्क के 40% अंश को लिया गया है और विद्युत पर बढ़े उत्पाद-शुल्क के भुगतान के लिये अलग से एक अन्य विधेयक सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। उत्पाद-शुल्क के राज्यों के अंश में परस्पर वितरण के मामले में, आयोग का कहना है कि अन्तर्राज्यिकीय असन्तुलनों को कम करने के लिए, उनका उद्देश्य उत्पाद-शुल्क की कुल बढ़ोतरी के वितरण को और अधिक सीमा तक उपयोग करने का है। इस उद्देश्य की दृष्टि में —जनसंख्या, प्रतिव्यक्ति राजकीय घरेलू उत्पादन में प्रतिलोम स्थिति, प्रत्येक राज्य में गरीबों का प्रतिशत तथा राजस्व समानीकरण सूत्र जैसे तत्वों को प्रत्येक राज्य को देय अंश के प्रतिशत के निर्धारण में 25 प्रतिशत का बराबर महत्व दिया गया है। आयोग के विचारानुसार, राज्यों में बढ़े हुए उत्पाद-शुल्क के वितरण के लिये, किसी एकल मापदण्ड के बजाय इस प्रकार के बहु उद्देशीय मापदण्ड का उद्देश्य उस सूत्र के किसी राज्यों के प्रति अवान्छित पक्षपात या दूसरों के विरुद्ध कठोर दुर्व्यहार के अवसरों को कम करने का है।

दूसरे विधेयक में कृषि भूमि के अलावा अन्य सम्पत्ति पर मिलने वाले कुल सम्पदा शुल्क के वितरण का उपबन्ध है। यह कर केन्द्र अनुच्छेद 269 के अन्तर्गत इकट्ठा करता है परन्तु इस राशि को राज्यों को संसद के विधान के अनुसार ही दिया जा सकता है। पूर्वकालीन सभी आयोगों ने यह सिफारिश की थी अचल सम्पत्ति से मिलने वाले शुल्क का वितरण सम्पति की स्थिति के आधार पर किया जाए तथा चल सम्पत्ति से होने वाली आय का जनसंख्या के आधार पर वितरण किया जाएगा। सातवें वित्त आयोग ने इस अन्तर को समाप्त कर दिया है और उसने सिफारिश की है कि कुल आय का वितरण राज्यों में स्थित सम्पत्ति के अनुपात के आधार पर किया जाए। इस मामले में संघराज्य क्षेत्रों को दिए जाने वाले भाग के अतिरिक्त शुल्क से होने वाली कुल आय भारत की संचित निधि का अंग नहीं है इसलिए विधेयक में भारत की संचित निधि में से

भुगतान अथवा व्यय का उल्लेख नहीं है । 1979–84 के पांच वर्षों में सम्पदा शुल्क से राज्यों को 64 करोड़ रुपये दिए जाएंगे । विधेयक में राज्यों में शुल्क को वितरित करने के सिद्धान्त बताए गए हैं ।

तीसरे विधेयक का सम्बन्ध चीनी, तम्बाकू और कपड़े पर लगे उत्पाद शुल्क से होने वाली अतिरिक्त आय को वितरित करने के सम्बन्ध में आयोग की सिफारिशों को लागू करने से है । जैसा कि सभा जानती है कि ये शुल्क राज्यों की सहमति से इन वस्तुओं को लगने वाले बिक्री कर के बदले में लगाए गए हैं । योजना में इस समूची आय को वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए सिद्धान्तों के अनुसार वितरित करने की व्यवस्था है । सातवें वित्त आयोग ने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क से होने वाली कुल आय में से प्रत्येक राज्य को दिए जाने वाले भाग का उल्लेख किया है । चीनी के सम्बन्ध में प्रत्येक राज्य का भाग 1976-77 को समाप्त होने वाले 3 वर्षों में उस राज्य को भेजी गई चीनी के औसत के आधार पर तय किया गया है, तथा तम्बाकू और कपड़े के सम्बन्ध में 1971 की जनसंख्या के आधार पर 1970-71 से 1975-76 के बीच हुए प्रतिव्यक्ति उत्पादन के आधार पर राज्य का भाग तय किया जाता है । इस प्रकार 1979--84 के बीच राज्यों को 1867 करोड़ रुपये दिए जाएंगे ।

मैंने आयोग की सिफारिशों और तीनों विधेयकों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है । सदस्य जो बातें वाद-विवाद के दौरान उठाएंगे मैं उन पर भी प्रकाश डालने का प्रयत्न करूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

"कि भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है कतिपय संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के भाग के समतुल्य राशि संदत्त करने का, तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिश किये गये सिद्धान्तों के अनुसार उन राज्यों में उन राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मंत्री महोदय के कथन के अनुसार सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए तीन विधेयक लाए गए हैं । परन्तु हम आयोग की सिफारिशों के प्रति अपना सामान्य असन्तोष व्यक्त करते हैं क्योंकि इसमें यहां-वहां थोड़ा-थोड़ा परिवर्तन किता गया है तथा इससे राज्यों को मिलने वाले भाग में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुआ है ।

हम पश्चिम बंगाल के सदस्यों को प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल सरकार के प्रयत्नों से विभिन्न राज्य सरकारों ने उन महत्वपूर्ण संसाधनों को उचित रूप में एकत्र किया है जो समूचे देश के आर्थिक विकास के लिए आवश्यक हैं । पहले वितरण के सम्बन्ध में केवल तदर्थ प्रणाली अपनाई जाती थी तथा कोई उचित मापदण्ड नहीं अपनाया गया । कुछ क्षेत्रों के प्रति पक्षपात

बरता गया जबकि अन्य राज्यों को उनके अधिकार से वंचित रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप इस देश की अर्थव्यवस्था में असंतुलन आ गया। स्वतंत्रता के बाद आयोजित आर्थिक विकास बड़ा ढोल पीटे जाने पर भी, विकास की दर प्रति वर्ष मात्र एक प्रतिशत रही है। यह न्यूनतम विकास भी देश के विभिन्न भागों में बहुत ही असन्तुलित रूप में विभाजित है। ऐसा संविधान के उपबंधों के कारण केन्द्र और राज्य के सम्बन्धों के कारण हुआ है जो हमारी राय में राज्य प्रशासन के अर्ध संघीय ढांचे के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। इतना ही नहीं हमारे संविधान के उपबन्धों का उपयोग दिल्ली में स्थित एकाधिकार प्राप्त लोगों के हित में किया जाता रहा है। इसी कारण देश का बहुत कम विकास हो पाया है। मुझे प्रसन्नता है कि हमें विभिन्न राज्यों में अधिक वसूली हो रही है। कुछ राज्य पश्चिम बंगाल के समान खुल कर इस सम्बन्ध में नहीं कह सकते। योजना आयोग को भी यह स्वीकार करना होगा। राज्यों के योजना के लिए दिए जाने वाले धन के बारे में सहमत न होने के कारण यह मामला राष्ट्रीय विकास परिषद में चर्चा के लिए उठाया गया है। मेरा विचार है कल वे इस पर विचार कर रहे हैं।

हमारी मांग का आधार मूलभूत है। हम चाहते हैं कि केन्द्र सरकार उचित संघीय ढांचे के अन्तर्गत, संघर्ष की भावना न रखते हुए किसी भी राज्य के महत्व को कम न करते हुए राज्य सरकारों को पर्याप्त वित्तीय सहायता देने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करे। ऐसा करने का समय आ ही नहीं गया है वरन् इसमें विलम्ब भी हो गया है। जहां तक वितरण का सम्बन्ध है संविधान के अन्तर्गत केन्द्र के पास अधिक अधिकार हैं जबकि जिम्मेदारी राज्यों पर अधिक है। इस तथ्य से श्री अग्रवाल आप इन्कार नहीं कर सकते। कानून और व्यवस्था के अतिरिक्त जो मुख्य बातें हैं जिनका प्रभाव प्रतिदिन के जीवन पर पड़ता है वे हैं, चिकित्सा सुविधाएं, शिक्षा, भूमि सुधार, सड़कें आदि। ये सब ऐसे लाभ हैं जिनके बिना प्रगति नहीं हो सकती। राज्यों का यह अधिकार है कि वहां उद्योग आदि स्थापित हों। उसके लिए उन्हें धन कहां से मिले? क्या इस वर्तमान प्रणाली से भारत के उचित और सन्तुलित विकास में मदद मिली है? इस पर उचित रूप से विचार करने का समय आ गया है। निहित स्वार्थ के क्षेत्रों में राजनीतिक हितों के लिए बहुत कुछ कहा गया है, परन्तु हमारी मांग का आधार राजनीतिक नहीं है। हमारी मांग राज्यों के उचित विकास पर आधारित है और जब तक विभिन्न राज्यों का सन्तुलित विकास नहीं होगा क्षेत्र की प्रगति नहीं हो सकती। भूतकाल में सभी वित्त आयोगों ने यही कहा कि इसे बढ़ाया जाए। परन्तु हुआ क्या? 1974-75 से 1978-79 के बीच छठे वित्त आयोग के पंचाट के आधार पर संघ सरकार के राजस्व की कुल 43976 करोड़ रुपये की वसूली में से राज्य सरकारों को 11168 करोड़ रुपया ही मिला जो कुल का 25.4 प्रतिशत ही है। सातवें वित्त आयोग की सिफारिश पर 1979-84 के संसाधनों में से लगभग 20974 करोड़ रुपये का हस्तान्तरण करने का अनुमान है। मंत्री महोदय ने यह राशि 23,000 करोड़ रुपये बताई है। इसका प्रतिशत 25.4 से बढ़ कर 26.1 हो गया है।

हमें आय के उन सन्देहास्पद और अप्राप्य आंकड़ों के आधार पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इसलिए सदन, समिति, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख हमारा निवेदन है कि इस विषय पर गम्भीरता से विचार किया जाए। मैं असन्तुलित विकास के एक दो उदाहरण दे दूं। पश्चिम बंगाल सरकार का कहना है 1979-83 की योजना के लिए उसे 4500 करोड़

रुपया दिया जाए। योजना आयोग ने इसे स्वीकार ही नहीं किया वरन् उसकी राय से यह 50 प्रतिशत कम करके 2100 करोड़ रुपया होना चाहिए। 1979-80 के लिए हमने 531 करोड़ रुपये के नियतन की मांग की थी परन्तु योजना आयोग ने उसे काट कर 370 करोड़ कर दिया। अतः योजना आयोग की राय से पश्चिम बंगाल की 1979-80 की योजना 1978-79 से भी आधी होनी चाहिए। ऐसा पश्चिम बंगाल के साथ ही नहीं है वरन् देश के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ और भी खराब स्थिति है।

जहां तक वित्त आयोग की सिफारिशों का सम्बन्ध है हम उत्पाद-शुल्क के वितरण की मात्रा को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत तक बढ़ाने का स्वागत करते हैं। आयकर के वितरण की मात्रा में भी 80 से बढ़ाकर 85 प्रतिशत करके कुछ वृद्धि की गई है। सम्पदा शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों के वितरण सम्बन्धी प्रणाली में कुछ परिवर्तन किया गया। परन्तु हम इस सम्बन्ध मे अपनी स्थिति पूर्णतया स्पष्ट करना चाहते हैं कि सातवें वित्त आयोग ने जो कुछ भी कहा है संघ सरकार ने तम्बाकू, चीनी और कपड़ों के सम्बन्ध में अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की योजना को लागू करने में राज्यों के साथ विश्वासघात किया है। यद्यपि पहले 10.8 प्रतिशत तक का वायदा किया गया था परन्तु 1977-78 में उसके बजाय 6.8 प्रतिशत ही उपलब्ध कराया गया। मैं यह जानता हूं कि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है जो संविधान के शर्तों के अनुसार स्थापित किया जाता है और इसकी सिफारिशों को लागू करना अनिवार्य है। इसलिये आप इन विधेयकों के द्वारा कुछ सिफारिशों की कार्यान्वित कर रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी ओर ध्यान दे। आप अधिकार के विकेन्द्रीकरण और आर्थिक अव्यवस्था को समाप्त करने की बात करते हैं। मैं यह मानता हूं कि मंत्री महोदय को पहले से ही कुछ बता कर रखा गया है परन्तु मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे दो बातों पर गंभीरता से विचार करे। इस देश में केन्द्र राज्य के सम्बन्ध जिस प्रकार के बने हुए हैं उससे वास्तविक उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो रही है अर्थात् लोगों का आर्थिक विकास जो राज्यों की एजेन्सियों की मार्फत होना चाहिये। दूसरे अधिकारों का विकेन्द्रीकरण और संसाधनों का विकेन्द्रीकरण मात्र नारों से नहीं किया जाता। हम विश्वास करते हैं कि यदि देश का संतुलित विकास करना है और एक सुदृढ़ भारत का निर्माण करना है तो वह कमजोर राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता। हम विश्वास करते हैं कि सुदृढ़ भारत केवल सुदृढ़ राज्यों द्वारा ही हो सकता है। जब हम वित्तीय संस्थाओं और अन्य उपलब्ध संसधानों की ओर देखते हैं तो हमें बड़ा भारी असंतुलन दिखायी देता है तथा यह विभिन्न राज्यों को उसके उचित अधिकार न दिये जाने के अलावा और कुछ नहीं है। आपको समान भाड़े की नीति के बारे में जानकारी होगी। पूर्वी क्षेत्र में 1950 से लोह अयस्क और इस्पात के सम्बन्ध में इस नीति का पालन किया जा रहा है। इसे देश के विभिन्न भागों में उद्योगों के विकास तथा आवश्यक कच्चे माल के समुचित उपयोग के लिये पेश किया गया था। पूर्वी भारत से यह चीजें विभिन्न राज्यों को भेजी जाती हैं और सरकार भाड़ा समीकरण के बारे में बिल बनाती है। हम कपास के बारे में पूछते रहे हैं लेकिन हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। क्या हम यह नहीं कह सकते कि हम भाड़ा समीकरण के आधार पर कपास के लिये हकदार हैं? पूर्वी भारत में दालें प्रायः नहीं होतीं। वहां खाद्य तेल तथा मूंगफली नहीं होती। क्या हम यह नहीं कह सकते कि हमें यह चीजें देश के किस भाग में उसी दर पर मिलें? यह सरकार सरकारी

एजेन्सियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं सप्लाई करने की बात करती है। हम इसका स्वागत करते हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार इस लागू करे। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या जब तक सारे देश में कीमत एक सी न हो तब तक यह प्रणाली सही ढंग से और समान रूप से चल सकती है? क्या भौगोलिक स्थितियों के कारण लोगों को कष्ट उठाने के लिये कहा जा सकता है? क्या देश के विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अधिक रेल भाड़ा देने के लिये कहा जा सकता है? हाल के रेलवे बजट में भाड़ा दूरी के आधार पर निर्भर करता है। उसका क्या अर्थ है? क्या हम ऐसे भारत की स्थापना करना चाहते हैं जहां भौगोलिक आधार पर लोगों के बीच अन्तर किया जाता है। इससे देश को एक सूत्र में बांधने का लक्ष्य पूरा नहीं होता। अतः हमारी यह मांग है कि यह वास्तव में अपर्याप्त कदम है। वित्त आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार को एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये जिसे कानूनी रूप दिया जा सके और जिससे देश के विभिन्न राज्यों की वास्तविक मांगें पूरी हों। अतः केन्द्र राज्य सम्बन्धों के प्रश्न पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिये।

देश में निगम कर की क्या स्थिति है? शुद्धि के रहते हुये निगम कर के अधिक आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है। नशाबन्दी लागू करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की मांग के सम्बन्ध में क्या होने वाला है? यह गैर-कानूनी शराब बनाने के लिये मांग नहीं है बल्कि इनको 50 प्रतिशत के राजस्व के घाटे को पूरा करना होगा। केन्द्र नशाबन्दी लागू करने पर जोर दे रहा है लेकिन हमारे विचार से उसे कभी सफलता नहीं मिलेगी जिस प्रकार देश के विभिन्न भागों में गो वध पर प्रतिबन्ध के बारे में सफलता नहीं मिली है। ये कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर हम खुले रूप से तथा गहराई से विचार करना चाहते हैं।

मैंने बताया था कि मेरे पास आंकड़े हैं। संस्थागत वित्त के वितरण के बारे में हो रही विषमता का क्या होने वाला है? वर्ष 1969 से वर्ष 1976 तक उड़ीसा में प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 24 रुपये, त्रिपुरा में 19 रुपये, बिहार में 38 रुपये, पश्चिम बंगाल में 146 रुपये, पंजाब में 346 रुपये, महाराष्ट्र में 308 रुपये तथा तमिलनाडु में 302 रुपये हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमें इस बात पर बिल्कुल आपत्ति नहीं है कि अन्य राज्यों को अधिक संसाधन मिल रहे हैं। हम देश के विभिन्न भागों तथा विभिन्न लोगों का एक सा विकास चाहते हैं और विशेषकर ऐसी स्थितियों में जबकि कई लोग निर्धनता के स्तर से नीचे रह रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश में जो कुछ है उसका संतुलित वितरण हो ताकि प्रत्येक क्षेत्र के लोग प्रगति कर सकें।

विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी आर्थिक नीतियां है। विभिन्न राज्यों में उन्होंने अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर मतदाताओं के पास गये हैं। प्रत्येक मतदाता ने एक विशिष्ट राजनीतिक दल को इसकी नीति एवं कार्यक्रम के आधार पर चुना है। क्या दिल्ली में बैठा हुआ योजना आयोग यह कह सकता है कि अमुक राजनीतिक दल की योजना और कार्यक्रम, जिसे उस राज्यों के लोगों की स्वीकृति प्राप्त है, क्रियान्वित किया जायेगा अथवा नहीं। क्या हम इस बात का पता नहीं लगा सकते कि हमारी तात्कालिक आवश्यकाताएं कौन सी हैं तथा उन्हें पूरा करने के लिये हमें कितना पैसा चाहिये। लेकिन स्थिति यह है कि हमें कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिये योजना आयोग के पास जाना पड़ता है।

मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं जो पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। कोलाघाट में 630 मेगावाट वाला विद्युत संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। अभ्यावेदन पर अभ्यावेदन दिये जा रहे हैं और योजना आयोग जिसे भारत सरकार ने इन सब बातों पर विचार करने का काम सौंपा हुआ है दो या तीन सदस्य इस देश के राज्यों के भाग्य का निर्णय कर रहे हैं। उनका कहना है कि वहां एक अतिरिक्त विद्युत संयंत्र स्थापित नहीं हो सकता। उसके लिये पैसा राज्य ने लगाना है। यह बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है।

श्री अग्रवाल, मैं इस सदन के लिये तथा इस देश के लिये यह अपील करता हूं कि इस प्रकार के व्यवहार से देश के समुचित विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः हमारी मांग है कि यद्यपि सातवें वित्त आयोग ने कुछ बढ़िया प्रस्ताव रखे हैं जिन्हें क्रियान्वित किया जाना है, भारत सरकार को अपनी उपलब्धियों पर चुप होकर नहीं बैठना चाहिये क्योंकि यह केन्द्र सरकार की उपलब्धि नहीं है। सातवें वित्त आयोग के समक्ष एक जोरदार मामला राज्य सरकारों द्वारा पेश किया गया था और इसलिये उन्होंने आवंटन के बारे में अपनी सिफारिशों में कुछ परिवर्तन किये हैं। यहां भी कुछ गुणात्मक परिवर्तन नहीं हुये हैं। कुछ अधिक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं जिनाक स्वागत है। यह वृद्धि 25.4 प्रतिशत से बढ़ाकर 26.1 प्रतिशत की गई है जोकि बहुत अधिक नहीं है।

मैं भारत सरकार से विशेषकर प्रधान मंत्री से अपील करता हूं कि वे देश का मार्गदर्शन करें। देश को कमजोर बनाने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपने नागरिकों, भारतियों पर गर्व होना चाहिये और हम सिर उठाकर यह कह सकें कि हमारा देश एक मजबूत देश है। अतः इसे देश को कमजोर करने की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये। देश को कमजोर वनाने से कोई लाभ नहीं होगा। यह एक ऐसा अवसर है जब सरकार को चाहिये कि वह लोगों को यह स्पष्ट कर दे कि इस मामले में केन्द्र सरकार न केवल आगे बातचीत करेगी बल्कि एक संतोषजनक निष्कर्ष पर पहुंचेगी क्योंकि सभी राज्य इसकी मांग कर रहे हैं।

डा० रामजी सिंह (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझे बहुत खुशी है कि माननीय सोमनाथ बाबू ने भी कुछ रिजर्वेशन के साथ ही सही लेकिन सातवें वित्त आयोग की अनुसंशाओं का समर्थन किया है। यह बात ठीक है कि जब से सातवां फाइनेंस कमीशन बना है और इस बार जो उसकी रिकमन्डेशन्स हुई हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार का विकेन्द्रीकरण के प्रति कितना अधिक अनुराग है। वह तो हम देखते ही हैं कि किस प्रकार से राज्यों को अब अधिक धन मिलने वाला है, लेकिन फिर भी जो हमारे सामने स्थिति है उससे यह तो स्पष्ट होता है कि राज्यों को अधिक से अधिक धन मिलना चाहिए।

1410

[श्री धीरेन्द्रनाथ बसु पीठासीन हुए]

वस्तुतः यह एक संघीय व्यवस्था है और इसमें अधिक से अधिक कार्य राज्यों के द्वारा होते हैं। खासकर राज्य बहुत विभिन्न हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधि और व्यवस्था और सारे सामाजिक सवालों का दायित्व और बोझ राज्य सरकारों पर पड़ता है, इसलिये अगर किसी कारण से

राज्य सरकारों के लिए अधिक धन की मांग की जाती है तो इसको किसी भी रूप से केन्द्र को कमजोर करने की बात नहीं माननी चाहिए। अभी जो सैवन्थ फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट है, इसमें हम देखते हैं कि बिहार में

"परन्तु यह कि यदि उस वित्तीय वर्ष के दौरान किसी राज्य में चीनी के विक्रय या क्रय पर, उस राज्य की किसी विधि द्वारा या उसके अधीन कोई कर उद्गृहीत और संगृहीत किया जाता है तो उस वित्तीय वर्ष की बाबत इस पैरा के अधीन उस राज्य को कोई भी राशियां तब तक संदेय नहीं होंगी जब तक केन्द्रीय सरकार विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निदेश न दे।"

इसमें हम देखते हैं कि आंध्र में 5.2 परसैन्टेज है, असम में 2.4 और बिहार का 5.9 है। उत्तर प्रदेश जो इतना बड़ा प्रदेश है, इसकी 13.1 और मध्य प्रदेश की 17.08 परसैन्टेज है। टोबैको के बारे में भी अलग-अलग परसैंटेज दिया गया है। यह तो ठीक है कि इस बार के सारे परसैंटेज में कुछ विशेष जो पिछड़े हुए राज्य थे, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, जिनको पिछले 25 वर्षों में बहुत कम धन की उपलब्धि होती थी, 7वें वित्त आयोग की अनुशंसा के मुताबिक इनको कुछ अधिक राशि मिलेगी। सचमुच में वित्त मंत्री ने 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया है, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। जैसा स्टेटमैंट आफ ओवजैक्ट्स में कहा गया है कि पहले तो 20 प्रतिशत हम करते थे, लेकिन फाइनेन्स कमीशन ने जैसे मैमोरैंडम आफ ओबजैक्ट्स में ही है कि :—

"इस समय उत्पाद पर केन्द्रीय शुल्क के वार्षिक शुद्ध आगामों का 20% विशेष अधिनियमों के अधीन संगृहीत उपकरों और विशेष उद्देश्यों के लिए आबंटन को छोड़कर, राज्यों को दिया जाता है और उनमें ऐसी प्रतिशतता में बांट दिया जाता है जैसा कि छठा वित्त आयोग सिफारिश करता है।"

पहले तो 20 परसैंट था, लेकिन 7वें फाइनेन्स कमीशन ने अब उसे 40 परसैंट किया गया है। हम समझते हैं कि इससे ज्यादा उदारता की बात नहीं हो सकती है। इसलिए 1979-80 से 1983-84 तक जो प्लान क्लीयर्ड है—

"विद्युत उत्पादन पर केन्द्रीय शुल्क के सम्पूर्ण शुद्ध आगम की अदायगी प्रत्येक राज्य को समान संगृहीत राशि अथवा प्रत्येक राज्य को देय राशि भारत की संचित विधियों में से दी जाएगी।"

तो यह एक अच्छी चीज है कि राज्यों पर बोझ थोड़ा कम बढ़ा है और केन्द्र यह सारा पैसा जिस प्रकार से 30 वर्षों तक यहां राजनीतिक शक्ति का केन्द्रीयकरण था, उसी प्रकार से आर्थिक शक्ति का भी केन्द्रीयकरण था। सत्ता का जितना विकेन्द्रीकरण होगा उतना ही केन्दीय सत्ता कम होगी। 7वें फाइनेन्स कमीशन ने जो अनुशंसा की है और इसको स्वीकार करने के लिए कदम उठाया गया है, वह सचमुच में स्वागत योग्य है। जब स्टेट ड्यूटी की बात शुरू में चल रही थी, तो उस समय फाइनेन्स मिनिस्टर मोरारजी भाई थे। उन्होंने उस समय जितनी कृपणता की थी, अब लगता है कि वह कृपणता दूर हो रही है। उस समय पांचवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर इसी प्रकार के बिल को रखते हुए उन्होंने कहा था :

"आयोग ने संघ राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए संघ राज्यों को वितरित किए जाने वाले शेयर 2 प्रतिशत से बढ़ा कर 3 प्रतिशत कर दिए हैं जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत परिवर्तनों के परिणामस्वरूप गठित की गई थी।"

पश्चिमी बंगाल के मेरे मित्र ने शुरू में राजनैतिक कारण से आटोनोमी की बात उठाई। मैं समझता हू कि सातवें फिनांस कमीशन की अनुशंसा के अनुसार जब केन्द्र राज्यों को 20 परसेंट के बजाय 40 परसेंट दे रहा है, तो हमारे मित्रों को काफी संतोष हुआ होगा। अब राज्यों के मन में किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए कि केन्द्र अधिक से अधिक शक्ति लेना चाहता है। मेरे विचार में अब राज्यों के संशय निर्मूल हो रहे हैं।

जिस तरह आज हम इन तीनों बिल पर एक-साथ चर्चा कर रहे हैं, उसी तरह 1974 में छटे फिनांस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर तीन बिलों पर चर्चा हुई थी। उस समय कहा गया था :—

"विधेयक का उद्देश्य एक ओर तो केन्द्र और राज्यों के बीच और दूसरी ओर विभिन्न राज्यों के बीच केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आगमों के वितरण के बारे में छठे वित्त आयोग की सिफारिशों को प्रभावी बनाना है। आयोग ने मूल केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंशों के बारे में किसी परिवर्तन का सुझाव नहीं दिया है और इसलिए राज्य का अंश कुल आगम का 20 प्रतिशत होगा।"

आज यह खुशी की बात है कि यह राशि 20 परसेंट से अधिक हो गई है। सरकार ने सातवें वित्त आयोग की रिकमन्डेशन्ज को स्वीकार किया है। मैं इस बारे में एक दो बातें कहना चाहता हूं। केन्द्र के पास जो सम्पत्ति है, जहां हम स्टेट्स में उसका ज्यादा से ज्यादा डेवोल्यूशन करने जा रहे हैं, वहां हमें स्पष्ट कर देना चाहिए कि इतनी-इतनी धनराशि अमुक-अमुक निश्चित कार्यक्रमों के लिए इयर-मार्क्ड है। मैं किसी राज्य की ओर संकेत नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम देखते हैं कि केन्द्र की ओर से जो राशि दी जाती है, राज्य उसे स्वेच्छानुसार जहां चाहें खर्च कर देते हैं। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है कि जब केन्द्र की ओर से राज्यों को शेयर दिया जाता है, तो राज्यों को उनकी प्राथमिकता की मदों में ही खर्च करने के लिए संकेत भी देना चाहिए। हमने देखा है कि राज्य सरकारें—मेरा किसी खास राज्य की ओर संकेत नहीं है—एक योजना या कार्यक्रम के लिए दिये गये पैसे को किसी दूसरे काम पर खर्च कर देती हैं। अगर इस तरह डाइवर्शन आफ फंड्ज होता रहेगा, तो फिर जो प्रायर्टी के कार्यक्रम हैं, वे कभी पूरे नहीं हो सकेंगे। आखिर क्या बात है कि 31 वर्ष हो गये हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम पूरा नहीं हुआ है। केन्द्र बहुत उदार हो कर राज्यों को पैसा दे रहा है, लेकिन अगर उनकी प्राथमिकताओं का निर्धारण न किया गया और उनके लिए इस प्रकार की मर्यादा न बांधी गई कि पैसा एक निश्चित कार्यक्रम के लिए खर्च हो, तो चूंकि राज्यों के पास पैसा होता नहीं, उनका ओवरड्राफ्ट होता ही रहता है, तो जैसे तैसे वह खर्च कर देते हैं। इसीलिए सचमुच में इसके सम्बन्ध में भी सरकार को सोचना चाहिए।

एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि यहां पर सम्पूर्ण राष्ट्र की अर्थ-व्यवस्था में एक प्रकार का आर्थिक असंतुलन चल रहा है। लगता ही नहीं है कि समूचा भारतवर्ष एक आर्थिक

धरातल पर अवस्थित है। यही कारण है कि केवल एक प्रांत ही दूसरे प्रांत से पिछड़ा हुआ नहीं हैं, जैसे बिहार और उड़ीसा, ये तो सचमुच में आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त दयनीय अवस्था में हैं लेकिन ऐसे भी कुछ राज्य हैं जैसे महाराष्ट्र बड़ा प्रगतिशील और समृद्धिशाली प्रांत है लेकिन महाराष्ट्र के भी कुछ जिले अत्यन्त पिछड़े हुए हैं। यह रीजनल इम्बैलेंस अगर दूर नहीं किया जाएगा तो भारतवर्ष में लगेगा कि एक जगह आइवरी टावर्स हैं और दूसरी जगह झोपड़ियां हैं। इसलिए, हम समझते हैं कि जब राज्यों को केन्द्र सरकार इस प्रकार से पैसे दे तो उसके सम्बन्ध में यह भी विचार करना चाहिए।

यह खुशी की बात है कि केन्द्र सरकार ने कुछ पिछड़े जिलों को भी घोषित किया है और उन जिलों के लिए राज्य सरकारों को यह निर्देश होना चाहिए कि ऐसे जो पिछड़े हुए जिले हैं उनको अधिक से अधिक धन की सहायता दी जाये ताकि यह जो रीजनल इम्बैलेंस है, क्षेत्रीय असंतुलन पूरे देश में नहीं बल्कि राज्य के बीच में, यह भी दूर हो सके।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। यह काफी टेकनिकल विषय है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जब यूनियन ड्यूटीज़ खास कर के एक्साइज की और एस्टेट ड्यूटी की बात हो रही है तो एस्टेट ड्यूटी के सम्बन्ध में भी हम लोगों को विचार करना चाहिए. जैसे खास करके मैं एक छोटा-सा उद्धरण देना चाहता हूं। बैकवर्ड रीजन्स के बारे में जैसा मैंने निवेदन किया था कि किस प्रकार से पिछड़े इलाकों की सम्पत्ति और समृद्धि को हम बढ़ा सकते हैं तो सेठी साहब जो फाइनेन्स मिनिस्टर थे उन्होंने उस संबंध में कहा था :—

> "पिछड़ेपन के लिए 20% आबंटित राशि में से दो-तिहाई भाग उन राज्यों में बांट दिया जायेगा जिनकी आय सभी राज्यों की औसत को राज्य की जनसंख्या से गुणा करके राज्य की प्रति व्यक्ति आय की अनुपात में सभी राज्यों की औसत से कम है।

इस बार तो खैर, इसके सम्बन्ध में कुछ ध्यान रखा गया है और पापुलेशन का भी विचार किया गया है लेकिन मैं तो यह सुझाव दूंगा कि केन्द्र सरकार जब भी अपने आर्थिक स्रोत का कुछ विभाजन और वितरण राज्यों को करती है तो उसके सामने तीन उद्देश्य रहने चाहिएं। पहला उद्देश्य तो यह रहना चाहिए कि वहां की जनसंख्या कितनी है। दूसरा उद्देश्य यह होना चाहिए कि उस सम्पूर्ण राज्य का पिछड़ापन दूसरे राज्यों के अनुपात में कितना है। जब मैं आर्थिक पिछड़ेपन की बात करता हूं तो उसमें आर्थिक और सामाजिक पिछड़ापन दोनों को लेना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए एडल्ट एजूकेशन के फंड के वितरण का सवाल है तो उसमें कुछ ऐसे राज्य है जहां खासकरके शिक्षा का स्तर बहुत नीचे है। अगर हम शिक्षा लिए राज्यों को मदद दें तो जो राज्य शिक्षा की दृष्टि से ज़्यादा निरक्षर हैं, जो ज्यादा पिछड़े हुए हैं उस राज्य को हमें ज्यादा उस मद में देना चाहिए। लेकिन जो राज्य सौभाग्य से ज्यादा सुशिक्षित हैं जो कि शिक्षा की प्रगति की सीढ़ी पर आगे हैं जैसे मैं तमिलनाडु को लेता हूं, केरल को लेता हूँ, ये बड़े सुशिक्षित और अच्छे राज्य हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसी अनुपात में दे दिया जाए बल्कि आर्थिक सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर राज्यों में केन्द्रीय कोष की वितरण व्यवस्था होनी चाहिए।

तीसरी बात यह है कि खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे जो राज्य हैं वहां पर विधि और व्यवस्था की बड़ी समस्या है। उत्तर प्रदेश में 54 जिले हैं और बिहार में 33 जिले हैं। वहां पर राज्यों का बहुत सारा धन विधि और व्यवस्था पर ही खर्च हो जाता है। ऐसे बड़े राज्यों को जब तक विशेष अनुदान नहीं दिया जाएगा, विधि और व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, तब तक वहां पर विकास के काम नहीं हो सकते हैं। वहां पर विकास के काम सुचारू रूप से तब तक नहीं किए जा सकते जब तक कि विधि और व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए ऐसे राज्य जहां आबादी बहुत है, जहां पर विधि और व्यवस्था की स्थिति अच्छी नहीं है वहां पर केन्द्रीय कोष से विशेष अनुदान देना चाहिए। जैसे वेस्ट बंगाल में कलकत्ते का अनवील्डी क्षेत्र है वहां के लिए भी यदि आप अन्य जिलों के अनुरूप ही सहायता देते हैं तो वह उचित नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में ज्यादा खर्च करने की आवश्यकता है।

यदि मेरे इन तीन सुझावों को मानकर केन्द्रीय कोष का वितरण राज्यों को किया जायेगा तो वह न्यायपूर्ण होगा, उसमें एकोनामिक और सोशल जस्टिस की बात होगी। बड़ी खुशी की बात है कि 31 सालों में पहली बार फेडरल स्ट्रक्चर का सही रूप हमारे सामने उपस्थित हुआ है। अभी तक सारी राजनीतिक और आर्थिक सत्ता एक जगह रखने के कारण इंदिराशाही का जन्म हुआ था। यह खुशी की बात है कि वित्त आयोग की अनुशंसा को सरकार ने स्वीकार किया है। राज्य मंत्री महोदय ने जो तीन विधेयक प्रस्तुत किए हैं उनका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे (सांगली) : सभापति महोदय, इन विधेयकों का समर्थन करते हुए मैं मंत्री महोदय से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं और कुछ जानकारी चाहता हूँ।

अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1979 के उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है :

> "अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1979 के अधीन चीनी, तम्बाकू, सूती फेब्रिक, ऊनी फेब्रिक और कृत्रिम फेब्रिक पर उद्गृहीत अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगम इन वस्तुओं पर राज्यों के विक्रय कर के स्थान पर उस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार वितरित किए जाते हैं।"

अब प्रतिशतता बदली जा रही है और यह कहा गया है :

> "सातवें वित्त आयोग ने उन अंशों का अवधारण जो संघ राज्य क्षेत्रों और प्रत्येक राज्य के माने जा सकते हैं निम्न आधार पर किया है :—
>
> (क) चीनी की दशा में 1976-77 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान संघ राज्य क्षेत्रों और प्रत्येक राज्य को औसत प्रेषण।"

मैं तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। सातवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन 28 अक्तूबर, 1978 को पेश किया गया था। मेरा पहला प्रश्न यह है कि संघ राज्य क्षेत्रों तथा अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक राज्य को दिये जाने वाले अंश को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1977-78 को समाप्त

हुए तीन वर्षों की अवधि के स्थान पर 1976-77 को समप्त हुई अवधि के दौरान चीनी के औसत प्रेषण पर विचार क्यों नहीं किया जाता ?

विधेयक का नाम अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक, 1979 है।

मेरा अगला प्रश्न यह है कि क्या 'विशेष महत्व' शब्द चीनी के उत्पाद के लिये प्रयोग किये जा सकते हैं ? क्या सरकार अभी भी यह समझती है कि चीनी को विशेष महत्व की वस्तु माना जाये ?

चीनी उद्योग इस समय एक गम्भीर संकट से गुजर रहा है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उत्पाद शुल्क की वसूली में से सरकार को आवश्यक राशि छूट के रूप में वापस चीनी उद्योग को दे देनी चाहिये। यह छूट इस शर्त पर दी जानी चाहिये कि इसका लाभ गन्ना उत्पादकों को भी मिलेगा। चीनी उद्योग एक संकट से गुजर रहा है और इसलिऐ सारा बोझ चीनी उद्योग पर डालने के बजाय सरकार और उपभोक्ताओं को भी इसमें हाथ बटाना चाहिए।

इस विधेयक विशेष के सम्बन्ध में मेरा तीसरा सवाल एक आशंका के बारे में है जिसे मंत्री महोदय को स्पष्ट करना चाहिये। खण्ड 1 और 2 में तालिका में सिक्कम राज्य का जिक्र किया गया है लेकिन खण्ड 3 में इसका कोई जिक्र नहीं है। इसका क्या कारण है ?

मैं संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक, 1979 के बारे में भी कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में कहा गया है कि एक विशेष योजना के अनुसार संघ उत्पाद-शुल्क की वार्षिक शुद्ध प्राप्तियों के 20 प्रतिशत के बराबर राशि को राज्यों में वितरित किया जायेगा परन्तु सातवें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि विद्युत-उत्पादन आदि के अतिरिक्त संघ उत्पाद-शुल्क की शुद्ध प्राप्ति का 40 प्रतिशत विशेष प्रतिशतता के हिसाब से वितरित किया जाना चाहिये। विधेयक के खण्ड 6 में कहा गया है कि मूल अधिनियम संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का 1 अप्रैल, 1979 को, जब यह विधेयक लागू होगा, निरसत हो जायेगा। मैंने 1962 के अधिनियम को पढ़ा है और उसके कुछ आंकड़े मंत्री महोदय को दिये हैं। यद्यपि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रतिशतता को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है, लेकिन आप तीन राज्यों के तीन आंकड़ों की तुलना कीजिये। 1962 के अधिनियम के अनुसार बिहार राज्य का हिस्सा 11.47 प्रतिशत था और अब वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह 13.025 प्रतिशत होगा। दूसरे 1962 के अधिनियम के अनुसार महाराष्ट्र का हिस्सा 8.58 प्रतिशत था और इस विधेयक के अनुसार यह 6.633 प्रतिशत होगा। तीसरे अधिनियम के अनुसार उत्तर प्रदेश का हिस्सा 17.03 प्रतिशत था और इस विधेयक के अनुसार यह 18.293 प्रतिशत होगा। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि यद्यपि शुद्ध प्राप्ति का हिस्सा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है तथापि, बिहार और उत्तर प्रदेश को तो अधिक मिल रहा है और महाराष्ट्र के हिस्से में कमी कर दी गई है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयकों का समर्थन करता हूँ।

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरुपत्तूर) : सभापति महोदय, मैं अपने दल की ओर से वित्त राज्य मंत्री, श्री सतीश अग्रवाल द्वारा पेश किये गये इन विधेयकों का समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे तमिलनाडु के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें कहनी हैं।

विधेयक पुरःस्थापित करते समय, माननीय मंत्री ने सातवें वित्त आयोग का उल्लेख किया और कहा कि वह वित्त आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन में सिफारिश किये गये सिद्धांतों के अनुसार विधेयक पुरःस्थापित कर रहे हैं। सातवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन मद्यनिषेध लागू करने के कारण वित्त आबंटन के बारे में तमिलनाडु और गुजरात के पक्ष में नहीं है। श्री सोमनाथ चटर्जी मद्यनिषेध के बारे में कह रहे थे। सातवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अनुसार भारत सरकार मद्यनिषेध लागू करने वाले राज्यों को इस कारण होने वाले राजस्व के घाटे का 50 प्रतिशत देगी। लेकिन तमिलनाडु और गुजरात को, जहां मद्यनिषेध लागू हो गया है, उनके घाटे का 30 से 40 प्रतिशत भी नहीं दिया जा रहा है। इस बात पर तमिलनाडु और गुजरात के मुख्य मंत्रियों ने राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में चर्चा की थी।

इस विधेयक के माध्यम से जो 40 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क राज्यों को दिया जा रहा है वह पर्याप्त नहीं है खासतौर पर तमिलनाडु जैसे राज्यों के लिये तो यह बिल्कुल अपर्याप्त है जहां तटीय क्षेत्रों में दो बार समुद्री तूफान और बाढ़ें आईं। वहां जन-धन की भारी क्षति हुई है। आन्ध्र प्रदेश में भी हजारों लोग मरे हैं। हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं क्योंकि राज्यों को कुछ धन दिया जायेगा। लेकिन इन मुसीबतों का सामना करने वाले राज्यों को आपको अधिक धन देना चाहिये। 40 प्रतिशत उत्पाद-शुल्क से इन राज्यों की आर्थिक समस्यायें हल नहीं होंगी। राज्यों की समस्यायें बढ़ रही हैं। कृषि के क्षेत्र में राज्यों को विद्युत उत्पादन और विद्युत की कमी की समस्या का सामना करना पड़ता है। जल बिजली के उत्पादन के लिये राज्यों को कोयले की कमी का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक क्षेत्र में राज्यों को भारी समस्याओं और धन की कमी का सामना करना पड़ता है।

यह निस्संदेह एक पहला विधेयक है जिसमें केन्द्र की आय में राज्यों को हिस्सा मिल रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया इन तीन विधेयकों से ही समाप्त नहीं हो जानी चाहिये। सरकार को विद्युत के बारे में एक और विधेयक पुरःस्थापित करना चाहिये। संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक, 1979 में कहा गया है :

> "इस अधिनियम में, "वितरणीय संघ उत्पाद-शुल्क" पद से केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन, विद्युत से भिन्न उद्गृहीत और संगृहीत संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगम का चालीस प्रतिशत अभिप्रेत है।"

इसलिये माननीय मंत्री को 'विद्युत प्रजन्न' के कारण शुल्क के बटवारे के बारे में भी तुरन्त या अगले सत्र में एक विधेयक लाना चाहिये।

मेरे माननीय मित्र ने विभिन्न राज्यों की प्रतिशतता उद्धृत की है। कुछ राज्यों को उनकी आबादी के कारण ज्यादा मिल रहा है और कुछ को कम। सरकार परिवार नियोजन का प्रचार कर रही है। तमिलनाडु में भी हमने परिवार नियोजन शुरू किया और इस प्रकार हमें

लोक सभा में दो सीटें कम मिलीं। यदि आप आबादी को देखते हैं तो फिर इसका मतलब यह है कि आप राज्यों से परिवार नियोजन लागू नहीं करने के लिये कह रहे हैं। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों को अधिक हिस्सा मिलेगा क्योंकि उन्होंने अपनी आबादी में होने वाली बढ़ोतरी की कभी भी परवाह नहीं की और तमिलनाडु को, जहां जन्म-दर 15 से 20 प्रतिशत कम हो गई है, कभी भी अधिक भाग नहीं मिलेगा।

मेरे विचार में यदि वित्त मंत्री ऐसे विधेयक पेश करेंगे तो राज्य सरकारें परिवार नियोजन कार्यक्रम की कभी भी परवाह नहीं करेंगी। वे देश के आर्थिक विकास की भी परवाह नहीं करेंगी। इन विधेयकों के अन्तर्गत शुल्क के रूप में वितरित किये जाने वाले राजस्व का बड़ा भाग अधिक आबादी वाले राज्य ही ले जायेंगे। कृषि मंत्री ने धान के वसूली मूल्य के बारे में कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। गेहूं का वसूली मूल्य 115 या 118 रुपये प्रति क्विंटल है जबकि धान का मूल्य इतना नहीं है। वित्त मंत्री और कृषि मंत्री को धान की वसूली के लिये तमिलनाडु को आवश्यक सहायता देनी चाहिये। आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु को धान की वसूली के बारे में कठिनाई हो रही है। तमिलनाडु में गन्ना उत्पादकों को गन्ने का मूल्य 110 या 115 रुपये प्रति टन मिल रहा है जबकि उतर प्रदेश और महाराष्ट्र में 135 से 140 प्रति टन मिल रहा है। राज्य सरकार गन्ना उत्पादकों को सहायता देती है जो बहुत कम है। वे उससे अपनी अगली फसल नहीं उगा सकते। तमिलनाडु को और अधिक धन दिया जाना चाहिये।

इन विधेयकों से पता चलता है कि इनका उद्देश्य राज्यों को दिये जाने वाले धन के आबंटन में वृद्धि करने का है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक कुछ महीनों बाद होने वाली है। मंत्री महोदय को इन राज्यों को अधिक धन देना चाहिये ताकि ये अपनी सरकारें चला सकें और अपने वर्तमान आर्थिक संकट से छुटकारा पा सकें।

मैं इन विधेयकों का स्वागत करता हूं और वित्त राज्य-मंत्री को इनके लिये बधाई देता हूं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अगली बैठक में उन्हें विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ परामर्श करके इन राज्यों को समुचित धनराशियां देनी चाहियें। वित्त आयोग का प्रतिवेदन उनके पास है। तमिलनाडु ने मद्यनिषेध लागू कर दिया है इसलिय उसे दी जाने वाली सहायता को 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर देना चाहिये। प्रधान मंत्री ने कहा है कि जिन राज्यों ने कभी भी मद्यनिषेध लागू नहीं किया उन्हें तमिलनाडु और गुजरात की अपेक्षा अधिक धन मिलेगा। उन्हें अपनी आर्थिक हानि की पूर्ति करने के लिये 40 प्रतिशत सहायता मिलेगी। मेरा सुझाव है कि जिन राज्यों ने मद्यनिषेध लागू किया है उन्हें 50 प्रतिशत सहायता मिलनी चाहिये। मेरे विचार में वित्त मंत्री मेरे संशोधन को स्वीकार करेंगे और तमिलनाडु और गुजरात राज्यों को अधिक सहायता देंगे ताकि ये राज्य मद्यनिषेध के कारण होने वाले घाटे को पूरा कर सकें।

धन्यवाद।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, यह अभी जो विधेयक है उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो केन्द्रीय सरकार के द्वारा

आय का वितरण किया जाता है इस वितरण का आधार अब तक यही रहा है कि केन्द्रीय सरकार पैसे की मालिक है और राज्यों को बांटती है, चाहे फाइनेंस कमीशन हो या प्लानिंग कमीशन हो, जो भी आधार तय करे। जो आधार तय किया जाता है उसके अनुमार दो इकायां होती हैं केन्द्र और राज्य, तो 40 प्रतिशत राज्यों को और 60 प्रतिशत केन्द्र के हाथ में जायगा। तो राज्य जिसके हाथ में सारी व्यवस्था है उसको 40 प्रतिशत पर निर्भर रहना पड़ता है और केन्द्र के हाथ में 60 प्रतिशत रहा। और इसकी जब तुलना करते हैं तो राज्यों में जहां ज्यादा काम होना है उनको 40 प्रतिशत ही मिलता है। और केन्द्र के काम को जब देखते हैं, हम लोग जब अपने गांवों में बिहार आदि प्रांतों में जाते हैं तो पाते हैं कि गांवों में लोगों के पीने का पानी का इंतजाम नहीं है और केन्द्र शासित दिल्ली में चौराहे-चौराहे पर पानी का फव्वारा लगा हुआ है, जिसका पानी बहकर जमना में बेकार चला जाता है। जहां पानी बिल्कुल अय्याशी पर खर्च किया जाये, वहां तो ज्यादा पैसा खर्च होगा और जहां इन्सान को पीने के लिये पानी नहीं मिल रहा है, वहां कम पैसा दिया जाता है। इसलिए राज्य सरकारों को ज्यादा पैसा मिलना चाहिए जिससे वह खेती और सिंचाई का प्रबन्ध कर सकें और दूसरे काम कर सकें।

जो पैसे का बंटवारा हो वह सही मायने में सत्ता के विकेन्द्रीकरण के हिसाब से हो। संविधान में जो स्टेट लिस्ट है, कौन्करैंट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है, उसको तोड़कर संविधान में 4 लिस्ट बनाई जायें, संघ सूची, राज्य सूची, जिला सूची और गांव सूची। गांव सरकार के हाथ में कुछ अधिकार दे दिये जायें कि वह कार्य गांव सरकार ही व्यवस्था करेगी, जिला सरकार को यह अधिकार दे दिया जाये कि इतने मुद्दे तक जिला सरकार ही टैक्स वसूल करेगी और खर्च करेगी। इसी तरह राज्य सरकार के बारे में किया जाना चाहिए। इनकी आय के साधन का बंटवारा संविधान में कर दिया जाना चाहिए कि किन-किन मुद्दों पर गांव सरकार, जिला सरकार, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार के अधिकार रहेंगे। जब आप इसे संविधान में कर देंगे तो आय स्वतः ही सब जगह जायेगी। जब तक आय केन्द्रीय सरकार के हाथ में है और यहां से फिर उसका बंटवारा हो यह वैसा ही है, जैसे सम्पूर्ण देश के हृदय जैसी केन्द्रीय सरकार है। हृदय से रक्त का संचालन होता है और सारे शरीर में रक्त जाता है, लेकिन अगर हृदय की गति कमजोर पड़ जाती है, अगर केन्द्र कमजोर हो जाये और केन्द्र में ऐसी स्थिति आ जाये तो उससे राज्यों की हालत कमजोर हो जायेगी और उससे हिन्दुस्तान की आजादी भी नहीं बच सकती है। इसलिये अगर देश को बचाना है, तो गांवों को मज़बूत करना होगा और हिन्दुस्तान के गांवों को कजबूत करने के लिये जो आय का सबसे ज्यादा स्रोत है वह गांव में जाना चाहिए।

यह कह दिया जाता है कि वित्त आयोग ने और योजना आयोग ने यह आधार बनाया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनसंख्या के साथ-साथ राज्य का पिछड़ापन और उसके साथ-साथ राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को भी देखना चाहिए। केन्द्रीय सरकार कहती है कि राज्य सरकार जितना देगी उतना ही हम भी देंगे। यह ऐसे ही हुआ कि 100 आदमियों को एक लाइन में खड़ा कर दिया उसमें एक भिखमंगा भी है और एक बिरला भी है और उनसे कहा जाये कि जितनी पूंजी लगाओगे, उसी के बराबर पूंजी उसको विकास के लिए देंगे। तो भिखमंगा तो चवन्नी या चार आना लेकर आयेगा तो चवन्नी ही मिल जायेगी और जो ज्यादा लायेगा उसको

ज्यादा मिल जायेगा। इस तरह से इस विषमता को तो आप स्वयं पैदा कर रहे हैं, जब कि आधार यह होना चाहिये कि शक्ति के मुताबिक अर्जन करो और आवश्यकता के मुताबिक लो। गांधी जी ने कहा था कि जिस राज्य को सबसे ज्यादा कमजोर समझो, जहां सबसे कम विकास हुआ हो, जहां की आर्थिक हालत खराब हो वहां के लोगों को ज्यादा धन मिलना चाहिये।

उत्तर प्रदेश और बिहार में चले जाइये, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की तुलना कीजिये तो देखिये उत्तर प्रदेश क्यों पीछे रहा। कारण यह भी है कि उत्तर प्रदेश अभागा जिन्दगीभर प्रधान मंत्री देता रहा और जिधर के प्रधान मंत्री नहीं थे उधर तो विकास होता रहा और जिधर के प्रधान मंत्री थे वह ऐसे ही पड़ा रहा। अगर दूसरे प्रदेश का प्रधान मंत्री हो जाये तो हम लोगों को भी पैसा मिल जाता और हम अपना खुद विकास कर सकते थे। आज उत्तर भारत का विकास नहीं हुआ है। आज उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाकों को देखें तो इसका कारण यह भी है कि जनसंख्या का आधार मान कर जो पैसा मिलना चाहिए वह उनको नहीं मिलता रहा है। यह उनके पिछड़ेपन और औसत आय को मानकर नहीं हुआ है। सबसे दुर्भाग्य यह है कि जो सम्पदा कर का बंटवारा करे, बिहार में इतनी हमारी खनिज सम्पदा है, लेकिन वहां के जो भूतपूर्व खान मंत्री श्री पूर्ण चन्द थे वह भारत सरकार से लगातार लड़ते रहे और उन्होंने कहा कि जितने हमारे मुख्यालय हैं, हमारी सरकार बराबर उद्योग धंधों पर जो कर लगाये हुये है, किसी का मुख्यालय कलकत्ता में है किसी का बम्बई, अहमदाबाद या दिल्ली में है। उत्पादन हो बिहार में और मुख्यालय बम्बई में। इस तरह से इन पिछड़े प्रदेशों उत्तर प्रदेश और बिहार का लाखों करोड़ों रुपया का टैक्स हर साल वहां से मारा जाता है। जितना हमारा टैक्स का रुपया आता है, अगर वह नहीं देना है तो मत दो लेकिन हमारे जितने हैडक्वार्टर हैं अगर वह बिहार में हों तो जो 2 हजार करोड़ के लगभग रुपया टैक्स का वहां का मारा जा रहा है वही टैक्स का रुपया वापिस उत्तर प्रदेश और बिहार को चला जायेगा। इससे हम विकास कर सकेंगे।

लेकिन यह बंटबारा अपने हाथ में समेटकर रखा गया है, इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। केन्द्रीय सरकार वसूल करने के लिए अपने कर्मचारियों को रखती है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी जब राज्य में रहते हैं तो इन केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कारण राज्य सरकार का प्रशासन भी थोड़ा बिगड़ता है। केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों को अधिक वेतन और भत्ते देती है। अगर केन्द्र सरकार का कर्मचारी सिटी एलाउंस पाता है, तो राज्य सरकार का कर्मचारी क्यों न पाये ? अगर केन्द्र सरकार का कर्मचारी पटना में है, तो क्या पटना सिटी हो गया, लेकिन अगर राज्य सरकार का कर्मचारी पटना में है, तो क्या उसके लिये पटना गांव हो जाएगा ?—उसके लिए भी पटना सिटी हैं और उसका भी वही खर्चा है। केन्द्र सरकार के कर्मचारी राज्यों में टैक्स की वसूली करते हैं और उन पर केन्द्र सरकार का नियंणत्र है। जो कर्मचारी यहां से एक, दो या तीन हजार मील की दूरी पर टैक्स और कस्टम की वसूली का काम कर रहे हैं, उन पर राज्य सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। कुछ मुद्दे निश्चित कर दिये जायें, जिन पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण रहे और वह सारा पैसा राज्य सरकार अपने माध्यम से खर्च करे। यह व्यवस्था करने पर राज्यों का विकास ज्यादा हो सकता है।

राज्यों में धनराशि का सही मायनों में बटवारा करने के लिए सरकार की कुछ दिशा और कुछ दृष्टिकोण बनना चाहिए। एक दृष्टिकोण माननीय सदस्य, डा० रामजी सिंह, ने रखा है और दूसरा सी० पी० आई० (एम०) के माननीय सदस्य ने रखा है। एक ओर राज्यों की पूर्ण स्वायत्तता का दृष्टिकोण है और दूसरी तरफ यह दृष्टिकोण है कि उन्हें स्वायत्तता नहीं देनी चाहिए। हमें कोई बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग, अपनाना पड़ेगा। जब हमारे यहाँ संघीय शासन प्रणाली है, तो राज्यों को इतने साधन अवश्य दिये जाने चाहिए कि वे अपना विकास कर सकें।

मान लीजिए कि रेलवे कर्मचारी हड़ताल कर देते हैं और उसके कारण राज्य सरकारों को शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने के लिए अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा। तो क्या केन्द्र राज्यों को वह पैसा देगा ? मैं तो यहां तक कहूंगा कि केन्द्र के जिम्मे केवल प्रतिरक्षा, रेलवे और डाक, ये तीन विषय होने चाहिए और बाकी सभी विषयों के सम्बन्ध में राज्यों को पूर्ण अधिकार देना चाहिए और राज्यों को मजबूत करना चाहिए। संविधान में संशोधन कर के इन विषयों की सूची तैयार करनी चाहिये।

जहां तक बिहार का सम्बन्ध है, बिहार में इतने मिनरल्ज़ पैदा होते हैं, मगर सारे टैक्स केन्द्र सरकार ले जाती है, और हम गरीब के गरीब बने हुए हैं। जैसा कि माननीय सदस्य, डा० रामजी सिंह, ने कहा है, केवल राज्य और राज्य में क्षेत्रीय विषमता नहीं है, बल्कि राज्य के अन्दर भी क्षेत्रीय विषमता है। आज बिहार में छोटा नागपुर और सन्थाल परगना के आदिवासी तीर कमान ले कर मांग कर रहे हैं कि उनका एक अलग राज्य बना दिया जाये। मैं यह नहीं कहता कि उन की मांग गलत है, क्योंकि भारत माता की इस विद्रोही संतान का हमेशा से शोषण होता रहा है, उस पर जुल्म होता रहा है। उनके क्षेत्र में लोहा, तांबा, अभ्रक और जस्ता आदि बहुत बड़ी मात्रा में पाये जाते हैं, वहां पर जमशेदपुर और बोकारो के स्टील सिटीज हैं जहां बड़े-बड़े कारखाने लगे हुए हैं, लेकिन आदिवासी के तन पर कपड़ा नहीं है, उनके पेट में अन्न नहीं है और झोंपड़ी में रहने वाली उनकी औरतें जाड़े के महीने में भी रात के वक्त नन्गी सोती हैं।

अगर हिन्दुस्तान में क्षेत्रीय विषमता रहेगी, तो उसके खिलाफ विद्रोह होगा, और उसका कारण केन्द्रीय सरकार बन सकती है। इसलिए अगर भारत सरकार देश के विभिन्न भागों में विद्रोह को टालना चाहती है, तो क्षेत्रीय विषमता को दूर करना होगा। और क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए जो क्षेत्र सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं, जहां के लोग आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक दृष्टि से पिछड़े और दबे हुए हैं, उनको ऊपर उठाने के लिए विशेष प्रबन्ध करना पड़ेगा। और उसके लिए सरकार को हिम्मत के साथ संविधान में संशोधन करके चौखंभा राज स्थापित करना होगा। गांधी जी ने आर्थिक और राजनैतिक सत्ता के विकेन्द्रीकरण की बात कही थी। डा० लोहिया ने चौखंभा राज का विचार रखा था—गांव सरकार, जिला सरकार, प्रांत सरकार और केन्द्र सरकार। कुछ मामलों में इन चारों सरकारों की पूर्ण स्वायत्तता रहनी चाहिए। यह प्रान्तीय सरकार ही नहीं, गांव की जो पंचायत बने उस को भी संविधान के अन्दर कुछ अधिकार दे दिया जाये कि इन मामलों में पंचायतें स्वतन्त्र होंगी, कुछ मामलों में जिला सरकार स्वतन्त्र होगी, कुछ मामलों में प्रान्तीय सरकार बिल्कुल स्वतन्त्र होगी और कुछ मामले केन्द्र के हाथ में

रहेंगे। केन्द्र को मजबूत रखें लेकिन केन्द्र मज़बूत तब होगा जब सारा देश मजबूत होगा। सारा देश कमजोर रहेगा तो केवल केन्द्र को मजबूत रखने से काम नहीं चलेगा। बहुत लोग दिल्ली से मुहब्बत करते रहे हैं। लेकिन दिल्ली ऐसी रानी है जिस रानी को सजाने का काम अब तक बहुतों ने किया पर ईस रानी ने किसी से मुहब्बत नहीं की है। इतिहास इस बात का साक्षी है। चाहे वह पिछले जमाने में कोई राजा आये हों, चाहे कांग्रेसी सरकार रही हो या कोई जनता सरकार रहे, दिल्ली की रानी से सब ने मुहब्बत की, इस दिल्ली को सजाने पर सब ने पैसा खर्च किया लेकिन इस दिल्ली ने किसी राजा से मुहब्बत नहीं की। दुनियां की कोई ऐसी राजधानी नहीं होगी जिस ने अपने प्रेमी को इस तरह से लात से ठुकराया होगा जिस तरह से दिल्ली ने ठुकराया है। इसलिए मैं अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि इस को भी वह जरा देखें। आप राज्यों को केवल 40 प्रतिशत देंगे लेकिन जब कभी हमारे गांवों के लोग आते हैं, वे दिल्ली की बनावट और सजावट को देखते हैं तो क्या सोचते हैं? चण्डीगढ़ जो केन्द्र शासित शहर बनाए हुए हैं उस को ले लीजिए और दिल्ली को ले लीजिए, दोनों के ऊपर जो बैंक से पैसे आते हैं, बैंक से जमा पूंजी और खर्चे की पूंजी इन को मिला कर देख लें तो साफ नतीजा निकलेगा कि सरकार स्वंय क्षेत्रीय विषमया खड़ी कर रही है और इस क्षेत्रीय विषमता के गर्भ से ही देश के अन्दर कहीं-कहीं विस्फोट हो रहा है, चाहे वह मिजोरम का विस्फोट हो, जाहे वह नागालैंड का विस्फोट हो, चाहे वह संथाल परगना और छोटा नागपुर का विस्फोट हो, इसकी जो अग्नि निकल रही है यह क्षेत्रीय विषमता और पैसे के कारण है। तो केन्द्रीय सरकार को इस पर मज़बूती से सोचना चाहिए। राज्यों को जो अधिक स्वायत्तता और अधिक अधिकार मिलने की बात की जाती है वह भी मिलना चाहिए। वित्त आयोग में बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री कर्पूरी ठाकुर ने सारे तथ्य उस आयोग के सामने रखे थे और बताया था कि राज्यों को जो पैसा दिया जाता है, या धन का बंटवारा होता है, राष्ट्रीत संसाधनों के बंटवारे का आधार क्या होना चाहिए? जब तक आप आधार नहीं तय करेंगे तब तक कभी कहेंगे कि पंजाब ले ले 8 परसेंट और बिहार ले ले 11 परसेंट, कभी कहेंगे कि बिहार ले ले 9 परसेंट और पंजाब ले ले 13 परसेंट, यह राज्यों के बीच में इस तरह से झगड़ा लगाने का काम होता है और केन्द्र की यह चालाकी रहती है कि राज्यों के बीच में कभी दो परसेंट यहां बढ़ा दें कभी एक परसेंट वहां बढ़ा दें और कभी दो परसेंट कहीं बढ़ा दें और इस बढ़ाने के साथ-साथ राज्यों की सहानुभूति, राजनैतिक सहानुभूति भी केन्द्र प्राप्त करने का काम करता रहा है अपने आर्थिक संसाधनों के बंटवारे के माध्यम से। इसलिए इसको संविधान में निश्चित कर दिया जाय। गांव सरकार, जिला सरकार, प्रांत सरकार और केन्द्र सरकार के लिए बिल्कुल तय कर दिया जाए संविधान में कि इस तरह से बंटवारा होगा। फिर न कहीं कोई क्षेत्रीत असंतुलन रहेगा न कहीं कोई झंझट खड़ा होगा। तो इन सारे मुद्दों को यह सामने रखें।

इस दिशा में थोड़ा-सा इन्होंने प्रयास किया है। आगे कुछ कदम बढ़ें हैं। जहां दूसरे लोग हिस्सा-मारी करते रहे हैं वहां यह थोड़ा आगे बढ़ कर कहते हैं अच्छा इतने दिन तक इतना खाते रहे, अब केन्द्र थोड़ा कम खाएगा, थोड़ा तुम ज्यादा ले लो। दाल भात पहले सूखे खाते थे, अब जनता सरकार में थोड़ी सब्जी और चटनी भी ले लो। लेकिन यह बंटवारा कभी नहीं किया है, केन्द्र में रसगुल्ला चलता रहेगा और हम को कहेंगे कि दाल भात और चटनी ही तुमको देते

रहेंगे तो वह थोड़ी देर के लिए स्वादिष्ट हमें भले ही लगे लेकिन दीर्घकालीन नीति के मुताबिक वह ज्यादा संतोष का कारण नहीं होगा। इसलिए दीर्घकालीन नीति ठीक हो, राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्रीय शक्ति मजबूत हो, इन सारी बातों पर हम और आप गंभीरता से विचार कर के तब इन संसाधनों का बटवारा करेंगे तब देश मजबूत होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री श्री कृष्ण सिंह (मुंगेर) : सभापति महोदय, पहले तो मैं इन तीनों विधेयकों का हृदय से समर्थन करता हूँ इसलिए कि पहली मर्तबा इनके द्वारा राज्यों को कुछ विशेष हिस्सा दिया गया है केन्द्र की संचित निधि से और ऐसा बिल यहां लाया गया है। यह मंत्री महोदय ने एक शुरूआत की है और हम आशा करते हैं इसी तरह से राज्यों को अपने पैर पर खड़ा करने की दिशा में धीरे-धीरे और बिल वह लाएंगे। इसी आशा के साथ हम इन का समर्थन करते हैं।

इस सिलसिले में अपना सुझाव देते हुए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि यह गलतफहमी हमेशा होती रही है कि हम चाहते हैं कि विकेन्द्रीकरण हो, विकेन्द्रीकरण का अर्थ हमेशा लगाया जाता है केन्द्र बनाम राज्य। अगर आप बड़े सीमित अर्थ में केन्द्र और राज्यों के सम्बन्ध में विकेन्द्रीकरण का मुद्दा रखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे कि केन्द्र कमजोर हो जायेगा तो देश खत्म हो जायेगा और कुछ लोग कहेंगे कि राज्यों को मजबूत किए बिना केन्द्र कैसे मजबूत होगा। तो यह बहस चलती ही रहेगी। इसलिए विकेन्द्रीकरण को आपके पूरे पर्सपेक्टिव में लेना होगा। आपको संविधान में पूरी तरह से यह बात रखनी होगी कि नीचे के स्तर पर तो यह पांच लाख गावों का देश है इसलिए उनको भी किसी माने में आटोनामी मिलनी चाहिए। यदि गांव पीने के पानी की समस्या हल नहीं कर सकते हैं, छोटी मोटी सड़कों के सवाल को हल नहीं कर सकते हैं या खेती से जुड़े हुए जो सम्बन्धित उद्योग हैं उनको भी स्थापित करने की आटोनामी न हो तो फिर ग्राम स्वराज क्या है और गांधी जी की कल्पना क्या है? आटोनामी केवल सेन्टर और स्टेट्स के बीच का ही सवाल नहीं है, ग्राम स्वराज की दिशा में भी बढ़ने के लिए संविधान में कुछ प्रावधान करने चाहिए जिनसे गांवों को भी आटोनामी मिले। जो गांव हैं वह भी अपने कुछ बुनियादि सवाल हल कर सकें। मेरे पूर्ववक्ता ने ठीक कहा है, इसी प्रकार से जिलों को भी अधिकार मिलने चाहिए। सेन्टर की स्थिति हृदय की तरह से है। इसलिए यह भी सही है कि हम अगर अपने हाथ पांव मजबूत कर लें और हृदय कमजोर रहे तो शरीर नहीं बचेगा। इसलिए जहां हम अपने हाथ, पांव और प्रत्येक अंग को मजबूत बनाना चाहते हैं, गांव, जिला, प्रान्त सभी को मजबूत करना चाहते हैं तो साथ ही केन्द्र जोकि हृदय है वह भी ठंडा न हो—इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उसको इतना गरम भी नहीं होना चाहिए। हृदय को इतना मजबूत होना चाहिए कि वह सभी तरह के घात प्रतिघात सह सके। केन्द्र की यही स्थिति है।

वित्त आयोग ने पैसा देकर जो शुरूआत की है वह एक अच्छा कदम है। पहली बार ऐसा हुआ है और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या देश की समस्याओं को हल करने के लिए यही आधार होने चाहिए—जनसंख्या का आधार, गरीबी का आधार, पिछड़ेपन का आधार? यह जो आधार है, क्राइटीरिया है वह बड़े सीमित हैं। मैं समझता हूँ कुछ समस्याओं को लेकर आधार बनाने चाहिए। जैसे इस देश में पेय जल, पीने के पानी की समस्या कहां पर है।

फिर चाहे वह हिमाचल प्रदेश हो, भूटान हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार और उत्तर प्रदेश का इलाका हो या तमिलनाडू का इलाका हो, वहां पर केन्द्र को फौरन पैसा पम्प करना चाहिए और ज्यादा समय में नहीं, दो तीन साल में ही इस समस्या का समाधान करना चाहिए। पेय जल के साथ ही जैसे निरक्षरता का सवाल है। इस देश के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहां पर बहुत लोग निरक्षर हैं। सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा का बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया है। तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर साक्षरता नाममात्र है। तो इसके लिए भी क्राइटीरिया होना चाहिए कि प्रौढ़ शिक्षा पर हम कहां पर कितना पैसा खर्च करेंगे। इस तरह से जहां तक पिछड़ेपन का सवाल है, हम पिछड़ा हुआ किसको मानेंगे ? क्षेत्रीय विषमता में पीने के पानी का सवाल है, शिक्षा का सवाल है, बेरोज़गारी का सवाल है। कुछ इलाकों में नये कलकारखाने बन गए है लेकिन हजारों एकड़ ज़मीन ले ली गई। वहां से पुराने आदिवासी हटकर झोपड़ियों में बस गए हैं। आपने उनकी जीविका ले ली, अभी तक उनको क्लास फोर का काम भी नहीं दिया गया है। वहां पर बड़े-बड़े कारखाने तो लगे लेकिन पुराने आदिवासी और पिछड़े लोग जो वहां पर पहले बसे हुए थे उनको अभी तक कम्पेन्सेशन तक नहीं मिला। बिहार में बोकारो, रांची, हटिया में आजतक कम्पेन्सेशन का रुपया नहीं मिला है हालांकि 15-20 साल बीत चुके हैं। तो यह सवाल उठेगा ही यह ठीक ही कहा गया है कि अगर कोई हड़ताल हो जाए या कोई विधि व्यवस्था का सवाल पैदा हो जाए, तो राज्य में कहां इतनी ताकत है कि वह उस को हल कर सके। इसलिए विधि व्यवस्था के मसले को हल करने के लिए केन्द्र का कुछ क्राइटीरियन होना चाहिए। पेय-जल का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, एपेडेमिक फैलने का सवाल, नेचुरल केलेमिटीज का सवाल, प्रौढ़ शिक्षा का सवाल, लोगों के पिछड़ेपन को दूर करके आगे बढ़ाने का सवाल, ये सब ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर एक क्राइटीरियन निश्चित करना चाहिए।

आप देखिये कि बोंडेड लेबर का सवाल है। यह देश के किस हिस्से में है, इस को आईडेंटीफाई करने की बात है। बहुत सारी स्टेट्स जो हैं, वे यह कहती हैं कि हमारे यहां बोंडेड लेबर का मसला नहीं है। इसको जानने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेटको कहा जाए कि किस जिले में बोंडेड लेबर हैं, वी०डी०ओ० से इसको मालूम करने के लिए कहा जाए। जब मालूम करते हैं तो पता चलता है कि बोंडेड लेबर चार फैमलीज में हैं वैसे कह यह दिया जाता है कि बोंडेड लेबर नहीं है। इसलिए एक-एक ब्लाक को, एक-एक जिले में इसका पता लगाया जाए। कहा तो यह जाता है कि 30 परसेंट बोंडेड लेबर हैं लेकिन देश में कितनी बोडेड लेबर है, यह अभी तक तय नहीं हो पाया और जब यह तय हो जाए, तो इसका क्राइटीरियन एक ही होना चाहिए फिर चाहे वह महाराष्ट्र में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो या गुजरात में हो या तमिलनाडू में हो। जहां भी बोंडेड लेबर है, उसको खत्म करने के लिए वार फूटिंग पर पैसा केन्द्र को पम्प करना चाहिए। 40 परसेन्ट देने से ही काम नहीं चलेगा। उसके लिए जितना पैसा चाहिए, वह पम्प करना चाहिए।

अब मैं एक बहुत बड़ी बात पर आता हूं। हमारे दिमाग में जो इस देश का नक्शा है, हम नहीं चाहते कि इस देश की आकृति बिगड़े और हमारी राष्ट्रीयता में कोई कमी आवे, लेकिन आज कुछ अनाड़ी लोगों के हाथों ऐसा हो रहा है। कोई कल-कारखाना खुल रहा है या पब्लिक अन्डरटेकिंग में जो मैनेजमेंट का काम है, उसमें या लेबर से डीलिंग के सवाल पर, जनता के साथ

डील करने के सवाल पर कुछ लोगों की मनोवृत्ति इतनी पिछड़ी हुई हैं, दकियानूसी है और इतनी रीएक्शनरी है कि वे उसको ठीक तरह से डील नहीं कर पाते हैं और इससे लोगों के मनों में एक फ़र्क पैदा होता है, एक गैप, एक खाई पैदा होती है और लोगों के मन में प्रान्तीयता, रीजनलइज्म की भावना पैदा होती है। हम यह देखते हैं कि मामूली-मामूली जगहों पर जब नियुक्ति का सवाल आता है, कोई टाइपिस्ट की जगह खाली हुई या चपरासी की जगह खाली हुई, तो जो बड़े-बड़े अफसर या मैनेजिंग डाइरेक्टर उन पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में जाते हैं, ओयल कार्पोरेशन या ऐसी दूसरी जगहों पर जाते हैं, तो अपने साथ स्वीपर को ले जाते हैं, टाइपिस्ट को ले जाते हैं। इससे वहां के लोगों में, वहां के लोकल लोगों के मनों में यह भावना पैदा होती है कि हम लोग पिछड़ गये हैं। तो ऐसी भावना, जो देश की राष्ट्रीयता के विघटन की भावना को बढ़ावा दे, राष्ट्र में विघटन की प्रक्रिया को शुरू करवा दे, उस को रोकने की आवश्यकता है और पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में काम करने वालों में जो ऐसी मनोवृत्ति है, उस को खत्म करना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि हमारे देश में लोगों की सही ट्रेनिंग हो।

मुख्यालय की जो बात श्री हुकमदेव नारायण जी ने कही है, वह ठीक है। आप मुख्यालयों को क्यों एक जगह सीमित कर रहे हैं, बड़े-बड़े शहरों में और दिल्ली में आप इनको सीमित कर रहे हैं। आप दिल्ली से इनको क्यों नहीं ले जाते जिस से विकास में कोई बाधा न आए। आप फौरेस्ट के हेडक्वार्टर की ही बात लें। बिहार को ही ले लीजिए। फौरेस्ट्स का हेडक्वार्टर कहां है ? यह पटना या रांची में नहीं होना चाहिए। जहां सघन जंगल हैं, वहां उसको रखना चाहिए मगर वे उस को वहाँ नहीं रखेंगे क्योंकि एक बुर्जवा दृष्टिकोण है जो अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। फौरेस्ट प्रोडक्ट्स का हेडक्वार्टर कहां होगा ? पटना, रांची या दिल्ली में। आप नहीं चाहते कि घने जंगलों में उस को ले जाएं। इसी तरह से खनिज का हैडक्वार्टर कहां होना चाहिए। यह भी बड़े-बड़े शहरों में ही है। इस दृष्टिकोण को आप को बदलना होगा। जनता को यह कह कर कि वहां आवागमन के साधन नहीं हैं, डाक-तार की सुविधा नहीं है, टेलीफोन नहीं है, वहां के अफसरों के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे कालेज नहीं हैं, स्कूल नहीं हैं, ऐसी बात कह कर सरकारी मुख्यालय बड़े-बड़े शहरों में ही रखेंगे, हिन्दुस्तान की राजधानी में रखेंगे और अगर वहां से ले भी जाए, तो राज्यों की राजधानी में रखेंगे, यह दृष्टिकोण, यह मनोवृत्ति गलत है। जनता के साथ तादात्म्य स्थापित करने के लिए, उसके साथ अपनापन जाहिर करने के लिए, जो समस्यायें हैं उनका कल निकालने के लिए यह जरूरी है कि पब्लिक सैक्टर के जो अंडरटेकिंग्स हैं उनके जो हैड आफिसिस हैं वे उन्हीं स्थानों पर होने चाहियें जहां उनका कार्यक्षेत्र है न कि भारत की राजधानी या राज्य की राजधानी या अन्य बड़े-बड़े शहरों में। यह मांग जो बहुत दिनों से रखी जा रही है बहुत वाजिब मांग है और इस समस्या को काफी दिनों तक उलझा करके रखा गया है। अब इसका कोई न कोई हल निकालना अनिवार्य हो गया है।

एक अंतिम बात कह कर मैं समाप्त करता हूँ। आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कुछ समस्याओं से युद्ध स्तर पर लड़ने के लिए, उनका निराकरण करने के लिए और आपने कहा है कि आप ज्यादा फंड्स देंगे ताकि राज्य मजबूत हों और वे समस्याओं को हल कर सकें। लेकिन राज्य का मतलब गांव होना चाहिए, आटोनोमी राज्य तक सीमित न रहे बल्कि नीचे भी

जानी चाहिये और गांधी का जो सपना था वह साकार होना चाहिये। चौखम्भा राज्य बनना चाहिये। डिसेंट्रलाइजेशन की पूरी जो प्रक्रिया है उसकी तरफ हम को ध्यान देना चाहिये। इससे लाभ ही होगा। इससे देश भी मजबूत होगा और नीचे के गांव भी मजबूत होंगे।

आपने जो मुझे समय दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री के० टी० कोसलराम (तिरुचेंडूर) : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री के विचारार्थ कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बार सातवें वित्त आयोग ने राज्यों के पक्ष में सिफारिशें की हैं। भारत सरकार राज्यों को ही दी जाने वाली धन-राशियों को देखकर हैरान है। फिर भी राज्यों को निगम कर में से कोई भाग नहीं मिल रहा है। तमिलनाडु को दिया जाने वाला प्रति व्यक्ति बैंक ऋण 203 रुपये है और महाराष्ट्र और पंजाब का क्रमशः 308 रुपये और 346 रुपये है। यह उपलब्ध वित्तीय ससांधनों का संतुलित उपयोग नहीं है।

केन्द्रीय अनुदान मार्च के पहले सप्ताह में दिये जाते हैं जिन्हें राज्यों को 31 मार्च तक खर्च करना होता है। राज्य योजना धन को भी योजना स्कीमों पर खर्च नहीं कर पाती। फिर राज्यों के भाग को उन्हें दिये जाने वाले ऋण के ब्याज में लगा दिया जाता है। भारत सरकार हर साल यही करती है।

जब राज्यों को उत्पाद-शुल्क के राजस्व में से हिस्से देने होते हैं तो केन्द्र को इस मामले में राजनीतिक दबाव में नहीं आना चाहिये। मैंने अपने बजट भाषण में अनिर्मित तम्बाकू पर उत्पाद-शुल्क को वापस लेने की बात कही थी जिसकी वजह से 100 करोड़ रुपये की हानि हुई। तम्बाकू आन्ध्र प्रदेश में आय का एक मुख्य साधन है। अब उत्पाद-शुल्क में तमिलनाडु का भाग कम होगा। इसी प्रकार राजनीतिक कारणों से दियासलाई उद्योग के मशीनी क्षेत्र पर उत्पाद-शुल्क को इतना बढ़ा दिया गया है कि दियासलाई के लिये उन्हें बाजार नहीं मिल रहा है। हाथ से बनाई जाने वाली दियासलाई के मूल्य भी बढ़ गये हैं यद्यपि उस पर लगने वाला उत्पाद-शुल्क नहीं बढ़ाया गया है। इस लाभ का एक भाग केन्द्र में सत्तारूढ़ दल को भी मिल रहा है।

7-5-79 को स्टेट्समैन में एक खबर छपी थी कि तमिलनाडु जनता यूनिट के प्रेसीडेन्ट ने जनता पार्टी के प्रेसीडेन्ट, श्री चन्द्र शेखर को एक पत्र लिखा था—मेरे विचार में माननीय मंत्री और श्री सतीश अग्रवाल तथा प्रधान मंत्री, श्री मोरारजी देसाई ने वह खबर पढ़ी होगी। लोग किस प्रकार कुटीर उद्योग चला रहे है, यह बात उन्हें स्पष्ट कर दी गई है। 4 मई, 1979 को एक बैठक में जब श्री पी० राममूर्ति, जो राज्य सभा के सदस्य हैं, ने कुछ गुप्त सौदों, का मामला उठाया था, श्री अग्रवाल ने उसी समय इस आरोप का खण्डन कर दिया था। लेकिन 7 मई, 1979 के स्टेट्समैन में यह कहा गया है :

"तमिलनाडु जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री एस०वी० लक्ष्मणन् ने केन्द्रीय जनता नेताओं तथा श्री देसाई को यह शिकायत की है कि श्री चरण सिंह तथा किसान सम्मेलन के सम्बन्ध में श्री चरण सिंह के तमिलनाडु के दौरे के नाम पर बहुत धन इकट्ठा किया जा रहा है। जब श्री चरण सिंह के नाम पर हमसे पैसा मांगा जाता है तो हमें बहुत आश्चर्य होता है। ऐसी परिस्थितियों में यदि चरण सिंह किसान

सम्मेलन के सम्बन्ध में तमिलनाडू का दौरा करें तो इससे हमारी पार्टी की स्थिति अजीबोगरीब हो जाती है। यह बात उन्होंने जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्र शेखर को पत्र लिखकर सूचित की है।

श्री लक्ष्मणन् ने यह भी शिकायत की है कि तमिलनाडु जनता पार्टी के अध्यक्ष डा०एम० सन्तोषम ने "समानान्तर समितियां स्थापित कर दी हैं हालांकि इस शाखा का अपना किसान विंग है। किसान सम्मेलन का वास्तविक उद्देश्य राजनीतिक दिखाई देता है। यह बात शिवकाशी के श्री अरूणाचलम नाडार को लिखे गये श्री सन्तोषम द्वारा लिखे गये पत्र से स्पष्ट होती है जिसमें कहा गया है: "मैं यह महसूस करता हूं कि भविष्य में यह संगठन (किसान सम्मेलन) पूरे देश में एक बहुत बड़ी राजनीतिक शक्ति बन कर उभरेगा। अतः अखिल भारतीय राजनीति में मेरे लिये उपर उठने का यह एक सुनहरी अवसर है" और इस पत्र में श्री नाडार से यह अनुरोध किया गया था कि वह श्री चरण सिंह के दौरे को सफल बनायें। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं श्री अरूणाचलम नाडार माचिस उद्योग में एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं।

स्टेट्समैन में आगे यह कहा गया है :

"श्री लक्ष्मणन् ने अपने पत्र की प्रतियां श्री देसाई, श्री चरण सिंह, श्री जगजीवन राम, श्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री जार्ज फर्नान्डीज, श्री पी० रामचन्द्रन, श्री राम कृष्ण हेगडे और श्री नानाजी देशमुख को भेजी हैं।"

श्री सतीश अग्रवाल : जो कुछ आप कह रहे हैं उससे मेरा क्या सम्बन्ध है। प्रतिवेदन मुझसे सम्बन्धित नहीं है।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं मानता हूं आप इससे सम्बन्धित नहीं हैं। किसान सम्मेलन के लिये श्री चरण सिंह के नाम पर शिवकाशी में काफी धन इकट्ठा किया गया है। आपका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है। लेकिन आपके वरिष्ट सहयोगी केन्द्रीय मंत्री इस मामले में अन्तंग्रस्त हैं। श्री पी० राममूर्ति ने आपकी उपस्थिति में यह आरोप लगाया था कि गुप्त सौदे चल रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उप्पादन-शुल्क को राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिये। इसे राजनीतिक वस्तु न बनाया जाये .... **(व्यवधान)**।

आप कहते हैं इन्दिरा गांधी ने ऐसा किया था मैं कहता हूँ श्री चरण सिंह ने भी ऐसा किया है।

श्री पदमाचरण सामन्तसिंहेरा (पुरी) : सभापति महोदय, बात यह है कि जो भी बिल सदन में आता है वह किसी बेसिस पर होता है। इस बिल के औबजेक्ट्स और रीज़न्स में कहा गया है कि सातवें फ़ाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है कि टैक्सों का बटवारा होगा उसके आधार पर यह बिल है। सातवें फ़ाइनस कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है कि उड़ीसा में सरप्लस फंड बिल्कुल नहीं है। उड़ीसा ही नहीं, 6 स्टेट्स में सरप्लस फंड्स अवेलेबिल भी नहीं हैं। यह सातवें फ़ाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। तो जो यह बेसिस है प्लानिंग कमीशन, जो प्लान में रुपये का प्रावीजन करती है, यह उसका बेसिस नहीं है। सातवें फाइनेन्स कमीशन ने रिपोर्ट दी उसका भी बेसिस करना चाहिये।

उड़ीसा के बारे में जो बंटवारा होना चाहिये वह उसके इकनामिक बैकवर्डनैस और सोशल बैकवर्डनैस से होना चाहिये। उनकी जो पौपूलेशन है, उसके बेसिस पर होगा, और जो सोशल बैकवर्डनैस है, उसके बेसिस पर होगा। उड़ीसा का जो पौपूलेशन है, उसमें 38 परसेंट आदिवासी, हरिजन हैं और शड्यूल्ड कास्ट्स एंड शड्यूल्ड ट्राइब्ज़ इन इन्डिया बेसिस 22 परसेंट है। आर्थिक दृष्टि से देखिये उनका 1971 की सैंसेस में 67 परसेंट अंडर पावर्टी लाइन है और 1977-78 में उनका 85 परसेंट अंडर पावर्टी लाइन है। इस बारे में उड़ीसा के राज्यपाल और एग्रीकलचर के चांसलर ने बयान दिया था कि उड़ीसा अंडर पावर्टी लाइन है। उड़ीसा का प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का जो 10 साल पहले था वही आज भी है।

आजादी के बाद सब स्टेट्स का इकानोमिक डेवेलपमेंट हो रहा है, लेकिन उड़ीसा का प्रोवीजन हुआ था 1100 करोड़ रुपये। यह किस बेसिस पर हुआ ? वहां की पौपूलेशन 2 करोड़ 50 लाख है।

सिक्सथ फाइव ईअर प्लान में 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपया खर्च करने का इरादा है, इसके मुताबिक उड़ीसा को 1100 करोड़ रुपया मिल रहा है, लेकिन उसने डिमांड किया है 2,000 करोड़ रुपया। पौपूलेशन के मुताबिक उनका 5 हजार करोड़ रुपया होना चाहिये। इन्डिया का 60 करोड़ पौपूलेशन है और उड़ीसा का पौपूलेशन ठाई करोड़ है।

फोर्थ फाइव ईअर प्लान में आल इन्डिया बेसिस पर हैड डेवेलपमेंट के बारे में 28 रुपये 40 पैसे था लेकिन उड़ीसा को मिलता था 22 रुपये 60 पैसे। फिफ्थ प्लान में पर हैड 65 रुपये 25 पैसे मिलता था, लेकिन उड़ीसा स्टेट को सिर्फ 51 रुपये 50 पैसे मिला था। 1978-79 में पर हैड 103 रुपये 8 पैसे मिलता था, लेकिन उड़ीसा को 87 रुपये 21 पैसे मिला।

सिक्सथ फाइव ईअर प्लान में जितना एमाउन्ट है, किसी स्टेट को मोर दैन 6 परसेंट आफ टोटल एमाउन्ट मिला है, लेकिन उड़ीसा को 1 परसेंट मिला है। उड़ीसा का 5 परसेंट पौपूलेशन है, टोटल पौपूलेशन से 5 परसेंट से ज्यादा है लेकिन रुपया मिलता है 1 परसेंट।

11 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा टोटल टैक्स होता है इंडिया में, लेकिन इसमें डायरेक्ट टैक्स 8 हजार करोड़ और उससे ज्यादा है। इन्डायरेक्ट टैक्स गरीबों से आता है, लेकिन रिच लोगों से सिर्फ 2 हजार करोड़ आता है। इस वास्ते रुपया गरीबों के डेवेलपमेंट के बारे में खर्च होना चाहिये रिचर स्टेट के लिये नहीं होना चाहिये। जब कि हरियाणा को मिल रहा है 1400 करोड़, पंजाब को 1500 करोड़ और यह रिचर स्टेट हैं, आबादी कम है, पिछड़े नहीं हैं, अगुआ हैं, एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट होता है और एग्रीकलचर में ये इंडिया में फर्स्ट आते हैं।

नेशनल वैल्थ एग्रीकलचर से 68 परसेंट आती है। जहां एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट होता है, वहीं पर रुपया जाता है। जहां एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट नहीं है, उनका डेवेलपमेंट करना केन्द्रीय सरकार का पहला फर्ज है। मेरा सुझाव यह है कि इरीगेशन, एग्रीकल्चर, एकनामिक डेवेलपमेंट, इंडस्ट्रीज आल इंडिया बेसिस पर जितने परसेंट होती है, हर स्टेट को, उनका इक्वलाइजेशन करने समान करने के लिये स्पेशल प्लान बनाना चाहिये जिससे कि हर स्टेट आल इन्डिया लेवल पर आ जायेंगे। उनका जो स्पेशल प्लान होगा उसको स्पेशल रुपया प्रोवीजन करना

चाहिये । इस समय वह शेयर के मुताबिक नहीं है । जिस स्टेट में इरीगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, वहीं पर टोबैको अच्छी होती है, वहीं पर 500 करोड़ रुपये का शेयर उनको ज्यादा मिल जायेगा । यह होना नहीं चाहिये क्योंकि नेशनल वैल्थ जो है वह सब स्टेट को उसका प्राफिट मिलना चाहिये । जिस स्टेट में कोई प्रोडक्शन होता है, उसके टैक्स को वही स्टेट कलेक्ट करे और अपने पास रख ले । उस टैक्स को केन्द्र द्वारा क्लेक्ट करने और फिर स्टेट्स में बांटने की क्या जरूरत है ? वित्तीय क्षेत्र में विकेन्द्रीकरण होना चाहिए । स्टेट्स में अलग-अलग बेसिस पर बंटवारा नहीं किया जाना चाहिये ।

कहा जाता है कि केन्द्रीय सरकार आल-इंडिया लेवल पर सब टैक्स कलेक्ट करेगी और फिर उनका बंटवारा करेगी । यह बंटवारा देश के डेवेलपमेंट के लिए किया जाता है और डेवेलपमेंट सब से पहले पिछड़े लोगों का होना चाहिए ।

सारे देश में 45 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं, जिनमें 5 परसेंट से कम इरीगेशन होता है । उड़ीसा के 13 ज़िलों में से 4 ज़िले ऐसे है, जहां 1 परसेंट या उससे भी कम इरीगेशन होता है । जिस तरह स्टेट और स्टेट के बीच क्षेत्रीय विषमता है, उसी तरह स्टेट के अन्दर भी ज़िले और ज़िले के बीच क्षेत्रीय विषमता है । इस क्षेत्रीय विषमता को दूर करना केन्द्रीय सरकार का पहला फ़र्ज़ है । केन्द्र को सब रुपया अपने हाथ में लेने के बाद उसे पापुलेशन और सोशल तथा इकानोमिक बैकवर्डनैस के अनुसार इम्पार्शली डिस्ट्रिब्यूट करना चाहिए । जो बंटवारा इस आधार पर नहीं किया जाता है, उसे उचित नहीं कहा जा सकता है ।

इन बिलों के द्वारा बंटवारा करते हुए सातवें फ़िनांस कमीशन की रिपोर्ट को दृष्टि में नहीं रखा गया है । उसने कहा है कि छः स्टेट्स में सेविंग्ज़ और सरप्लस फ़ंड बिल्कुल नहीं है, माइनस है, और उड़ीसा भी उन स्टेट्स में है । कई स्टेट्स के सेविंग्ज़ और सरप्लस फ़न्ड्स 3,000 करोड़ रुपये हैं, मगर प्लान में उन्हें ज्यादा रुपया दिया जाता है । इस का अर्थ तो यह हुआ कि जिसके पास खाना है, उसको एयर-कन्डीशन मकान दे दिया, और जिसके पास खाना नहीं है, उसको कहा कि पचास ग्राम राइस ले लो । ग़रीब और बैकवर्ड स्टेट्स के साथ ऐसा व्यवहार कर के केन्द्र अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर रहा है, बल्कि वह उन स्टेट्स के साथ इनजस्टिस कर रहा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि स्टेट्स से जो टैक्स मिलता है, वह उनको देने के बाद पिछड़ी हुई स्टेट्स को ज़्यादा रुपया देना चाहिए । उड़ीसा को छठी प्लान में 1100 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि उसने 2,000 करोड़ रुपये की डिमांड की थी और अपनी पापुलेशन के हिसाब से उसको 5,000 करोड़ रुपया मिलना चाहिए ।

जहां तक एक्साइज़ का सम्बन्ध है, शूगरकेन, तंबाकू, रुई आदि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पर जो टैक्स लगता है, उसके बंटवारे के लिए बिल लाया गया है । जहां एग्रीकल्चर का डेवेलपमेंट ज्यादा है, अर्थात् महाराष्ट्र, बिल के तीनों शिड्यूल्ज़ में उसका शेयर सबसे अधिक है : 17 परसेंट, 13 परसेंट, 13 परसेंट, जबकि उड़ीसा का शेयर 2 परसेंट, 3 परसेंट, 3 परसेंट है । कई स्टेट्स को 1 परसेंट से भी कम दिया गया है । जिन स्टेट्स में एग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट नहीं है, उनके लिए पैसा नहीं है । जिन स्टेट्स की फ़िनांशल कंडीशन्ज़ अच्छी नहीं है और जिनका डेफ़िसिट

बजट है, उनकी सहायता करना सेंट्रल गर्वनमेंट का फ़र्ज़ है। यही हमारा सुझाव है। लेकिन एक सुझाव यह है कि टैक्स वगैरह जो हैं उनका विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए।

तीसरी बात यह है कि ऐग्रीकल्चरल डेवेलपमेंट को देखें। आल इन्डिया बेसिस पर जब एक हैक्टर के पीछे 1300 के जी पैदावार है तो उड़ीसा स्टेट में सिर्फ 900 के जी है। वहां के राज्यपाल ने भी अपने बयान में इसका ज़िक्र किया है कि कितनी बैकवर्डनैस प्रोडक्शन के मामले में उड़ीसा की है। आप दस साल पीछे से कम्पेरिज़न करें तो देखेंगे कि दस साल पहले आल इन्डिया का जितना प्रोडक्शन होता था उससे आज दुगुना हो गया है। लेकिन उड़ीसा में 60-61 में 42 लाख टन प्रोडक्शन था वह अभी भी 77-78 में 44 लाख टन है तो इस पर आप को विचार करना चाहिए। आखिर यह आप किस तरह तय करेंगे कि किस को ज्यादा देना चाहिए किस को कम देना चाहिए। यह तय करते समय इन बातों को सामने रखना चाहिए।

नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल में भी उड़ीसा की बात सामने रखी गई थी। उसमें भी यह सब ज़िक्र आया था। चीफ मिनिस्टर्स ने अपने सुझाव रखे थे, उन सुझावों को आप कंसिडर करेंगे या नहीं ? उनके सुझाव तो बिल्कुल ही कंसिडरेशन में नहीं आते हैं।

वित्त मंत्री से हम कहेंगे, उनके पास वित्त है, पुराणों में जैसे कुबेर का ज़िक्र आता है वैसे ही आज वह कुबेर की तरह हैं, उनको इम्पार्शियल होना चाहिए। सारी स्टेट्स उनकी हैं छोटी स्टेट भी उनकी हैं, गरीब स्टेट भी उनकी है और धनी स्टेट भी उनकी ही है। हर वक्त उनको अपनी नजर डालनी चाहिए कि जिस स्टेट में एकोनामिक कंडीशन बिल्कुल खराब है उसको पहले दिया जाय। ईस्टर्न ज़ोन को आप देखे, बिहार, उड़ीसा, आसाम, बंगाल, त्रिपुरा वगैरह इन सारी स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम बिल्कुल कम है। उड़ीसा में जितनी पर हैड इनकम होती है उससे उनके खाने का 80 परसेंट खर्च चल जाता है। फिर वह कपड़ा कहां से लाएंगे और परिवार को मेन्टेन करने पर क्या खर्च करेंगे ? इतनी गरीबी वहां है।

जब देश आजाद होता है, डैमोक्रेसी आती है, पीपुल्स गवर्नमेंट आती है तो स्टेट्स डेवेलप होते हैं। लेकिन इंडिया का क्या हुआ है ? इंडिया के अन्दर अन्डर पावर्टी लाइन 46 परसेंट है। आल इंडिया बेसिस पर सिक्स्थ फाइव ईअर प्लान में वह 38 परसेंट आ गए हैं। उनकी संख्या 8 परसेंट नीचे आ गई है। लेकिन उड़ीसा में वह 67 परसेंट हो गई है, 8 परसेंट ज्यादा हो गई है, अन्डर पावर्टी लाइन वालों की संख्या वहां बढ़ गई है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि जैसे उत्तर प्रदेश में एक कमीशन बना था, ईस्टर्न और नार्थर्न ज़ोन का सर्वे हुआ था ऐसे ही उड़ीसा के बारे में भी एक स्पेशल कमीशन बनना चाहिए जिससे वहां की बैकवर्डनैस, गरीबी और अनप्रोडक्टिवनेस का अन्दाज़ा लगाया जा सके। वैसे उड़ीसा तो बहुत धनी है। उनके पास फारेस्ट है, माइन्स हैं, सी-शोर है, उनको भी काम में लाना चाहिए, उनको भी प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। लेकिन वह कैसे प्रोडक्टिव होंगे ? यहां आएंगे तो बोलेंगे कि देखो, यहां तो इतने हजार करोड़ रुपया पब्लिक सैक्टर पर खर्च हो रहा है। अब इतने हजार करोड़ रुपये से केवल 3 लाख आदमियों को पब्लिक सैक्टर में काम मिलता है। उसके लिए तो छोटी-छोटी इन्डस्ट्रीज़ होनी चाहिएं जिसमें ज्यादा आदमियों को काम मिल सके क्योंकि बेकारी की संख्या बहुत है। जहां

बेकारी है बांडेड लेबर वहीं है। जहां गरीबी है वहीं शोषण है। जहां गरीब होते हैं उनका शोषण बहुत होता है। गवर्नमेंट ने तय किया है कि एक ग्रादमी को प्रतिदिन 6 रुपया मिलना चाहिए लेकिन ग्रभी भी वहां ढाई रुपये, दो रुपये ग्रौर तीन रुपये रोज़ पर वे काम करते हैं क्योंकि ग्रादमी बहुत हैं ग्रौर काम कम है। गरीबी के कारण उनको खाने को नहीं मिलता है। वे देखते हैं कि रोटी खाने के लिए भी दो पैसा उनको मिलना चाहिए।

मैं वित्त मंत्री को सुझाव देकर समाप्त कर रहा हूं। फाइनेन्स कमीशन ने जो रिपोर्ट दी है ग्रौर जो प्लानिंग कमीशन है उसको चाहिए कि जैसे उड़ीसा है या दूसरी स्टेट्स हैं उनको ग्राल इंडिया एवरेज पर लाने के लिए स्पेशल प्लान्स बनाने चाहिए। शिक्षा के मामले में, इरीगेशन ग्रौर एग्रीकल्चर के मामले में सभी स्टेट्स को ग्राल इंडिया एवरेज पर लाने के लिए स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल प्लान ग्रौर स्पेशल ग्रान्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस सदन के समक्ष जो तीन विधेयक—संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) विधेयक, ग्रतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन बिधेयक ग्रौर सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक—पेश किऐ हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। पहली बार समुचित विचार करके केन्द्रीय सरकार ने ग्रपनी ग्राय से सभी राज्यों के विकास के लिए धन के वितरण की व्यवस्था की है। सातवें वित्त ग्रायोग ने, ग्रभो तक जो ग्रविकसित राज्य रहे हैं उनको विकास की दशा में सहयोग देने के लिए बहुत ग्रौचित्य के साथ विचार करके ग्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। पिछली सरकार ने ग्रजादी के बाद पिछले 32 सालों में जो ग्राय का वितरण किया उसके परिणाम देखने से पता चलता है कि जिस क्षेत्र के बड़े नेता हुए वे ग्रपने यहां विशेष योजनाग्रों को खींच कर ले गए। ग्रभी तक मत्स्य न्याय ही चलता रहा। बड़े नेता बंदर बांट का सिद्धान्त ग्रपनाते रहे लेकिन सातवें वित्त ग्रायोग की रिपोर्ट के बाद ऐसा लगता है सुधार की ओर कदम बढ़ाए गए हैं। फिर भी वर्षों के ग्रनुभव से पता चलता है कि ग्रामीणों के सर्वांगीण विकास में कमियां रही हैं। उनकी जो मौलिक ग्रावश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति नहीं हुई है। सर्वप्रथम वहां पर शिक्षा की व्यवस्था करनी है, सड़कों की व्यवस्था करनी है, विद्युत ग्रापूर्ति करनी है, पेय जल की ग्रापूर्ति करनी है—ऐसी बहूत सी बातें हैं जिन पर पहले ग्रधिक पैसा खर्च होना चाहिए था। लेकिन ग्रभी मी जो प्रदेशों की योजनयें बनती हैं या केन्द्रीय सरकार की योजनायें बनती हैं या जो धन के वितरण की व्यवस्था है उसमें कुछ सुधार होने की सम्भावना है परन्तु उससे जन-साधरण की ग्रांकाक्षाग्रों की पूर्ति सम्भव दिखाई नहीं देती है। ग्रभी भी कुछ पुराने ढांचे पर ही योजनायें बनती हैं ग्रौर धन के वितरण की व्यवस्था होती है जिसके कारण जनसाधारण की जो ग्रपेक्षायें हैं ग्रौर जो उनकी ग्रावश्यकतायें हैं उनकी पूर्ति नहीं होती है। उदाहरण के लिए देश की जो खेती योग्य भूमि है उसके लिए सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। यूं तो हर खेत को पानी ग्रौर हर हाथ को काम देने की बात बराबर की जाती रही है। ग्रब ग्रगर इसको कार्यान्वित नहीं किया जाता है तो फिर उसका क्या ग्रौचित्य होगा ? सिंचाई के मामले में जो धन का बटवारा किया गया है उसमें लिफ्ट इरीगेशन, बड़े-बड़े डेम्स का निर्माण, नहरों का निर्माण तथा ग्रन्य साधनों से सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि देश के इंच-इंच भूमि की सिंचाई

हो जाए। उस के अनुसार हर राज्य में जो भी कृषि योग्य भूमि हो, उसकी सिंचाई के लिए, जो भी औसत जमीन का आवे, पर्याप्त मात्रा में सहायता देनी चाहिए और साथ ही साथ हर राज्य में जितनी जमीन है चाहे वह छोटा राज्य हो और चाहे वह बड़ा राज्य हो, कृषि भूमि में सिंचाई का हिस्सा उसको बराबर-बराबर मिलना चाहिए। अगर इस हिसाब से काम किया जाए, तो कुछ ही दिनों में सर्वांगीण विकास हो जाएगा लेकिन ऐसा होता नहीं है लेकिन जैसा मैंने पहले कहा है कि जो अधिक चतुर होता है, वह किन्ही कारणों से अपने क्षेत्रों में ये सुविधाएं ले जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि दूसरे क्षेत्र अविकसित रह जाते हैं। इस दशा में जो कार्यक्रम लिया गया है, मैं नहीं समझता कि वह काफी है। आयोग के द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार तीन वर्गों में सिफारिशों को रखा जा सकता है। एक तो वे सिफारिशें हैं, जो राष्ट्रपति के आदेश द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं, दूसरी वे सिफारिशें हैं जो संसद के कानून के द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं और तीसरी वे सिफारिशें हैं जो कार्यपालिका के आदेश के द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं। इसके अनुसार जितनी भी योजनाएं और नीतियां बनती हैं उन नीतियों का कार्यान्वयन फंड या कोष की उपलब्धियों पर निर्भर करता है अन्यथा जितनी भी योजनाएं बनती हैं, वे कागज पर ही रह जाती हैं। पांच पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त हो गई हैं और छठी योजना अभी बनी है लेकिन इन सब योजनाओं के बावजूद चारों तरफ़ से हाहाकार मचता है कि गांवों में सड़कें नहीं हैं, वहां बिजली नहीं पहुंचती है, गांवों की माली हालत में सुधार नहीं हुआ है और गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के लिए मकान नहीं हैं। उनके लिए पेय जल की व्यवस्था नहीं है और उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति नहीं हो पाती। यह जो आयोग की सिफारिशें हैं उनके अनुसार केन्द्र द्वारा पैसे का बटवारा राज्यों और केन्द्रों के बीच में होगा। मेरा इसमें सुझाव यह है कि राज्यों का समुचित विकास करने के लिए जो अपेक्षित राशि है, उसका बटवारा होना चाहिए लेकिन अगर पुराने ढांचे के अनुसार ही खर्च होगा तो जितनी भी केन्द्र की आय होगी या राज्यों की आय होगी, वह सब धन प्रशासकीय व्यवस्था में ही बरबाद हो जाएगा। अभी तक ऐसा होता है कि जितना पैसा राज्यों को मिलता है, उसका अधिकांश भाग सरकारी व्यवस्था पर खर्च हो जाता है, प्रशासकीय व्यवस्था पर खर्च हो जाता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सरकारी मशीनरी में वृद्धि न करके नई योजनाएं विकास के लिए बनाई जाएं और उसको चार, पांच मदों में केन्द्रित कर देना चाहिए।

मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस देश में काफ़ी मात्रा में अभी भी कृषि योग्य भूमि है लेकिन कृषि के अभाव के कारण बहुत से लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता। कुछ जमीन इस देश में ऊबड़-खाबड़ है, जहां पर खेती नहीं होती है और कुछ जमीन नदी के अन्दर भी है। मेरा सुझाव यह है कि जो जमीन ऊबड़-खाबड़ है, उसका युद्ध स्तर पर समतलीकरण किया जाए, लेविल किया जाए और उसको कृषि योग्य बनाया जाए। हमारे देश में लाखों हरिजन आदिवासी और भूमिहीन लोग हैं और उनको यह जमीन दी जा सकती है। उसमें कृषि के लिए सिंचाई की व्यवस्था की जाए और बिजली पहुंचाई जाए और योजनाबद्ध तरीके से हरिजनों और आदिवासियों को वहां पर बसा दिया जाए। इससे आज जो खून खराबा, मार-पीट और झगड़े होते हैं, वे समाप्त हो जाएंगे, बापूजी का जो सपना था, राम राज्य लाने का जो सपना था, वह अभी तक साकार नहीं हो पाया है। आज हम देखते हैं कि जो बड़ा है,

वह और भी बड़ा होता जा रहा है और जो छोटा है, वह दूसरों की सेवा करते-करते कुछ बढ़ तो रहा है, यह बात सही है, लेकिन योजना के द्वारा जितना बढ़ना चाहिए, उतना नहीं बढ़ा है। एक समन्वित योजना होनी चाहिए जिससे समग्र विकास हो सके, सम्पूर्ण विकास हो सके। आज जनसाधारण को आपकी योजना का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है इस देश में जैसे यह कहा गया है, "दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहु नहीं व्यापा"। हर तरह की व्यवस्था होनी चहिए थी। आज देहातों में लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा हेतु दवा दारू की कोई व्यवस्था नहीं है। अमरीका रूस चीन आदि देशों में जितना एक व्यक्ति पर खर्च होता है स्वास्थ्य सुधार के लिए, हमारे देश में एक नागरिक पर उससे कहीं कम होता है। रिपोर्ट के अनुसार 1100 रुपये प्रतिवर्ष एक बीमार पर खर्च होता है भोजन आदि पर। इसके माने होते हैं 3 रुपये 75 पैसे के लगभग प्रति दिन। दु:साध्य रोगों से ग्रस्त लोगों के वास्ते पर्याप्त मात्रा में खुराक की व्यवस्था नहीं इससे हो सकती है। दूसरे देशों में बारह चौदह रुपये प्रतिदिन के हिसाब से एक व्यक्ति पर खर्च होता है। शहरों तक में स्वास्थ्य सुधार की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है तो देहातों में कैसे हो सकती है। वहां पर तो यह चीज़ स्वप्न के समान है। इस ओर आप विशेष ध्यान दें।

आप शिक्षा को लें। देश में व्यवस्थित ढंग की शिक्षा प्रणाली आज तक हमने नहीं बनाई है। राज्यों में तरह-तरह की शिक्षा की प्रणालियां चलती हैं। एक देश होते हुए भी लगता है कि इसमें बहुत विभिन्ता सभी मामलों में है। भाषावाद का सवाल भी हमारे देश में। और भी कई प्रकार की समस्यायें खड़ी होती रहती हैं। शिक्षा की एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए गांव से लेकर शहर तक और सब को एक समान शिक्षा दी जानी चाहिये ताकि विषमता जो पैदा होती चली जा रही है शिक्षा के क्षेत्र में भी और बढ़ती चली जा रही है यह दूर हो सके। जो अमीर लोग हैं, जो आगे बढ़ गए हैं उनके बच्चे देहरादून में जाकर पढ़ते हैं, माडर्न स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन जो गरीब आदमी देहात में रहता है उसके बच्चे झोंपड़े में या वृक्षों के नीचे बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। बिहार की बात को आप लें। अगर वहां सत्तर हजार प्राइमरी स्कूल हैं तो उनमें से पचास हजार ऐसे आपको मिलेंगे जिनके पास भवन नहीं हैं, जिनके बच्चे झोंपड़े या पेड़ के नीचे या किसी के दरवाजे पर बैठ कर पढ़ते हैं। युद्ध स्तर पर स्कूलों के लिए भवन निर्माण के कार्य को हाथ में लिया जाना चाहिये ताकि कम-से-कम जिनके पास स्कूल भवन नहीं हैं उनके पास भवन तो हो सकें। साथ ही सभी बच्चों को देश भर में जो भेदभावमूलक शिक्षा चल रही है इसका भी आपको अन्त करना चाहिये। सभी को समान शिक्षा दी जानी चाहिये। संविधान में समता के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो कम-से-कम आप इस सिद्धान्त को लागू करें। इसके अनुसार स्कूलों के लिए भवन बनने चाहियें। बड़े लोगों के बच्चे माडर्न इंग्लिश स्कूलों में पढ़ते हैं, कानवेंट स्कूलों में पढ़ते हैं लेकिन देहात वालों के बच्चे जो कुछ थोड़ा बहुत उनको पढ़ा दिया जाता है वही वे पढ़ते हैं। इस तरह से वे कैसे इन बड़े लोगों के बच्चों के साथ कम्पीट कर सकते हैं। इस वास्ते मैं चाहता हूँ कि आप को इस ओर गम्भीरता से विचार करना चाहिये।

राज्य भी हमारे देश में बहुत विस्तृत हैं और इसकी वजह से उनका प्रशासनिक यंत्र बहुत कमजोर है। उत्तर प्रदेश भी एक विशाल राज्य है। उसका अगर चार राज्यों में दटबारा

किया जाय तभी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सकती है। बिहार को आप लें। दक्षिण बिहार खासकर छोटा नागपुर, संथाल परगना आदि से जोरदार आवाज उठ रही है कि उसका एक अलग प्रदेश बनाया जाए। वहां पर तीन बड़े-बड़े उद्योग हैं, बोकारो, एच ई सी रांची और जमशेदपुर। इतने बड़े-बड़े तीन स्टील के संयंत्र होते हुए भी वहां के अस्सी प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। बाहरी लोगों ने वहां आकर आम लोगों, हरिजनों, आदिवासियों आदि की जो जंगलों में रहते हैं, बहुत बुरी हालत कर रखी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों का सर्वांगीण विकास हो। श्री हुकम देव नारायण यादव ने ठीक ही कहा है कि जितने बिजनैस सेंटर हैं वे बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में ही हैं, सभी के हैड आफिस इन्हीं जगहों पर हैं। इसका नतीजा यह होता है कि जो लोकल लोग होते हैं उनको नौकरियां नहीं मिल पातीं हैं और उन लोगों को इन उद्योगों से कोई लाभ नहीं पहुंच पाता हैं। वहां पर जो कच्चा माल मिलता है वहां के जो प्राकृतिक साधत होते हैं, विद्युत होती है, सभी का फायदा यही लोग उठा लेते हैं। इसी का यह नतीजा है कि वहां पर असन्तुलन बना हुआ है, उन क्षेत्रों का विकास नहीं हो पा रहा है और वे अविकसित क्षेत्र आज भी बने हुए हैं। उसके विकास के लिए प्रयास करना चाहिए। उस क्षेत्र में जो रेलवे लाइन अंग्रेजों के समय में बनी थी, छोटा नागपुर क्षेत्र में, उसके अलावा आज तक कोई नई रेलवे लाइन नहीं बनी है। गिरिडीह-कोडरमा-हजारीबाग और हजारीबाग से रांची रोड को जोड़ती हुई रेलवे लाइन बनायी जानी चाहिए। यह लाइन चार जिलों को जोड़ती है—सन्थाल परगना, गिरिडीह, हजारीबाग और रांची। इसलिए इस रेल लाइन को बनाया जाय। इसके लिए सरकारी अधिकारी कहते हैं कि यहां बहुत बड़े कल कारखाने नहीं हैं इसलिए रेल लाइन की क्या आवश्यकता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि इस क्षेत्र का कभी विकास ही नहीं हो सकता है। हालांकि जनता सरकार की घोषित नोति है कि अविकसित क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछायी जायेंगी। इसलिए ऐसे क्षेत्रों के विकास की ओर विशेष ध्यान देना चापिए।

इन शब्दों के साथ मैं इन तीनों विधेयकों का समर्थन करता हूं।

श्री बी० राचैया (चामराज नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री द्वारा पेश किए गए विधेयक पर उत्पादन शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सम्पदा शुल्क में राज्यों को दिए जाने वाले भाग के बारे में बातें कहना चाहता हूँ। सातवें वित्त आयोग ने शुद्ध आय में से राज्यों को अधिक भाग देने और उसे 40 प्रतिशत तक बढ़ाने की सिफारिश की है। केन्द्रीय सरकार के पास काफी लचीले स्त्रोत हैं और राज्यों को कुछ अधिक भाग दिया जा सकता है। संघीय ढांचे में राज्य सरकारें वित्तीय सहायता और इन करों से प्राप्त आय के समान वितरण के लिए केन्द्र की ओर देखती हैं। कुछ अन्य कर हैं जो इन करों के अन्तर्गत नहीं आते। निगमित कर में से राज्यों को कुछ भाग देने के लिए राज्य सरकारें बहुत जोरदार मांग कर रही हैं ताकि उन्हें वित्तीय कठिनाई ना आये और वे अपना काम अच्छी प्रकार चला सकें। संविधान के अन्तर्गत उन्हें शुद्ध आय में से 40 प्रतिशत आय प्राप्ति का अधिकार है अर्थात् राज्यों को दी जाने वाली शुद्ध आय में से सभी व्यय निकालने के बाद यह राशि दी जानी चाहिए। जब हमें काफी आमदनी होती है तो हम राज्यों को 40 प्रतिशत भाग क्यों नहीं देते? उन्हें विपदाओं के समय या अन्य अवसरों पर केन्द्र के पास भागना पड़ता है। मैंने कई बार

कहा है कि जब केन्द्रीय सरकार विश्व बैंक से ऋण लेकर राज्यों को देती है तो वह उनसे ब्याज लेती है जबकि राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित कुछ योजनाओं के कार्यान्वियन की स्वीकृति भी विश्व बैंक द्वारा दी गई होती है। केन्द्र सरकार केवल राशि वितरण करने के लिए 3 या 3 1/4 प्रतिशत ब्याज ले लेती है। जबकि विश्व बैंक आधे प्रतिशत ब्याज पर ऋण देता है तो वे राज्य सरकारों से इतना ब्याज क्यों लेती है। इससे तो केन्द्र-राज्य सम्बन्ध खराब होंगे।

अब यह भावना ज़ोर पकड़ रही है कि राज्य सरकारों को केवल नगरपालिकायें बना दिया गया है। योजना में आबंटित राशि तथा अन्य स्त्रोतों को एकत्र करने के लिए उन्हें हर बार केन्द्र से जांच करानी होती है। योजना आबंटन को अंतिम रूप देने के लिये केन्द्रीय स्तर पर कई सम्मेलन हो चुके हैं इसलिये मेरा कहना है कि निगमित कर में से कुछ राशि राज्यों के लिये रखी जाये ताकि राज्यों में विकासात्मक कार्य किया जा सके। केन्द्रीय सरकार की इच्छा है कि विशेष रूप से ग्रामीए क्षेत्रों में जल पूर्ति ग्रामीण विद्युतीकरण और भूमिहीन तथा बन्धिक श्रमिकों के पुनर्वास के लिये और सीमांत तथा छोटे किसानों को सहायता दी जाये। ऐसा सोचते समय हमें राज्य सरकारों की वित्तीय कठिनाइयों के बारे में भी सोचना चाहिये। इसलिए उन्हें अधिक भूमि के आबंटन की जरूरत है।

मंत्री जी राजस्थान में भी मंत्री रह चुके हैं और आशा है वे मेरी इस बात से सहमत होंगे कि चाहे हम किसी भी दल के हों, पर हम ग्रामीण क्षेत्र से ही आये हैं और हमारी इच्छा है कि हम ग्रामीणों का कल्याण कर सकें। भारत के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं इसलिये सौभाग्य है कि गांवों में योजनाओं पर अधिक खर्च करने की जरूरत है ताकि निर्धन और दुर्बल वर्गों का कल्याण किया जा सके। राज्य सरकारों के पास साधन कम हैं और जब भी इस तरह की योजना का प्रस्ताव होता है तो उन्हें वित्तीय कठिनाई होती है और योजना में कमी करनी पड़ती है।

जब वित्त आयोग राज्यों को धन के आबंटन के सम्बन्ध में विचार करता है तो उसे इस बात पर भी विचार करना चाहिये कि राज्य सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। उस समय केन्द्र को उसी प्रकार से राज्यों की सहायता के लिये आगे आना चाहिये। संसाधन जुटाने के लिए अभी तक इस बारे में कोई उत्साह नजर नहीं आता।

पिछले 4 या 5 वर्षों में मैंने देखा है कि जिन राज्यों ने अपनी बकाया राशि भी एकत्र नहीं की है और उन मदों पर कर भी नहीं लगाया है जिन पर लगाया जा सकता था उन्हें वित्त आयोग, छठे वित्त आयोग तथा सातवें वित्त आयोग ने धन देने में अधिक उदारता दिखाई है क्योंकि वे राज्य अपने संसाधन नहीं जुटा सकते। इस तरह से तो आप आलस्य को बढ़ावा दे रहे हैं। जो राज्य अपने स्त्रोतों का लाभ नहीं उठाते उन्हें अधिक सहायता मिलती है।

[श्री एन० के० शेजवालकर पीठासीन हुए]

हमारे प्रधान मंत्री जिस प्रशासनिक सुधार आयोग के मुख्य हैं उससे हमें आशा है कि प्रशासनिक व्यय में काफी कमी होगी। हम तो राज्यों की योजना के लिये धन देना चाहते हैं। उसके लिये दिल्ली में बहुत से सम्मेलन होते रहते हैं और वहाँ के मंत्री प्रतिदिन अनेक अधिकारी

लेकर दिल्ली पहुंचते हैं और बहुत सा पैसा खर्च करके वापस चले जाते हैं। क्या आपने घ्यान दिया है कि कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। अकेले इस मामले में काफी बचत हो सकती है।

निगमित क्षेत्र में निगमों और स्वायत्तशासी निकायों पर भी नियंत्रण की जरूरत है। कई बार स्वायत्तता के नाम पर वह बहुत पैसा खर्च करते हैं। मैंने समाचारपत्रों में पढ़ा था कि प्रधान मंत्री जी ने स्वयं इस अनावश्यक व्यय पर टिप्पणियां की हैं। निगमित क्षेत्र को भी बताया जाए कि उनका खर्च भी सरकारी विभागों के समान ही होना चाहिये।

इस तरह प्रशासनिक मामलों में बहुत कटौती की जा सकती है और छिपे धन को निकालना भी जरूरी है। माननीय मंत्री जी भी काले धन को बाहर निकालने के लिये बहुत उत्साही हैं और कई प्रकार के छापे भी मारे गये हैं। लेकिन इस धन को पूरी तरह नहीं निकाला जा सका है। इस धन को बाहर निकालने से काफी आमदनी हो सकती है। यदि राज्य सरकारें छिपे धन को बाहर निकालने का प्रयास करें तो उसका एक भाग राज्य सरकारों को दिया जा सकता है जिससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो जायेगी।

अतः यद्यपि माननीय मंत्री द्वारा पेश किया गया यह विधेयक पिछले विधेयक से अच्छा है तथापि इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है। केन्द्रीय सरकार से मुझे बहुत आशा है। हम सभी राज्यों से आये हैं और चाहे हम मंत्री हों या न हों, हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों और अपने राज्यों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी तभी वे अपनी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे।

वयस्क शिक्षा जैसी कई योजनाएं हैं जिनका केन्द्रीय सरकार वित्त पोषणा करती है। राज्यों में कई सुगठित व्यस्क शिक्षा परिषदें हैं लेकिन पता चला है कि धन उनके माध्यम से खर्च नहीं किया जाता। केवल कुछ व्यक्ति या संगठन उन्हें पंजीकृत करते हैं और आकर धन ले जाते हैं। लेकिन उससे उद्देश्य पूरा नहीं होता। उपयुक्त निरीक्षण नहीं हो पाता और यह पता नहीं चल सकता कि धन ठीक प्रकार से व्यय हो रहा है अथवा नहीं।

इसी प्रकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित अन्य योजनाओं में भी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के अधिकारी हैं जिससे कार्य में दोहरापन आता है। अतः जो कार्य केन्द्र सरकार करना चाहती है उसे राज्यों को स्पष्ट बता दिया जाना चाहिये, अनुदान दिया जाना चाहिये तथा समय-समय पर केन्द्र उसका निरीक्षण तथा समीक्षा करे ताकि पता चल सके कि कोई विशेष योजना उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित हो रही है अथवा नहीं। इस दोहरेपन को समाप्त करना चाहिए और धन के व्यय पर सीधा नियंत्रण होना चाहिये।

मेरा मंत्री जी से पुनः आग्रह है कि न केवल उत्पाद शुल्क, सम्पदा शुल्क से होने वाली आय से राज्यों को हिस्सा दिया जाये बल्कि निगमित क्षेत्र से भी कुछ भाग राज्य सरकारों को दिया जाये ताकि वे अपना कार्य सुचारू रूप से चला सकें।

श्री के० एस० रामास्वामी (गोबीचेट्टिपलयम) : सभापति महोदय, केन्द्र और राज्यों के बीच करों की आय के बटवारे के संबंध में मैं सातवें वित्त आयोग के सुझाव का स्वागत करता हूँ। पिछले वित्त आयोग के प्रतिवेदनों के मुकाबले यह काफी अच्छा है।

इस विधेयक पर चर्चा के समय मैं वित्त मंत्री से कहना चाहता हूं कि प्राशिकृषक समाज से अन्याय हुआ है । धान, ज्वार, गन्ना, रागी की कामते कम हुई हैं । कृषकों को अपनी जरूरतों के लिये अधिक देना पड़ता है और अपने उत्पाद से कम पैसा मिलता है। अतः उनके लिए बड़ी आर्थिक कठिनाई हो रही है। किसान को केवल हल्दी से अच्छी आय होती है। लेकिन वित्त मंत्रालय ने अभी हाल ही में हल्दी पर 2000 रुपये प्रति टन लेवी लगा दी है । जिससे कि हल्दी की कीमतों में कमी हुई है और कृषकों पर प्रभाव पड़ा है। उन्हें उत्पादन लागत भी नहीं मिलती। मंत्रालय को इस बारे में विचार करना चाहिये।

मैं कोयम्बतूर से आया हूँ। वहां पर लघु क्षेत्र में बनियान बनाने के कई कारखाने हैं। वहां पर उत्पाद शुल्क में छूट की अधिकतम सीमा को 30 लाख रुपये से घटा कर 15 लाख रुपये कर दिया है जिससे छोटे एककों पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। मैं चाहता हूँ कि मंत्रालय इस पर ध्यान दे और इस बारे में कुछ रियायतें प्रदान करे।

श्री सतीश अग्रवाल : सभापति महोदय, सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित तीन विधेयकों पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा में जिन सदस्यों ने भाग लिया है, मैं उनका आभारी हूँ। चर्चा में कुछ अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन सभापति महोदय आप सहमत होंगे कि अनेक सदस्यों द्वारा कही गई अनेक बातों का संबंध वर्तमान वाद-विवाद से नहीं। हम उन तीन विधेयकों पर विचार कर रहे हैं जिनमें राज्यों को धन देने की योजनायें रखी गई हैं जैसाकि सातवें वित्त कायोग ने सिफारिश की है। माननीय महिला सदस्य श्रीमती चन्द्रावती, बोरियों की कमी, डाक कर्मचारियों के पदों की अवनति, रेल वैगनों की कमी और मंत्रियों के के प्रशिक्षण आदि अनेक बातों के बारे में बोल रही थीं। वे बातें तर्कपूर्ण हो सकती हैं लेकिन इस समय उनकी कोई संगति नहीं। यहां तो हम इस बात पर विचार करते हैं कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशें उपयुक्त हैं या नहीं, और क्या अतिरिक्त सहायता देने तक की कोई बात है। हम कुछ ऐके सुझाव दें जिन पर भविष्य पर विचार किया जा सके।

श्रीमती चन्द्रावती (भिवानी) : सभापति महोदय, हमारे सामने जो बिल है मैं इसका समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। इसके साथ-साथ मैं अपनी कुछ बातें आपके सामने रखना चाहती हूं। जब भी फाइनेंस का बजट आता है, हर साल चाहे उसमें कोई टैक्स लगे या न लगे लेकिन कीमतें बढ़ती हैं और ज्यादातर कीमतें किस चीज कीं घटतो बढ़ती हैं ? किसान के घर में जब कोई चीज होती है तो उसकी कीमत लोएस्ट हो जाती है। आज गेहूं और चने का भाव आप देख लीजिए और तीन महीने पहले क्या भाव था उसको देख लीजिए। दूसरी तरफ किसानों के काम में आने वाली चीजें बाजार से एकदम गायब हो रही हैं। आज गेहूँ भरने के लिए, सरसों भरने के लिए बोरे नहीं मिल रहे हैं। मैं समझती हूं यह आर्टिफिशियल स्केयर्सिटी है। मेरे पास सोनीपत के व्यापारियों से एक चिट्ठी आई है, डेपुटेशन भी आकर मिला, उनको वैगन नहीं मिल रहे हैं कि अपना सामान भेज सकें। अगर ट्रक से सामान भेजते हैं तो 75 रुपये क्विंटल भाड़ा पड़ता है और अगर ट्रेन से भेजते हैं तो सिर्फ 12 रुपये पड़ता है। मैं समझती हूँ रेलवे वाले, कुछ कंट्रैक्टर्स और हो सकता है हम में से भी कुछ लोग हों जो मिलकर सब चीजों की स्केयर्सिटी कर देते हों। वैगन्स के सिलसिले में आमतौर से रेलवे वालों के खिलाफ शिकायत रहती है। आज एक बोरे

की कीमत 9 रुपये है। आखिर किस तरह से काम चलेगा ? क्या हम यह मानकर चलें कि सरकार की नालेज में नहीं है कि किस तरह से आर्टिफिशियल स्केयरसिटी पैदा की जा रही है ? दूसरी तरफ किसान के घर की जो चीजें हैं, जैसे आलू है वह सड़ रहा है। गेहूँ भरने के लिए बोरे नहीं मिल रहे हैं। और हम लोग खड़े-खड़े चुपचाप तमाशा देखते हैं। हम जो एम० पीज़० हैं उन्होंने कभी यहां पर बोल दिया, कभी अखबार में दे दिया, कभी प्लेटफार्म पर बोल दिया लेकिन जिनके पास एग्ज़ीक्यूटिव पावर हैं वे कैसे खड़े खड़े देखेंगे ? जो लोग आर्टिफिशियल स्केयरसिटी पैदा करते हैं उनको सख्त सज़ा दी जानी चाहिये।

आज इस देश में दोहरी एकोनोमी चल रही है। क्यों चल रही है ? क्योंकि जो बड़े-बड़े लोग हैं उनको कभी कोई सज़ा नहीं दी जाती है। जिन लोगों का विदेशों में धन जमा है उनको गद्दार करार दिया जाना चाहिये तभी इस देश के फाइनेंसिज़ ठीक हो सकते हैं और इस देश की एकोनामी ठीक हो सकती है। किसी भी देश में डालडा नहीं खाया जाता। डाक्टरों ने भी कह दिया है कि उसमें ताकत नहीं है। आज हमारे देश में हर दस आदमियों में एक आदमी मेन्टली रिटार्डेड है। कारण यह है कि उसको ठीक खुराक नहीं मिलती है। खुराक इसलिए नहीं मिलती है कि उसके पास पर्चेज़िंग पावर नहीं है। दूसरी तरफ चीजें सड़ रही हैं। इस देश में चीजों की कोई कमी नहीं है। लेकिन लोगों के पास पर्चेज़िंग पावर नहीं है कि उनको खरीद सकें। अभी तक इस तरह की एकोनामी ही नहीं बनाई गई।

इसके साथ ही इस देश में जो एकोनामिक अपराध करते हैं उनके लिए मौत से भी बड़ी सज़ा होनी चाहिए। लेकिन एकोनामिक अपराध करने वालों को कोई सज़ा ही नहीं मिलती है। मैंने आज तक नहीं सुना कि इस देश में एकोनामिक अपराध करने वाले को कोई सज़ा मिली हो जबकि सबसे ज्यादा एकोनामिक अपराध ही इस देश में होते हैं। ऐसी हालत में इस देश में कभी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। हां, अगर गेहूँ की फसल आई तो गेहूं सस्ता होगा, चावल की फसल आई तो चावल सस्ता होगा, मूंगफली आयेगी तो वह भी सस्ती हो जायेगी। मैं आपके द्वारा सरकार को बताना चाहती हूं कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट की तरफ से छापे मारे जाते हैं तो दफ्तर वाले पहले से ही सेठों को बता देते हैं। जिसकी जेब में पैसा है वह बड़ी से बड़ी फाइल ले जायेगा, आपका बड़े से बड़ा सीक्रेट ले जायेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने कभी एकोनामिक सिक्योरिटी किसी को दी ही नहीं। एकोनामिक सिक्योरिटी पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और जो लोग बिना कमाये धनी बन जाते हैं, बिना कमाये ऐश व आराम से रहते हैं, बिना कमाये जिनके पास बंगला है, बिना कमाये जिनके पास मोटर है, उनका हिसाब भी देखना चाहिए कि उनकी कमाई कितनी है और खर्च कितना है। जब तक इस चीज का हिसाब न लगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। आपका एक इन्कम टैक्स एक्ट है। मैं हमेशा यही कहती रही हूं कि जिन लोगों ने पैसा कमाया है, उन पर आप कोई मुकदमा न चलाएं लेकिन जितना उन लोगों ने बेईमानी से पैसा कमाया है वह सारा पैसा उनका आप ले लीजिए। जब तक इस चीज का इन्तज़ाम नहीं किया जाएगा, तब तक हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते और हमारी एकोनामी ठीक नहीं हो सकती है।

ईमानदारी से सम्बन्धित एक चीज़ मैं यह कहना चाहती हूं कि अगर इस देश का पोलीटीशियन ईमानदार है, तो ब्योरोक्रेट गलत काम करने की हिम्मत नहीं करेगा और जो मोनोपोलिस्ट

हैं, उसकी भी हिम्मत गलत काम करने की नहीं होगी । इसमें किसी के बुरा मानने की बात नहीं है और किसी को मैं डिसरस्पेक्ट शो नहीं कर रही हूं, हमारे देश में जो पोलीटीशियन है, जिस के हाथ में पोलीटीकल पावर है, अगर वह टेम्पटेशन से दूर रहता है, तो कोई ताकत नहीं जो उसको लालच में डाल सके । हम को इस बात को देखना है कि हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं या नहीं । आज क्यों लालैसनैंस दिखाई दे रही है ? जो पढ़े-लिखे लड़के हैं, उनको भी रोजगार नहीं मिल रहा है । अब रोजगार न मिले तो क्या वे कलकत्ता के बाजारों में भीख मांगने जाएं ? वे चोरी करेंगे और डाके डाले जाएंगे और पकड़ कर उनको जेल में भेज दिया जायेगा । लेकिन जो बड़े चोर हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता है चाहे वे स्मगलिंग करें या कोई ऐसा-वैसा काम करें ।

एक चीज़ मैं और कहना चाहूंगी । उसका इससे सम्बन्ध नहीं है लेकिन फाइनेन्स बिल से सम्बन्ध होने के नाते मैं उसको कहना चाहती हूं । आज हम यह कहते हैं कि हमारे डाकखाने डाक बांटने के लिए हैं लेकिन मैं आपको बताऊं कि उन्हीं डाकखानों से बेनामी पारसलों द्वारा गांजा, अफीम और चरस स्मगिल की जाती है । सरकार की ज्वाइन्ट रेसपोंसिबिलिटी होते हुए मैं इसके सम्बन्ध में यह बताना चाहती हूं कि एसी बात होती है । मैं आपको यह भी बताऊं कि हमारे यहां दादरी में एक पोस्टमास्टर था । वह लोगों को ब्लैकमेल करता था । उसके खिलाफ कई बार शिकायत की गई । उसने कहा कि मेरा चाहे डिमोशन कर दें लकिन मैं दादरी में ही रहूँगा और रिटायर होने पर भी वह वहीं बस गया । इस तरह से लोगों के एक जगह पर रहने से वेस्टेड इन्ट्रेस्ट्स हो जाते हैं और मैं तो यह भी कहूंगी कि जो लोग दिल्ली में कई सालों से हैं, उनको भी बाहर भेजा जाए । एक अफ़सर पांच छ: साल से ज्यादा एक जगह पर नहीं रहना चाहिए और मैं चाहती हूँ कि जो अफ़सर दिल्ली में पांच साल से हैं, उनको दुसरी जगह भेजा जाए । इतना बड़ा देश है और यह बाकायदा कानून से किया जा सकता है कि वे अलग-अलग ज़गहों पर रहें लेकिन मैं जानती हूँ कि यहां पर ऐसे अफ़सर हैं जो 10, 15 साल से यहीं पर हैं और कुछ लोग तो 20,20 साल से यहीं पर बैठे हुए हैं । इतने सालों तक यहां रहने पर उनके वेस्टेड इंट्रेस्ट्स हो जाते हैं, जान-पहचान हो जाती है और थोड़ा बहुत लिहाज हो जाता है । अगर आप चाहते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से चले, तो एक जगह पर इन अफ़सरों को इतने सालों तक नहीं रहने देना चाहिए । मैं तो यह देखती हूँ कि आज एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है और कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे सरकारी मशीनरी मूव नहीं कर रही है । चाहे कोयला कम मिले और चाहे पावर हाऊस बन्द हो जाएं, कोई इलाज नहीं है । मैं आपके द्वारा अपनी सरकार को समय रहते यह चेतावनी देना चाहती हूँ कि वह अपनी मशीनरी को थोड़ा गियर अप करे और करप्ट लोगों को सजा दे । जब तक ऐसा नहीं होगा, एफीशियेन्सी नहीं आ सकती है और करप्शन घट नहीं सकता है । इसलिए जरूरी है कि करप्ट लोगों को सजा मिले, तभी कोई बात हो सकती है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता ।

दोबारा मैं एक बात दोहराना चाहती हूं और वह यह है कि जिन लोगों ने विदेशों में पैसा जमा करवा रखा है, उनके खिलाफ एक बिल पास होना चाहिये और उनको गद्दार कहना चाहिए । इससे बड़ा गद्दार मैं किसी को नहीं मानती क्योंकि इस देश में किसी दूसरे देश ने लड़ाई लड़ कर हकूमत नहीं की । बल्कि जब अंग्रेज यहां पर आए तो उन्होंने दस से पैसा लिया और

उस से पैसा लिया और बाद में हकूमत भी की। इस देश में मल्टीनेशनल्स नहीं होने चाहिए, विदेशी लोगों को देश के अन्दर बहाना बनाकर देश के कोने-कोने में नहीं बैठना चाहिए। कोई भी दूसरे मुल्क से यहां आकर इनवैस्ट करता है तो ज्यादा मुनाफे के लिए ही करता है। यहां रिस्क भी इनवाल्व्ड होता है। वह हमारी खातिर यहां पैसा इनवैस्ट नहीं करता है। ब्याज दर ब्याज, चक्रवर्ती ब्यात मिलने की आशा से ही वह ऐसा करता है। बड़ा पोलिटिकल फायदा उसको दिखाई देता है तभी वह एसा करता है। मैं चाहती हूं कि जितने मल्टीनेशनल्स यहां आने को आतुर हैं, जो यहां आना चाहते हैं, हमको उनको नहीं आने देना चाहिये। नो हाऊ हमलें। टेक्नीशियन्ज को हम ट्रेन करें। लेकिन उनको यहां हमे नहीं आने देना चाहिए।

एक घटना मैं बताना चाहती हूं। मैं गोहाटी जाने वाली थी। पौने सात बजे हवाई जहाज जाना था। वह नहीं गया। बताया गया कि आठ बजे जाएगा। हम बैठ गए। फिर कहने लगे कि इसमें बहुत बड़ा डिफैक्ट है आप नीचे उतर आएं यह दस साढ़े दस बजे जायेगा। फिर बताया गया बीस मिनट बाद बताएंगे कि जाएगा या नहीं जाएगा या क्या होगा। नतीजा यह हुआ कि उस दिन वह नहीं गया। कारण यह था कि आपके पास उसको ठीक करने वाली स्किल्ड लेबर नहीं थी, इंजीनियर नहीं थे। हवाई जहाज़ तो बाहर से आपने मंगा लिया लेकिन ठीक करने वाले लोग नहीं हैं तो उससे काम नहीं चल सकता है। ऐसी चीज़ें हम क्यों मंगाते हैं जिनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं और हम को दूसरों का गुलाम होना पड़ता है। यह रोजाना की बात है, आज की या एक दिन की बात नहीं है। अब आप देखें कि हवाई जहाज़ में कौन लोग बैठते हैं। एम पी बैठते हैं जिनको साल में चार फ्री पास मिल जाते हैं या जब उनको कमेटी के साथ जाना होता है तब वे बैठते हैं। मैंने गिना है उनमें वे लोग होते हैं जो या तो बिग बिजिनैसमैन होते हैं या वे होते हैं जो गवर्नमेंट के खर्चे पर जाते हैं। तीन-चौथाई सरकारी खर्च पर जाने वाले होते हैं। जो करोड़पति होते हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बताया गया है कि एयर इन्डिया के एक बहुत बड़े मुलाजिम ने जिसके बच्चे देहरादून में पढ़ते हैं बहां के मास्टर और हैडमास्टर की पत्नियों को तीस हजार के मुफ्त कम्पलीमेंटरी पास दे दिये थे। कितनी ही तरह के पास हैं जो वे दे देते हैं। क्या इस तरह से हमारी इकोनामी टीक हो सकती है। मैं यह नहीं कहती हूं कि जितने हमारे पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ हैं उनको प्राइवेट लोगों को दे दिया जाए। मैं इसके हक में नहीं हूं। मैं चाहती हूँ कि उनको ठीक किया जाए।

इंदू, फोटो फिल्म का कारखाना ऊटी में लगाया गया है। उसके शेयर कैपिटल को ही वे लोग खा गए हैं, सतरह करोड़ खा गए हैं। चौदह पंद्रह परसेंट सिल्वर नाइट्रेट रद्द करके बेच दिया जाता है जिसको दूबारा चान्दी में कनवर्ट किया जा सकता है। क्योंकि वहां स्किल्ड लेबर नहीं है इस वास्ते यह सब किया जाता है। यह मज़ाक नहीं तो क्या है जनता के पैसे के साथ। ऊटी में यह कारखाना लगाया क्यों गया था? वहां आवागमन के साधन नहीं हैं। वह एक हिल स्टेशन है। वहां लोग सेहत बनाने जाते हैं। वहां अच्छा मौसम है और उसको एनजाय करने के लिए जाते हैं। वहां यह कारखाना क्यों लगाया गया है? ऐसी बात भी नहीं हैं कि कमरों को एयर कंडिशंड आपको वहां न करना पड़ा हो। वह भी करना पड़ा है। दूसरी जगह भी कर सकते थे। यह जो फिजूलखर्ची की जाती है यह समझ में नहीं आती है। यह क्रिमिनल वेस्टेज है पब्लिक मनी का। जो अफसर इस तरह से वेस्ट करते हैं उनकी तरक्कियां कर दी जाती हैं।

कोचीन में एक पब्लिक स्कूल चल रहा है फर्टिलाइजर के खर्चे पर। वहां साढ़े तीन मजदूरों पर एक अफसर है। किसी का क्या जाता है। अगर फर्टिलाइजर मंहगा होगा तो किसान का जाएगा। उनके बच्चे वहां पर मुफ्त पढ़ते हैं। क्लर्क के लड़के को भी एडमिशन वहां नहीं दिया जाता है। इस तरह की चीजों की तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए।

जिन मकानों में हम लोग रहते हैं उनकी मुरम्मत पर इतना खर्च हो जाता है जितना उनके बनाने पर नहीं होता है। यह आए साल की बात है। सब सायल पानी ऊंचा हो गया है। वहां सीलन रहती है। सब सायल वाटर इसी तरह से अगर ऊपर आता चला जाएगा तो कुछ दिनों में पार्लियामेंट हाउस में भी वह पानी आ जाएगा। मैंने सुना है कि एन डी एम सी के चेयरमैन बहुत एफीशेंट आदमी हैं। मैंने उनको लिखा। उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा गया था कि पानी निकलता नहीं है। पानी निकलता नहीं तो ट्यूब वैल लगा कर आप देखें कि छः महीने में दस फुट नीचे जाता है या नहीं। चला जाएगा। हमने हरियाणा में औगमेन्टेशन कैनाल के जरिये 30 फीट पानी नीचे पहुंचा दिया। तो आप नहीं यहां सब सौइल वाटर का लेविल गिरा सकते हैं? सारी इमारतों में सीलन है, शहर में सड़ान होने लगती है। आप सब सौइल वाटर को बगीचों में लगा सकते हैं। लेकिन वह नहीं करेंगे, और करोड़ों रुपयों की प्रोपर्टी खराब हो रही है। हर स्फीयर में आपको काम करना चाहिए। जो लोग करप्ट हैं उनसे आप काम नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको यह ढांचा बदलना पड़ेगा। आप आई० ए० एस०, आई०पी०एस० को ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन एक आदमी जो एम०एल०ए० या एम०पी० बन कर गया और मिनिस्टर हो गया तो उसको भी ट्रेनिंग देनी चाहिये। अगर ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वह ब्यूरोक्रेट्स के सामने इनफीरियारेटी कम्पलैक्स महसूस करता है और ब्यूरोक्रेट्स से कोई बात नहीं पूछ सकता और तब तक उसका टर्म खत्म हो जाता है। इसलिए अगर इस देश की इकोनामी ठीक करनी है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पुरानी लाइन बिछी हुई है, जिसमें घुन लगा हुआ है, उसको ठीक करना पड़ेगा। नहीं तो आप जनता को गुडस डिलीवर नहीं कर पायेंगे। दो साल हो गये, तीन साल और निकल जायेंगे और लोग हमको माफ नहीं करेंगे। हां, कुछ लोग सोच सकते हैं कि 5 साल में जिन्दगी भर का कमा सकते हैं। लेकिन ऐसा वक्त आ चुका है कि इस तरह की हुई कमाई सब निकाल ली जायेगी। अब लोग माफ करने वाले नहीं हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : श्रीमान्, इन तीन विधेयकों पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने भाग लिया है मैं उनका धन्यवाद करता हूं। यह विधेयक 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। चर्चा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये गए हैं। परन्तु अनेक ऐसी बातें कही गई हैं जो विधेयकों से संगत नहीं हैं। राज्यों को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार धन के अंतरण का हमारे समक्ष है। माननीय महिला सदस्या श्रीमती चन्द्रावती ने बारों की कमी, डाकतार विभाग के कर्मचारियों को सेवा के मामले, रेल डिब्बों की आदि मामले उठाए हैं। ये महत्वपूर्ण मामले हैं। परन्तु इस विधेयक से इन विषयों का कोई सम्बन्ध नहीं है। इस समय हम सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं। हमें भविष्य में निधियों के वितरण पर विचार करना है। इसीलिए तो, मैं उन मुद्दों का उत्तर देने में स्वयं को उलझाना नहीं चाहूँगा जो वर्तमान विधेयक से संबंधित नहीं हैं।

जहां तक वर्तमान विधेयक का संबंध है, मुझे यह कहते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि कम-अधिक सदन के सभी दलों के समस्त सदस्यों ने 7वें वित्त आयोग की सिफारिशों का स्वागत किया है। मैं उनका अत्यन्त ही आभारी हूं, परन्तु उन्होंने राज्यों को और अधिक साधन उपलब्ध कराने की वकालत की है जिससे उनकी विकास योजनाएं पूरी हो सकें। परन्तु यहां क्या स्थिति है ? हमारे संविधान के अनुसार वित्त आयोग का गठन होता है। यह सिफारिशें करता है और यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, अपितु ऐसा तो प्रारम्भ से ही इसके लागू होने के समय से ही होता आ रहा है जबकि वित्त आयोग की सिफारिशों को सरकार ने मान लिया और विधेयकों को लागू करने के उद्देश्य से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है विधेयकों को विचारार्थ प्रस्तुत करते समय 7वें वित्त आयोग ने एक रिकार्ड स्थापित किया है, उदाहरणस्वरूप, जहां तक उत्पाद शुल्क के आबंटन और विभाजन का संबंध है, उन्होंने इसे 20% से बढ़ाकर 40% कर दिया है जिसमें राज्यों को व्यावहारिक रूप में उसका दुगना प्राप्त होगा जो कुछ उन्हें अन्यथा प्राप्त होता। केवल इतना ही नहीं, वित्त आयोग ने विभिन्न राज्यों को धन के बटवारे के मामले में पहले के आयोगों से भिन्न मापदण्ड अपनाया है।

एक माननीय सदस्य एक बहुत सख्त बात कह रहे थे कि उड़ीसा को बहुत ही कम धन प्राप्त हो रहा है। कुछ अन्य सदस्यों ने यह भी पूछा था कि धन के आबंटन या धन के बटवारे का केवल जनसंख्या को ही आधार क्यों बनाया जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। जैसा कि मैंने अपने प्रस्तावना भाषण में कहा है, जनसंख्या को केवल 25% महत्व दिया गया है। इसके लिए कुछ और भी कारण हैं, उदाहरणार्थ, राज्य के गरीब लोगों की संख्या, इसकी प्रति व्यक्ति आय आदि आदि। इन सभी चारों तत्वों में से 25% का प्रत्येक महत्व प्रदान किया गया है। राज्य का आर्थिक पिछड़ापन, प्रति व्यक्ति आय, जनसंख्या और अन्य तत्वों पर विचार किया गया है और एक समान महत्ता प्रदान की गई है। उसी आधार पर वित्त आयोग कुछ निर्णयों पर पहुंचा और उसने तदानुसार सिफारिशें की हैं।

इस बात पर जोर डाला गया है कि राज्यों को अधिकाधिक धन दिया जाना चाहिए। कुछ भी हो वित्त निगम संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित संवैधानिक संस्थान है और सरकार ने इसकी सिफारिशें स्वीकृत कर ली हैं जिन्हें सरकार अब लागू कर रही है। मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस बात को मानें कि जहां तक केन्द्र का संबंध है, कराधान प्रयत्नों के द्वारा अतिरिक्त साधनों को जुटाने की उसकी अपनी सीमाएं हैं। सदन यह बात भली-भांति जानता है कि कराधान प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय हमें कितनी आलोचना का सामना करना पड़ा था और किसी ने इस बात का पक्ष नहीं लिया कि ये केन्द्र और राज्यों के लिए चाहिए। परन्तु मुझे खेद है कि विकास योजनाओं के लिए अतिरिक्त साधनों को जुटाने के बजाय जैसाकि सदन को पता होगा कि 1977 में विधान सभा चुनावों से पूर्व, इस देश के बहुत से राज्यों में, दुर्भाग्य से लागू कर-कानूनों को तोड़ने की होड़ सी लगी हुई थी, जिसके परिणाम-स्वरूप उन राज्यों को लगभग 400 करोड़ रुपये के राजस्व का घाटा उठाना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ ? संविधान में ऐसे अनेक उपबन्ध हैं जिनके अंतर्गत साधनों को जुटाने के लिए राज्य सरकार कर लगा सकती है जिसमें उदाहरणस्वरूप व्यावसायिक कर गिना सकते हैं। कुछ ऐसे

राज्य हैं जिन्होंने यह कर लगाया है और कुछ ने नहीं भी लगाया है। दूसरा कर कृषि-जन्य आय पर होता है, अब चाहे यह कृषि-जन्य आय पर कर हो या जमीन पर कर जैसी कि राज-समिति ने सिफारिश की है। बहुत से राज्यों ने ऐसा नहीं किया है। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कुछ राज्य तो इस ओर उन्मुख हैं और उन्होंने कुछ नए कर भी लगाए हैं उदाहरणस्वरूप पश्चिमी बंगाल सरकार ने ऐसा किया है। हमारे उप प्रधान मंत्री महोदय ने सभी मुख्य मंत्रियों को इस आशय के पत्र भेजे हैं कि अगले पांच वर्षों में अपने योजना खर्चों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त साधनों को जुटाने की आवश्यकता है। इसकी महती आवश्यकता है। इसलिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अतिरिक्त साधन जुटाने आवश्यक हैं। यह अपरिहार्य है और है आवश्यम्भावी तथा उस पथ को अपनाया जाना चाहिए।

जहां तक केन्द्र का संबंध है, हमारे पास जो भी साधन उपलब्ध हैं, हम स्वाभाविक रूप से उन्हें राज्यों को दे रहे हैं। श्री हुकम देव नारायण यादव तथा दूसरों ने एक विशेष मांग उठाई थी कि "चौखम्भा राज" होना चाहिए जिसमें नगरपालिकाएं, जिला परिषदें और पंचायतें भी सम्मिलित हों तथा केन्द्र का आबंटन इसी के अनुसार होना चाहिए। परन्तु अब जहां तक केन्द्र का सम्बन्ध है, हमारे यहां वित्त आयोग है और जितना उत्पाद शुल्क संविधान के विधान अनुसार, हम विभिन राज्यों से एकत्र करते हैं, उनके आबंटन और या भागों में बांटकर देने की हमारी एक निश्चित योजना है। परन्तु पंचायतों और नगरपालिकाओं के बारे में क्या विचार है? उस आधार पर भी, आबंटन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? परन्तु ऐसा कोई आबंटन नहीं किया जाता। मुझे पता है कि पंचायत अधिनियम के अंतर्गत पंचायत को कुछ शक्तियां प्रदान की गई हैं जिसके आधार पर वे कुछ कर लगा सकती हैं परन्तु राज्य स्तर पर उस प्रणाली को कुछ सशक्त करना होगा और स्थानीय निकायों को कुछ अधिक कर लगाने की कुछ शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। परन्तु राज्य सरकारों द्वारा भी स्थानीय निकायों में आबंटन के लिए कुछ तर्कसंगत प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। मैं उस आवश्यकता विशेष को स्वीकार करता हूं।

परन्तु जहां तक हमारा संबंध है, एक आपत्ति यह उठाई गई थी कि हम केवल सीमित धन-राशि देते हैं।

विभाजीय पूल में आयकर पर लगे निगमकर और अधिभार को सम्मिलित करने के संबंध में, सर्वश्री चटर्जी, कौसलराम, डा० रामजी सिंह, हुकम देव नारायण यादव और विश्वनाथन समेत अन्य सदस्यों ने भी अत्यन्त ही जोरदार तर्क पेश किए हैं। जहां तक इसका संबंध है, आज वैसी स्थिति नहीं है। परन्तु सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि प्रधान मंत्री ने इस मास की 19 और 20 तिथि को सारे मुख्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है और उस बैठक-विशेष में जिन विषयों पर चर्चा होगी मुझे यह बताया गया है कि उनमें निगम-कर और आय-कर पर अधिभार का भी भाग सम्मिलित होगा। जब इसे उसमें सम्मिलित कर लिया गया है तो राज्य सरकारों से अलग से वार्तालाप की आवश्यकता कहां रह जाती है?

राज्य सरकारों से हमारे संबंध बड़े ही मधुर हैं। हम एक मनोरम् वातावरण में कार्य कर रहे हैं। उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं हम उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं;

और मुझे पूरा विश्वास है कि जब इन दो विषयों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें 19 और 20 मई, 1979 को दिल्ली में होने वाली मुख्य मंत्रियों की आगामी बैठक में सम्मिलित कर लिया गया है तो समस्या को हल कर लिया जायेगा ।

यह भी बात उठाई गई थी कि दिया गया धन पर्याप्त नहीं है। इसका आबंटन वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है, परन्तु यहीं पर बात समाप्त नहीं हो जाती। जब कभी भी राज्यों की योजनाएं योजना आयोग के सामने आती हैं तो वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अधीन हस्तांतरण करने के अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार राज्य योजनाओं के लिए सहायता प्रदान करती है और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लक्ष के रूप में और सहायतार्थ अनुदान के रूप में सहायता प्रदान की जाती है और इस वर्ष के लिए अर्थात् 1979-80 के लिए राज्य योजनाओं के लिए योजना सहायता राशि के रूप में बजट में 2073 करोड़ रुपए का प्रावधान है। यह तो अतिरिक्त राशि है और केवल इतना ही नहीं केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं को लगभग 1000 करोड़ रुपये की सहायता दी जाती है। यह स्थिति है।

ऐसा कहा जाता है कि राज्यों की मांगों की पूर्ति नहीं हो रही और क्षेत्रीय असंतुलन जिलों के भीतर और जिले से जिलों के बीच फैला हुआ है। वहां ऐसी ही खराब स्थिति बनी हुई है। एक शिकायत यह की गई थी कि संस्थागत वित्त उपलब्ध नहीं हैं। कुछ आंकड़े यह कहते हुए पेश किये गए थे कि महाराष्ट्र के लिए अमुक राशि दी गई जोकि बहुत अधिक थी पंजाब के लिए अमुक जो कि बहुत अधिक थी उड़ीसा के लिए अमुक राशि थी जो कि बहुत कमथी। यहां तक कि पश्चिमी-बंगाल के बारे में भी यह कहा गया था है कि यह बहुत ही कम है। यह बात मैं मानता हूं और इसीलिए भारत सरकार ने रिजर्व बैंक से अब यह कहा है कि आगामी तीन वर्षों में सारे ही देश में लगभग 5000 बैंक शाखाएं खोली जाएं। इसीलिए तो हमने इस बात पर जोर दिया है और कहा है कि इस देश में कोई खण्ड बैंक रहित नहीं रहना चाहिए। हर एक खण्ड में एक बैंक होना चाहिए। यदि मेरी बात सही है तो राष्ट्रीय औसतानुसार प्रत्येक 20,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक शाखा होनी चाहिए। परन्तु कुछ ऐसे भी जिले हैं जहां 60,000 या 70,000 की जनसंख्या के पीछे एक बैंक शाखा है और हमारा यह प्रयत्न रहा है कि सभी बैंक रहित जिलों अथवा बैंक रहित खण्डों में या जहां का औसत राष्ट्रीय औसत से भिन्न है, उन सभी को राष्ट्रीय औसत के समकक्ष लाना है तथा हमारी आकांक्षा यह है कि आगामी तीन वर्षों में, जहां तक इन कमियों, इन अभावों या इसमें विद्यमान कमी का संबंध है, संस्थानगत वित्त की उपलब्धि के बारे में अच्छी तरह याद दिलाया जाता है। अत: ग्रामीण ऋण के बारे में हमने कुछ अधिक निर्देश दिए हैं। बैंक नीति पर फिर से विचार किया जा रहा है। भारत सुरक्षा नियम योजना के अधीन पहले यह केवल $\frac{1}{2}\%$ ही था और हमने इसे उनकी जमा पर 1 प्रतिशत कर दिया है जिसे भारत सुरक्षा नियम के अधीन वितरण के लिए आबंटित किया जाना चाहिए जिससे बीच के किसानों, ग्रामीण कारीगरों, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदि को लाभ हो सके। जहां तक उस स्थिति का संबंध है हम एक दिशा-विशेष में हर सम्भव कदम उठा रहे हैं। अतः मैं यह स्वीकार करता हूँ कि क्षेत्रीय

असंतुलन तो रहेगा और उस मामले के लिए क्षेत्र इतने हैं कि यह करना मेरे लिए बिल्कुल ही असम्भव है। परन्तु अब राज्यों के बीच और राज्यों के भीतर, जिले-जिले के बीच भी इस क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाने की तुरन्त आवश्यकता है जिससे देश समग्रतः फले-फूले और उस प्रकार भी हम एक वैभव-पूर्ण ग्रामीण भारत का निर्माण कर सकते हैं।

यहां पर श्री सोमनाथ चटर्जी एक बात उठा रहे थे, कि छठे वित्त आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर राज्य सरकारों को केन्द्रीय राजस्व का केवल 25.4 प्रतिशत हस्तान्तरित किया गया था। वित्तआयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप केवल थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है, जो कि लगभग 26 प्रति शत ही है। जहां तक केन्द्रीय कर-राजस्व से राज्यों को हस्तान्तरण का सम्बन्ध है, निःसन्देह यह छठे वित्त-आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 26 प्रतिशत था, परन्तु 7वें वित्त-आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप यह बढ़ जायेगा। उदाहरणस्वरूप 1979-80 में, जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने बताया था यह अंश 26 प्रतिशत न होकर 32% होगा। अब केन्द्र के कुल कर राजस्व का पूर्वानुमान लगभग 11487 करोड़ रुपये का लगाया गया है, जिसमें राज्यों का अंश लगभग 3688 करोड़ रुपये है जो कि 32 प्रतिशत बैठता है। आगामी वर्षों में भी, राज्यों के अंशदान पिछले आंकड़ों से पर्याप्त ऊंचे होने की आशा है। अतः श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा दिये गये आंकड़े सही नहीं हैं। उन्होंने एक बात विक्रय-कर के बदले उस अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क के सम्बन्ध में उठाई थी जो कि निकासी मूल्य का 10.8 प्रतिशत होना चाहिये था, परन्तु अभी तक यह 6.8 प्रतिशत ही हुआ है। उन्होंने राष्ट्रीय विकास परिषद के दिसम्बर, 1970 के फैसले का हवाला दिया था। राष्ट्रीय विकास परिषद ने दिसम्बर, 1970 में एक निर्णय लिया था। उन्होंने उस निर्णय की पृष्ठभूमि में इस आंकड़े-विशेष का हवाला दिया है। यह निर्णय लिया गया था कि मूल-कर और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क में 2:1 का अनुपात रहना चाहिये (मूल उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क जो कि इन तीनों वस्तुओं पर विक्रय-कर के बदले में है) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क निकासी मूल्य का 10.8 प्रतिशत होना चाहिये। पहले 3.74:1 का अनुपात था। वे 2:1 की मांग कर रहे थे। दिसम्बर, 1970 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने यह निर्णय लिया था कि यदि उत्पाद-शुल्क 2 है तो अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क होगा 1। इस अनुपात को बनाये रखा जाना चाहिये, क्योंकि राज्यों की यह शिकायत है कि आप मूल उत्पाद-शुल्क की दर में वृद्धि करते हैं और कभी भी अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की दर में वृद्धि नहीं करते जो कि राज्यों को एकान्तिक-रूप में 100 प्रतिशत दिया जाता है। इसलिये उनको हानि उठानी पड़ती है। इसलिये राष्ट्रीय विकास परिषद ने 1970 में सुझाव दिया था कि इस अनुपात को 2:1 बनाये रखना चाहिये। इससे पहले अनुपात 3.74:1 था। इसके पश्चात् 1979-80 में यह अनुपात घटकर 2.28:1 हो गया है। अतः हम 2 अनुपात के करीब ही हैं। इस लक्ष्य को हम समय के अन्तर्गत प्राप्त कर लेंगे और हम इस स्तर को बनाये रखने में समर्थ रहेंगे। इस रूप में माननीय सदस्य की यह शिकायत उचित नहीं है। जहां तक 10.8 प्रतिशत स्तर को प्राप्त करने अथवा वृद्धि करने का सम्बन्ध है, यह सम्भव नहीं है। मेरा विचार है कि श्री विश्वनाथन द्वारा यह बात उठायी गई थी कि विद्युत पर जो शुल्क लगाया जाता है उसको राज्यों में विभाजित कर देना चाहिये। इसके लिये प्रारम्भ में ही मैंने बताया था कि इस सम्बन्ध में हम एक विधेयक लाने के लिये उत्सुक हैं। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त है इस प्रकार के विधेयक को इस सत्र में ही

पुर:स्थापित किया जायेगा। यह इस सत्र में किसी कारण से नहीं किया जा सका तो अगले सत्र में तो अवश्य ही पुर:स्थापित कर दिया जायेगा। इससे उनकी बात की पुष्टि हो जायेगी। उन्होंने तमिलनाडु तथा गुजरात में मद्यनिषेध के कारण हुए राजस्व घाटे का भी जिक्र किया है। यह बात सच है कि उन्होंने अपने मामले को वित्त आयोग के समक्ष रखा था वित्त आयोग ने कहा है कि गुजरात तथा तमिलनाडु में मद्यनिषेध कुछ वर्ष पूर्व लागू किया गया था। आयोग ने इन राज्यों को किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देने की कोई भी सिफारिश नहीं की है। आयोग का कहना है कि इन राज्यों के मामलों में हुए घाटे का अनुमान काल्पनिक है। तथा काल्पनिक घाटे को राजस्व के रूप में क्षतिपूर्ति के लिये स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इस सिफारिश के बारे में आयोग का यह तर्क है कि अनुच्छेद 275 के अनुसार राज्यों को आवश्यक सहायक अनुदान को सुनिश्चित करने के लिये स्वंय राज्य सरकारों द्वारा ही भेजे गये आय-व्यय के पूर्वानुमान का आयोग द्वारा निर्धारण किया जाता है। आधार वर्ष के आय-व्यय पर आयोग अतीत की प्रवृत्तियों तथा अन्य उपलब्ध ब्यौरों पर आधारित कतिपय विकास दरों को लागू करता है। आधार वर्ष में आय जितनी भी कम होगी उतना ही अधिक आय तथा व्यय के अन्तर को केन्द्रीय सरकार की सहायता से पूरा करने की आवश्यकता अधिक होगी। गुजरात तथा तमिलनाडु राज्य सरकारों ने कुछ वर्ष पूर्व मद्यनिषेध लागू किया था इसलिये उनकी आधार वर्ष की आबकारी शुल्क से प्राप्त आय उन अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम होगी जिन्होंने अभी तक पूरी तरह से मद्यनिषेध लागू नहीं किया है। उनके निर्णय के अन्तर्गत आने वाली अवधि के अनुसार राज्यों की आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों का आयोग द्वारा निर्धारण करने में पहले ही मद्यनिषेध लागू करने का प्रभाव प्रतिबिंबित होता है। इसलिये हुये घाटे को किसी विशेष क्षतिपूर्ति द्वारा पूरा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। इसके अलावा, इन दोनों राज्यों ने अपने यहां कुछ वर्ष पूर्व मद्यनिषेध लागू किया था और इसके परिणामस्वरूप जो राजस्व का घाटा हुआ था उसको पूर्व के वित्त आयोगों ने ध्यान में रखा होगा। वास्तव में यदि इन राज्यों को पूर्व के आयोग के निर्णय के अनुसार कोई सहायक अनुदान नहीं दिया गया तो इससे स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आयेगा क्योंकि इसका यही तात्पर्य है कि राज्य में मद्यनिषेध लागू करने के फलस्वरूप हुए राजस्व घाटे के बावजूद भी अपनी गैर-योजना आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है (तमिलनाडु को तृतीय, चतुर्थ तथा पांचवें आयोगों के निर्णय के अनुसार सहायक अनुदान दिया गया था)

श्री के० टी० कोसलराम (तिरूचेंडूर) : पंजाब राज्य तमिलनाडु राज्य की अपेक्षा अधिक औद्योगीकृत राज्य है। फिर भी पंजाब को 300 करोड़ से अधिक दिया गया है तथा तमिलनाडु को 280 करोड़ रु० दिये गये हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : पंजाब को कुल 419.54 करोड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया है तथा तमिलनाडु को कुल 1503 करौड़ रुपये का हस्तांतरण किया गया है। क्या यह कम है अथवा अधिक है ? इसी प्रकार उड़ीसा को भी 984.45 करोड़ रुपये दिये गये हैं।

सातवें वित्त आयोग (1979-84) द्वारा राज्यों को पूंजी हस्तांतरण करने तथा ऋण देने के बारे में किये गये प्राक्कलन के विवरण को मुझे पढ़ने की अनुमति दी जाय। इस विवरण में

आयकर, विद्युत को छोड़कर प्राथमिक उत्पाद-शुल्क, उत्पाद शुल्क (विद्युत) अतिरिक्त उत्पाद-शुल्कों—जिसमें राज्यवार सम्पदा कर के वितरण अंकित नहीं किया गया है, रेल यात्री भाड़ा शुल्क के बदले अनुदान, अनुच्छेद 275 के अन्तर्गत अनुदान, राजस्व के अन्तर को पूरा करने का अनुदान, अनुदान में वृद्धि करना आदि के कुल आंकड़े दिये गये हैं।

जहां तक आन्ध्र प्रदेश का सम्बन्ध है इसका कुल पूंजी हस्तांतरण 1522.38 करोड़ रुपये का है, असम का 518.65 करोड़ रुपये है, बिहार का 2212.76 करोड़ रुपये है, गुजरात का 963.88 करोड़ रुपये है, हरियाणा का 308.67 करोड़ रुपये है तथा हिमाचल प्रदेश की 325.07 करोड़ रुपये है।

जम्मू तथा कश्मीर	—	377.00	करोड़
कर्नाटक	—	1005.01	„
केरल	—	770.33	„
मध्य प्रदेश	—	1597.44	„
महाराष्ट्र	—	1714.06	„
मणिपुर	—	194.03	„
मेघालय	—	134.16	„
नागालैंड	—	240.58	„
उड़ीसा	—	984.45	„
पंजाब	—	419.54	„
राजस्थान	—	902.81	„
सिक्किम	—	36.85	„
तमिलनाडु	—	1503.59	„
त्रिपुरा	—	199.96	„
उत्तर प्रदेश	—	3314.62	„
पश्चिमी बंगाल	—	1597.12	„
कुल हस्तांतरण		20842.96	करोड़

इसके अलावा ऋण के द्वारा सहायता देने की भी एक योजना है जिसे सहायता के रूप में राज्यों को दिया जाता है इसके आंकड़े 2155.80 करोड़ रु० हैं।

कुल राशि 22998.76 करोड़ रुपये हैं। आपने सम्पदा शुल्क के रूप में 64 करोड़ रुपये और सम्मिलित किये हैं, जो इसके अतिरिक्त उनको दिया जाता है। राज्यवार वितरण का ब्यौरा नहीं दिया गया है। इसके पश्चात कुल योग 23062.76 करोड़ रुपये आता है।

इसलिये मैं आदरपूर्वक यह निवेदन करता हूँ कि यह शिकायत उचित नहीं है।

श्री गोटखिण्डे ने एक मामला उठाया है कि वस्त्रों के मामले में सिक्किम का शेयर क्यों नहीं है ? समझौते के अनुसार यह निश्चय किया गया है कि इन वस्तुओं जैसे चीनी, तम्बाकू, तथा टैक्सटाइल अर्थात वस्त्रों पर बिक्री कर नहीं लगाया जायेगा। तथा विशेष मानदण्ड यह है कि जो कुछ भी एकत्रित किया जायेगा उसको राज्यों के बीच वितरित कर दिया जायेगा । लेकिन सिक्किम में वस्त्रों पर बिक्री कर लगा हुआ है, जहां तक वस्त्रों पर शुल्क लगाने का सम्बन्ध है, सिक्किम को शेयर प्राप्त नहीं हो रहा है ।

प्रो० शिब्बन लाल सक्सेना (महाराजगंज) : सभी राज्यों में मद्यनिषेध लागू करने के कारण कुल कितनी धनराशि का घाटा होगा ?

श्री सतीश अग्रवाल : जहां तक मुझे याद है अबकारी शुल्क से होने वाला कुछ राजस्व का घाटा 500 करोड़ रु० का है ।

जहां तक उड़ीसा के शेयर की बात है वह पंजाब से भी कम है जबकि उड़ीसा की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 5 प्रतिशत है, इस बात को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं ।

श्री कोसलराम ने गैर-तैयार शुदा तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क हटा देने के सम्बन्ध में एक मुद्दा उठाया है, जिसके कारण आंध्र प्रदेश को राजस्व हानि होने के बारे में उन्होंने बताया है। ऐसा नहीं है । एक राज्य में जो भी उत्पाद शुल्क एकत्रित किया जाता है, उसको राज्य को ही दे दिया जाता है । यह विभाज्य राशि के अन्तर्गत आता है । लेकिन चूंकि गैर-तैयार शुदा तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी कम अथवा अधिक इसको तैयार शुदा तम्बाकू पर हस्तांरतरित कर दिया गया है। अतः कोई भी राजस्व हानि नहीं हुई है । जहां तक मुझे याद है यह 121 करोड़ रुपये के करीब है। इसको तैयार शुदा तम्बाकू पर लागू कर दिया गया है । इसलिए जहां तक उत्पाद शुल्क का सम्बन्ध है उसके किसी भी प्रकार से कम होने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता है । यदि ऐसा किया भी जाता है तो किसी विशेष राज्य को घाटा नहीं होगा । क्योंकि जो सारी धनराशि शुल्क के रूप में एकत्रित की जाती है वह विभाज्य राशि के अन्तर्गत आती है । इसके पश्चात् वित्त आयोग इसका आवंटन करता है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसा क्यों किया गया है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता है । अतः इस रूप में आन्ध्र प्रदेश को घाटा होगा । वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि उत्पन्न होने वाले मुद्दों से निपटने के लिए तथा आंकड़ों को उपलब्ध कराने के लिए कुछ पृथक कक्ष स्थापित किये जाने चाहिए । कुछ लोगों ने अनुरोध किया है कि एक स्थायी वित्त आयोग होना चाहिए। वित्त आयोग ने उसके बारे में कोई सिफारिश नहीं की है लेकिन यह शिफारिश की है कि वित्त मंत्रालय अथवा योजना आयोग में कुछ सुनियोजित कक्ष होने चाहिएं ताकि पूरे व र्ष आंकड़े एकत्रित करने, सूचना देने तथा सचिवालय सम्बन्धी कार्य को किया जा सके । ताकि जब भी कोई वित्त आयोग स्थापित किया जाता है तो उसको सारे आंकड़े उपलब्ध किये जा सकें। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इस प्रकार का कक्ष वित्त मंत्रालय में स्थापित किया जायेगा। जो विभिन्न राज्यों से सभी मम्बन्धित आंकड़ों को एकत्रित करके तथा उन्हें अद्यतन रूप में अपने पास रख सकता है। ताकि जब भी कोई वित्त आयोग स्थापित किया जाता है तो उसको इन आंकड़ों को उपलब्ध कराया जा सके ।

मेरे विचार से न्यूनाधिक मैंने सभी बातों का उत्तर दे दिया है। मुझे उम्मीद है कि जब भी माननीय सदस्य अपने सम्बन्धित राज्यों को जायेंगे तो वे राज्य सरकारों को और अधिक अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की कोशिश करने के लिए कहेंगे। जिसके बारे में माननीय उप-प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों को पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि 4000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की आवश्यकता है। इस देश के विकास के लिए हमें एक लम्बा रास्ता तय करना है। इसके लिए अतिरिक्त संसाधनों को जुटाने की बहुत आवश्यकता है। इसके बिना कोई भी योजना तथा विकास परियोजना सफल नहीं हो सकती। इस स्थिति में हम हमेशा ही बहुत सहायक रहे हैं। राज्यों में जो भी समस्यायें उत्पन्न होती हैं उनको राज्य स्तर पर ही हल किया जाना चाहिए। लेकिन हमने एक स्पष्ट आदर्श प्रस्तुत किया है। उदाहरण के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के जल की सप्लाई की समस्या को हल करने के लिए पहली बार संभवतः 1977 में बजट में 40 करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। 1978 में इस धनराशि को बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये किया गया तथा 1979 में बढ़ाकर इस धनराशि को 80 करोड़ रुपये कर दिया गया है। प्रत्येक मनुष्य की इस मौलिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार इस समस्या को हल करने के लिये आवश्यक समुचित धनराशि देने में संकोच नहीं करेगी। दुर्भाग्यवश देश के विकास पर 30 वर्षों से व्यय करते हुए भी आज भी 116,000 गावों में पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इस विशिष्ट मामले के बारे में हमने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है। इसके अलावा अन्य विभिन्न उपाय भी हैं। जब भी किसी राज्य में कोई प्राकृतिक विपत्ति आती है तो केन्द्रीय सरकार कार्यालय सम्बन्धी कार्यवाहियों को पूरा किये बगैर ही राज्य सरकारों के बचाव के लिए सामने आती है। अन्यथा कितनी सहायता की आवश्यकता है इसके बारे में ब्रह्मानन्द रेड्डी आयोग ने यह सिफारिश की थी कि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के बिना सहायता नहीं देनी चाहिए। लेकिन सभा को इस तथ्य की अवश्य जानकारी होगी कि, रिपोर्ट प्राप्त होने की इंतजार किये बगैर ही केन्द्रीय सरकार ने हमेशा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, पश्चिमी बंगाल इत्यादि राज्यों को तूफान तथा अन्य प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता प्रदान की है। अतः हम बारीकियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। राज्यों के साथ हमारे बहुत ही सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हैं। किसी प्रकार के विरोध करने का प्रश्न ही नहीं है। माननीय सदस्यों से मैं यह निवेदन करता हूं कि वे इस प्रकार की भावना उत्पन्न न करें कि केन्द्र तथा राज्यों के बीच किसी प्रकार का टकराव है।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : राज्यों को प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए जो सहायता दी जाती है वह सम्बन्धित राज्य के योजना आबंटन से अलग होती है। इस लिए ऐसे अवसर पर सहायता की धनराशि देना तो स्वागत योग्य है लेकिन सम्बन्धित राज्य की योजनायें अस्त-व्यस्त हो सकती हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : यह बात सच है कि यह अग्रिम योजना सहायता के रूप में है लेकिन पहले के वित्त मंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि इसकी वजह से राज्यों की विकासीय योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। राज्य सरकारों को इस ओर ध्यान देना चाहिये कि सभी विकास सम्बन्धी परियोजनाओं को ईमानदारी, विश्वसनीयता तथा समयबद्ध रूप में

क्रियान्वित किया जाए। अन्यथा मूल्यों में वृद्धि हो जाती है। इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकारों की है। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट समय तथा अनुबद्ध समय में ही पूरा किया जाये तो मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी तथा उस धनराशि से ही हम और अधिक परियोजनाओं को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : जब किसी विशेष विपत्ति के समय केन्द्रीय सहायता दी जाती है, तो यह सहायता योजना आबंटन को ध्यान में रखते हुए दी जाती है। और जितनी धनराशि दी जाती है उस सीमा तक राज्य का योजना आबंटन अस्त व्यस्त हो जाता है। यदि आप इस बात का आश्वासन देते हैं कि योजना आवंटन के अन्तर्गत जो वितरण है उसको बाद में अतिरिक्त धनराशि द्वारा पूरा किया जायेगा तो इससे समस्या हल हो सकती है।

श्री सतीश अग्रवाल : इस विशेष मामले के सम्बन्ध में पहले वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल द्वारा एक आश्वासन दिया गया था कि यह धनराशि एक अग्रिम योजना सहायता के रूप में होगी। लेकिन उसके कारण राज्यों की विकासीय योजनाओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दिया जायेगा। मैं न तो इसमें कोई संशोधन कर सकता हूं और न ही मैं पहले वित्त मंत्री द्वारा किये गये आश्वासन में कोई संशोधन करने के लिये सक्षम हूं। आप ही उसका मूल्यांकन करेंगे।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : वर्तमान वित्त मंत्री के बारे में आपके क्या विचार हैं ?

श्री सतीश अग्रवाल : यह प्रश्न वर्तमान वित्त मंत्री के सामने नहीं लाया गया है। लेकिन यदि इसको हमारे सामने लाया जाता है, तो हम इसकी ओर ध्यान देंगे। आखिरकार यह एक राष्ट्रीय विपत्ति है और यह किसी विशेष राज्य अथवा किसी एक जिले तक ही सीमित नहीं है। लेकिन केन्द्रीय सरकार का भण्डार अक्षयपूर्णा नहीं है। इसकी भी सीमायें हैं। आप भली भांति जानते ही हैं कि जब हमने बजट प्रस्तावों अथवा वित्तीय प्रस्तावों अथवा कर प्रस्तावों को प्रस्तुत किया था तो हमें कितनी अधिक आलोचना का सामना करना पड़ा था। तथा बड़ी मुश्किल से आपके सहयोग से हम उन्हें पास कराने में सफल हो सके हैं।

वित्त-आयोग, आवंटन, हिस्सेदारी, राज्य समस्याओं आदि के सम्बन्ध में जो सृजनात्मक सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं मैं उसके लिये एक बार फिर उनका धन्यवाद करता हूं। उन सुझावों में जो कुछ भी संगतता या उपयुक्तता होगी उसपर हम विचार करेंगे।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और सदन से यह प्रत्याशा और निवेदन करता हूं कि इन तीनों विधेयकों को सर्वसम्मति से स्वीकार करके आज ही इन्हें पास किया जाय।

श्री बी० राचैया (चामराज नगर) : केन्द्र सरकार उस धन पर 3 से 4 प्रतिशत तक ब्याज प्राप्त करती है जो विश्व बैंक द्वारा बिना ब्याज के दिया जाता है और राज्य सरकारों को जो सहायता दी जाती है, उसका वह 25 प्रतिशत अपने पास रख लेती है। मुझे उसके बारे में उत्तर चाहिये।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि मैं भूल नहीं कर रहा हूं तो जहां तक मुझे याद है, विश्व-बैंक परियोजनाओं के अन्तर्गत ऐसी बात नहीं है कि सभी राज्यों को यह प्रत्यक्ष रूप से मिलती हो।

विश्व बैंक समूह को जितनी भी योजनाओं की सहायता करनी होती है, उनको केन्द्रीय सरकार के माध्यम से ही होकर जाना पड़ता है और उन्हें योजना में सम्मिलित करना पड़ता है। केन्द्र इन परियोजनाओं के लिए जो सहायता देता है, वह सब रुपया केन्द्रीय पूल में आता है और फिर इसे राज्यों को दिया जाता है। परन्तु आप यह बात मानेंगे कि देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां विश्व बैंक की सहायता से परियोजनाएं नहीं चल रही हैं। अतः उन राज्यों को हानि रहेगी। इस प्रकार कुल धन केन्द्रीय पूल में आता है और उसमें से उन राज्यों को योजना के अन्तर्गत सहायता दी जाती है। पहले प्रतिशत केवल 25 ही था 1978-79 में हमने इसे 75 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। उन्हें यह केन्द्रीय पूल से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलेगा।

श्री बी० राचैया : ब्याज के बारे में क्या ख्याल है ?

श्री सतीश अग्रवाल : वह सब पूल में डाल दिया जाता है। हम इसमें से कोई लाभ नहीं कमा रहे हैं, उसके बारे में आप निश्चिंत रहें।

श्री अण्णासाहिब गोटखिडे (सांगली) : मैं मन्त्री का धन्यवादी हूं कि उन्होंने मेरी एक बात का तो उत्तर दे दिया परन्तु उन्होंने मेरी अन्य दो बातों का उत्तर नहीं दिया है। उत्पाद-शुल्क पर चल रही बहस को तो गन्ना-उत्पादकों पर ले जाया जा सकता है और जब विभाजीय अंशदान को 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कर दिया गया तो महाराष्ट्र का अंश कम कैसे हो गया ?

श्री सतीश अग्रवाल : इस प्रकार तो कुल कर राजस्व विभाजीय पूल को आता है। राज्यों को 20 प्रतिशत आवंटन करने के बजाय, अब यह 40 प्रतिशत हो जायेगा। परन्तु प्रत्येक राज्य को कितना धन दिया जायेगा उसके लिए अलग से मापदण्ड हैं। प्रथमतः कृप्या आपको समझना चाहिये कि 20 से 40 प्रतिशत का अर्थ है कि वह कुल जोड़ राजस्व जो विभाजीय पूल में आयेगा और विभाजीय पूल से प्रत्येक राज्य को कितना आयेगा, उसके लिए वित्त-आयोग ने एक मानदण्ड निर्धारित किया हुआ है उदाहरणस्वरूप, जनसंख्या, आर्थिक पिछड़ापन, प्रतिव्यक्ति आय आदि पर 25 प्रतिशत महत्व दिया जाता है। इस आधार पर प्रत्येक राज्य को धनराशि आवंटित की जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप 200 करोड़ रुपये का उत्पाद-शुल्क राजस्व दे रहे हैं तो आपको 80 करोड़ रुपये मिलेंगे। वह तो वास्तव में एक मिथ्यानाम है।

श्री अण्णासाहिब गोटखिडे : क्या उत्पाद-शुल्क पर दी गई छूट गन्ना-उत्पादकों को दे दी जायेगी ?

श्री सतीश अग्रवाल : प्रश्न ही नहीं उठता। उत्पाद-शुल्क तो विक्रय-कर के बदले में होता है। इसे हम गन्ना उत्पादकों को कैसे दे सकते हैं ?

श्री अण्णासाहिब गोटखिडे : मैं अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क की बात कर रहा हूं। क्या सरकार इस सुझाव को स्वीकार करने को तैयार है क्योंकि चीनी उद्योग एक कठिन दौरे से गुजर रहा है ?

श्री सतीश अग्रवाल : यदि आप 2,000 करोड़ रुपये के घाटे को पूरा करने के लिए सहमत हो जायें तो मैं सदन का हर सुझाव मानने को तैयार हूं।

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 13, 14 और 15 पर विचार करेंगे । यद्यपि उनपर एक साथ विचार हुआ था तथापि मतदान के लिये मैं उन्हें अलग-अलग पेश करूंगा । सर्वप्रथम हम संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) विधेयक लेंगे ।

प्रश्न यह है :

"भारत की संचित निधि में से उन राज्यों को जिन पर शुल्क अधिरोपित करने वाली विधि का विस्तार है कतिपय संघ उत्पाद-शुल्क के शुद्ध आगमों के भाग के समतुल्य राशि संदत्त करने का तथा वित्त आयोग द्वारा 28 अक्तूबर, 1978 की रिपोर्ट में सिफारिश किये गये सिद्धांतों के अनुसार उन राज्यों में उन राशियों के वितरण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 6 तक विधेयक का अाग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 से 6 तक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयम पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 14, सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक पर विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि सम्पदा शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़े गये ।

(खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़े गये ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम मद संख्या 15, अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) संशोधन विधेयक पर विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और शीर्षक विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री सतीश अग्रवाल : इससे पहले कि विधेयक को पारित करने के लिये अन्तिम प्रस्ताव को प्रस्तुत करूं, मैं इस सदन में सभी सदस्यों से मिले सहयोग के लिये गहन प्रशंसा प्रकट करता हूं ।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त के तेइसवें और चौबीसवें प्रतिवेदनों के सम्बन्ध में प्रस्ताव

सभापति महोदय : अब हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों को विचारार्थ लेंगे । इस कार्य के लिये कुल 12 घन्टे का समय दिया गया है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मण्डल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों पर, जो क्रमशः 1 मार्च, 1978 और 9 मई, 1978 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करे ।"

सभापति महोदय : मेरे पास केवल दो नाम हैं । मण्डल जी क्या आप नहीं बोल रहे हैं ? क्या आप बोलना नहीं चाहते ?

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : महोदय, वह क्यों बोलें ?

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी मावलंकर (गांधीनगर) : महोदय, वह तो तीन साल से इन दो प्रतिवेदनों पर, विचार करने की सभा से मांग कर रहे हैं । उन्हें प्रस्तावना के रूप में कुछ कहने दें ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : जो भी हो, किसी व्यक्ति पर दबाव नहीं डाला जा सकता । श्री के० के० मूर्ति कैसे बोल सकते हैं ?

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : सभापति महोदय, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के तेइसवें और चौबीसवें प्रतिवेदनों पर अपनी कुछ टिप्पणियां देना चाहता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, प्रतिवेदन बीते काल से सम्बद्ध है । अतः उन्हें हमारी स्मृति को नया करना होगा । वे सभा को प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु, उनकी कुछ मुख्य विशेषताएं, मुख्य रूपरेखाएं पहले बतायें, तभी हम इन पर विचार-विमर्श कर सकते हैं ।

श्री रवीन्द्र वर्मा : महोदय, परिपाटी यह नहीं है कि जब कोई मन्त्री ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करता है तो कुछ बोलता है । वह तो केवल बहस का ही उत्तर देता है । ऐसा करना न ही आवश्यक है और न ही सदन की यह परिपाटी रही है ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : मेरे विचार से श्री मूर्ति को कोई मार्गदर्शन नहीं चाहिये ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर : महोदय, मैं इस बात पर काफी गम्भीर हूं । मेरा आपके विचारार्थ निवेदन है कि प्रस्ताव यह है :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के वर्ष 1974-75 और 1975-76 तथा 1976-77 के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों पर,

जो क्रमशः 1 मार्च 1978 और 9 मई, 1978 को सभा पटल पर रखे गये थे, विचार करे ।"

महोदय, ये प्रतिवेदन 1974 से 1977 तक के तीन वर्षों की अवधि से सम्बन्धित हैं ।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इस पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ । इस समय मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए; परन्तु मुझे कुछ खेद है कि चूंकि दो दिन पूर्व यह घोषणा कर दी गई थी कि यह विषय उठाया जायेगा तो माननीय सदस्यों से यह आशा की जाती है कि वे सारे मामले का अध्ययन करते। उनको केवल उस पर ही निर्भर नहीं करना चाहिये जो मन्त्री महोदय कहते हैं।

(व्यवधान)

यह आम परिपाटी नहीं है । वह केवल तभी उत्तर देंगे जब सारा वाद-विवाद समाप्त हो जायेगा ।

अब मैं कोई टिप्पणी नहीं देना चाहता । परन्तु अभी तक मुझे दो नामों को छोडकर और कोई नाम नहीं मिले हैं । इससे इस वाद-विवाद के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों की गम्भीरता का पता चलता है ।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के 23वें और 24वें प्रतिवेदनों पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं।

23वां प्रतिवेदन वर्ष 1974-75 से तथा 24वां प्रतिवेदन वर्ष 1975-76 तथा 1976-77 से सम्बन्धित है । अब तक सभा में 22 प्रतिवेदनों पर विचार किया जा चुका है । सरकार को 23वें तथा 24वें प्रतिवेदन को प्राप्त किये एक वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है । लेकिन सभा में महत्वपूर्ण कार्यों को निपटाने के कारण इन प्रतिवेदनों पर चर्चा नहीं की जा सकी है । इसके अलावा जो नवीनतम प्रतिवेदन है, वह केवल वर्ष 1976-77 से ही सम्बन्धित है । लेकिन अब वर्ष 1979-80 चल रहा है। अतः यह बात स्पष्ट है कि वर्ष 1977-78 तथा 1978-79 के प्रतिवेदनों पर इस समय चर्चा नहीं की जा सकेगी । अतः हम तीन वर्ष पूर्व के मामलों से सम्बन्धित प्रतिवेदनों पर विचार करेंगे । इन प्रतिवेदनों में जो सुझाव तथा टिप्पणियां की गई हैं वे भी मुख्यतः तीन वर्ष पूर्व की ही हैं । इनमें से कुछ समय-अन्तराल में निरर्थक हो गई हैं । मेरे विचार में सरकार के लिये यही एक अच्छा उपाय है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की वर्तमान समस्याओं को सुलझाया जाये । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महत्वपूर्ण समस्याओं को दूर करने का यही एक तरीका है। जहां तक इन प्रतिवेदनों पर चर्चा करने का सम्बन्ध है, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ।

आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी यह देखना है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये जो संरक्षण सम्बन्धी प्रावधान हैं, उनको किस प्रकार से क्रियान्वित किया जा रहा है । इसकी परिकल्पना करना उचित है कि सरकार इस समय भारत में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की हालत से पूरी तरह परिचित है क्योंकि इस सम्बन्ध में 22 बृहत प्रतिवेदनों पर विचार किया जा चुका है ।

प्रारम्भ में ही मैं यह कहना चाहता हूं कि यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आज हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर उनके जन्म स्थान पर ही हो रहे अत्याचारों की समस्या पर विचार करना है। सरकार इस बात से भली-भांति परिचित है कि कितनी बार अत्याचार किये गये हैं, किस प्रकार के अत्याचार किये गये हैं, किन-किन स्थानों पर अत्याचार हुए हैं और इनके दिन प्रतिदिन बढ़ने के क्या कारण हैं? दिन में तथा रात में हरिजनों पर बड़े पैमाने पर अत्याचार किये जा रहे हैं। ये अत्याचार पहली सरकार के शासन में कम थे अथवा वर्तमान सरकार के शासन में अधिक हो रहे हैं यह मुख्य बात नहीं है, लेकिन मुख्य बात यह है कि समय-समय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर ही अत्याचार क्यों किये जाते हैं? इस समस्या का यही मूल प्रश्न है। इसके अलावा बहुत से अवसरों पर ऐसा देखा गया है कि सरकार गूंगी तथा असहाय रूप में इन अत्याचारों को देखती रही है। इसके अलावा, हरिजनों पर अत्याचारों के होने की संभावना की पहले सूचना प्राप्त करने के उपरान्त भी सम्बन्धित अधिकारियोंने, बहुत ही पक्षपात रवैया अपनाया है। इस तथ्य को पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई बार स्वीकार किया जा चुका है।

हरिजनों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट है कि निहित स्वार्थ तथा भूस्वामी वर्ग हरिजनों को समूह के रूप में ही मारने के पक्ष में नहीं है बल्कि उनको यह दिखाकर आतांकित भी किया जाता है कि यदि हरिजनों ने सिर उठाया तो उसके क्या परिणाम होंगे। यदि हरिजन लोग उप-मानव के रूप में ही रहें तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि वे अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को प्राप्त करने के अधिकार की बात करते हैं, तो उन पर अत्याचार किये जाते हैं तथा हरिजनों को तरह-तरह के भय दिखाये जाते हैं।

ऐसे उदाहरण मोजूद हैं जबकि हरिजनों के पूरे गांवों को ही जला कर राख कर दिया गया है। ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जबकि असहाय हरिजन महिलाओं को सभी प्रकार से सताया गया है, जिसमें उनके साथ अमानवीय बलात्कार भी सम्मिलित हैं। ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जबकि निर्दोष बच्चों को कत्ल किया गया तथा उन्हें जिन्दा जलाया गया है। ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं जबकि युवा, वृद्धा तथा बीमार एवं गर्भवती महिलाओं के साथ भयंकर रूप से बलात्कार किये गये हैं। इन घटनाओं के अधिकतर स्थानों पर मैंने व्यक्तिगत रूप में जाकर इन दुष्कृत्यों के शिकार हुए लोगों से वातचीत की है। मेरा यह अनुभव है कि यद्यपि सरकार इन समस्याओं को सख्ती से निपटाने के लिये बहुत ही उत्सुक है किन्तु जिन अधिकारियों को यह काम सौंपा जाता है वे बहुत ही पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हैं। यहां तक कि उनके जीवन संरक्षण का भी उल्लघंन किया गया है। इन लोगों को न्यूनतम न्याय दिलाना चाहिये। इस सम्बन्ध में पुलिस बल का महत्वपूर्ण योगदान होता है। कुछ मामलों में हमने देखा है कि पुलिस वालों ने न केवल अपने कर्त्तव्य का उल्लधंन किया है बल्कि असहाय हरिजनों को सताने के लिये अमीर तथा भूस्वामियों की मदद की है। हमने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं, तथा बिहार तो इस तथ्य का साक्ष्य है। मेरा स्पष्ट तथा विशिष्ट प्रश्न यह है कि इस सम्बन्ध में ऐसे पुलिस अधिकारियों से निपटने के लिये जिन्होंने जानबूझकर अपने उत्तरदायित्व का उल्लघंन किया है सरकार ने क्या कार्यवाही की है? मुझे पूरा विश्वास है कि जब कभी भी उन्होंने अपने कर्त्तव्य का स्पष्ट रूप में उल्लघंन किया है, तो उनके खिलाफ बहुत ही कम कार्यवाही की गई है। मेरा विचार है कि इस समस्या को तभी हल किया जा सकता है जबकि जिन

अधिकारियों को इस कार्यभार को सौंपा जाता है और वे इसे पूरा नहीं करते हैं, तो उनको स्पष्ट रूप से दण्डित किया जाना चाहिये। अन्यथा यह समस्या हल नहीं हो सकती। इसलिये सरकार के लिये यह बहुत ही आवश्यक है कि एक ऐसी पद्धति को अपनाये जिसके अन्तर्गत इस प्रकार के अधिकारियों को कठोर दण्ड दिया जाये।

इसके अलावा, जैसा कि कालेलकर आयोग द्वारा सुझाव दिया गया है, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित-जनजातियों के लोगों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तथा पुलिस-निरीक्षकों एवंम् उप-निरीक्षकों की श्रेणी में इन लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिये जो कम-से-कम 30 प्रतिशत तक होना चाहिये। इससे पुलिस की ओर से उचित संरक्षण देने की अपेक्षा की जा सकती है। हमने ऐसे बहुत से मामले देखे हैं जिनमें अत्याचार चाहे किसी भी प्रकार का किया गया हो अपराधी सामान्यतः छूट जाते हैं। इसका कारण बहुत ही साधारण सा है। इस प्रकार के समाज में, जो जाति तथा सम्प्रदाय के पूर्वाग्रह पर आधारित हो, न्यूनतम न्याय की अपेक्षा करना असंभव है। कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में, हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि वे न्यायपालिका में काफी संख्या में पद प्राप्त कर सकें। यह बहुत ही आवश्यक है।

सरकार ने आपातकाल से पूर्व, आपातकाल के दौरान तथा आपातकाल के पश्चात, किये गये अपराधों से निपटने के लिये विशेष न्यायालयों से सम्बन्धित एक विधेयक को बड़ी ही तत्परता के साथ पुरःस्थापित किया है। लेकिन हरिजनों पर जिस प्रकार के अत्याचार किये जा रहे हैं, वह एक बहुत ही गंभीर मामला है, स्थिति बिगड़ती जा रही है और इस समय स्थिति विस्फोटक बनी हुई है। लेकिन हमें अत्यन्त जिज्ञासा बनी हुई है कि इस मामले पर सरकार चुप्पी क्यों साधे हुए है और इस समय बिल्कुल असहाय के रूप में क्यों है। इसलिये मैं सरकार का विशेष ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि देश में हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों की समस्या से निपटने के लिये विशेष न्यायालयों को स्थापित किया जाय। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाती है जिसमें इस प्रकार के मामलों को तेजी के साथ निपटाया जाये तथा अपराधियों को बिना किसी विलम्ब के सज़ा दी जाये तब तक इन जातियों के लोगों को न्याय तथा संरक्षण दिलाना बहुत ही कठिन कार्य है। इस मामले से निपटने के लिये सरकार द्वारा इस प्रकार टालमटोल करना निश्चय ही उसके लिये प्रतिकूल होगा। हमने देखा है कि हमारी संघीय प्रणाली में दोहरी जिम्मे-दारी अपनाई जाती है। जब भी हरिजनों पर अत्याचार किये जाते हैं तो केन्द्रीय सरकार कहती है कि कानून और व्यवस्था को बनाये रखना राज्य का मामला है और बहुत से मामलों में मूक दर्शक की तरह देखती रहती है। ऐसा करने से यह समस्या हल नहीं होगी। जब तक दोहरे उत्तरदायित्व की नीति को अपनाना नहीं छोड़ा जाता है और केन्द्रीय सरकार इस समस्या की ओर ध्यान नहीं देती है तब तक किसी वास्तविक न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती और सरकार हरिजनों पर हो रहे अत्याचारों की बुराई को नियंत्रित करने में असफल रहेगी।

अपने व्यक्तिगत अनुभव से श्री कर्पूरी ठाकुर ने एक ऐसी पद्धति को जन्म दिया है जिसके अन्तर्गत अपनी रक्षा करने के वास्ते वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को तथा समाज के कमजोर वर्गों को हथियार चलाने का प्रशिक्षण देने के पक्ष में हैं। वह निराश तथा असहाय होकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को अपनी महिलाओं की इज्जत बचाने के लिये तथा अपनी जीवन रक्षा के लिये इस उपाय को प्रयोग में

लाना बहुत ही आवश्यक है। इसलिये सरकार को देश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों की दिल दहलाने वाली समस्या को हल करने के लिये कर्पूरी ठाकुर द्वारा सुझाये गये उपाय को प्रयोग में लाना चाहिये।

जहां तक इस समस्या के आर्थिक पहलु का सम्बन्ध है, सरकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचिन जनजातियों के कल्याण के सम्बन्ध में धन आवंटन के लिये कुल जनसंख्या में उनकी प्रतिशतता को देखती है और उसके आधार पर धन आवंटित करती है।

हम जानते हैं कि सामान्य तौर पर अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत है। लेकिन जब कभी भी हम गरीबी समाप्त करने की बात करते हैं तो हम विशेषकर उस वर्ग की बात करते हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रहता है। जब हम धन का आवंटन करते हैं तो हमें विशेष रूप से अनुसूचित जातियों के लिये धन का आबंटन करना चाहिये। सारी जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के लोगों की जनसंख्या लगभग 15 प्रतिशत है। लेकिन गरीब वर्गों में यह 60 प्रतिशत से भी अधिक है। इसलिये गरीबी को समाप्त करने के लिये धन का आबंटन करते समय सरकार को इस बात का स्पष्ट रूप से ध्यान रखना चाहिये कि इन लीगों की गरीबी की प्रतिशतता को देखते हुए ही धन का आबंटन किया जाय। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अतः इन वर्गों को गरीबी से मुक्त कराये बगैर गरीबी को समाप्त करने की बात करने का कोई प्रयोजन नहीं है।

योजना के अन्तर्गत भी बहुत से ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा उनको आर्थिक समस्याओं से मुक्त कराया जा सकता है। इन वर्गों के लिये एक विशेष संघटक योजना तैयार की गई है। इस योजना का स्पष्ट उद्देश्य यह है कि वे कुल व्यय को सेक्टर के अनुसार बांटना चाहते हैं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक सेक्टर में इन वर्गों की अलग-अलग प्रतिशतता है। उदाहरण के लिये कृषि, छोटे तथा सीमान्त किसानों में अनुसूचित जातियों की संख्या लगभग 20 प्रतिशत है जबकि खेतिहर मजदूरों में इनकी संख्या लगभग 60 प्रतिशत है। यदि चमड़े के उद्योग को लें तो इसमें इनकी संख्या 80 प्रतिशत से भी अधिक है। इसलिये जब आप विशेष आवंटन सेक्टर के अनुसार कर रहे हैं तो इन वर्गों के लिये प्रत्येक क्षेत्र में इनकी प्रतिशतता के आधार पर ही धन को विनिर्दिष्ट किया जाय। तभी हम आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से इन वर्गों के सामान्य विकास की अपेक्षा कर सकते हैं।

इसके अलावा कार्यात्मक गतिशीलता होनी चाहिए और इन लोगों को अपना व्यवसाय चुनने में गतिशीलता लाकर उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। निर्धारण करते समय उनको किसी वर्ग विशेष जिससे वे संबंधित हैं, अथवा व्यवसाय जिसके वे आदती है तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। जब तक हम व्यवसायों में गतिशीलता नहीं लाते हैं तब तक समाज को और भागों में विभाजित करते रहेंगे। इससे समाज संसक्ति तथा राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या नहीं हल हो पायेगी, अतः इन वर्गों के लिए व्यवसाय निर्धारण करते समय सरकार को कार्यात्मक गतिशीलता का ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा, एक वर्ग जिससे झाडू लगाने का कार्य लिया जाता है हमेशा झाडू लगाने वाले वर्ग में ही बना रहेगा। मल को सिर पर ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए भी सरकार को एक विधान लाना चाहिए।

इससे पूर्व की योजना में अनुसूचित जनजातियों को विशेष केन्द्रीय सहायता देने के लिए लगभग 190 करोड़ रुपए नियत किए गए थे। इससे उनके विकासीय कार्यों को बहुत ही प्रोत्साहन मिला है। लेकिन उन्होंने अनुसूचित जातियों के लोगों की पूर्णतः उपेक्षा कर दी है। संभवतः सरकार का यह विचार है कि अनुसूचित जातियों के लोग जीवन की मुख्य धारा के सामान्य वातावरण में रह रहे हैं यह बात सही हो सकती है। लेकिन जहां तक आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से उनके विकास तथा गरीबी को हटाने का संबंध है, यह सोचना पूर्णतः अनुचित है कि इन वर्गों के लोगों को आर्थिक विकास के लाभ को प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है।

उदाहरण के तौर पर सभी योजनाओं के दौरान काफी संख्या में सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण किया गया है। लेकिन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के पास सिंचाई करने के लिए भूमि नहीं है। बहुत से पुलों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है। लेकिन पुलों तथा सड़कों पर चलाने के लिए उनके पास कोई भी वाहन नहीं है। बहुत सी फैक्टरियों को स्थापित किया गया है, लेकिन उनके पास निवेश के लिए पूंजी नहीं है। रेल माल डिब्बों की संख्या में वृद्धि की गइ है लेकिन रेलों अथवा रेल माल डिब्बों को उपयोग में लाने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

सामान्य आर्थिक वृद्धि से इन वर्गों को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। यद्यपि वे जीवन की मुख्य धारा में रह रहे हैं। वे श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं तथा पूंजी निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। वे हमेशा न्यूनतम वेतन अथवा एक झोपड़ी को बनाने के लिए भूमि के एक छोटे से टुकड़े को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। वे इस बात से कोई वास्ता नहीं रखते हैं कि मौजूदा सम्पत्ति में से उनकी कितनी सम्पत्ति आती है। इसलिए भविष्य की संपत्ति को निर्धारित करते समय उनको संपत्ति का एक अंश देने के लिए स्पष्ट रूप से अवसर दिया जाना चाहिए। जहां तक विशेष केन्द्रीय सहायता को देने का संबंध है, कार्यकारी दल ने पहले ही उनके लिए 500 करोड़ रुपये निर्धारित करने का सुझाव दिया है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान योजना के दौरान सरकार अनुसूचित जातियों के लिए इस न्यूनतम संभावित धनराशि को निर्धारित करेगी।

एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब कभी भी धनराशि का आबंटन किया जाय, तो इस संबंध में सरकार से मेरा अनुरोध है कि अनुसूचित जातियों के लोगों को उनकी संख्या के अनुसार आबंटन किया जाय न कि प्रतिशत के अनुसार। संख्या के आधार पर पहले जो भी आवंटन किए जा चुके हैं, उनको बनाए रखा जाये चाहे अन्तिम योजना में किसी प्रकार की कटौती भी क्यों न कर दी जाय। हम उनके आर्थिक विकास, बेहतर रहन-सहन तथा अन्य सुधारों के बारे में विचार कर रहे हैं। इस संदर्भ में आर्थिक उन्नति के दृष्टिकोण से यह बात बहुत ही आवश्यक है कि इन आबंटनों को अंतिम योजना में बनाए रखा जाए।

इसके अलावा, हम यह भी जानते हैं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को सहकारी समितियों इत्यदि के माध्यम से सहायता देने के लिए बहुत से राज्यों को केन्द्रीय सरकार सहायता देती है। अतः इसके लिए एक शुरूआत की जा चुकी है लेकिन इन वर्गों को प्रोत्साहित करने के लिए काफी मात्रा में धनराशि निर्धारित की जानी चाहिए। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि बैंक इन लोगों को सहायता देने में पूर्णतः संकोच करते हैं। अतः उन्हें बीज के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को इसकी प्रतिशतता में वृद्धि करनी चाहिए

तथा काफी मात्रा में धनराशि निर्धारित करनी चाहिए ताकि बगैर और किसी विलम्ब के ये लोग आर्थिक जीवन की मुख्य धारा में आ सकें तथा आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नति कर सकें।

जहां तक सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए आरक्षण का संबंध है हमने यह देखा है कि 30 वर्ष व्यतीत हो जाने के पश्चात् भी, तथा संविधान में इनके हितों की सुरक्षा तथा संरक्षण संबंधी प्रावधानों के होने के बावजूद भी एवम् इन वर्गों की कार्य संबंधी शर्तों तथा अन्य सुरक्षा संबंधी प्रावधानों की देखभाल के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के एक आयुक्त के होने के बावजूद भी पिछले आरक्षित पदों को अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। हमने देखा है कि 30 वर्षों में यद्यपि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत रहा है लेकिन श्रेणी-एक के कर्मचारियों के मामले में इसको 3.46 प्रतिशत ही किया जा सका है।

चतुर्थ श्रेणी के मामले में यह कुछ अधिक होता है तथा सफाई कर्मचारियों को 100 प्रतिशत दिया गया है क्योंकि इन सेवाओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार ने संरक्षणों के नाम पर जो आश्वासन दिए हैं उनके बारे में वे उत्सुक नहीं है।

हमें पता है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 335 में स्पष्ट उल्लेख है कि आरक्षण इस बात को ध्यान रख कर किया जाए कि कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए। परन्तु अनुच्छेद 335 का दुरुपयोग हो रहा है। उन्होंने अनुच्छेद 335 की भावना को नहीं समझा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वे आरक्षण नियमों को क्रियान्विति के समय दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा जब तक अनुच्छेद 335 में, कार्यकुशलता बनाए रखने के स्थान पर न्यूनतम निर्धारित अहर्ताओं से बदल नहीं दिया जाता तब तक इन वर्गों को समुचित प्रतिनिधित्व देने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए यह अनुच्छेद लाया गया था।

हमारी प्रणाली में उपयोगिता, गोपनीय प्रतिवेदन आदि अन्य बातें भी हैं। जाति प्रणाली के आधार पर चलने वाले समाज में यह बातें चलेंगी नहीं। जब तक इन व्यवहारों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाता हम स्वाभाविक न्याय नहीं दे पायेंगे तथा इन वर्गों के सामाजिक उत्थान में पूरा योगदान नहीं दे पायेंगे। इसलिए जब भी कभी संरक्षणों की व्यवस्था की जाए तो समुचित क्रियान्विति सुनिश्चित करने का स्पष्ट उपबन्ध भी किया जाए और यदि संरक्षणों को ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं किया जाता तो, हमारी व्यवस्था में ऐसा उपबन्ध होना चाहिए ताकि उन लोगों को दण्ड दिया जा सके जो उनको ठीक तरह से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। जब तक अपराधियों को दण्ड की व्यवस्था नहीं की जाती हम समाज के लिए अपेक्षित उद्देश्यों की उपलब्धि नहीं कर सकते। इसलिए इन वर्गों को दिये गये संरक्षणों के मामले में यह महत्वपूर्ण बात है परन्तु इन वृहत प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के बाद भी सरकार ने पर्याप्त कार्य नहीं किया तथा सेवा में उच्च पदों पर उनका प्रतिशत अभी भी वही है।

प्रतिशत के अलावा भी हमने देखा कि निजी क्षेत्र में कोई संरक्षण नहीं है। चार लाख निजी उद्योगों में बहुत सी रोजगार की क्षमता है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बहुत कम हैं और बार-बार निवेदन करने पर भी सरकार कुछ नहीं कर रही। निजी क्षेत्र में पूंजी का एक बड़ा भाग राष्ट्रीयकृत बैंकों से आता है इसलिए सरकार को इन वर्गों के लिए कोटे के बारे

में आग्रह करने का अधिकार है। अन्यथा आरक्षणों की व्यवस्था व्यर्थ है। जिस क्षेत्र में 4 लाख निजी कारखाने हैं और आज भी उनमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक भी आरक्षण नहीं दिया जा रहा इसलिये आरक्षणों की व्यवस्था को शीघ्र ही निजी क्षेत्र में भी लागू की जानी चाहिए।

श्री हुकम देव नारायण यादव (मधुबनी) : सभापति जी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आयुक्त का प्रतिवेदन सदन में आता रहता है और उस पर हम बहस करते रहते हैं। लेकिन यह प्रतिवेदन, जब घटनाएं घट जाती हैं और हरिजन और आदिवासियों पर जहां कहीं जुल्म और अत्याचार हो जाते हैं उनका रिकार्ड भर होता है कि यहां यहां अत्याचार हुआ। उसका एक बहीखाता बनाया जाता है। उसमें हम पढ़ लेते हैं कि कहां-कहां कैसे-कैसे जुल्म हुए।

हरिजन और आदिवासियों के बारे में मनु के समय से, शास्त्रों और कुरान में हम पढ़ते आ रहे हैं। उसी तरह से आजकल आयुक्त के प्रतिवेदन में लिखा होता है कि हरिजन और आदिवासी पर ये जुल्म और अत्याचार हुए हैं। सदन में हम उस पर विचार करते हैं। लेकिन हरिजन और आदिवासी पर जुल्म और अत्याचार हों नहीं, उन्हें समाज में समता का स्थान मिले उसके लिए कोई ठोस कदम उठाने की तरफ आज तक कार्यवाही नहीं हुई है। इसके लिए जब तक साकार और सगुण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब तक सब कुछ निर्गुण ही होता रहा है। तुलसी दास जी ने कहा है :—

सियाराममय सब जग जानी
करहूं प्रणाम जौरि युग पाणी।

इसी तरह से शंकराचार्य ने कहा है कि सब ही ब्रह्म मय है। सब निर्गुण हैं और सब में ब्रह्म है। सब जगह ईश्वर का निवास है। इसी निर्गुण का हमारे बिहार में रूप आता है कि जब किसी पासवान से जिसको दुसाध कहा जाता है अगर कोई छू जाए तो कहा जाता है कि हड्डी छू गयी है। अगर किसी तेली का सामना पड़ गया तो कहा जाता है कि उसके देखने से यात्रा खराब हो गयी।

अगर इस तरह से काम समाज के अन्दर चलता रहा तो कभी भी समाज का उत्थान नहीं होने वाला है। समाज के अन्दर, देश में निर्गुण के बारे में बहुत बातें कही गयी हैं लेकिन सगुण में कुछ भी नहीं हुआ। अगर इस देश के अन्दर किसी ने सगुण के बारे में कुछ कहा या उस पर चलने का प्रयास किया तो उसे कठिनाई में पड़ना पड़ा। हमारे बिहार में श्री कर्पूरि ठाकुर को कठिनाई उठानी पड़ी। बिहार में कर्पूरि ठाकुर को जाना पड़ा उसके पीछे एक यह भी कारण था। चीन में माओत्से तुंग ने सांस्कृतिक क्रांति के लिए सरकारी सेना का प्रयोग न करके एक अलग से समर्पित नौजवानों की सेना का निर्माण किया था जो किसी सिद्धांत या कार्यक्रम के प्रति भिड़ने वाली हो। वे सरकारी पलटन के बल पर कुछ नहीं कर सकते थे। इसी प्रकार से श्री कर्पूरि ठाकुर ने भी समाज के सामने एक सगुण रूप रखा। सरकारी नौकरियों में, पुलिस में स्वर्ण लोगों का अधिकार होने से वह हरिजनों पर जुल्म और अत्याचार रोकने

में असमर्थ रही । इसलिए उन्होंने कहा कि अगर हमें हरिजनों और आदिवायियों पर अत्याचार और जुल्म रोकने हैं तो इन्हें सरकार की बन्दुक देनी होगी, इन्हें सरकार की तरफ से हथियार देने होंगे। पुलिस के भरोसे उनकी रक्षा नहीं हो सकती है । वे इन बन्दुकों और हथियारों के बल पर अपनी रक्षा स्वयं करेंगे । यह सगुण रूप है। अगर उनके पास भी वैसे ही साधन हों जैसे कि स्वर्ण लोगों के पास हैं तो उन पर अत्याचार और जुल्म नहीं होंगे ।

श्री कर्पूरि ठाकुर जी ने यही एलान किया और कहा कि हम हरिजनों और आदिवासियों की पलटन और पुलिस बनायेंगे जिसमें केवल हरिजन और आदिवासी ही रहेंगे और जो जो सेन्सिटिव एरियाज़ है जहां पर कि हरिजन और आदिवासियों पर अत्याचार होते हैं वहां वह उनकी रक्षा करेगी । लेकिन समाज के अन्दर जो करोड़ों वर्षों से वर्ण व्यवस्था चली आ रही और समाज उससे ग्रसित है, भारतीय समाज का जो बुद्धिजिवी वर्ग है, जो सिद्धांत और विचार में बड़ी-वड़ी बातें करता है लेकिन उसका सगुण कदम उठाने की तरफ ध्यान नहीं जाता ।

मैं सभापति जी यहां तक कहूंगा कि हरिजनों का सवाल आया, बेलछी वाला काण्ड आया तो श्रीमती इंदिरा गांधी रोती हुई हाथी पर चढ़ कर वहां चली गयीं लेकिन जब कर्पूरि ठाकुर ने यह कहा कि स्वर्ण लोग हरिजन और आदिवासियों पर जुल्म बंद करें नहीं तो सरकार के हथियार हम उनको दे देंगे और हथियारों से लेस करेंगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि हरिजनों को हथियार देना बेबुनियाद है, फिजूल है । हरिजनों के लिए रोने का काम तो किया जाता है लेकिन जब क्रान्ति का कोई कदम उठता है तो समाज में जो निहित स्वार्थ वाले लोग हैं, उनका जो छद्म रूप है वह सामने आ जाता है । क्रान्ति का जिन्होंने छद्म रूप धारण किया होता है जब मौका आता है तो उनका असली रूप प्रकट हो जाता है जैसे श्रीमती इंदिरा नेहरू गांधी का प्रकट हो गया है हथियार इन लोगों को देने के सवाल पर । उनका खुला ब्यान इस सम्बन्ध में आ गया है ।

जो इन पर जुल्म और अत्याचार होते हैं उसके कई कारण हैं, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, बहुत से कारण हैं । एक वर्ण व्यवस्था भी इसका कारण है । भारत में लोगों में यह भावना पैदा की गई है, उनके दिमाग में यह भर दिया गया है और बचपन से ही भर दिया जाता है कि चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । यह भर दिया जाता है बचपन से ही और तब से जब से हिन्दु धर्म के अन्दर उनको दीक्षित किया जाता है कि ब्राह्मण तो मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय बाजू से पैदा हुआ है, वैश्य उदर से और शूद्र पैर से पैदा हुआ है और शूद्र का काम केवल सेवा करना है, सेवक बन कर रहना है और इसी लिए वह पैदा हुआ है । यह जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था बचपन से ही दिमाग में संस्कार बनाकर बिठा दी जाती है इसको आपको बदलना होगा और शुरू से ही शिक्षा में परिवर्तन करना होगा । बचपन में ही बच्चों के लिए इस प्रकार के पाठ्यक्रम तैयार करके उनको देने होंगे जिससे मनुष्य में समता की भावना पैदा हो, समता का भाव जगे । बचपन से ही आपको उनको इस तरह से शिक्षित करना पड़ेगा और पाठ्यक्रमों में परिवर्तन करना पड़ेगा । आज बचपन से ही उनके दिमाग में घृणा की भावना पैदा की जाती है, कट्टरपन्थी हिन्दूवाद के रहते हिन्दुओं और मुसलमानों, हरिजनों और सवर्णों में भेदभाव की बातों को ठूंस दिया जाता है । यह पढ़ाया जाता है कि

मुसलमान लुटेरे थे। हिन्दू इस देश के मूल वासी हैं। लेकिन इस चीज़ को भुला दिया जाता है कि हिन्दुस्तान में रज़िया, रहीम, रसखान, शेर शाह, बहादुर शाह मुसलमानों के भी उतने ही थे जितने हिन्दुओं के थे। इस वास्ते बचपन से ही बच्चों के संस्कारों को आपको बदलना पड़ेगा। जातीय द्वेष की भावना बचपन से ही निकालनी पड़ेगी। जब बचपन से ही उनके दिमाग खराब कर दिए जाते हैं तो उसका नतीजा यह होता है कि हरिजनों पर अत्याचार होते हैं और हो रहे हैं। वर्णव्यवस्था और जाति व्यवस्था को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो केवल भाषण-बाजी से आप इसको नहीं तोड़ सकते हैं। डाक्टर लोहिया हमेशा कहते रहे हैं, गांधी ने हमेशा कहा है, गौतम ने, बुद्ध ने भी यह कहा है कि जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते हो तो अन्तर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन दो। अन्तर्जातीय विवाहों के बारे में वर्तमान सरकार कानून बनाए और इसको सरकारी नौकरी के लिए अनिवार्य कर दे। बेटी के मामले में जातीयता चलती है। जहां तक रोटी का मामला है जातीयता टूट रही है। राजनीति के बारे में जातीयता मिट चुकी है। किसी भी जाती के लोग होटल, गाड़ी, बस आदि में एक जगह बैठ कर खा पी लेते हैं लेकिन जब बेटी की शादी करने जाते हैं तो अपनी बिरादरी में ही जाएंगे। यादव अगर जनता पार्टी का है तो अपनी जाति के लोगों में ही अपनी बेटी की शादी करे फिर वह चाहे किसी भी पार्टी में हो, जनता पार्टी का यादव अपनी पार्टी में ही किसी दूसरी जाति वाले के साथ बेटी की शादी नहीं करेगा। कांग्रेसी और सी पी एम में जाकर अपनी ही बिरादरी में अपनी बेटी की शादी करेगा। जब तक बेटी के मामले में जातीयता नहीं टूटेगी राजनीति के मामले में जातीयता तोड़ना निरर्थक हो जाएगा। और बेटी के मामले में तब मिटेगी जबकि कानून बना दिया जाएगा कि सरकारी नौकरी के लिए अन्तर्जातीय विवाह अनिवार्य हो। जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आगे काम नहीं चल सकेगा।

प्रशासन में हरिजनों और आदिवासियों की आज भी कितनी हिस्सेदारी है इसको आप देखें। जब तक रिजर्वेशन की बात होती रहती है। कहां उनको अपना कोटा मिला है। क्लास 1 की बात तो दूर क्लास 3 और 4 की नौकरियों में जितना उनका कोटा है वह उनको आज तक नहीं मिला है। एक मनु महाराज थे जिन्होंने कहा था कि शूद्र सेवा करने के लिए पैदा हुआ है। उन्होंने कहा था कि सेवक का काम करने के लिए ये पैदा हुए हैं। आजाद भारत में भी हम को तीसरी में नहीं बल्कि चौथी श्रेणी में ही रखा गया है। तीसरी और चौथी श्रेणी में भी पूरा अधिकार हम को नहीं मिला है, उससे भी नीचे धकेलने का ही काम हुआ है। आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, क्लेक्टर और कमिशनरी वाली जो नौकरियां हैं उच्च पदों वाली जो नौकरियां हैं इन पर जब हरिजनों और आदिवासियों के बेटे बैठते हैं तो उनकी छाती चौड़ी हो जाती है और उससे अत्याचार और जुल्म जो उन पर होते हैं वे रुकते हैं। ऊंची कुर्सी पर इनके बेटों को बिठाने के लिए राजनीति में, नौकरी में, व्यापार में, पलटन में जब तक स्थान आरक्षित नहीं होंगे, उनको पूरा कोटा नहीं दिया जाएगा तब तक वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तब तक उन पर जो जुल्म होते हैं वे बन्द नहीं हो सकते हैं।

ये जुल्म क्यों हो रहे हैं? इसका कारण यह है कि उनके अन्दर जागृति पैदा हुइ है, राजनीतिक चेतना पैदा हुई है। जब हरिजन और आदिवासी में राजनीतिक चेतना जगी है, अधिकार के लिए आगे निकला है, वह भी बराबरी और समानता का हक चाहता है तो संघर्ष होना स्वाभाविक है। हजारों सालों से कट्टरपन्थी हिन्दूवाद से ग्रसित सम्पन्न ऊंची जाति के लोग आज

उनको बराबरी का स्थान नहीं देना चाहते । इसीलिए संघर्ष दिखाई देता है । आज हरिजन और आदिवासी का पढ़ा लिखा बेटा, चाहे वह मिशनरी स्कूल का पढ़ा हो, या साधारण स्कूल का, जो भी शिक्षित है वह समानता का दर्जा चाहता है । और जब वह दर्जा उसको नहीं मिलता है तो संघर्ष करता है जिसकी वजह से जुल्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं । सरकार इस अत्याचार और जुल्म को रोकने के लिए कठोर कदम उठाये । अभी जो जाति की खड़ी रेखा है, यानी जो जितनी ऊंची जाति का है वह उस रेखा पर उतना ही ऊंचे हैं और सम्पन्न है और उस जाति की खड़ी रेखा के शिखर पर बैठा है और जो हरिजन और आदिवासी है वह उतना ही उस रेखा के नीचे है, पीड़ित और दुखी है, इस खड़ी जाति रेखा को आपको पड़ी रेखा करना पड़ेगा तब जा कर जुल्म समाप्त होंगे, अन्यथा चाहे जितनी शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट आयें उनसे कोई काम बनने वाला नहीं है । मुझे आशा है कि जनता पार्टी की सरकार इस काम को अवश्य करेगी । हमारे माननीय धनिक लाल मण्डल, जो गृह मंत्रालय में आधे मंत्री हैं और डा० लोहिया के नेतृत्व में रह कर अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी के मंत्री की हैसियत से नारा लगाते थे "संसोपा ने बांधा गांठ, पिछड़ा पाये 100 में साठ" जिसकी वजह से वह आज गद्दी पर आये हैं, मैं आशा करता हूं कि हरिजन, आदिवासी, पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए जो उनका नारा था कि सरकारी नौकरी, व्यापार और पलटन में कम-से-कम 60 प्रतिशत उनके लिए स्थान जरूर सुरक्षित किया जाये, इस काम को वह अवश्य पूरा करेंगे तब जा कर काम ठीक बनेगा ।

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम) : प्रारम्भ में ही मैं अध्यक्षपीठ द्वारा अभिव्यक्त टिप्पणी का स्वागत करता हूं अर्थात, इस तथ्य के होते हुए कि पर्याप्त समय पूर्व सूचना दे दी गई थी—ऐसी रिपोर्ट जिसे मैं पूर्व इतिहासिक रिपोर्ट कह सकता हूं, पर चर्चा के समय भी सभा में उपस्थिति—सदस्यों का उत्साह—न केवल विपक्ष के अपितु शासक दल के सदस्यों में भी—इस गम्भीर समस्या की ओर कोई उपेक्षा की परिचायक है जिसे लोग आज का ज्वलंत विषय कहते हैं । यदि हरिजनों के मामले पर दिये गये भाषणों का विश्लेषण किया जाये तो पता चलेगा उसमें सहानुभूति अधिक दर्शायी गयी है परन्तु वास्तविकता कम है । परन्तु तथ्य है कि हम हरिजनों के बारे में बातें अधिक करते हैं परन्तु हम देखते हैं कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं । मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग प्रार्थना करते होंगे कि परमात्मा आपको सद्बुद्धि दे, हमारे बारे में बातें अधिक न करें ताकि हम ऊंची जातियों के भय से बच कर शान्तिपूर्वक जिन्दा रह सकें ।

सभापति महोदय, अभी पिछले दिन मैं संसद की पिछले तीन चार वर्ष की कुछ कार्यवाही का अवलोकन कर रहा था तब मुझे पता चला कि कितना मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हो गया है । 1977 के पहले की सरकार की जो भी आलोचना की जाये, संसद सदस्यों द्वारा आलोचना, चाहे वे विपक्ष के हों अथवा शासक दल के, उस आलोचना का केन्द्र हरिजनों की समस्या है तथा उनकी दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है । स्थिति वैसी की वैसी बनी हुई है और कोई भी सुधार नहीं हुआ । यदि आप संसद की कार्यवाही का निष्पक्ष अध्ययन करें तो आप पायेंगे कि हरिजनों पर अत्याचार सहसा होने लगे हैं । आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि 1977 से हरिजनों को कुछ अधिक शक्ति देने, विशेषतः उन्हें भूमि स्वामी बनाकर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के सफल अथवा असफल प्रयत्न किये गये थे । यह बात यदि भली प्रकार विदित है । हम राजनीति की बात छोड़ दें तो आपातकाल के दौरान—उसके दोष जो भी हों—यह भावना व्याप्त हो गई थी कि हरिजनों

को वरीयता दी जा रही है तथा उन्हें अधिकाधिक भूमि दी गई। परन्तु 1977 के बाद स्थिति बदल गई। उसके लिए मैं मंडल जी को दोष नहीं देता। न ही मैं प्रधान मंत्री को दोष देता हूं और न ही मैं शासक दल के सदस्यों को दोषी ठहराता हूं। मैं जो मनोवैज्ञानिक वातावरण को इसके लिए दोषी ठहराता हूं। किसी तरह से यह स्थिति पैदा हो गई है। उच्च वर्ग के लोग जिनके हाथ कुछ वर्ष पहले सत्ता थी यह समझते थे कि यह हमारी सरकार है। 1977 के निर्वाचन के बाद यह मनोवैज्ञानिक परिवर्तन हुआ है। अब यह समझा जाता है कि यह समय हरिजनों का नहीं है पिछड़े वर्गों का नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक भावना इससे चिन्ता पैदा हो गई है। मैं मण्डल जी को गृह मंत्री को दोष नहीं देता, शासक दल को दोष नहीं देता। यह केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वर्ग के लोगों में यह विचार है कि हरिजनों तथा पिछड़े वर्गों का समय लद गया है। अब यहां पर हमारी सरकार है। इस प्रकार यह अत्याचार शुरू हुए हैं। मानवीय मंडल जी को इस मनोवैज्ञानिक वातावरण से निपटना है। हमें यह भावना पैदा करनी है कि यह सरकार उच्च जातियों की नहीं है, यह सरकार पुराने ढंग पर चली आ रही है तथा इस सरकार ने निचली जातियों के लोगों को आर्थिक शक्ति तथा सामाजिक न्याय देना जारी रखा है।

मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इसके लिए बहुत योग्य प्रशासन की स्थापना करें। वित्त विभाग में प्रवर्तन निदेशालय है जो आर्थिक अथवा वित्तीय उपायों की दृढ़ता से क्रियन्विति सुनिश्चित करता है। प्रवर्तन निदेशालय धन एकत्र करता है तथा सरकार की धन सम्बन्धी हितों का संरक्षण करता है। राजस्व आसूचना विभाग सब प्रकार के आर्थिक अपराधों की सुचना देता है धन को मानव की अपेक्षा अधिक वरीयता मिलती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार धन-सम्बन्धी हितों के संरक्षण के लिए प्रवर्तन विभाग है तथा आर्थिक मामलों की जानकारी प्राप्त करने के लिए राजस्व आसूचना विभाग है उसी प्रकार हरिजनों की रक्षा के लिए एक प्रवर्तन विभाग अथवा आसूचना विभाग होना चाहिए। हमारा एक तट रक्षक संगठन है। हम सोचते हैं कि हमारे तटों की विशेष रूप से रक्षा हो सके। हम हरिजनों की रक्षा के लिए रक्षक क्यों नहीं नियुक्त करते। मैं उसकी मांग करता हूं। अनुसूचित जातियों तथा जन-जातियों के लिए रक्षक नियुक्त किये जायें। उसके लिए प्रवर्तक निदेशालय के अथवा आसूचन सेवा स्थापित की जाये। इस बारे में तो व्यापक प्रयत्न किये जायें कि यदि हरिजनों का उत्थान नहीं हो पाता तो कम-से-कम उनकी वर्तमान स्थिति तो बनी रह सके। कम-से-कम उन्हें रोजी तो कमाने दें। इस बारे में होता यह है कि जितनी ही अधिक चर्चा हम हरिजनों के मामलों की करते हैं उतने ही अधिक अत्याचार उन लोगों पर गांवों में किये जाते हैं इसलिए मेरा सुझाव है कि अनूसूचित जातियों के हितों के संरक्षण के लिए एक विशेष पुलिस बल स्थापित किया जाये। बहुत से नियम तथा विनियम सरकार ने अच्छे इरादों से तैयार किये हैं। परन्तु इस बारे में कोई प्रवर्तन विभाग नहीं है और न कोई आसूचना प्रभाग उनके हितों पर निगरानी रखने के लिए विद्यमान है।

इसीलिए मैंने तीन समानान्तणों की ओर ध्यान दिलाया है। जिस प्रकार तटीय संरक्षक संगटन है उसी प्रकार उनके गांवों में हितों के संरक्षण के लिए विशेष 'विंग' (प्रभाग) स्थापित किया जाये। इसे सामान्य पुलिस जनों को न सौंपा जाये। मैं किसी को दोष नहीं देता। प्रायः पुलिस के कर्मचारी समाज के ऊंचे स्तर ऊंची जातियों से आते हैं। स्वभावतः उनके प्रति उनका पक्षपात रहता है। मेरा निवेदन है कि अब से पुलिस की भर्ती में कम-से-कम 50% स्थान

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखे जायें। इससे वर्तमान स्थिति में प्रर्याप्त अतर होगा। मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा विदेश सेवा की बात नहीं करता। परन्तु मैं भारतीय पुलिस सेवा के लिए मांग करता हूं। उच्च वर्ग के लोगों को भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किया जाये। परन्तु पुलिस में ऊंचे पदों से लेकर कांस्टेबल के पदों पर 50% आरक्षण अनुसूचित जातियों के लोगों के लिए रखे जायें। इससे स्थिति बदलेगी। अन्यथा मेरा एक छोटा सा सुझाव और है। तट संरक्षण के समान हमें अपने निचले वर्ग का भी संरक्षण करना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि तीन प्रभाग शुरू किये जायें। इस समय हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों के लिए आरक्षण रखते हैं। मुझे याद है अमरीका में भी जॉन एफ० कनैडी ने भी अमरीका में "ओपरेशन हेड स्टार्ट" अभियान शुरू किया था। वहां पर 'निग्रोज, नाम के हरिजन हैं जिनके लिए मार्टिन किंग लूथर ने "हम विजयी होंगे" नारा दिया था। दुर्भाग्य से डा० अम्बेडकर हमारे पक्ष में अधिक थे। श्री जगजीवन राम उतनी रूचि नहीं रखते।

एक माननीय सदस्य : क्यों ?

श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम): यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के नेताओं को लम्बे समय तक पद दिया जाता हैं तो वे लोग भी वैसे ही हो जाते हैं। मेरा सुझाव है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों द्वारा उपलब्ध अवसरों का पूरा-पूरा लाभ उठाने की दिशा में पूरा-पूरा प्रयास किया जाना चाहिए। अमरीका में नीग्रो लोगों को भी बहुत से अवसर दिये गये थे। मेरे अपने राज्य केरल की ही बात लें वहां पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन-जातियों की स्थिति अच्छी है, फिर भी आदर्श नहीं है। वहां पर बच्चों को शिक्षा सुविधाएं दी जा रही हैं। परन्तु उनकी सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति ऐसी है कि वह 7वीं 8वीं कक्षा से पढ़ाई छोड़ देते हैं।

जब वे सातवीं या 8 वीं श्रेणी से आगे नहीं पढ़ते हैं तो वे, वृत्तिका तथा अन्य सुविधाओं जो उन्हें प्रदान की जाती हैं, का लाभ कैसे उठा सकते हैं। मैं आपसे इस बात का नमूना-सर्वेक्षण कराने का निवेदन कर रहा हूं कि क्या वृत्तिका सुविधा सहित अन्य सुविधाओं का लाभ ये लोग उठाते हैं। क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण वे 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा में पढ़ना छोड़ देते हैं। फिर ऐसी सुविधाएं देने का क्या फायदा है? मैं तो केवल जॉन एफ० कनैडी के "आपरेशन हेडस्टार्ट" कार्यक्रम के समानान्तर ही कार्यक्रम तैयार कर रहा हूं। वह जानते थे कि नीग्रो बहुत पिछड़े हुए थे और यदि हम यह सोचें कि यह जीवन एक दौड़ है तो, उनका दौड़ शुरू करने का स्थल एक किलोमीटर पीछे पड़ता है। नीग्रो लोगों को एक किलोमीटर पीछे से अपनी दौड़ आरम्भ करनी पड़ती है जबकि उन्हें उन अमरीकियों के साथ दौड़ में भागना पड़ता है जो कि उनसे एक किलोमीटर पहले दौड़ते हैं। भारतीय हरिजन और वे भी उत्तरी भारत के, सामान्य दौड़-स्थल से सौ किलोमीटर से भी अधिक पीछे हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि उन्हें कोई विशेष प्रोत्साहन प्रदान करें। आप कह सकते हैं कि "मैं उन्हें महा-विद्यालय पाठयक्रम या शिक्षा के लिए 100 रुपये, अभियान्त्रिकी पाठ्यक्रम के लिये 150 रुपये और आयुर्विज्ञान के लिए 200 रुपये प्रतिमास की छात्रवृत्ति देता हूं। लेकिन इन सुविधाओं का लाभ उठाने जा कौन रहा है? गरीब बच्चा स्कूल इसलिए छोड़ रहा है क्योंकि आर्थिक स्थिति के कारण वह ऐसा नहीं कर

सकता । यदि किसी खेत में काम करने के लिए आठ आने दिये जायें तो उसका तात्कालिक आकर्षण होगा स्कूल से पढ़ाई बन्द करके 0.5 रुपये या 1 रुपये के लिये काम करना और उस पैसे को लेकर सिनेमा देखना । यह सब एक कल्पित और शैक्षणिक ढांचा बना रहता है । मैं किसी राजनीतिक दल को दोष नहीं देता, परन्तु हम अभी भी उसी स्थान पर हैं, जहां कभी पहले हम थे । इसीलिए मैं सुझाव देता हूं कि यह सुनिश्चित करने का एक सम्मिलित प्रयास होना चाहिए कि हरिजन, अनुसुचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की हिम्मत बढ़ायी जाये जिससे वे उन्हें प्राप्त सुविधाओं का लाभ उठा सकें । इस उद्देश्य के लिए निगरानी रखने हेतु एक निश्चित विभाग होना चाहिये । मुझे विश्वास है कि श्री मण्डल जी मेरी बातों को ध्यान में रखेंगे । महोदय, दी जाने वाली समूची सहायता के पीछे जो उनके मूल सिद्धांत हैं उससे भी उनको अपेक्षित स्तर तक उठाने में कोई मदद नहीं की है । परन्तु, महोदय, इस देश में एक ऐसी असामान्य स्थिति है जो पिछले 30 वर्ष से व्याप्त रही है । यदि कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति का व्यक्ति दूसरा धर्म अपनाता है तो उस समय ये सब असमर्थतायें लुप्त हो जाती हैं । वहां से फिर उसकी कोई सामाजिक असमर्थता नहीं होती है। छात्रों को प्रदान किए जाने वाले सभी आरक्षण, वृत्तिकाएं और सुविधाएं तत्काल बन्द कर दिये जाते हैं । मैं उस बात को समझ सकता हूं परन्तु एक दूसरा भी तो पहलू है । यदि आप फिर से पुराने धर्म को अपना लें तो आपको फिर वे ही पुरानी असमर्थतायें घेर लेती हैं । ऐसा इस देश में बहुत हो रहा है । मेरे विचार से सरकार धर्म परिवर्तनों के लिए प्रलोभन की बड़ी शक्ति का प्रयोग कर रही है । यदि कोई व्यक्ति स्वयं को दृढ़ विश्वास से अनुसूचित जातियों से किसी अन्य धर्य में परिवर्तित करता है तो मैं मानता हुं कि इसका कुछ दुरूपयोग भी हो सकता है परन्तु यदि यह दृढ़ विश्वास के साथ होता है तो उसे वे सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं जिन्हें वह अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि या अपनी आर्थिक पृष्ठभूमि से प्राप्त कर सकता है । यदि कोई इस्लाम और ईसाई धर्म ग्रहण करता है तो उसे ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी परन्तु यदि वह फिर से हिन्दू धर्म ग्रहण कर लेता है तो उसे अपनी सभी असमर्थतायें प्राप्त होने लगती हैं । इसे रोका जाना आवश्यक है । विशेषकर उत्तरी भारत में इस समस्या पर धार्मिक कारणों से विचार किया जाता है । हमें चाहिये कि इस पर सामाजिक समस्या के रूप में विचार करें और हम समझदार बनें । यह असंगति और भेद-भाव बन्द होना चाहिये ।

अब मैं 'कुदुम्बी' कहे जाने वाले एक समुदाय विशेष के बारे में बात करना चाहता हूं । गत आठ या नौ वर्षों से, मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों की सूची में उनका नाम भी सम्मिलित कराने के लिये, जी-तोड़ से कोशिश कर रहा हूं । केरल राज्य में वे सर्वाधिक हिछड़े लोगों में से एक हैं और उनकी जनसंख्या छः लाख से भी अधिक है । कुछ उपहासपूर्ण नियमों और हास्यजनक ढंग से हिसाब लगाये जाने के कारण उन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची से बाहर रखा जाता है । मेरा निवेदन है कि जब कभी स्थिति का पुनरीक्षण किया जाये तो मण्डल जी वास्तविक्ता को पहचान कर उनके मामले को देखें और उन्हें भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर लें ।

प्रो० पी० जी० मावलंकर (गांधीनगर) : आप इसे सम्बन्धित समिति को भेज सकते हैं ।

श्री ए० सी० जार्ज : वह तो मैं पहले ही कर चुका हूं और मैं श्री मण्डल जी को भी लिख रहा हूँ ।

सभापति महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त करें।

श्री ए० सी० जार्ज : महोदय, मुझे इस विषय पर ऐसा इसलिए कहना पड़ा, क्योंकि जब मैं चारों और निहारता हूं तो चाहे वे किसी भी पक्ष में हो, अनुसूचित जातियों के सदस्य भी यहां अब 2% से भी कम हैं। हम तो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 1974-75, 1975-76 और 1976-77 में क्या हुआ। 1977 के बाद क्या हुआ उसका लेखा-जोखा करना अभी बाकी है। 1977 के बाद के भूलचूक के कार्यों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, परन्तु हम जानते हैं कि 1977 के बाद के भूलचूक के कार्य काफी हैं। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि जब कभी भी हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करें और इस समस्या को हल करना चाहें तो, तत्परता, ईमानदारी तथा कुछ उद्देश्यगत भावना इसके पीछे होनी चाहिये। हमें चाहिये कि हम इस सारे विषय पर राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार करने का प्रयास करें। यदि आप लोगों के और सरकारी धन को, बचाने की बात सोच रहे हैं तो, हमें इस देश के लोगों को भी बचाने की बात सोचनी चाहिये।

श्री जदुनाथ किस्कू (झाड़ग्राम) : सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बद्ध इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, आपकी अनुमति से मैं बंगाली में बोलनना पसन्द करूंगा।

*** श्री जदुनाथ किस्कू** : सभापति महोदय, मुझे खेद है कि स्वतंत्रता के 32 वर्ष बाद भी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की स्थिति में कुछ भी सुधार नहीं हुआ है। हमारे देश के 70% से भी अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन करते हैं, जिसमें बहुमत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों का ही है। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनैतिक—व्यावहारिक रूप से सभी क्षेत्रों में वे पिछड़े हुये हैं, उनकी उपेक्षा की जाती है, उन्हें दबाया जाता है और उनका शोषण किया जाता है। यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे समाज का वर्तमान बुर्जुआ ढांचा ही मुख्य रूप से इस दुख:द स्थिति के लिए उत्तरदायी है। आज की इस सामाजिक प्रणाली में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का ही सर्वाधिक शोषण हुआ है। यदि हमें उनके इस दुर्भाग्य में कुछ परिवर्तन लाना है तो वर्तमान बुर्जुआ समाज प्रणाली को समूल नष्ट करके उसके बदले समाज की समाजवादी पद्धति को अपनाना होगा। शोषण के समस्त उपकरणों का तत्काल राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। भूमि की वर्तमान व्यवस्था का पूर्णरूप से जीर्णोद्धार होना चाहिए तथा कठोर भूमि सुधार लागू किए जाने चाहिए। निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पाई जाने वाली बेनामी जोत वाली भूमि को जमींदारों और जोतदारों से ग्रहण करके उसका इन लोगों में निःशुल्क वितरण किया जाना चाहिए। सरकार के अधिकार में जितनी भी निजी और बंजर परती भूमि है उसको इन भूमिहीन कृषि मजदूरों, हरिजनों और आदिवासियों में निःशुल्क बांट दिया जाना चाहिए। इनमें से अधिकांश लोग पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बसते हैं और वन उत्पादों से अपनी जीविका चलाते हैं। हाल ही में लागू किए गए विभिन्न वन कानूनों के परिणामस्वरूप उन्हें वन सम्पदा से वंचित किया जा रहा है। वे जंगलों से एकत्रित किए गए शहद, पत्तों, फलों, लकड़ी आदि से अपनी जीविका कमाते थे। सरकार को चाहिए कि वह इस ओर ध्यान दे और

* बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण

ऐसे संबंध करे जिससे वे बिना किसी कठिनाई या अड़चन के वनों से ये वस्तुएं एकत्र कर सकें। आजकल के चलन के अनुसार इन वन-उत्पादों को व्यापारी और दलाल लोग बहुत कम दामों पर खरीदते हैं और बाजार में बेचकर भारी लाभ कमाते हैं। इसके परिणामस्वरूप इन निर्धन लोगों को सही दामों से वंचित करके उनका शोषण किया जाता है। सरकार को चाहिए कि इन क्षेत्रों में बड़े आकार की बहु-उद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना करे, जिससे चतुर व्यापारियों और बिचौलियों द्वारा उनके शोषण को समाप्त किया जा सके और गरीब लोगों को अपनी वन-सम्पदा का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। यह उनके जीवन में खुशियां और संतोष भर देगा। वन-क्षेत्रों में आदिवासियों ने अपने ही प्रयासों से बड़े पैमाने पर बंजर धरती को कृषि योग्य बना लिया। सरकार को चाहिए कि ऐसी भूमि का स्वामित्व इन लोगों को सौंप दे। बहुत से हरिजन और आदिवासी जोतदारों की भूमि को बटाई पर जोतते हैं। आजकल उनमें से बहुत से लोगों की ऐसी भूमि की पट्टेदारी समाप्त की जा रही है। यह निश्चित करने के लिए कि उनको ऐसी भूमि से न उखाड़ा जाये, सरकार को कुछ विशेष उपाय करने चाहिएं।

वन-क्षेत्रों में हरिजनों-आदिवासियों की जीविका का मुख्य साधन है पशु-पालन। वन विभाग, भैंसों, गायों, भेड़-बकरियों आदि के जंगलों में प्रवेश पर रोक लगाता है जिसके परिणामस्वरूप ये लोग भारी कष्ट उठा रहे हैं। वनों को छोड़कर वे अपने पशुओं के चरने की जगह कहां पा सकते हैं ? अतः हरिजन आदिवासियों के हितों की देख-भाल करने के निमित्त बन कानूनों में छूट, ढील देनी होगी। इन दलित और शोषित लोगों को बचाने के लिए सरकार को चाहिए कि सभी कारखानों, एवं फैक्टरियों, समस्त विद्यालयों और महाविद्यालयों तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दे। उन्हें केवल तभी फैक्टरियों में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं, ब्याज की कम दरों पर ऋण मिल सकता है और शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा के विपुल अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि हमारी कुल संख्या की तुलना में स्वतंत्रता के 32 वर्षों में आदिवासियों और हरिजनों ने कोई प्रगति नहीं की है। ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को आज तक भी हल नहीं किया जा सका है। एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिये अच्छी सड़कों का कोई प्रबन्ध आज तक नहीं किया जा सका है। प्रत्येक ग्राम में प्राथमिक पाठशाला तक नहीं खोली जा सकी है। इन लोगों के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षा के अवसर अत्यन्त ही सीमित हैं। अस्पतालों में डाक्टरी उपचार की सुविधाएं व्यावहारिक रूप में नदारद होती हैं। आज भी आदिबासी तथा हरिजन गन्दी और जीर्ण-शीर्ण झोपड़ियों में और पटरियों पर गुजर-बसर करते हैं। रोजगार और सेवाओं के क्षेत्र में जो आरक्षण प्रदान किया गया है वह कभी भी पूरा नही होता। इस बात का पता तो देश में घूम रहे बेरोजगारों की संख्या से भली-भांति लग जाता है। भर्ती और पदोन्नति आदि के मामले में, प्रत्येक मंत्रालय और विभाग चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो अथवा राज्य सरकार या फिर सरकारी उपक्रम हो, तालिकाओं को उचित ढंग से तैयार नहीं रखा जाता। यह बात तो स्वयं आयुक्त के प्रतिवेदन में भी कही गई है। यद्यपि कुछ हरिजनों और आदिवासियों को तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में भर्ती किया गया है परन्तु प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों पर उनकी संख्या बिल्कुल नगण्य है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा

है कि दिल्ली स्थित निम्नांकित संस्थानों में आरक्षण कोटा विधि-अनुरूप लागू नहीं किया जा रहा है :—

1. योजना आयोग, नई दिल्ली।
2. पुनर्वास विभाग, नई दिल्ली।
3. औद्योगिक विकास विभाग, नई दिल्ली।
4. स्वास्थ्य विभाग।
5. रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय।
6. परिवार-नियोजन राष्ट्रीय संस्थान, स्वास्थ्य और परिवार-नियोजन मंत्रालय।
7. दिल्ली दुग्ध योजना, कृषि मंत्रालय।
8. संयुक्त बीजाक्षर-ब्यूरो, रक्षा मंत्रालय।
9. इंजीनियरिंग प्रॉजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड।
10. खादी ग्रामोद्योग भवन।
11. इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड।
12. शिक्षा-विभाग, दिल्ली प्रशासन।
13. दिल्ली विद्युत प्रदाय प्रतिस्ठान।
14. दिल्ली परिवहन निगम।

महोदय, प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम अभी तक आदिवासी और हरिजन क्षेत्रों में चालू नहीं किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रौढ़-शिक्षा कार्यक्रम असफलता की ओर बढ़ रहा है। मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूँ और चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को आदिवासी क्षेत्रों में तत्काल लागू किया जाए। अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम अभी तक भी पूरी तरह लागू नहीं किया जा सका है। देश के कई भागों में हरिजनों और आदिवासियों के साथ ज्यादतियों, हत्याओं, बलात्कारों आदि की घटनाओं को आम देखा जा सकता है। इन ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार लोगों को प्रायः गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद भी यूं ही छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार की घटनाओं को तो सरकार को कठोरता से कुचल देना चाहिए।

श्री ज्वाला प्रसाद कुरील (घाटमपुर) : सभापति महोदय, यह जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की रिपोर्ट पर बहस चल रही है, उस पर मुझे कुछ अर्ज करना है।

1974 की रिपोर्टें सदन में जब पेश हुई थीं, तब मुझे ऐसा लगा था कि मालूम होता है कि जितनी ज्यादतियां हुई थीं, वे कमिश्नर की रिपोर्ट में हैं। और जो 74 की रिपोर्ट पेश हुई है वह इतनी देर से इसलिए पेश हुई है क्योंकि जो ज्यादतियां इन्दिरा जी के शासन में हुई थीं, वे जाहिर न हो पाएं। बेलची का जब किस्सा हुआ, तो इन्दिरा जी वहां पर भागी-भागी गईं, पैदल गईं या हाथी से गई या किसी और सवारी से गर्ग। यह मैं नहीं कह सकता लेकिन सहरसा के गांव में जब बिहार में 14 सन्थालों को गोली से मार दिया गया, तब वे वहां

क्यों नहीं गई ? इसी तरह से गुजरात में एक छोटा सा गांव है, जिसमें ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, वह उनकी बस्ती है। वहां पर हरिजनों को कुएं से पानी नहीं पीने दिया गया। उसके पास से एक गन्दी नाली निकाल दी गई और उसमें पानी बहा दिया गया। यह कमिश्नर की रिपोर्ट में है। वहां पर ब्राह्मणों ने हरिजनों को यह गन्दा पानी पीने के लिए मजबूर किया क्योंकि वहां पर दूसरा पीने का पानी नहीं मिल सकता था। जबर्दस्ती 12 हरिजनों को उसका पानी पिलाया गया। और 12 स्वर्गधाम पहुंच गये अर्थात् 12 हरिजनों की मुक्ति हो गयी। उस समय इन्दिरा जी थीं और उनके गृह मंत्री भी थे लेकिन किसी ने भी चर्चा नहीं की। एक जगह पर चार औरतें प्यासी होने पर पानी मांगने गयीं। इस पर ही बड़े लोगों ने कहा कि तुम अछूत होकर हमारी तरफ मुंह करके बात करती हो, और उनके चूतड़ों में गर्म शलाकें करके दाग दीं।

बेलछी की बात बहुत की जाती है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि वहां क्या ऐसी बात हो गयी। वहां पर हरिजनों के साथ ज्यादती कहना एक सच्चाई पर पर्दा डालना है, झूठ को सच बनाना है। क्योंकि वहां पर जो आदमी मारे गये, वे गोलियों से मारे गये। उनमें हरिजन और बैकवर्ड भी शामिय थे जो गोलियों से मारे गये। जिन्होंने मारा, जो बाद में मुलजिम बने उनमें भी हरिजन और बैकवर्ड लोग शामिल थे। यह सब काण्ड हुआ। लेकिन उसके बारे में कैसी आफत मचायी गयी। जो यहां से रिपोर्ट लेने गये उन्होंने भी झूठ-मूठ की रिपोर्ट बना कर यहां दे दी।

इस सबके पीछे अगर कोई सवाल है तो वह यह है कि जब तक हरिजनों का आर्थिक आधार मजबूत नहीं होगा तब तक सब कुछ ठीक नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में यही एक बात आती है कि वैधानिक संरक्षण जो उनको प्राप्त है जब तक उसे पूरा न किया जायेगा तब तक उनका आर्थिक आधार मजबूत नहीं होगा। उनका जो रिजर्वेशन का कोटा है उसको पूरा किया जाए। वह आज तक पूरा नहीं हुआ और न पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक यह पूरा नहीं होता तब तक कहा जाता रहेगा कि बड़ी भारी ज्यादतियां हो रही हैं। मैं प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के पदों की बात नहीं करता, लेकिन जो चतुर्थ श्रेणी के पद हैं जिनमें कि मेहतर आदि वर्ग के लोग शामिल हैं उस श्रेणी में भी 12 प्रतिशत से अधिक उनका कोटा पूरा नहीं हो पाया है।

मैंने कानपुर शहर में देखा है। जहां कि सफाई नायक बनाये जाते हैं। उन पदों को किसी मेहतर या जमादार से नहीं भरा जाता। उन पदों पर भी पण्डित और ठाकुर लोग रखे जाते हैं। मैं एक ब्लाक भीतर गांव की बात जानता हूं जहां सफाई के लिए भी एक पण्डित जी ने अपना नाम लिखा दिया। वहां पर जब कभी जरूरत पड़ती तो पंडित जी किसी मेहतर को बुलाकर सफाई करा देते और उसे दो रुपये दे देते। यह बात जिलाधीश तक गयी। इस प्रकार से दुनिया भर के बहाने बनाकर हरिजनों के जो अधिकार हैं वे भी उनको नहीं मिल पाते हैं।

मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अस्पृश्यता घटी है, छुआछात घटी है। लेकिन उसका स्थान घृणा और द्वेष ने ले लिया है। छात्रावास में जहां पढ़े लिखे लड़के होते हैं, अगर कोई सांवला लड़का देख लिया तो कहते हैं कि यह जगजीवन राम है या यह अम्बेदकर का बाप है। ऐसी बातें साम्प्रदायिक और रूढ़िवादी घरों के बच्चों से सुनने को मिलती हैं और इनका असर हरिजन बच्चों पर पड़ता है और सरकार पर भी असर पड़ता है।

मुझे 40 साल कांग्रेस में बिताने का अवसर मिला है। जब भूमिहीनों को जमीनें देने की बात आयी तो मैंने अपने जिले के कांग्रेस वालों से कहा, कांग्रेस की कार्यकारणी में भी कहा कि ए कांग्रेसियों घर छोड़कर, बाहर निकलो। श्रीमान् एक भी कांग्रेसी घर से बाहर नहीं निकला। दावा बहुत किया जाता है लेकिन हुआ कुछ नहीं। जब बहुगुणा जी मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने बहुत प्रयास किया था लेकिन उनका प्रयास भी सफल नहीं हो सका। कैसे सफल होता जबकि मन ही नहीं मिलते थे। जब मन में बात आवे तब योजना सफल होवे। वह भूमि आवंटन की बात सब तमाशा बन कर रह गयी। कुछ उससे फायदा हुआ। लेकिन बाद में बड़े लोगों ने सोचा कि खलिहान की जमीन, सार्वजनिक हित की जमीन भी ली जा रही है। फिर उन्होंने एक ऐसा कानून बनवाया कि जो सार्वजनिक हित की जमीन दी गयी है उसे वापस लिया जाना चाहिए। इस कानून के नाम पर जो अच्छी-अच्छी ज़मीनें उन बिचारों को मिली थीं, वे वापस लेनीं शुरू हो गयीं। इस तरह से सार्वजनिक उपयोग के नाम पर आवंटित की गयी बहुत कुछ जमीनें वापस हो गयी हैं। उस कानून को कांग्रेसी बना कर चले गये लेकिन उसका फल अब हमारी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारे पेशे हिन्दू होने के नाते बड़ों पर डाले जाएं तो कह देंगे हम हिन्दू नहीं हैं। गांधी जी ने बहुत कुछ किया है। उन्होंने अपने आश्रम में यह परम्परा डाली थी लेकिन वह परम्परा बहुत अधिक आगे नहीं चली। गांधी जी की बहुत दुहाई दी जाती है। लेकिन हम नहीं सोचते हैं कि उनकी हत्या क्यों की गई और किसने की। प्रताप नारायण ने कहा है

हाय राम कैसे हम भूलें अपनी लज्जा उनका शोक।
गया हमारे ही हाथों से हमारा राष्ट्रपिता परलोक ।।

बापू ने हमें आजादी दिलाई। हिन्दू जाति वाले के हाथों ही उनकी हत्या हुई। गांधी जी के सीने से निकली खून की बूंदों की कीमत, एक एक बूंद की कीमत हजार लाख भारतवासी अपना खून बहा कर अदा नहीं कर सकते हैं। अदा इस तरह से ही कर सकते हैं कि वह जो चाहते थे, समाज को जो उठाना चाहते थे, उसका आर्थिक पुनरुद्धार करना चाहते थे उसके लिए उन्होंने जो सिद्धान्त दिए ये उनको आगे बढ़ाया जाये। उनका केवल नाम ले कर कब तक हम उनको धोखा देते रहेंगे। रोटी बेटी का जो सवाल उठाते हैं उससे बहुत बड़ा भारी काम हो जायेगा इस विचार का मैं नहीं हूँ। इसका कारण यह है कि एक ही कौम ब्रह्मण आपस में लड़ते हैं और मारे जाते हैं। इस वास्ते अगर बदलाव चाहते हो तो पेशा बदल कर दिखाओ। कोई हरिजन अगर संस्कृत पढ़ लेता है तो वह वेद पढ़े, सत्य नारायण की कथा करे। पेशा अगर बदला जाता है तब तो यह कहा जाएगा कि हिन्दुत्व की भावना आपके अन्दर है अन्यथा नहीं। जो समाज की सेवा आज कर रहे हैं हिन्दुत्व के नाते तो आओ आप भी वैसा करके दिखा दो। भेष बदलने से काम नहीं चलेगा। जितना भी सुधार हो रहा है वह स्पर्द्धा के कारण नहीं हो रहा है। आप कह दें कि अब आरक्षण नहीं होगा। खास कौम के लिए इसको खत्म कर दिया जाये। इस आरक्षण का आप विरोध करते हैं तो एक बात मैं कहूंगा सरकार से कि जो लोग खास कौम के लिए चाहते हैं कि आरक्षण न हो उनके लिए आरक्षण आप कर दो, जितनी उनकी संख्या हो 15–16 प्रतिशत उससे दो चार प्रतिशत उनको अधिक दे दो, बाकी सब को फ्री कर दो। जो विरोध करते हैं उनके लिए आरक्षण कर दिया जाये और बाकी कौम को फ्री कर दिया जाये। हिन्दुओं

में जो अस्पृश्य लोग हैं वे मेहतर हैं, ढोर उठाने वाले हैं सफाई का काम करने वाले हैं, जितने घृणा के काम हैं उनको जो करने वाले हैं वे हिन्दुओं में अस्पृश्य हैं। धर्म परिवर्तन के नाम पर जो एक बिल पेश हुआ है उसको आप देखें। हिन्दू धर्म कब बच सकता है? अगर हम यह कहते हैं कि धर्म परिवर्तन न किया जाये तो हम को ऐसी बात भी करनी चाहिए जिससे धर्म परिवर्तन का मौका ही न आये। धर्म परिवर्तन लोग जो कर रहे हैं? कौन हैं जो कर रहे हैं? क्या धर्म परिवर्तन करके वे सुखी होंगे? जो भूखे हैं, जो नंगे हैं वही कर रहे हैं। पांडिचेरी में मैं अभी हाल में गया था। वहां मैंने आदिवासियों को देखा है। मूंज की रस्सी कमर पर बांध कर और आगे पीछे पुराना कपड़ा लटका कर वे अपने तन को ढकते हैं। इतनी घोर गरीबी उनमें व्याप्त है। जो सुधारवादी हैं वे जा कर उनकी स्थिति की देखें तो सही। फिर कहते हैं कि धर्म परिवर्तन को रोका जाये। मिशनरी ईसाई के पल्ले वे पड़ेंगे तो उन्हें वे खिलायेंगे, पिलायेंगे, अच्छा कपड़ा पहनायेंगे, उनकी सेवा करेंगे। अब उस तरह के लोग धर्म परिवर्तन करते हैं तो कैसे आप रोकेंगे? अगर रोकना चाहते हैं तो जा कर देखो कि किस घोर गरीबी के मुंह में वे पड़े हुए हैं और उससे उनको निकालो।

आरक्षण की बात भी की जाती है। वैधानिकता की बात को आप छोड़ दें। ऐसा मालूम होता है कि आरक्षण से लोगों को बहुत तकलीफ है, खास तौर से इसलिए कि वे समझते हैं कि अकल का ठेका, बुद्धिमानी का ठेका केवल कुछ खास कौमों के पास ही है। जब यह बात उनके वश से बाहर हो जाती है तो वे कहने लग जाते हैं कि प्रोमोशन में कैसे यह चीज हो सकती है उनमें तो योग्यता ही नहीं है। हरिजनों में योग्यता नहीं है तो क्यों आपने एक हरिजन डा० आम्बेदकर को ला मिनिस्टर बनाया था जिन्होंने इस देश का संविधान बना करके आपको दिया। अपने से ही आप बना लेते। क्यों नहीं बनाया? इनमें सब तरह की हिम्मत है। पाखाना उठाने की, ढोर उठाने की, सफाई का काम करने की हिम्मत है क्योंकि ये हिन्दू हैं दूसरे भी तो हिन्दू हैं और हिन्दू होने के नाते अगर आपके ही जिम्मे यह सब बातें डाल दी जाएं तो आप भी बड़ेसु धार वादी बनते हैं, देखें यह सब काम आप कर सकते हैं जो मेहतर चमार करता है। तो यह जो रिपोर्ट आती है कमिशनर की और सब की, इससे हमारा भला नहीं हो सकता है। भला दिल मिलाने से हो सकता है। कबीर ने कहा था :

"कबिरा घास न निंदिये जो पांय तर होय,
कबहुंक उड़ि आंखिन परे, पीर घनेरी होय।"

इसलिये हम को और अधिक न सताया जाये। वरना हो सकता है कि हमारा रोष फूट पड़े। बहुत दिन हमें पशेमा किया है। समाजवाद की हवा डा० लोहिया और गांधी जी ने चला दी और वह तिनके जो रास्ते में रोंदे गये हैं वह उड़ेंगे और हो सकता है कि समाज के किसी वर्ग को नुकसान हो। हम नहीं चाहते कि समाज के किसी हिस्से को हमसे नुकसान हो। गांधी जी, कबीर ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, बाबा साहब अम्बेदकर ने बौद्ध धर्म का रास्ता दिखाया है जो अहिंसा से ओतप्रोत है। हम नहीं चाहते कि हमारे हाथों की कारीगरी जहां लगी हो वह नष्ट हो, चाहे मकान हो, खत्ती हो। बल्कि हम तो चाहते हैं कि मानवता के नाते सब को बराबरी, समता और समानता का अवसर दिया जाये। युगों से जिनके बल पर मौज उड़ायी है उनको भी साझीदार बनाइये। जनता पार्टी की सरकार आयी है, जो आप हमारे कंधे पर

आड़ागोड़ी लगाये बैठे थे वहां से आप हट जाइये वरना हमें भी अंगड़ाई आने वाली है आप गिर जाओगे और आपकी गांठें टूट जायेंगी । बस मुझे इतना ही निवेदन करना है।

श्री पवित्र मोहन प्रधान (देवगढ़) : सभापति महोदय, हमारे देश में अनेकानेक जातियों का इस प्रकार जमघट है कि कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाये । यहां अनेक जातियां हैं, समुदाय हैं और अनेकानेक जातियां और धर्म हैं । अतः यह एक अत्यन्त ही विषम मामला है ।

सभापति महोदय : आप कल भी अपनी बात जारी रख सकते हैं । सदन कल 10.30 बजे प्रातः तक के लिए स्थगित होता है ।

मध्याह्न पश्चात 6.30 बजे—तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 10 मई, 1979/20 बैशाख, 1901 (शक) के साढ़े दस बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

———

मुद्रक : सबिना प्रिंटिंग प्रेस, फरीदाबाद